खण्ड–485, अंक–1
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(20 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 485 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	1-12
उपस्थित सदस्य	13-18
जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ में अवैध वसूली न देने पर पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह की गोली मार कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध	19
प्रश्नोत्तर	19-116
उ0 प्र0 विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री गोरखनाथ के निधन पर शोकोद्गार ...	116-117
तारांकित प्रश्न संख्या-4 के मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की पीड़ा के दृष्टिगत उन्हें पुनः सुने जाने का अवसर दिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	117-118
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	119-120
जनपद बलिया के रानीगंज बाजार स्थित फुलेश्वरनाथ मन्दिर के पुजारी को दी गई अमानवीय यातना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120-121
जनपद बलिया समेत प्रदेश भर में हो रही मानव तस्करी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	121
जनपद शामली में अवैध रूप से चल रहे मांस विक्रय केन्द्रों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
वाराणसी के तुलसी घाट में संग्रहालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
सन्तरविदास नगर में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त पंचायत मित्र के मूल प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद आगरा के मृत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पुत्र के मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहारनपुर मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जल निगम फिरोजाबाद द्वारा लगाई गई टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित पेयजल टंकियों से पानी की सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
प्रदेश के होम्योपैथी निदेशालय द्वारा लम्बित पड़ी फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत गंगा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों एवं उनके किनारे बनी नालियों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड भरूवा सुमेरपुर से देवगांव तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126-127
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड पर दोहरी घाट मुख्य नहर की अधूरी खुदाई से उत्पन्न स्थिति जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद गोण्डा के नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए अनुसेवक की पेंशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127-128
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा भगेसर/मजरों में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	128-129
विधायक के सांसद निर्वाचित होने पर शिक्षक-विधायक की भांति दोहरा वेतन/पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	129-132
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	132
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	132
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	132
छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	132-133
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	133
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगपुर पुल से गड़रियन पुरवा होते हुए बृजेन्द्र यादव के आवास के पास ग्राम मूड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृज किशोर आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	133
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम ऐरा खमरिया शुगर मिल के मुख्य मार्ग वाया सरैया से नौरंगपुर पुल से होते हुए ईसानगर पेट्रोल पम्प तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेम नारायण सिंह आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	134
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित सरकारी नलकूप में विद्युत कनेक्शन कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री चेतराम आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	134
जनपद सहारनपुर के मुख्य मार्ग सहारनपुर मुख्यालय से सुल्तानपुर चिलकाना तक लगभग 5 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संदीप कुमार सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	134
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवॉरका के ग्राम सोना में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरण सिंह आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	134
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम कपूरी खेड़ा, अफगान एवं वान्दूखेड़ी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	135
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के नगर पालिका सरसवां में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	135
जनपद सहारनपुर के तहसील एवं कस्बा नकुड़ में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री अनिल सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम पंचायत शेखपुरा में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	135
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि एवं समस्त सामग्री उपलब्ध होने के उपरान्त भी विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने विषयक श्री राजेश राणा आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	135
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	136-153
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-48, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	153-221
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	221
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	221-222
अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग (स्वीकृत)	222
अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	222
अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	222-223
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	223
अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	223
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)... ...	223-224
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	224-225
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	225
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	225
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	225-226
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) (स्वीकृत) ...	226
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	226

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	226-227
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	227-236
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	236-239
इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय एक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)...	239
बरेली के कस्बा सिरौली में टाउन एरिया द्वारा पशु वधशाला खोले जाने के प्रस्ताव को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य... ...	239
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-2012-2013 ग्राम खण्डा खस व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 में गेहूं/धान के क्रय केन्द्रों पर की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	240-241
महराजगंज की ग्राम सभा दुर्गापुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	241-242
लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 अन्तर्गत विधान सभा, राजभवन, बापूभवन, एनेक्सी भवन में लगभग 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित मानते हुए उनके जी0पी0एफ0 की कटौती व अन्य लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	242-243
जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के मानक में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	243-244
जनपद चित्रकूट के पी0डब्लू0डी0 के चार्ज डिवीजन सी0डी0-1 में अधिशासी अभियन्ता की तत्काल तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	244-245

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा बभनान से चांदारली गांव से होकर ग्राम भेलखा एवं भिरवा में से होकर आगे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क में मिलने वाली सड़क पर खड़न्जा एवं डामर/आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	..	246
जनपद वाराणसी के चोलापुर के अजगरा से दिनांक 10 मार्च, 2013 तथा नगर के डाकी बाई पास से दिनांक 11 मार्च, 2013 को वध हेतु ले जाये जा रहे क्रमशः 37 तथा 125 मवेशी तस्करों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		246-247
नत्थी	...	...	...	248-270

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
12. अताउररहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
35. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
52. इकबाल, श्री — बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
54. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
61. उदयराज, श्री — उन्नाव

62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमा भारती, सुश्री महोबा
66. उमाशंकर, श्री बलिया
67. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
68. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
69. ओम कुमार, श्री बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
73. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
74. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
75. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
76. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
77. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
174. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
175. फेरन लाल, श्री ललितपुर
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
178. बदलू खां, श्री उन्नाव
179. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
180. बाबू खां, श्री हरदोई
181. बाबूलाल, श्री गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
188. बैजनाथ, श्री मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर

197. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
200. मनबोध, श्री देवरिया
201. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
207. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
209. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
212. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
213. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
214. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
215. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
216. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
217. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
218. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
219. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
220. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
221. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
222. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
223. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
224. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
225. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
226. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
227. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
228. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
229. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
230. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
231. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
232. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
233. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
234. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
235. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
236. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
237. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
238. यासर शाह, श्री बहराइच
239. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
240. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
241. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
242. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
243. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
244. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
245. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
246. रणजीत सुमन, श्री एटा
247. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
248. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
249. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
251. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
252. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
253. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
254. रवि शर्मा, श्री झांसी
255. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
256. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
257. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
258. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
259. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
260. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
261. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी

262. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
263. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
264. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
265. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
266. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
267. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
268. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
269. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
270. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
271. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
272. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
273. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
274. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
275. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
276. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
277. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
278. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
279. राम करन आर्य, श्री बस्ती
280. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
281. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
282. राम गोविन्द, श्री बलिया
283. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
284. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
285. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
286. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
287. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
288. राम मगन, श्री बाराबंकी
289. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
290. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
291. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
292. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
293. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
294. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
295. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
296. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
297. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
298. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
299. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
300. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
301. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
302. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
303. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
304. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
305. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
306. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
307. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
308. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
309. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
310. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
311. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
312. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
313. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
314. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
315. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
316. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
317. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
318. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
319. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
320. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
321. विजय सिंह, श्री रामपुर
322. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
323. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
324. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
325. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
326. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
327. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
328. वीरपाल राठी, श्री बागपत

329. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
330. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
331. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
332. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
333. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
334. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
335. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
336. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
337. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
338. शाकिर अली, श्री देवरिया
339. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
340. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
341. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
342. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
343. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
344. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
345. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
346. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
347. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
348. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
349. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
350. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
351. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
352. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
354. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
362. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा

395. सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
397. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
398. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
399. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
400. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
401. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
402. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
*404. रिक्त	इलाहाबाद

* श्री महेश नारायण सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-258 हड़िया, जिला इलाहाबाद की दिनांक 11 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्य निषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, भू-तत्व एवं खनिकर्म, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, दुग्ध विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, विकलांग कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन, वास्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण तथा खादी एवं ग्रामोद्योग।
2	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन।
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।

1	2	3
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।
8	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
9	श्री बलराम यादव	पंचायती राज।
10	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
11	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन।
12	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान।
13	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा।
14	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन।
15	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा।
16	श्री राज किशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन।
17	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग।
18	श्री राजेन्द्र चौधरी	कारागार तथा खाद्य एवं रसद।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री इकबाल महमूद	खाद्य एवं रसद
2	श्री महबूब अली	परिवहन
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
12	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
13	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
14	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
15	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
16	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
17	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
18	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
19	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
20	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
21	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
22	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद व युवा कल्याण
23	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास
24	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण

1	2	3
25	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	माध्यमिक शिक्षा
26	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
27	श्री आलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
28	श्री राम सकल गूजर	कार्यक्रम कार्यान्वयन
29	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य।
30	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भू-तत्व एवं खनिकर्म
31	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
32	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
33	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	मनोरंजन कर

नेता, विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2012-2013)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-346

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
42. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
43. आशीष यादव, श्री — बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
46. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
47. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री — उन्नाव

54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
63. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
64. काली चरन सुमन, श्री आगरा
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
89. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
93. जगपाल, श्री सहारनपुर
94. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
95. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
96. जफर आलम, श्री अलीगढ़
97. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
98. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
99. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
100. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
101. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
102. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
103. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. तसलीम, श्री बिजनौर
107. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
108. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
111. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
112. दलजीत सिंह, श्री बांदा
113. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
114. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
115. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
116. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
117. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
119. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर

120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
123. धर्मराज, श्री बाराबंकी
124. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
125. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
126. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
127. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
128. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
129. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
130. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
131. नारद राय, श्री बलिया
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
134. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
135. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
136. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
137. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
138. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
139. पीतमराम, श्री पीलीभीत
140. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
141. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
144. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
145. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
146. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
147. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
148. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
149. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
152. फेरन लाल, श्री ललितपुर
153. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
155. बदलू खां, श्री उन्नाव
156. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
157. बाबू खां, श्री हरदोई
158. बाबूलाल, श्री गोण्डा
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
161. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
162. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
163. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
164. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
165. बैजनाथ, श्री मऊ
166. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
167. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
168. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
169. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
170. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
171. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
172. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
173. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
174. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
175. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
176. मनबोध, श्री देवरिया
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
179. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
180. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
181. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
182. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
183. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
184. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
185. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
186. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
187. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
188. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
189. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच

190. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
191. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
192. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
193. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
194. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
195. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
196. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
197. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
198. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
199. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
200. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
201. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
202. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
203. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
204. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
207. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
208. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
209. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
211. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
212. रणजीत सुमन, श्री एटा
213. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
214. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
215. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
216. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
217. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
218. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
222. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
223. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
224. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
225. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
226. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
227. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
228. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
229. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
230. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
231. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
232. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
233. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
234. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
235. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
236. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
237. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
238. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
239. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
240. राम करन आर्य, श्री बस्ती
241. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
242. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
243. राम गोविन्द, श्री बलिया
244. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
245. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
247. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
248. राम मगन, श्री बाराबंकी
249. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
250. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
251. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
252. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर

253. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
254. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
255. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
256. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
257. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
258. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
259. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
260. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
261. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
262. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
263. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
264. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
265. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
266. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
267. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
268. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
269. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
270. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
272. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
273. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
274. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
275. विजय सिंह, श्री रामपुर
276. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
277. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
278. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
279. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
280. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
281. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
282. वीरपाल राठी, श्री बागपत
283. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
284. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
285. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
286. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
287. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
288. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
289. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
290. शाकिर अली, श्री देवरिया
291. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
292. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
293. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
294. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
295. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
296. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
297. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
298. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
299. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
300. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
301. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
302. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
304. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
305. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
306. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
307. संजय कपूर, श्री रामपुर
308. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
309. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
310. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
311. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
312. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
313. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
314. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर

315. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
316. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
317. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
318. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
319. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
320. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
321. सियाराम सागर, डा0 बरेली
322. सीमा, श्रीमती जौनपुर
323. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
324. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
325. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
326. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
327. सुधाकर, श्री मऊ
328. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
329. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
330. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
331. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
332. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
333. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
334. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
335. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
336. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
337. सुल्तान बेग, श्री बरेली
338. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
339. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
340. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
341. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
342. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
344. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
346. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ में अवैध वसूली न देने पर पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह की गोली मार कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध

(लोक दल के मा0 सदस्यों के वेल में आकर बोलने पर, वेल से)

श्री तेजपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मथुरा में शिवगढ़ का प्रकरण है, इसका संज्ञान ले लें। वहां पर दो लोगों की मौत हो गई है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, वहां पर 2 आदमी मर गए हैं और कईयों को पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। वहां कानून-व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष-

आपने तो दिया है, नियम-56 में, तो चलिए अब बैठिए न। आपने तो लिखकर दिया है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, हमें इस पर बोलने का मौका नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

क्या करें बतायें ? आप यह बात वहां चल कर कहिए। आपको मैंने कहने का अवसर दिया, कल भी आप लोग उसी पर बोले, आज भी आप लोग लिख कर दिए हैं, तो यहां पहले बोलेंगे ? आप चलिए तो नियम-56 आने दीजिए, जब आप लिखकर दे दिये हैं तो चलिए वहां बैठिए, क्यों आप यहां पर खड़े हैं।

[11.2] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गांवों को ऊर्जीकृत किये जाने की योजना

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी गांवों को ऊर्जीकृत किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग सभी अविद्युतीकृत (वर्जिन) राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। प्रदेश के 300 व उससे अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का सघन विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में 300 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों के सघन विद्युतीकरण हेतु डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित की गई है। योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रेषित,

22 जनपदों की डी0पी0आर0 रु0 3453 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 47 जनपदों की प्रेषित डी0पी0आर0 रु0 4353 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, नहीं हैं।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में सी-आर्म मशीनें उपलब्ध कराये जाने की मांग

*02-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सी-आर्म मशीनें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में उक्त मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

जी नहीं।

प्रदेश के 29 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में पूर्व से ही सी-आर्म मशीनें स्थापित/संचालित हैं एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश के 36 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में 38 सी-आर्म मशीन की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजकीय चिकित्सालय में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करना सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय पर सदन में मंत्री जी के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, नहीं आए हैं। असीजा जी तो हैं, लेकिन मंत्री जी ही नहीं हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मंत्री हैं, मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह अच्छी बात नहीं है।

(थोड़े समय बाद मा0 राज्य मंत्री के उपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये क्या बताएं हम खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। पहले आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कई बार हो चुका है।

श्री शंख लाल मांझी-

मान्यवर, एक मिनट कुछ सेकेण्ड का समय हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

जी, नहीं समय की पाबंधी रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या-2, मनीष असीजा जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री मनीष असीजा-

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और सी0-आर्म0 के विषय में आपके माध्यम से मात्र दो मिनट में प्रकाश भी डालना चाहता हूं। महोदय, यह मशीन जो सी0आर्म0 है, यह हड्डी जोड़ने के काम आती है। हड्डी के क्षेत्र में जिस प्रकार एक्स-रे एक कांतिक्रारी अविष्कार था, तो इसका दूसरा चरण यह आप समझिए कि यह सी0-आर्म0 मशीन है। यह इसी प्रकार काम करती है जैसे अल्ट्रासाउण्ड या सिटीस्कैन काम करता है इसमें कभी भी किसी व्यक्ति की अगर हड्डी टूट गयी है तो उसको मशीन के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है और एक बड़ी चीड़फाड़ से बचते हुए डाक्टर इसमें नेलिंग प्लेट या जोड़ को ठीक से बैठाने का काम करता है। मान्यवर, यह मशीन ज्यादा मंहगी भी नहीं है यह लगभग 10 लाख की सीमा में बाजार भाव में मिलती है। मान्यवर, जैसा कि पहले भी सदन के सामने यह तथ्य है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कर्मी है तो कुछ ऐसे उपकरण जिससे चिकित्सकों की कर्मी और उस मशीन का तालमेल बन जाय तो उनके रिजल्ट काम करने के और उसके परिणाम दोनों अगर अच्छे आ जाय तो इस प्रकार की यह मशीन है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया ही है कि 29 जिला स्तरीय अस्पतालों में पहले से है और इस बार के बजट में उन्होंने प्राविधान किया है कि 36 जिला स्तरीय अस्पतालों में इसको स्थापित कराने जा रहे हैं। यह कुल टोटल 65 होता है पूरे प्रदेश में 75 जिला अस्पताल हैं और कुछ प्रमुख अस्पताल हैं अगर देखा जाय तो लगभग 10-15 अस्पतालों का गैप रह गया और लगभग एक करोड़ 2 करोड़ का इनवेस्टमेन्ट रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न भी करना चाहूंगा और साथ ही अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आश्वासन दे दें कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल को इस मशीन से संतृप्त कर दिया जायेगा जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके।

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से देश आजाद हुआ है इस वित्तीय वर्ष से पहले अब तक केवल 29 सी0आर0 मशीनें लगी थीं पूरे प्रदेश में, मैं कह रहा हूं अब तक 65 सालों में केवल 29 सी0आर0 मशीनें लगी थीं। 2012-13 में हमने पूरे प्रदेश में 38 सी0आर0 मशीनों को वित्तीय स्वीकृति और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया है, 38 जगह लग रही है। माननीय सदस्य का यह जो प्रश्न है और जो उन्होंने अनुरोध किया है दोनों ही जायज हैं। प्रदेश सरकार इसके लिए और प्रदेश में गरीब को यह व्यवस्था उपलब्ध हो सके इसके लिए कृतसंकल्प है। हम इस पर विचार करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री ने स्वयं विगत दिनों गोरखपुर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के

दौरान उनको यह पता चला कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय की सीआर मशीन खराब पड़ी हुई है। नई मशीन की 10 लाख की लागत तो दूर की बात है उसके बनाने में मुश्किल से 50-60 हजार रुपये का खर्चा था। माननीय मंत्री जी क्या वहां यह घोषणा करके आये थे कि मशीन बना दी जायेगी और आज 5 महीने हो गये अभी भी वह मशीन खराब पड़ी हुई है और इसके नाते बहुत सारे हड्डी के मरीजों को यह जो बहुत बड़ा उपयोग है हड्डी को जोड़ने का वह नहीं हो पा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह 50-60 हजार रुपये की आवश्यकता पिछले 6 महीने में वह पूरी नहीं कर पाये, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरी करके गोरखपुर जिला चिकित्सालय के सीआर मशीन को बनवाने की घोषणा करेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय डाक्टर साहब का जो प्रश्न है यह सही है कि हमने गोरखपुर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था और उस समय यह शिकायत संज्ञान में लाई गयी थी। हमने पिछले इसी महीने में आपके एक प्रश्न में हमने इसका जवाब भी दिया था। माननीय डाक्टर साहब जो सी0आर0 मशीन है वह मशीन चूंकि कंडम हो गयी, कंडम करने की एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को करके और उसके लिए नई वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

प्रदेश में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या तथा बचाव के उपाय

*03-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में डेंगू से पीड़ित कितने मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार डेंगू से बचाव हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंख लाल मांझी-

मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में डेंगू से पीड़ित 368 मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से 03 (तीन) मरीजों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

डेंगू से बचाव हेतु कार्य योजना बनायी गयी है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत डेंगू तथा चिकनगुनिया के रोग से बचाव हेतु निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जाती है :-

1-डेंगू तथा चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल पहचान, निदान एवं उपचार।

2-स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार में परिवर्तन।

3-इन्टीग्रेटेड वेक्टर कन्ट्रोल द्वारा मच्छरजनित परिस्थितियों को समाप्त किया जाना।

4-सर्विलेन्स पर विशेष बल देते हुए रोगों से रोकथाम एवं बचाव।

5-प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग/एडवोकेसी एवं अन्तर्विभागीय सहयोग।

इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष डेंगू के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में सेन्टीनल लैब की स्थापना की गयी है, जहां डेंगू मरीजों की पहचान हेतु जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो जवाब आया है कि 368 मरीज प्रकाश में आये हैं। मान्यवर, जिस समय बारिश का प्रकोप होता है और जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह मच्छर जनित कारणों से बीमारी फैलती है। मान्यवर, कानपुर में जो सरकारी आकंड़ा है, वह 188 मरीजों का सिर्फ कानपुर में है। यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी हास्पिटल्स का होता है। जिस समय इसका प्रकोप होता है, उस समय हम सब लोग देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, सारे के सारे अखबारों के माध्यम से जानकारी होती है और यदि कोई माननीय सदस्य अस्पताल का विजिट करता है तो हम भी देखते हैं कि वहां मरीज को भर्ती करने की जगह ही नहीं होती। यह बहुत भयावह परिस्थितियां होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जाना कि कुल 368 मरीज प्रकाश में आये हैं, यह मुझे लगता है कि सत्य नहीं है। माननीय मंत्री जी इसकी पूरी जानकारी करा लेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह आकंड़ा सही नहीं है। इसके साथ-साथ मान्यवर, जो इसके उपचार होते हैं, एक नार्मल प्रोसीजर होता है कि यह किया जाता है, इसके लिये एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है। ज्यादातर यह बात प्रकाश में आई है कि जब यह रोग हो जाता है, उस समय चिकित्सा विभाग के जो डाक्टर्स होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी होती है, तब उनको याद आता है कि एंटी लार्वा छिड़कने का काम करना चाहिये। शायद हमने कभी नहीं देखा, कभी उधर के माननीय सदस्यों ने देखा हो एंटी लार्वा छिड़कते हुये, लेकिन मेरे द्वारा कभी नही देखा गया। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सिर्फ दो प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या इस बीमारी को रोकने के लिये मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिये एंटी लार्वा छिड़कने का काम समय से पहले किया जायेगा ताकि यह रोग न हो और दूसरी बात यह जो मच्छरों का प्रकोप होता है, यह जो स्थानीय निकाय वाले होते हैं, उनके साथ इसका सीधा संबंध होता है। तो क्या वह उनके साथ भी कोआर्डीनेशन करने का काम करेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, डेंगू की बीमारी अक्सर यह बरसात के बाद होती है। डेंगू का जो रोग होता है वह एक तरह से प्रवासी वायरस है, जो इजिप्ट से यहां पर पहुंचा है। इसके जो मच्छर होते हैं, साफ पानी में उसका प्रजनन होता है और यह पानी जो होता है, जैसे छतों पर कभी टायर-ट्यूब रखा हो, गमला रखा हो, या जो कूलर है, कूलर का पानी ड्राई करके वीकली सफाई नहीं होता हो, घर में पालतू पशु पक्षियों के पीने के पानी का जो बर्तन होता है उसमें भले ही साफ पानी रखा जाता हो, लेकिन अगर उसकी साप्ताहिक सफाई न होती हो और अगल बगल घर के 100 मीटर की रेंज में जो पानी का साफ जल जमा होता है, ऐसे पानी में इसके मच्छर का प्रजनन होता है और इसके लिये एंटी लार्वा जैसा माननीय महाना साहब ने कहा है। इसका एण्टी लार्वा का छिड़काव भी किया जाता है। जहां तक संख्या बल की बात कही है। पिछले वर्ष 2010-11 में यह संख्या बहुत ज्यादा थी। वर्ष 2011-12 में उससे कम हुई लेकिन 368 यह इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े की हमारे पास अधिकारिक सूचना है। अगर आपके पास कोई और सूचना है कोई और आंकड़े के बारे में जानकारी है तो उसे अगर हमें उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी छानबीन और करा लेंगे। जहां तक इसके उपचार के बारे में व्यवस्था के बारे में है सरकार इसके लिए पूरे प्रदेश में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन प्रत्येक जनपद स्तर पर किया जाता है और किया गया है। यह प्रत्येक जिला अस्पताल स्तर पर और सामुदायिक स्तर

पर किया गया है। जिला चिकित्सालयों में डेंगू रोगियों की शैय्याओं का चिन्हीकरण किया गया है प्रदेश में डेंगू की जांच हेतु 22 एस0एस0एच0 लैब्स एक अपेक्स रेफरल लैब स्थापित किए गए हैं। डेंगू एलाइज आई0जी0एम0 टेस्ट किट्स हर जगह उपलब्ध है हर जिला अस्पताल में उपलब्ध है। हर सी0एच0सी0 पर उपलब्ध है। 28 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर यूनिट की स्थापना पूरे प्रदेश में की गई है। 75 ब्लड बैंक क्रियाशील किए गए हैं। डेंगू में होता क्या है इसके लक्षण जब होते हैं जब तेज बुखार होता है आंखों के पीछे कनपटी साइड में भयंकर दर्द होता हो ऐसी स्थिति में अगर बुखार होता है तो यह डेंगू का एक तरह से लक्षण होता है। ऐसे लक्षण पाए जाने पर तुरन्त मरीज को जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर इसके जांच करने की और उपचार करने की व्यवस्था हो वहां तुरन्त पहुंचाना चाहिए। डेंगू की स्थिति भयावह होने पर उल्टियां होने लगती हैं। चूंकि ब्लड अन्दर से आंतों में पतली नसें फट जाएगा तो उससे भी ब्लड आ सकता है जिससे मल के रास्ते से भी ब्लड आ सकता है। कान-नाक के रास्ते भी आ सकता है। बदन पर चकत्ते आ जाते हैं डाक्टर साहब को मालूम है। बदन पर लाल चकत्ते होने लगते हैं। ऐसी स्थिति अगर आती है तो इसका मतलब यह स्पष्ट संकेत है कि रोगी के शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी जो सीमा है वह जब 20 हजार से कम होने लगती है तो यह स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति में मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाना अति आवश्यक होता है जब तक प्लेटलेट्स संख्या 80 हजार तक नहीं होता है। इसके लिए यह व्यवस्थाएं की गई हैं। 28 जगहों पर ब्लड सेपरेटर की व्यवस्था है और 75 जगहों पर ब्लड बैंक है। सरकार की तरफ से यह व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी को हक है कि उनकी प्रसंशा की जाय। बहुत वैज्ञानिक और चिकित्सीय पद्धति पर उन्होंने जो बताया है वह सब सत्य है। एक आग्रह है जो बात उन्होंने छोड़ दिया। घर के अन्दर पानी के कलेक्शन से तो डेंगू होता ही है बरसात के दौरान जो पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में जिसके लिए बहुत कुछ नगर निगम भी जिम्मेदार होता है उसके माध्यम से भी डेंगू फैलता है। इसलिए क्योंकि वह पानी निकल नहीं पाता है। मैं आपको गोरखपुर का उदाहरण दे दूं। माननीय मंत्री जी की गर्दन हिल रही है इसका मतलब समाधान निकलेगा। एक लालडिग्गी पार्क है जिसमें बहुत पानी इकट्ठा किया जाता है। इस वर्ष की ही बात है चूंकि लालडिग्गी पार्क की जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं इसलिए लालडिग्गी पार्क के आस पास डेढ़ कि0मी0 में डेंगू के मरीज पाए गए। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि वह नगर विकास विभाग को इस बात के लिए सलाह देंगे कि बरसात के दौरान जिन क्षेत्रों में जल जमाव हो जाता है जिससे कि सार्वजनिक रूप से डेंगू फैलता है वहां त्वरित जल निकासी की व्यवस्था की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, डॉक्टर साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा है। कोशिश कर रहा हूं कि गड्ढे ज्यादा से ज्यादा भरे जा सकें। बहुत गड्ढे हो गये हैं, बहुत गहरे हो गये हैं। पहले गड्ढे भरेंगे तभी तो पानी कम रुकेगा, तो मान्यवर, कोशिश है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सारे इलाज माननीय मंत्री जी ने बता दिये लेकिन एक इलाज देशी है डॉक्टर साहब को ज्यादा मालूम होगा और वह इलाज सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और इस

तरह के मरीज हम सबके कान्ट्रैक्ट में आते हैं। जो सबसे प्रभावी है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए वह है पपीते के पत्ते के कोपल को लेकर पकाकर पीने से जितनी तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं उतनी तेजी से किसी दवा से नहीं बढ़ते और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदेश में विद्युत कर में बढ़ोत्तरी को कम कर फिक्स चार्ज कनेक्शन के सम्बन्ध में जानकारी

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की कमी से परेशान जनता के ऊपर बिजली दर में वृद्धि तथा प्रतियूनिट विद्युत कर में बढ़ोत्तरी करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार वर्तमान स्थिति में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने तथा घरेलू उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट की जगह प्रति कनेक्शन तथा किसानों को कम बिजली देने की स्थिति में उनकी दरों में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु लागू की जाने वाली बिजली की दरों का निर्धारण नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के टैरिफ प्रस्तावों पर नियामक आयोग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यापक जनसुनवाई, उपभोक्ता एवं उपभोक्ता प्रतिनिधियों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित कर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 19-10-12 को जो टैरिफ आदेश जारी किया था उसमें घरेलू उपभोक्तओं तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणी की विद्युत दरों में वृद्धि आदेशित की गई है। गत लगभग ढाई वर्षों तक बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी, जबकि इस अवधि में अन्य खर्चों के अतिरिक्त मात्र ऊर्जा के मद में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। अतः विद्युत दरों में वृद्धि किया जाना अपरिहार्य हो गया था।

विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा क्रय कर विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु रु0 5.87/- यूनिट का खर्च वर्ष 2012-13 में अनुमोदित है, जबकि टैरिफ वृद्धि से पूर्व औसत विक्रय मूल्य रु0 3.84/-यूनिट अनुमोदित था तथा दिनांक 01-10-2012 को की गई टैरिफ वृद्धि के उपरान्त भी औसत विक्रय मूल्य रु0 4.51/-यूनिट अनुमोदित किया गया है। विद्युत दर में उक्त बढ़ोत्तरी भी रु0 1.36/यूनिट का राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा। फलतः प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाना संभव नहीं है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में उपभोक्ताओं से फिक्स/डिमान्ड तथा इनर्जी चार्जेज लिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार फिक्स चार्जेज/न्यूनतम चार्जेज उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करने के लिए स्थापित किये जाने वाले जनरेटरों, उपकेन्द्र, पारेषण एवं वितरण लाइनों में होने वाले खर्चों के कारण लिया जाता है। औसत विद्युत आपूर्ति के दृष्टिगत हर समय विद्युत उपलब्धता को बनाये रखने के लिए विभाग को फिक्स चार्जेज खर्च करने पड़ते हैं। ऊर्जा क्रय हेतु विभाग को भी जनरेटर को फिक्स चार्जेज देने पड़ते हैं। नियामक आयोग द्वारा निर्गत रेट शिड्यूल के अनुसार घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता (अनमीटर्ड) हेतु फिक्स चार्जेज प्रति कनेक्शन प्रतिमाह निर्धारित है जबकि घरेलू ग्रामीण तथा घरेलू शहरी उपभोक्ताओं (मीटर्ड) हेतु यह प्रति किलोवाट प्रतिमाह निर्धारित है।

ग्रामीण क्षेत्र के किसानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे निजी संयोजन पर वर्तमान में लागू दर रु0 75/बी0एच0पी0/माह है, जिसमें पिछले लगभग आठ वर्षों से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

निजी नलकूप की विद्युत दरों को कम किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में विद्युत आपूर्ति लगभग रु0 7/यूनिट आंकलित की गई है। वर्ष 2004-05 से निजी नलकूपों की विद्युत दरें स्थित हैं, जबकि विद्युत क्रय मूल्य में इस अन्तराल में काफी वृद्धि हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब माननीय नेता जी की सरकार थी तो इसी सदन में उनके द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि एक निजी उद्योगपति द्वारा बिजलीघर लगाया जाना है और आगामी दो वर्षों के अन्दर दो रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जायेगा। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन वह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी और वह घोषणा सिर्फ घोषणा ही बन करके रह गयी। आज भी जो मैंने प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय तो वर्तमान जो मंहगाई है और उसका जो बोझ बेतहाशा बढ़ रहा है विभिन्न स्रोतों से उसको देखते हुए मैंने इसका औचित्य क्या है यह जानना चाहा था ? लेकिन सरकार कुछ बातों को छिपा गयी। जो कुछ उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त सच्चाई यह है कि जो सरकार ने अभी एफ0आर0पी0 का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नियामक आयोग को भेजा है, उसमें इस घोषणा के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 10 से 12 प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि प्रस्तावित है और यह मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ यह घोर अन्याय है कि एक बार में यह प्रस्तावित कर दिया जाए, अनुमोदन ले लिया जाए कि प्रत्येक वर्ष ऑटोमेटिकली जनता की जेब पर 9 से 10 प्रतिशत वृद्धि का जो बोझ है वह पड़ता रहे चाहे वह उसको उठाने की स्थिति में हो अथवा न हो। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने जो कुछ अपने उत्तर में कहा है इसके अतिरिक्त 2013 से 2024 तक का जो एकमुश्त एफ0ए0आर0 बना करके भेजा गया है जिसमें यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक वर्ष बिना अनुमोदन लिये 9 से 10 प्रतिशत या 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव सरकार ने नियामक आयोग को भेजा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत की आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है और विद्युत की आपूर्ति करने के लिए जो भी बिजली कम्पनियां जो भी बिजली बनाती हैं उनसे विद्युत खरीदनी पड़ती है और इसमें सभी पर कीमतें बढ़ी भी हैं और कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अभी नियामक आयोग में जो संस्तुति गयी है वह विचाराधीन है। तो जो विचाराधीन है और जब नियामक आयोग से संस्तुति आयेगी तब इस पर विचार किया जायेगा। संस्तुति तो गई है जब नियामक आयोग की संस्तुति आ जायेगी उसके बाद विचार किया जायेगा।

श्री अमरपाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विद्युत के अन्दर जिस तरीके से कई जिलों को ले करके उनमें एक गाजियाबाद जिला भी शामिल किया गया है, वहां की दरें बढ़ायी गयी हैं और यह कह करके दरें बढ़ायी गयी हैं कि वहां 24 घण्टे लाइट आती

है, जबकि आये दिन गाजियाबाद शहर के अन्दर सबसे ज्यादा कटौती होती है। यह गाजियाबाद की जनता के साथ एक तरह से धोखा है कि 24 घण्टे की लाइट कहकर और वहां पर इतनी कटौती की जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी गाजियाबाद शहर से वो जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको वापस लेंगे ? या गाजियाबाद को 24 घंटे लाइट दिलवाने का काम करेंगे। जबकि जिन शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, वह इसमें इनवाल्व नहीं हैं तो फिर गाजियाबाद के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि जो दरें वहां पर बढ़ाई हैं, जब दरें बढ़ाई हैं तो 24 घंटे लाइट दी जाय अन्यथा बढ़ी दरें वापस ली जायं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने दीजिये वही बात तो आप कह रहे हैं। उसी सवाल को बार-बार दोहरा रहे हैं उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रत्येक वर्ष नियामक आयोग के लिये संस्तुतियां जाती हैं और फिर नियामक आयोग इस पर विचार कर रहा है। जब विचार करके आयेगा तब ही तो इसकी कीमतें बढ़ेंगी। अभी तक तो उसका विचार ही नहीं आया है, उसकी संस्तुतियां नहीं आई हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न थोड़ा टैक्निकल है और उत्तर उससे ज्यादा टैक्नीकल है। क्योंकि कई भागों में बात है। मैं भी दो-तीन भागों में अपना प्रश्न करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझा हूं उत्तर से, निजी उपभोक्ता के ऊपर कोई दर नहीं बढ़ाई गई यह आपने लिखा इसमें। किसान के निजी नलकूप के ऊपर भी कोई दर नहीं बढ़ाई गई 8 साल से यह भी आपने उत्तर में लिखा है। गाजियाबाद की बात की तो एक बात समझ में आई वह भी निजी उपभोक्ता के बारे में सवाल था सम्भवतः इनका। जब निजी उपभोक्ताओं के ऊपर आपने कहा कि दर नहीं बढ़ाई गई तो वहां कैसे बढ़ गई। आप के उत्तर में है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने यह कहा है गाजियाबाद में बिजली का पैसा 24 घंटे के हिसाब से ले रहे हैं और कटौती कर रहे हैं। हमको बिजली 24 घंटे दी जानी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

उत्तर पढ़ लें मान्यवर आप। तीन श्रेणी हैं इस उत्तर में। एक श्रेणी वह है जो किसान की है निजी नलकूप की एक श्रेणी है देहात की है जिसमें 75 रुपये प्रति हार्स पावर आपने लिखा है और तीसरी श्रेणी वह है जो निजी उपभोक्ता है उसकी है और एक श्रेणी जो बढ़ी है जिसका जिक्र आपने नहीं किया सम्भवतः जो बढ़ी है वह उद्योग में बढ़ी हैं। जो मैं अंदाजा लगाता हूं कि तीन श्रेणी निकलने के बाद में जो एक श्रेणी बचती है वह उद्योग की हैं। जैसा आपने बताया 5 रुपये 87 पैसा आपका खर्च आता है उस बिजली पर जो आप बाहर से क्रय करते हैं और क्रय करने के बाद में आप उपभोक्ता तक उसकी आपूर्ति करते हैं क्योंकि यह 3 रुपये 84 पैसे दर थी और आपने उसको बढ़ाकर कर दिया 4.51 और उसके बाद भी आपका कहना है कि 1 रुपया 36 पैसा का हमको

नुकसान हो रहा है। यही कहा है न आपने। और मैं उसी के आधार पर सवाल कर रहा हूं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नियामक आयोग में विचाराधीन है, जब नियामक आयोग उस पर आदेश कर देगा तो हमारे पास क्या रह जायेगा ? उपभोक्ता क्या कर लेगा फिर या माननीय सदस्यगण क्या कर लेंगे फिर ? वह तो आदेश वहां से हो ही जायेगा। जो भी आदेश होगा उसके होने के बाद विचार करने के लिये यहां पर कुछ बचता नहीं है। विचार करने के लिये बचता है तब जब कि आपके प्रस्ताव गये हैं। प्रस्ताव में आप तब ही कर सकते हैं बढ़ोत्तरी भी कर सकते हैं। तो जो हमारे विचार करने की बात है, वह अब है। नियामक आयोग के आदेश करने के बाद में कोई विचार करने की बात रह नहीं जाती। मान्यवर, लम्बा हो जायेगा परन्तु फिर भी क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत लिखा की जनप्रतिनिधियों से, फलां से विचार करने के बाद में नियामक आयोग ने विचार किया। यह 403 बैठे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं हैं क्या ? इन जनप्रतिनिधियों से विचार हुआ क्या ? मान्यवर जनपतिनिधि कौन से हैं, जिनसे विचार करके आते हैं। यह एक सवाल है मान्यवर, आपको भी जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने लिखित उत्तर में लिखा है कि जनप्रतिनिधियों से विचार करके तब यह बातें आई। 403 जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं। कहीं विचार हुआ क्या ? विचार करना चाहते हैं तो नियामक आयोग की तलवार लटका देते हैं कि वहां विचार हो जा रहा है। अब मैं प्रश्न पर आता हूं मान्यवर, यह सारी बातें मैंने आपके सामने रखीं। पहला सवाल मेरा यह है कि जो आपका सेल्फ जेनरेशन है विद्युत क्रय करने के बाद में उपभोक्ता तक आपूर्ति करने में जो खर्चा आपका आ रहा है वह 5.87 पैसे आ रहा है और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए आप चिन्तित हैं, फिर भी 1 रुपये 36 पैसे का आप नुकसान बता रहे हैं। आपका जो अपना जेनरेशन है उस जेनरेशन पर औसत खर्चा क्या आ रहा है। नम्बर दो मान्यवर, जब आप किसान की बात करते हैं और आपने कहा कि एक आध साल से बढ़ाया नहीं, उस पर बढ़ाने का विचार नहीं किया। जिन घोषणाओं पर आप चल रहे हैं उसमें भी है कि 14 घंटे आपूर्ति किसान को करेंगे। 14 घंटे की आपूर्ति किसान को नहीं होती है सारा रिकार्ड आपके पास में है जो 3311 के बिजली घर लगे हुए हैं उसमें समस्त रिकार्ड है कि बिजली की कितनी आपूर्ति की गई उस आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए अगर 14 घंटे की आपूर्ति नहीं होती है तो उसी अनुपात में जो किसान से आप पैसा ले रहे हैं उसमें आप कमी करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी को मालूम है कि लगातार प्रतिवर्ष लगभग 14 हजार करोड़ रुपया घाटा उठाना पड़ता है और बिजली का तो संकट है ही, बिजली की दिक्कतें हैं सरकार प्रयास कर रही है और इस समय बिजली की आपूर्ति भी की जा रही है और नियामक आयोग को प्रतिवर्ष भेजना पड़ता है तो इसमें नियामक आयोग का जो भी उचित निर्णय होगा उस उचित निर्णय का पालन करना पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मान्यवर, इससे पूर्व की मैं अपना सवाल कहूं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मेरे साथ कुछ लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जब इम्तहान आता था तो एक लड़का रात भर मेहनत करता था पहले नहीं पढ़ता था और अगले दिन जब पेपर आता था तो पेपर में कुछ भी सवाल आए वह लिखकर वही आता था जो रात भर उसने पढ़ा होता

था। मान्यवर, मेरा सवाल क्या था, और उत्तर मुझे वही मिला जो रात भर पढ़कर आए थे। मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं दो सवाल थे मेरे छिपे हुए, नुकसान की बात छिपा ली, आपने कहा कि 14 हजार करोड़ का खर्चा हो रहा है और आपको प्रतिपूर्ति यहां से करनी पड़ती है लेकिन नुकसान के कारणों पर भी तो जाइए। नुकसान का कारण यह नहीं है कि 5.87 में खरीदकर आप 5.41 में बिजली दे रहे हैं, नुकसान इसलिए हो रहा है कि स्टोर में जो सारा सामान आ रहा है वह सारा लीकेज हो रहा है नुकसान इसलिए हो रहा है कि आप सब अधोमानक चीजें खरीद रहे हैं नुकसान इसलिए हो रहा है कि भारी कमीशन बैठे हुए अधिकारी खा रहे हैं जिनके माध्यम से आप क्रय कराते हैं मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन जो मशीनरी है उसमें जंग लग चुकी है और आज से नहीं न जाने कब से वह काम कर रहे हैं इस पर नियंत्रण हो जाए तो नुकसान कम हो जाए और फिर उपभोक्ता को रिलीफ मिल जाए। मेरा सवाल मान्यवर, इतना था कि 14 घंटे की आपूर्ति का आपका वायदा था, अगर 14 घंटे की आपूर्ति किसान को नहीं हो रही है और फिक्स चार्जेज आपने लगा रखे हैं जितनी आपूर्ति आप करते हैं उस अनुपात में किसान से जो आप बिजली के बिल ले रहे हैं उस बिजली की दर में आप कमी करेंगे। उस बिल में कमी करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी कमी करने का कोई विचार नहीं है। (शोर)

(श्री सुदेश शर्मा, श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 'डेरी वाले' तथा कुछ अन्य सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, आप बैठिए। बिजली पर बहुत बहस हो चुकी है। बिजली का बजट भी हो गया है, सब बातें आ गयी हैं। आप लोग शान्त रहें। दादा, आप पूछिए। शर्मा जी, अब आप बैठिए, यह जरूरी नहीं कि हर बार आप पूछें, पूरा जवाब आ गया है। आप बिजली पर कितनी बार बोले हैं, असेम्बली में बिजली पर बहस भी हुई है। चौधरी जी खड़े हैं, इन्हें पूछने दीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो क्रियाकलाप होता है वह सिर्फ कामर्शियल बेसिस पर नहीं होना चाहिए, यह मेरी मान्यता है। लाभ और हानि के आधार पर हर क्रिया को कन्ट्रोल करना नहीं चाहिए और यह जो सरकार है और हर सरकार कहती है कि हम लोक कल्याणकारी कार्यों में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। आपने किसानों को भी रिलीफ नहीं दिया, आपने घरेलू उपभोक्ताओं को भी रिलीफ नहीं दिया और यह सारी कवायद अब तक की परम्पराओं को तोड़ते हुए वर्तमान सरकार ने एकमुश्त बढ़ाने का एक प्रोग्राम बना लिया है और मेरी जो मान्यता है, मेरी जो छोटी बुद्धि है, थोड़ी समझ है, उसके अनुसार यह लगता है कि हमारे प्रदेश की जो गरीब जनता है, जिसकी कमर टूट रही है, मंहगाई की मार से, उसका कम ख्याल है और यह ख्याल ज्यादा है कि बाहर के जो उद्योगपति हैं वह आकर कैसे यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगायें और वह लाभ कमायें, चाहे गरीब जनता की कमर ही क्यों न टूट जाए ?

श्री अध्यक्ष-

आप इतनी देर से भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, यह सवाल सबका है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या यह लोक कल्याणकारी सरकार है अथवा सिर्फ लाभ कमाने वाली यह सरकार है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह लोक कल्याणकारी सरकार है तो वह गरीब जनता का भी ध्यान रखेगी अथवा नहीं रखेगी कि बाहर के ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति आयें, लाभ कमायें और प्रदेश की गरीब जनता की कमर तोड़ दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बार-बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप बैठिए। अग्रवाल जी, बैठ जाइये, आपका तो प्रश्न ही नहीं समझ में आयेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है और घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई कीमत नहीं बढ़ायी है। केवल वाणिज्य और उद्योग पर बिजली की दरें बढ़ायी हैं। यह हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। जनता के हित में पूरे निर्णय ले रही है और बिजली के बारे में भी जनता के हित में ही निर्णय लेगी।

प्रदेश में बन्द सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की मशीनरी एवं आर्थिक स्थिति जर्जर होने, संयंत्र एवं मशीनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण या विस्तारीकरण न होने तथा क्षमता के अनुसार गन्ना उपलब्ध न होने आदि कारणों से चीनी मिलों को पेराई सत्र, 2006-07 एवं 2009-10 के बाद नहीं चलाया गया है।

इन मिलों के शुगर वेजबोर्ड से आच्छादित अधिकांश कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का प्रतिलाभ प्रदान कर कार्यमुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-5, श्री खन्ना साहब।

(माननीय अध्यक्ष के प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने पर मा0 मंत्री, श्री शिवपाल सिंह यादव ने लिखित उत्तर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। इस दौरान पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए श्री सुदेश शर्मा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 'डेरी वाले' तथा कुछ अन्य सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

आप लोग बैठिए, प्रश्न का उत्तर आ गया है। देखिए, इतने बिजली पर प्रश्न हो गए, सारे प्रश्नों के जवाब आ गए, अब आपका क्या रह गया ? आप अलग से सवाल लगाइये। आप लोग बैठिए।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 'कैलाश डेरी वाले' वाले सहित कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर उनका माइक आफ था।)

आप बैठिये। जो मुख्य प्रश्नकर्ता थे वह संतुष्ट हो गये। आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप बैठ जायें बिजली पर बजट में भी चर्चा हुयी, प्रश्नों के माध्यम से भी काफी कुछ कहा गया है। आप लिखकर दे दीजिए आपका सवाल मंत्री जी को भेज देंगे। अब आप बैठ जाइये, आपका नहीं लिखा जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की कुल 28 चीनी मिलें हैं। 28 में से 23 चीनी मिलें चल रही हैं। 5 चीनी मिलें बंद कर दी गयीं। मेरा कहना है कि यह 5 चीनी मिलें अकुशल प्रबंधन की वजह से बंद की गयीं। न गन्ने की कमी है न परसेन्टेज की कमी है। आपका जो बजट साहित्य है अभी इसी वर्ष जिस दिन गन्ना का बजट प्रस्तुत हुआ इससे स्पष्ट है 5 चीनी मिलें बंद हैं। यह चीनी मिलें भदोही, औराई, सठियांव, धुरियापार, मझोला और पुवांया। यह पांच चीनी मिलें हैं जो बंद हैं। मैं आपका ध्यान शाहजहांपुर की पुवांया चीनी मिल पर आकर्षित करना चाहता हूं। शाहजहांपुर की पुवांया चीनी मिल वर्ष 2009-10 तक चली है। 8.84 प्रतिशत इसकी रिकवरी थी और उससे जो पुरानी चीनी मिलें थीं उन्होंने इस बार 24 लाख, 25 लाख, 37 लाख कु0 गन्ना 28 फरवरी तक पेरा है। जो दस-दस साल पुरानी थीं वह चीनी मिलें चल रही हैं। इसमें जितने भी कारण इस प्रश्न के उत्तर में बताये गये उसमें से एक भी कारण मान्यवर, लागू नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि अकुशल प्रबंधन की सजा उस क्षेत्र के किसानों को किस वजह से दे रहे हैं ? दूसरा, जिस प्रकार से मोहिद्दीनपुर की चीनी मिल जो निगम की थी उसको वी0आर0एस0 देने के बाद भी इस सरकार ने राजनीतिक निर्णय लेकर उसको चालू करा दिया। राजनीतिक निर्णय हो गया है अभी चली नहीं है। मंत्रि-मण्डल स्तर पर निर्णय हो गया है। वह चलने जा रही है। तो क्या मा0 मंत्री जी इसी प्रकार से पुवांया चीनी मिल को जो कि 1987-88 में लगी है, मान्यवर, जो 1960-61 की लगी हैं, 1975-76 की लगी हैं वह पांचों चीनी मिलें। मैं आपका उदाहरण स्वरूप बता दूं। मान्यवर, सरसवां 1961-62 में लगी इस बार 22 लाख 98 हजार कु0 गन्ना पेरा। बागपत 1960-61 में लगी 24 लाख कु0 गन्ना पेरा। ननौता 1978-79 में लगी 37 लाख कु0 गन्ना पेरा। अनूपशहर 1977-78 में लगी 24 लाख 51 हजार कु0 गन्ना पेरा। मोरना 1984-85 में लगी 25 लाख 42 हजार कु0 गन्ना इस वर्ष पेरा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब 1987-88 की यह चीनी मिल है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सवाल किया है आपका सवाल भाषण में छुप गया। आप सवाल दोहरा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस आधार पर मोहिद्दीनपुर की चीनी मिल चालू की गयी, निगम की थी, राजनीतिक निर्णय लेकर चालू की गयी क्या पुवांया चीनी मिल को भी उसी श्रेणी में रखकर चालू करायेंगे। उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गन्ना है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना साहब ने जो अभी चीनी मिल गिनायी हैं, औराई, सठियांव, पुवांया, धुरियापार, मझोला। एक तो यह बहुत पुरानी सहकारी चीनी मिलें लगी हुयी हैं तो इनकी गन्ना पेराई की क्षमता भी बहुत कम है, औराई की चलाने से इसमें घाटा हो रहा है लगभग 901 लाख और सठियांवा में घाटा हो रहा है लगभग 1207.82 लाख, धुरियापार में घाटा हो रहा है 142.54 लाख और पुवांया में घाटा हो रहा है 2639.9 लाख और मंझोला में हो रहा है घाटा 1086 लाख, तो इस तरीके से इन सब में घाटा हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में गन्ना भी नहीं मिल पा रहा है, तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। वैसे प्रयास किया जायेगा, लेकिन पर्याप्त गन्ना भी नहीं मिल पा रहा है और बहुत पुरानी ये चीनी मिले हैं, इनमें लगातार घाटा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पांच चीनी मिलें नहीं चल पा रही हैं और 23 चीनी मिलें जो सहकारी चीनी मिलें हैं, वो चल रही हैं, तो इसमें अभी दिक्कत है चलाने में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं हमने विशेषरूप से फोकस किया था, पुवांया चीनी मिल पर और मैंनें पांच चीनी मिल को पढ़ कर इसीलिए चलाये थे, जो मान्यवर, 20-20 साल, ये तो 1987-88 की चीनी मिल हैं, जो 1977-78 की मान्यवर, सरसवां 1961-62 में लगी, उसका 22 लाख 98 हजार कुन्तल गन्ना इस साल पेरा, बागपत 1960-61 में लगी 24 लाख कुन्तल गन्ना इस साल पेरा, ननौता 1978-79 की है, इससे पुवांया से 10 साल पहले की 37 लाख 79 हजार कुन्तल गन्ना इस साल पेरा, अनूप शहर 1977-78 की है मान्यवर, 24.51 लाख कुन्तल गन्ना इस साल पेरा गया। मेरा कहने का मतलब यह है मान्यवर, जो पुवांया से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल पुरानी चीनी मिलें हैं, उनको पुरानी होने के आधार पर नहीं रिजेक्ट किया गया, मान्यवर क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना है, मान्यवर, पुवांया क्षेत्र मिनी पंजाब कहा जाता है मान्यवर, हमारे शाहजहांपुर की पुवांया तहसील 1977-78 से बीट और धान की पैदावार में एक नम्बर पर रही।

श्री अध्यक्ष-

यह एग्रीकल्चर पर भाषण नहीं है, आप सवाल तो करो, आपने कह दिया और मा0 मंत्री जी ने कह दिया विचार करेंगे, देखेंगे बात आ गई, बस खत्म हो गया, अब आप कोई दूसरा प्रश्न करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने स्पेशफिकरूप से एक उदाहरण दिया था कि मोहिद्दीनपुर की चीनी मिल जिस आधार पर चलाई गई क्या उसी आधार पर पुवांया चीनी मिल चलाने का विचार करेंगे, वहां गन्ना पर्याप्त है ?

श्री अध्यक्ष-

बस इतना ही प्रश्न करो, आप इसको लम्बा बढ़ा देते हैं, जिससे प्रश्न बिगड़ जाता है। अब आप बैठिये। मा0 मंत्री जी, मोहिद्दीनपुर चीनी मिल की तरह, क्या इसे भी चलाने पर विचार करेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह इस साल नहीं बन्द की गई है, यह पुवांया चीनी मिल 2009-2010 से बन्द है। तो जब मैंनें कहा कि विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस बात खत्म हो गई।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह धन्यवाद करते हुए मा0 मंत्री जी का, जो अभी खन्ना जी कह रहे थे कि मोहिद्दीनपुर शुगर मिल चलाई जायेगी, यह कैबिनेट में भी निर्णय हुआ और मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसकी घोषणा भी कर दी और मुझे ज्ञात हुआ है कि उसके लिए आठ करोड़ रुपया भी रिलीज किया गया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से कि यह सरकार का पैसा जाया चला जायेगा, यदि वह अगले सीजन में मिल चलाना चाहते हैं, तो अभी अफसरों ने उसके लिए कोई वहां धरातल पर कार्यवाही नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर पाईप लाइनें गली हुई हैं, मशीनरी खराब है, यदि अभी से वहां पर कार्य किया जायेगा, तब जाकर के वहां पर मोहिद्दीनपुर शुगर मिल चलेगा, अन्यथा अफसरान फिर कह देंगे कि अब यह इस सीजन में नहीं चल सकती, तो पैसा सरकार का बरबाद हो जायेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए धरातल पर कोई कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, यह सवाल नहीं है यहां ।

श्री सुदेश शर्मा-

मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल का है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने मोहिद्दीनपुर चीनी मिल का उदाहरण दिया है। मा0 खन्ना जी ने उदाहरण दिया कि सरकार मोहिद्दीनपुर चीनी मिल को चलाने जा रही है। क्या उसी तरह से कुवायां की मिल को भी चलायेंगे तो अब मोहिद्दीनपुर का यह सवाल आपका नहीं उठता है कि इतना रुपया दिया और वो धरातल पर नहीं है।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, उसका नाम लिया गया। मोहिद्दीनपुर शुगर मिल की घोषणा कर चुके हैं, उसका पैसा रिलीज हो चुका है। मान्यवर, वो पैसा बरबाद चला जायेगा सरकार का।

श्री अध्यक्ष-

आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया, सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री सुदेश शर्मा-

मैं उसी पर जानना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि धरातल पर कार्य हो जाये।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीनी मिल जो अलाभकारी हैं और इसलिये अलाभकारी हैं कि उनकी क्षमता कम है। इसी तरह की एक साठा चीनी मिल है अलीगढ़ में।

श्री अध्यक्ष-

अरे, ये सहकारी चीनी मिल का है। ये सवाल सहकारी चीनी मिल पर है, आप दूसरा क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, उसी से सम्बन्धित है। सहकारी शुगर मिल साठा कम क्षमता के कारण अलाभकारी होती जा रही है। 01 अरब 28 करोड़ का घाटा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उसकी क्षमता बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो जरा अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब साठा का सवाल यहां कहां आ गया ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, छाता चीनी मिल भी तो सरकारी चीनी मिल है। छाता भी सरकारी चीनी मिल है। जैसे उसे चालू करेंगे तो छाता की भी चालू हो जाये। सरकारी चीनी मिल है, वहां करोड़ों रुपये की सैकडों करोड़ रुपये की जमीन है। अभी उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है मान्यवर। पिछली बार मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी टाइम दिया था। मथुरा के लोग आये थे तो इस पर भी जवाब आ जाये।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं और ये मैंने परसों नियम-51 में सवाल लगाया था कि सहकारी चीनी मिल का रूद्रबिलास जो उत्तरांचल के बार्डर पर है। पिछली सरकार भी इसे बेचना चाह रही थी। मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था, रूक गयी थी। इस चीनी मिल पर किसानों का भुगतान रोक दिया गया है, किसान परेशान है। रूद्रबिलास रामपुर का है।

श्री अध्यक्ष-

ये सब कहां से पूछ रहे हो, वो चलाने की बात कर रहे हैं।

श्री संजय कपूर-

मैं चलाने की बात भी कर रहा हूं। मैं दोनों बातें कर रहा हूं। मान्यवर, मैं चलाने की भी बात कर रहा हूं। ये रूद्रबिलास चीनी मिल बन्द होने के कगार पर जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत इम्पॉर्टेण्ट क्वेश्चन है। अगर वहां का प्लाण्ट और बॉयलर नहीं बदला गया। क्या सरकार उसको बदलने पर विचार करेगी और किसानों का भुगतान करायेगी। मान्यवर, किसान वहां धरना दे रहे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। चीनी मिल बंद पड़ी है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अभी जो 5 चीनी मिलों को बंद कराने की बात आयी। उसमें धुरियापार का भी जिक्र आया। जो उन्होंने घाटे का जिक्र किया, उसमें कहीं 600 लाख, कहीं 900 लाख, कहीं 1000, कहीं 1200 है। धुरियापार का जिक्र करते समय इन्होंने बताया कि केवल 140 लाख या 144 लाख का सबसे न्यूनतम घाटा है। वह 1984

के आसपास ताजा बनी हुयी चीनीमिल है। एशिया की सबसे बड़ी बेहतर चीनी पैदा करने वाली वह मिल थी। इस गवर्नमेण्ट के समय में वो लगी भी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा-पत्र से लेकर विभिन्न मंचों पर ये बातें कही भी हैं कि हम चीनी मिलों को बेचने नहीं देंगे। धुरियापार चीनी मिल है और जो रोहनापार पर एक पुल प्रस्तावित है विभाग से अगर बन जाये तो गन्ने की भी समस्या वहां से खत्म हो जायेगी तो क्या धुरियापार चीनी मिल को चलाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह 2006-07 से बंद है और 5 साल में आप क्या करते रहे ? आप तो नहीं चला पाये, आप नहीं चला पाये।

(कई मा0 सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने से उत्पन्न शोर के मध्य तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नकाल का समय शेष रहने पर श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-1 पर रुचि दिखाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुन लीजिये। ऐसा है जिस समय यह प्रश्न पूछा गया। देखिये ऐसा नहीं है कि चाहे जब आपकी रुचि हो जाये। जिस समय मैंने प्रश्न पूछा। दो बार कहा किसी ने रुचि नहीं दिखायी इसलिये अब कोई रूचि नहीं ली जायेगी।

अब निधन के निर्देश लेंगे। अब रुचि नहीं ली जायेगी। अब रुचि का सवाल नहीं लिया जायेगा।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) के खड़े होने पर)

अब आप बैठ जाएं। आप लिखकर दे दें, जवाब वहां से दिलवा देंगे।

तारांकित प्रश्न

*10-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाये जाने का प्रस्ताव

01-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना समिति, शाहजहांपुर में जनपद के प्रभारी मंत्री ने दिनांक 30-08-2012 को समिति की बैठक में शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 30-8-2012 में अलग से प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

आगणन गठित करा लिया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम मोहम्मदी हथौड़िया के टूटे पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मोहम्मदी हथौड़िया ग्राम के पास से मऊखालसा के रास्ते पर टूटे पुल की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुल मरम्मत योग्य नहीं है।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से मरने एवं विकलांग होने पर दिये जाने वाले अनुदान को पुनः चालू कराये जाने की मांग

03-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से मरने वालें एवं अपाहिज होने वालों को वर्ष 2005-06 तक अनुदान दिया जाता रहा है ? क्या इसे गत सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों एवं अपाहिज होने वालों को अनुदान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां। राज्य सरकार द्वारा जापानी इन्सेफ्लाइटिस (दिमागी बुखार) बीमारी से हुए विकलांगों को केवल वर्ष 2005-06 में अनुदान देने की व्यवस्था की गयी थी।

जे0ई0/ए0ई0एस0 पीड़ित मरीजों की मृत्यु पर सरकार द्वारा मुआवजा तथा विकलांग होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से जे0ई0/ए0ई0एस0 से मृत्यु होने पर रु0 50,000/-(पचार हजार मात्र) व विकलांगता से ग्रसित होने पर रु0 1,00,000/-(रु0 एक लाख मात्र) प्रति प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें रु0 50,000/-(पचास हजार मात्र) तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा तथा रु0 50,000/-(पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रभावित परिवार के बच्चे की शिक्षा/विवाह के परियोजन हेतु उपलब्ध रहेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 50,00,00,000/-(रु0 पांच करोड़) की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

यह आर्थिक सहायता प्रदेश में जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित होने पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में मृत्यु अथवा विकलांगता से ग्रसित होने पर अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मथुरा सादाबाद मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

04-श्री पूरन प्रकाश

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में यमुना नदी के ऊपर बने पुल (ब्रिज) की जर्जर स्थिति होने के कारण सरकार द्वारा भारी वाहन बन्द कर दिये गये हैं तथा इन भारी वाहनों व सरकारी बसों को गोकुल बैराज से होकर मथुरा सादाबाद मार्ग से हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूं आदि काफी जनपदों के लिए पास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मथुरा-सादाबाद मार्ग पूर्णतया जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार मथुरा-सादाबाद मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मथुरा सादाबाद मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मथुरा-सादाबाद मार्ग पर मरम्मत हेतु रु0 149.94 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त मार्ग के पुनः निर्माण (सुदृढ़ीकरण) का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनिया में रेलवे उपरिगामी सेतु निर्माण की मांग

05-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मडुआडीह रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रेलवे सुरक्षा निधि के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए प्रस्ताव रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित किया गया है।

उपरिगामी सेतु का निर्माण रेलवे विभाग की सहभागिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के अनेकों ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु रामगंगा नदी पर पिचिंग बनाये जाने की मांग

06-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील-कांठ के ग्राम गोपालपुर, बहादरपुर खद्दर एवं महदुद कलमी को रामगंगा की बाढ़ से बचाने के लिए राम गंगा नदी पर पिचिंग बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रामगंगा नदी पर वांछित पिचिंग का बनाया जाना साध्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उस्का बाजार में विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

07-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक व नगर पंचायत उस्का बाजार मुख्यालय पर 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र, क्षेत्रवासियों को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराये जाने हेतु बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-II के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थ नगर के ब्लाक एवं नगर पंचायत उस्का बाजार मुख्यालय पर एक 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्षमता 1×5 एम0वी0ए0 का निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

08-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के अन्तर्गत वर्ष 2003 में निर्मित बाबा बालकदास सेतु का निर्माण मानक के अनुरूप न होने के कारण कुछ ही समय में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे वर्तमान समय में आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सेतु का कार्य सामान्यतः मानकों के अनुरूप है किन्तु दो वर्ष पूर्व बाढ़ में सेतु की विंग वाल, बैक वाल एवं कुओं के पास कटान होने के साथ-साथ पहुंच मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस कारण आवागमन बाधित है।

पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों को जानने एवं दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु जांच समिति गठित कर दी गयी है, जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है। क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में सरयू नहर के क्षतिग्रस्त फील्ड की हास्टल/डाकबंगला की मरम्मत की मांग

09-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में सरयू नहर के क्षतिग्रस्त फील्ड हास्टल/डाकबंगला की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में स्थित सिंचाई विभाग के फील्ड हास्टल की स्थिति ठीक है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में भूपगंज बाजार से रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराने की मांग

10-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विकास खण्ड-पयागपुर में भूपगंज बाजार में बारीपुरवा तिराहे से रेलवे स्टेशन होते हुए ब्लाक तक जाने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

11-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से मनियर बांसडीह, सहतवार, रेवती बैरिया होते हुए लालगंज तक जाने वाला मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका लेपन स्तर तक पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत बेल्थरा रोड से मधुबन व बेल्थरा रोड सोनाडीह सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

12-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया अन्तर्गत बेल्थरा रोड से मधुबन सम्पर्क मार्ग व बेल्थरा रोड सोनाडीह सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब से शुरू है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मार्गों का अवशेष कार्य कब तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ? क्या सरकार कार्यों में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बलिया के अन्तर्गत प्रश्नगत बेल्थरा रोड से मधुबन सम्पर्क मार्ग का कार्य माह दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ है तथा रु0 866.19 लाख व्यय हो चुका है। जनपद बलिया के अन्तर्गत बेल्थरा रोड से सोनाडीह सम्पर्क मार्ग का कार्य फरवरी, 2011 से प्रारम्भ है तथा रु0 280.00 लाख व्यय हो चुका है।

प्रश्नगत मार्गों को पूर्ण कराये जाने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के कतिपय मुख्य मार्गों के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाये जाने की मांग

13-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया मुख्यालय से बेल्थरा रोड होते हुए जनपद देवरिया तक व बेल्थरा रोड से सोनाडीह तक एवं बेल्थरा रोड से मधुबन तक मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के सिंचाई निर्माण खण्ड माताटीला के अभियन्ताओं द्वारा शासनादेश के विपरीत स्टाफ हस्तान्तरण/स्थानान्तरण के विरुद्ध कार्यवाही

14-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-ललितपुर के सिंचाई निर्माण खण्ड-माताटीला के अवर अभियन्ता के लगातार 7 वर्षों तक उसी खण्ड में कार्य करने के कारण

उनका स्थानान्तरण दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरण के पश्चात् अपने अधीनस्थ स्टाक का हस्तान्तरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के विपरीत अपने स्टाक का हस्तान्तरण न किये जाने के लिए दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

श्री भगवती प्रसाद, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 झांसी के अ0शा0 पत्रांक-सी-1110/मुअएबे, दिनांक 11-10-2012 द्वारा की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता (अधि0-ई0-7), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के अपने पत्रांक-जी-58/ई-7, दिनांक 8-3-2013 द्वारा अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अपने स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं जिस पर कार्यवाही की जा रही है तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी की बेतवा परियोजना के अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमितताओं पर कार्यवाही की मांग

15-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 09 व 10 दिसम्बर, 2012 को जनपद-झांसी की बेतवा परियोजना के स्थलीय निरीक्षण में कुछ अभियन्ताओं की अनियमितता के कारण आपके द्वारा स्थानान्तरण की घोषणा की गयी थी तथा कुछ अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति भी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) के पत्रांक-सी-1110 दिनांक 11-10-2012 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा बेतवा परियोजना के जनपद झांसी एवं ललितपुर की निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 09 व 10 दिसम्बर, 2012 को न कर दिनांक 09 व 10 अक्टूबर, 2012 को किया गया था। स्थलीय निरीक्षण के समय अनियमितताओं के कारण कुछ सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर करने से सम्बन्धित पत्र दिनांक 11-10-12 मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी द्वारा लिखा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में 03 सहायक अभियन्ताओं एवं 05 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पांच छोटी सड़कों का लेपन स्तर तक निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-09-2012, सचिव, लोक निर्माण विभाग, श्री बर्नवाल के माध्यम से प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में अंकित 05 मार्गों में से 04 मार्गों के ग्रामों की आबादी 500 से कम है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता है। 01 ग्राम रज्जबनगर का मार्ग पी0एम0 जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर में विस्तारित बिजनेस प्लान अन्तर्गत तार व विद्युत पोल हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्य की जानकारी

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के चतुर्थ बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विस्तारित बिजनेस प्लान 2012-13 में सम्मिलित सभी खम्भे वांछित स्थानों पर मयतार के स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

विस्तारित बिजनेस प्लान 2012-13 नाम की कोई योजना न तो कार्यरत है और न ही प्रस्तावित है। उक्त कार्यों को व्यापार विकास निधि वर्ष 2012-13 के कार्यों में सम्मिलित कर लिया गया था। कुल 10 कार्यों में से 6 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। तीन कार्य प्रगति पर है, जिसको 31-03-2013 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। एक कार्य (मो0 बाबूजई कटाबाग मस्जिद वाली गली में दो पोल तार सहित) पोल लगाने की समुचित जगह न होने के कारण सम्पादित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

18-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालपुर सोजीमल, सेलमपुर गट्टा, मझाड़ी, बोरोकी तथा नया गांव का विद्युतीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत ब्लाक-नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालपुर सोजीमल, सलेमपुर गट्टा, मझाड़ी, बोरोकी तथा नया गांव के विद्युतीकरण/संतृप्तीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। भारत सरकार से उक्त योजना में धन की उपलब्धता प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अनेकों ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

19-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हर्सवाड़ा, रसूलपुर उर्फ सैदपुरी, दिनौड़ा, बाखरपुर (अनु0 बस्ती) एवं रामनगर, मुंगनपुर, हसनपुर तथा राहतपुर खुर्द में आवश्यकतानुसार विद्युत के खम्भे उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों में आवश्यकतानुसार विद्युत के खम्भे उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हर्सवाड़ा, रसूलपुर सैदपुरी, दिनौड़ा, बाखरपुर एवं रामनगर, मुंगनपुर, हसनपुर तथा राहतपुर खुर्द ऊर्जीकृत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण स्वीकृत है। भारत सरकार से उक्त योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अनेकों ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

20-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम झक्काकी, हरेवली, (अनु0 जाति बस्ती) सिकरोडा, राजपुर नवादा, औरंगपुर भिक्कू, अकबरपुर चौगावां तथा जलालाबाद (मो0 प्रेमनगर, नई मस्जिद कान्हा वाले बाग में) विद्युत के खम्भे उपलब्ध कराकर सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम झक्काकी, हरेवली, सिकरौड़ा, राजपुर नवादा, औरंगपुर भिक्कू तथा अकबरपुर चौगावां के विद्युतीकरण/संतृप्तीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है एवं निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है। भारत सरकार से उक्त योजना में धन की उपलब्धता प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अनेकों ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

21-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम मुख्तारपुर दलित बस्ती, इस्सेपुर, सौफतपुर तथा भागूवाला, मुजाहिदा पट्टी में विद्युत के खम्भे उपलब्ध कराकर सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हकीमपुर दिसौन्धी उर्फ मुख्तारपुर इस्सेपुर, सौफतपुर तथा भागूवाला, मुजाहिदा पट्टी के विद्युतीकरण/संतृप्तीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है एवं निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है। भारत सरकार से उक्त योजना हेतु धन की उपलब्धता प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की कतिपय गन्ना विकास समिति के गन्ना माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गन्ना विकास समिति, बीसलपुर पीलीभीत तथा पूरनपुर में वर्ष 2012-13 में गन्ना माफियाओं के कितने फर्जी सट्टे निरस्त किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त दोषी गन्ना माफियाओं, सम्बन्धित अधिकारियों तथा अन्य के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गन्ना विकास समिति, बीसलपुर व पीलीभीत में क्रमशः 25 व 36 सदस्य कृषकों द्वारा अनियमित रूप से गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाकर गन्ना आपूर्ति की जा रही थी। गन्ना विकास समिति, पूरनपुर में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

अनियमित रूप से गन्ना आपूर्ति करने वाले सदस्य कृषकों को समिति की सदस्यता समाप्त करने की नोटिस जारी कर दी गयी है तथा इनकी आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान रोक दिया गया है। गन्ना समिति पीलीभीत के अन्तर्गत पाये गये अनियमित सट्टों की जांच में किसी भी विभागीय कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्तता नहीं पायी गई है, अपितु इस सम्बन्ध में प्रधान प्रबन्धक, एल0एच0 शुगर फैक्ट्री लि0, पीलीभीत को निर्गत नोटिस पर कोई उत्तर न दिये जाने के फलस्वरूप चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पर्ची निर्गमन का कार्य चीनी मिल कम्प्यूटर से हटाकर दिनांक 15-01-2013 से गन्ना विकास समिति, पीलीभीत एवं बीसलपुर के माध्यम से करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त गन्ना समिति, बीसलपुर के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को उनके पद से हटाते हुए अनुशासनिक कार्यवाही हेतु नोटिस निर्गत किया गया है तथा सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के गन्ना पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक को संस्तुति प्रेषित की गयी है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पयागपुर में विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

23-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पयागपुर में पश्चिमी मोहल्लों में श्री राजेन्द्र प्र0 श्रीवास्तव के घर के पास तक विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ 12-13/क-एस0 नं0-157609/2078, दिनांक 01-02-2013 प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पश्चिमी मोहल्लों में श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के घर के पास तक विद्युतीकरण कराने हेतु लाइन का कार्य दिनांक 10-3-2013 को पूर्ण करा दिया गया है। विद्युत परिवर्तक को स्थापित कराते हुए दिनांक मार्च, 2013 तक लाइन ऊर्जीकृत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम दिनौड़ी के स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने की मांग

25-श्री तसलीम-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम दिनौड़ी में नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र पर अभी तक चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम दिनौड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जहां केवल ए0एन0एम0 का पद स्वीकृत है, जिस पर श्रीमती शशिबाला भटनागर तैनात हैं। चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा प्रधानाचार्य संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक जगदीशपुर अमेठी के अभिलेखों में हेरा-फेरी विषयक कथित प्रकरण

26-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ के वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक वरिष्ठ जिला समीक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अभिलेखों की, की गयी सम्परीक्षा तथा प्रधानाचार्य संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर, जनपद अमेठी के अभिलेखों की माह 7/04 से माह 01/10 तक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा किये गये लेखा सम्परीक्षा में पूर्व में परिषद् में प्रधानाचार्य संयुक्त सचिव के बिना सृजित पद पर वाह्य सेवा में निरन्तर तीन वर्षों तक प्रतिनियुक्ति की अवधि तथा पालीटेक्निक में लेखा सम्परीक्षा में भ्रष्टाचार, जालसाजी किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-06-12 को प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के प्रधानाचार्य संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक जगदीशपुर के परिसर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

27-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 30-09-2009 को वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रधानाचार्य, संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर, जनपद अमेठी के परिसर में नया ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने के लिए स्वीकृत धनराशि रु0 19.05 लाख से निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ट्यूबवेल का शुद्ध जल पीने आदि के लिए निरन्तर छात्रों एवं परिसर के निवासियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आलोक कुमार शाक्य-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ की नियमावली के अनुरूप बिना सृजित पद पर प्रतिनियुक्ति पर अनियमित तैनाती के सम्बन्ध में जानकारी

28-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ में मुख्य परिषद् की नियमावली के नियम-18 (क) एवं शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं

कार्मिक विभाग की दिनांक 16-12-2003 से दिनांक 31-05-2006 तक निरन्तर पूरी अवधि के लिए वाह्य सेवा में संयुक्त सचिव का पद सृजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या परिषद् में संयुक्त सचिव के बिना सृजित पद पर निरन्तर उक्त अवधि में प्रतिनियुक्ति पर अनियमित तैनात किये गये अधिकारी की परिषद् की सेवाओं को बिना औचित्य के जोड़ लिया गया है ? यदि हां, तो क्या परिषद् की अनियमित संयुक्त सचिव के पद की पूरी अवधि की सेवाओं को विषय संगत न होने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आलोक कुमार शाक्य-

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ एक स्ववित्त पोषित एवं स्वशासी संस्था है। प्रश्नगत पद पर दिनांक 16-12-2003 से 31-5-2006 की अवधि के लिए शासन द्वारा एक विभागीय अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की गयी थी तथा शासन द्वारा सेवा शर्तें भी निर्धारित की गयी थी। प्रतिनियुक्ति की सेवा अवधि को सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के महिला चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती

29-श्री राम सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियमित नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

महिला चिकित्सालय, पट्टी का विलय शासनादेश दिनांक 05-09-1998 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पट्टी की स्थापना के बाद हो गया। जहां पर नियमित महिला चिकित्सक तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती का प्रकरण

30-श्री राम सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में शीतलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित कितने ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो चिकित्सकों के अभाव में बन्द हैं ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। विधान सभा पट्टी के अन्तर्गत शीतलागंज (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखरनाथ) में चिकित्सक तैनात हैं तथा विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों के अभाव में बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम फजलपुर से सलेमपुर पट्टा तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

31-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम फजलपुर से ग्राम बड़ी ज्वाली तक, ग्राम हुसैनपुर से ग्राम ताहरपुर इशहाक होते हुए फजलपुर हबीब रेलवे स्टेशन से हुमायूंपुर तक, ग्राम सुंगरपुर बेहड़ा से ग्राम सलेमपुर भट्टा तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद में अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

32-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम नेशनल हाई-वे 74, ग्राम मोहनपुर से ग्राम कांशीरामपुर तक, ग्राम नेशनल हाई-वे 74, ग्राम औरंगपुर भिक्कू की पंचायत घर तक, ग्राम करौली से ग्राम नारायणपुर रतन तक, बाईपास हरिद्वार स्टोन क्रेशर से ग्राम नारायणपुर रतन तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

33-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक राया एवं बल्देव के ग्रामीण अंचल के 500 की आबादी वाले कितने ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों के ग्रामीणों ने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन धनराशि भी जमा कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वंचित ग्रामों में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा के ब्लाक राया एवं बलदेव के ग्रामीण अंचल के 500 की आबादी के कोई ग्राम विद्युतीकरण से वंचित (अवशेष) नहीं है।

जी हां।

विद्युत संयोजन हेतु जमा धनराशि करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के छित्तमपुर रेलवे लाइन माइनर की सिल्ट सफाई की मांग

34-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के छित्तमपुर रेलवे लाइन माइनर से हथेरवां गांव तक माइनर की सिल्ट सफाई नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रश्नगत माइनर में वर्तमान में टेल तक पानी पहुंच रहा है।

माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य शासन की नीति के अनुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

35-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दौली बबुरी मार्ग के बरिया गेट से बरिया गांव तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम शत्रुघनपुर में सिंचाई हेतु नलकूप की स्थापना कराये जाने की मांग

36-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम शत्रुघनपुर में सिंचाई हेतु जनहित में सरकारी नलकूप की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम शत्रुघनपुर में सिंचाई हेतु जनहित में सरकारी नलकूप लगाये जाने हेतु जनप्रतिनिधि का वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद गोरखपुर में डा0 राम मनोहर लोहिया 3000 नलकूप परियोजना के अन्तर्गत आवंटित 13 नलकूपों का चयन कर लिया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं जनपद में किये गये नलकूप आवंटनों के दृष्टिगत कार्यवाही किया जाना निरन्तर प्रक्रियागत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में कृषि उपज हेतु सरकारी गोदाम बनाये जाने की मांग

37-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में कृषि उपज का भण्डारण करने हेतु सरकारी गोदाम बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। सहकारिता विभाग में इस वित्तीय वर्ष में क्षेत्र चौरी-चौरा में सरकारी गोदाम बनाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण की योजना

38-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन सौ से अधिक आबादी वाले गांव व मजरों को विद्युतीकरण किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) 300 व उससे अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित कर विद्युतीकरण करने की योजना वर्तमान में प्रचलन में है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के 22 जनपदों की डी0पी0आर0 रु0 3453 करोड़ स्वीकृत की जा चुकी है। इन जनपदों हेतु निविदायें वर्तमान वर्ष में आमंत्रित की जा चुकी है। 03 जनपदों की एल0ओ0आई0 निर्गत हो चुकी हैं, शेष 19 जनपदों में निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। अवशेष 47 जनपदों की रु0 4353 करोड़ की डी0पी0आर0 भी प्रेषित की जा चुकी है, जिस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की योजना

39-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के कितने मजरें हैं जिनकी आबादी 300 या उससे अधिक है, का विद्युतीकरण कराने के लिये कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त मजरे कब तक विद्युतीकृत होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत 72 अद्द मजरे जिनकी आबादी 300 या उससे अधिक हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु कार्य योजना बनाई गयी है।

भारत सरकार द्वारा योजना के स्वीकृत होने एवं धन उपलब्धता के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में बिड़हल घाट में पक्के पुल का निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

40-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में बिड़हल घाट पक्के पुल के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का लगभग 26 करोड़ रुपया एप्रोच सड़क के विपरीत बलुअर मिट्टी पाटकर बनाये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-2012 प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु पत्र दिनांक 09-11-2012 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र दिनांक 09-11-2012 में उल्लिखित शिकायतों की जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 08-2-2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोरखपुर को निर्देशित किया गया है तथा पत्र दिनांक 15-2-2013 द्वारा प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के गन्ना तौल केन्द्र में घटतौली की शिकायत

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड अन्तर्गत गन्ना तौल केन्द्र अखोप पर वर्तमान समय से बड़े पैमाने पर घटतौली हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर तौल केन्द्र को सुचारु रूप से घटतौली से मुक्त करने का निर्देश देगी ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान पेराई सत्र 2012-2013 में जनपद बलिया क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित क्रय केन्द्र अखोप का ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, रसड़ा द्वारा तीन बार निरीक्षण किया गया है, जिसमें घटतौली का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। पेराई योग्य गन्ना समाप्त हो जाने के कारण दिनांक 10-03-2013 से क्रय केन्द्र को बन्द किया जा चुका है।

जनपद अमेठी के संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक जगदीशपुर के छात्रवृत्ति का घोटाला विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

42-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर, जनपद अमेठी के छात्रों को वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत छात्रवृत्ति/शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानाचार्य द्वारा पद का दुरुपयोग कर घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-6-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के श्किायती-पत्र दिनांक 30-06-2012 में उल्लिखित शिकायतें पूर्व में भी शासन को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर एवं अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर की संयुक्त जांच समिति से कराई गई थी जांचोपरांत उक्त शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद नगर स्थित रेलवे क्रासिंग फ्लाई ओवर का निर्माण कराने विषयक-पत्र

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में स्थित विभिन्न रेलवे क्रासिंगों पर आर0ओ0बी0 (फ्लाई ओवर) का निर्माण तथा यहां पर स्थित (आर0यू0बी0) (रेलवे अन्डर ब्रिजों) को सुगम यातायात व्यवस्था हेतु चौड़ा करने विषयक आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को सम्बोधित

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युकतानुसार।

जनपद आगरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

44-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में सरबतपुर से सनखेड़ा वाया समोगर तक, देवरी से वाया ठाकुर दास की घड़ी, नगला माकरौल ग्वालियर मार्ग तक एवं सिकन्दरा हाई-वे एन0एच-2 से अरतौनी बस्ती तक की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्गों के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत व लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में नगला कोर से नहर की पटरियों तक की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत कराये जाने की मांग

45-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नगला कारे से नगला परमाल, नगला जयराम तक, शमशाबाद रोड दिगनेर की पुलिया से नहर की पटरी बांगुरी तक, जगनेर रोड मलपुरा से बरारा मिढ़ाकुर तक नहर की पटरियां व सड़क क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

अनुरक्षण/मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है एवं अनुरक्षण मद से पटरियों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेकों नहर के माइनर की पटरियों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

46-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में रोहता नहर से जारूआ कटरा की माइनर ग्वालियर रोड बाद से भाड़ई, कुठावली तक एवं श्यामों माइनर से पवावली जनौरा तक की माइनर नहर की पटरियां व सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

अनुरक्षण/मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। अनुरक्षण मद से उल्लिखित नहर पटरियों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेकों नहर पटरियों की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

47-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में उखर्रा की पुलिया से कौलक्खा, सैमरी, पचगाई खेड़ा, माइनर रोहता नहर तक की पटरियों की सड़कें तथा पटरियों के जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों/पटरियों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सम्प्रति कोई कार्य-योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की नहर एवं माइनर की सिल्ट की सफाई

48-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत नहर एवं माइनरों में जमी हुई सिल्ट की सफाई सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत नहर एवं माइनरों की सिल्ट सफाई रबी फसल से पूर्व कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद तहसील लखनऊ के ब्लाक काकोरी के ग्राम भरोसा में नहरों की नालियों को चौड़ा कराये जाने की मांग

49-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील लखनऊ, ब्लाक काकोरी के ग्राम भरोसा में शारदा सहायक नहर के माइनर से भरोसा गांव के मुख्य तालाब में नहर का पानी लाये जाने हेतु निर्मित की गई नाली चौड़ी और गहरी न होने के कारण पशुओं तथा ग्रामवासियों को पानी सुलभ नहीं हो रहा है ? क्या सरकार शारदा माइनर से चौड़ी और गहरी नाली बनाकर तालाब में सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत नाली का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के जीवाश्म पार्क के जीर्णोद्धार की योजना

50-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के सलखन में स्थित जीवाश्म पार्क के जीर्णोद्धार तथा रख-रखाव हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में योजना स्वीकृत की गयी है।

प्रारूप में मुख्य कार्य निम्नानुसार है :--

1-मार्गों, गेट व पुलिया का निर्माण।

2-यात्री शेड का निर्माण।

3-पार्क का सौन्दर्यीकरण आदि कार्य।

4-पौध रोपण।

5-कॉसिल्स के चारों ओर जालीदार फेसिंग।

6-सौर ऊर्जा व्यवस्था व अन्य कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ब्लाक जेवर के ग्राम फरेंदा से हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग

51-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर के ब्लाक जेवर के गांव फलेदा से हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद गौतमबुद्धनगर के ब्लाक जेवर में हरियाणा प्रान्त की सीमा को जोड़ने वाली सड़क (फलैंदा बागर से फलैंदा खादर) की कुल लम्बाई 6.500 कि0मी0 में से प्रथम 3.500 कि0मी0 लम्बाई का भाग पूर्व में निर्मित लोक निर्माण विभाग का लेपित मार्ग है, जिसकी दशा सन्तोषजनक हे।

प्रश्नगत मार्ग का शेष 3.000 कि0मी0 का भाग जो कि हरियाणा सीमा पर स्थित फलैंदा खादर ग्राम तक जाता है, का नव निर्माण जिला योजना वर्ष 2011-12 में स्वीकृत है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा दुलहीपुर में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

52-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के दुलहीपुर ग्राम सभा में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण न होने के कारण बुनकरों को भारी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्राम सभा दुलहीपुर के महावलपुर मे 250 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दुलहीपुर में 400 के0वी0ए0 एवं 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाकर विद्युतीकरण की जा रही है। इसके अलावा मलोखर में 10 के0वी0ए0 के 5 परिवर्तक लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्राम सभा दुलहीपुर के 52 बीघा, सकूर का भट्ठा, भिसौडी का सराय में विद्युतीकरण होना बाकी हैं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में उक्त ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति एवं भारत सरकार से धन की प्राप्ति होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

53-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं के अभाव के कारण स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर समुचित मात्रा में दवायें व अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) जी नहीं। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्थापित समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[5वें मंगलवार के अता0प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

55-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अनेकों ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने का प्राविधान

56-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम सभा फजलपुर हबीब, जलालाबाद, बौरेकी एवं श्यामीवाला में विद्युत मांग के अनुसार 250 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम सभा फजलपुर हबीव, बौरेकी एवं शमीवाला में 10 के0व0ए0 तथा 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाकर विद्युतीकरण/संतृप्तीकरण का कार्य किये जाने का प्राविधान किया गया है। तदानुसार उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने पर इन ग्रामों का विद्युतीकरण/ संतृप्तीकरण का कार्य कराया जायेगा।

जलालाबाद में 100 के0वी0ए0 परिवर्तक से 250 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव प्रणाली सुधार योजना (बिजनेस प्लान वर्ष 2013-14) के अन्तर्गत विचाराधीन है, जिनकी स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अनेकों ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

57-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक-नजीबाबाद के औरंगपुर भिक्कू, ग्राम सभा भोगपुर, जटपुरा मोडा, लालपुरमान, प्रतापपुर एवं राहतपुर खुर्द का पूर्ण विद्युतीकरण करके उक्त ग्रामों में 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला-बिजनौर के ब्लाक-नजीबाबाद के प्रतापपुर का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत कराया जा चुका है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत ब्लाक नजीबाबाद के औरंगपुर भिक्कू ग्राम सभा भोगपुर, जटपुरा, मोडा, लालपुरमान, प्रतापपुर एवं राहतपुर खुर्द में

10 के0वी0ए0 तथा 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाकर विद्युतीकरण का कार्य किये जाने की योजना स्वीकृत है जिसमें 100 के0वी0ए0 परिवर्तक लगाने की स्वीकृति नहीं है। डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है एवं निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त ग्रामों/मजरों का पूर्ण विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद में गांगन नदी तक नालों का निर्माण कराये जाने की मांग

58-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक-नजीबाबाद में नजीबाबाद से बुन्दकी सड़क पर ग्राम खेड़ा में, मजार से लेकर गांगन नदी तक दोनों तरफ नालों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग शाखा बहराइच का कथित पत्र

59-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, शाखा बहराइच (उ0प्र0) का प्रतिवेदन पत्रांक सं0-01 च0श्रे0क0सं0, सि0वि0उ0प्र0, दिनांक 04-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को न्यायालय में विवादित होने के पश्चात् भी अवैध निर्माण का कथित प्रकरण

60-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा गाटा संख्या 771, 774 व 776 मौजा ककरैठा तहसील सदर आगरा की भूमि को दीवानी न्यायालय आगरा में लम्बित मुकदमों के आधार पर विवादित मानते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-12-2010 के अनुपालन में अंतिम विस्तृत आदेश दिनांक 28-04-2011 द्वारा मा0 न्यायालय से स्वामित्व का निर्णय होने तक मानचित्र निलंबित के आदेश के बाद भी दिनांक

21-11-2012 को उक्त मानचित्र को पुनः बहाल कर अवैध निर्माण प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में लखनऊ-बहराइच राजमार्ग से राष्ट्रीय उद्यान पार्क दुधवा तक के मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

61-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी में लखनऊ-बहराइच राजमार्ग से सिसैया होते हुए धौरहरा बाईपास से कफारा वाया ढखेरवा निघासन से पलिया होते हुए राष्ट्रीय उद्यान पार्क दुधवा तक चौड़ीकरण तथा हाटमिक्स प्लान्ट से कई वर्षों से निर्माणाधीन मार्ग कई किलोमीटर अभी शेष हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन रहे मार्ग को यथाशीघ्र पूर्ण कराने तथा विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 94.00 कि0मी0 है। इस मार्ग के कुल 69.15 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है, जिसमें 24.60 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष 44.55 कि0मी0 में कार्य प्रगति में है। कार्य का पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम रायपुर में ट्रान्सफार्मर लगाने का पूर्ण कार्य

62-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम-रायपुर में बिजली खम्भा व तार तथा 100 के0वी0ए0 के दो ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य वर्ष 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था ? यदि हां, तो उक्त कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

गांव में बढ़े हुये भार के सापेक्ष दो नग 25 के0व0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 के दो नग ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है। यह कार्य एक वर्ष पूर्व किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के ग्राम बेल्तुआ में सरकारी नलकूप लगाने हेतु संयोजन ऊर्जीकृत करने के आदेश

63-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग खीरी के द्वारा ग्राम-बेल्तुआ में सरकारी नलकूप लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन के खम्भा, तार, ट्रांसफार्मर दो वर्षों से लगा दिया गया है किन्तु अब तक चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल को चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड इसानगर के ग्राम बेल्तुआ में कोई सरकारी नलकूप संयोजन ऊर्जीकरण हेतु लम्बित नहीं है। अपितु ग्राम बेल्तुआ निवासी श्री चेतराम पुत्र श्री निहाली को नलकूप संयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण हेतु पंजीकृत हुआ था, जिसके उपरान्त उपभोक्ता को लाइन और उपकेन्द्र बनाने हेतु सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गयी थी।

जी हां।

लघु सिंचाई विभाग, खीरी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-ईसानगर के ग्राम-बेल्तुआ के निवासी श्री चेतराम पुत्र श्री निहाली के नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु धनराशि इस कार्य हेतु रु0 87,110/-रसीद सं0-20/061499 दिनांक 06-04-2009 द्वारा विद्युत विभाग को दी गई थी। इस नलकूप का ऊर्जीकरण सामान्य योजनान्तर्गत नलकूपों के ऊर्जीकरण की भांति किया जाना हैं। नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाइन एवं उपकेन्द्र का निर्माण उपभोक्ता के द्वारा विभागीय पर्यवेक्षण में कराये जाने का प्राविधान है परन्तु उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। अतः उपभोक्ता द्वारा लाइन एवं उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त ही उपरोक्त नलकूप का ऊर्जीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद में मालन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

64-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक-नजीबाबाद के अन्तर्गत नजीबाबाद कोटद्वार मुख्य मार्ग, समीरपुर नहर से हरिद्वार बाईपास, ग्राम मलूकवाली के रास्ते मालन नदी पर आवागमन की सुगमता हेतु पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के मालन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

65-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक-नजीबाबाद के अन्तर्गत जलालाबाद से साहन हरिद्वार बाईपास पर आवागमन की सुविधा हेतु मालन नदी पर पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की सह0 चीनी मिल मझोला से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

66-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के किसान सह0 चीनी मिल मझोला में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 2004 से 2011 तक ग्रेज्यूटी का भुगतान नहीं हुआ है तथा ऐसे कर्मचारियों में लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे कर्मियों के परिजनों को अवशेष ग्रेच्यूटी का भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत की किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मझोला दिनांक 22-12-09 से बन्द है। चीनी मिल में नियुक्त कर्मकारों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी0आर0एस0) दिनांक 15-12-11 को घोषित की गई है। वी0आर0एस0 भुगतान की कार्यववाही की जा रही है। दिनांक 15-12-11 के पश्चात् वी0आर0एस0 हेतु इच्छुक कर्मकारों की ग्रेच्युटी की धनराशि वी0आर0एस0 की धनराशि में सम्मिलित है।

वर्ष 2004 से 2011 के मद 258 सेवानिवृत्त कर्मकारों को ग्रेच्युटी मद में रु0 200.78 लाख देय है। उक्त अवधि में सेवानिवृत्त किसी कर्मकार की बाद में मृत्यु होने की सूचना मिल स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

कर्मकारों के देयकों का भुगतान उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सहकारी गन्ना विकास संघ लि0 के कर्मियों को छठें वेतन के लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस/-62(एम)टी0सी0, दिनांक 22-12-2011 द्वारा छठे वेतनमान में छब्बीस वर्ष की सेवा पर

ए0सी0पी0 तृतीय गन्ना विभाग को नहीं दिया गया है तथा पत्रांक क-1/417 स्था0 दि0 14-06-2010/उ0प्र0 सहकारी गन्ना विकास संघ लि0 द्वारा सेलेक्शन ग्रेड का लाभ 01-12-88 से देय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मियों को उक्त दिनांक से लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस/-62(एम)टी0सी0, दिनांक 22-12-2011 द्वारा छठे वेतनमान में छब्बीस वर्ष की सेवा पर ए0सी0पी0 तृतीय गन्ना विभाग के कर्मचारियों पर लागू है तथा पत्रांक क-1/417 स्था0, दि0 14-06-2010 के अनुसार गन्ना समितियों के सामयिक लिपिकों को भी सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दिनांक 01-12-88 से देय है।

पत्रांक क-1/417 स्था0, दिनांक 14-06-2010 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत द्वारा सेलेक्शन ग्रेड का लाभ सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुमन्य करा दिया गया है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गो पर पुल एवं साइफन निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

68-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-पयागपुर के सम्पर्क मार्गों पर पुल/ पुलिया/साइफन निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ ज0हि0/012-13/क-एस0 नं0-138658/1036, दिनांक 19-08-2012 अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4 गोण्डा, सरयू नहर खण्ड-5 बहराइच, सरयू नहर खण्ड-7 बहराइच, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, सरयू नहर खण्ड-प्रथम बलरामपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वांछित विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर 35 अदद् आर0सी0सी0 पुल/पुलिया एवं साइफन में से मात्र 05 अदद् पक्के कार्य सिंचाई विभाग से संबंधित है, जिनकी तकनीकी साध्यता का परीक्षण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के ग्रामों के पुराने पोलों एवं जर्जर तारों को बदलाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

69-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 245 नग पुराने पोलों तथा 8.6 कि0मी0 जर्जर तारों को बदलने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0 हि0/012-13/क-एस0 नं0-138708, दिनांक 20-08-12 अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 245 नग पुराने पोलों तथा 8.6 कि0मी0 जर्जर तारों को बदलने हेतु चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की टोंस नदी पर बंधे का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

70-श्री उमाशंकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की टोंस नदी पर प्रधानपुर से बैजलपुर के बीच बना वर्षों पुराना बंधा पूर्णतया ढह चुका है जिससे वहां स्थित ग्रामों की सैंकड़ों एकड़ कृषि भूमि हर वर्ष जलमग्न हो जाया करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंधे का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षतिग्रस्त तटबंध का पुनर्निर्माण तकनीकी रूप से साध्य न होने के कारण।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की टोंस नदी पर कतिपय ग्रामों में ठोकर का प्रस्तावित निर्माण

71-श्री उमाशंकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की टोंस नदी पर कई ग्रामों में ठोकर न बने होने से जगह-जगह पर कटान से ग्रामों की सैंकड़ों एकड़ कृषि भूमि हर वर्ष जलमग्न हो जाया करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में टोंस नदी पर ग्राम-तिराहीपुर, मुण्डेरा अकटही, अमहरा, बेसवान, प्रधानपुर एवं मिर्जापुर जेवनिया में ठोकर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तिराहीपुर एवं बेसवान के समक्ष कटाव निरोधक कार्य पूर्व से निर्मित है। प्रश्नगत शेष सभी ग्रामों को जलमग्न होने से बचाने हेतु इन्टिग्रेटेड तथा कम्प्रेहेन्सिव बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत तटबंध के निर्माण का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना के सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त तटबंध का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

शारदा सहायक खण्ड-32 की इन्दारा रजवाहा पर ब्रेकर लगाये जाने की मांग

72-श्री उमाशंकर

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32 की इन्दारा रजवाहा जो रतनपुरा (मऊ) से ग्राम सभा-पटना-परसिया होते हुए बहादुरपुर से पक्की कोट नदी तक लगभग एक कि0मी0 तक गहराई न होने से बहादुरपुर में उसका पानी आस-पास के खेतों में भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्दारा रजवाहा में बहादुरपुर से पक्की कोट (नदी के छाड़न) तक 1 कि0मी0 खुदाई का कार्य कराते हुए सिंचाई हेतु ब्रेकर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम बहादुरपुर से पक्की कोट तक टेल गूल बनाने का कार्य शारदा सहायक क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना में सम्मिलित है। नहर में ब्रेकर बनवाने का कार्य सिंचाई विभाग के तकनीकी मानकों के अनुसार साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी के कतिपय ग्रामों में तारों एवं खम्भों को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

73-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी के ग्राम ढोलई खुर्द तथा हिकमतपुर मजरा हुसेनपुर गढ़ी में टूटे तथा कटे हुए तारों व खम्भों को सरकार ठीक कराकर बाधित विद्युत आपूर्ति को संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

दिनांक 30-04-2013 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के कतिपय ग्रामों के तार ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

74-श्री रामहेत भारती

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड बेहटा के ग्राम चनिया, मिदनिया चौरा तथा मरसण्डा में टूटे हुए विद्युत तारों को सरकार ठीक करवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2013 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के खीरी नहर शाखा पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

75-श्री रामहेत भारती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के अन्तर्गत खीरीनहर शाखा पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत पुल क्षतिग्रस्त नहीं है। मात्र पैरापिट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

अनुरक्षण/मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है एवं क्षतिग्रस्त पैरापिट की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिपर झला दतेली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

76-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव से पिपर झला दतेली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। हरगांव से हरगांव-दतेली-पिपझला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई-17.700 कि0मी0 लागत रु0 3104.14 लाख का इण्टर स्टेट कनेक्टीविटी के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर से घड़ी वृन्दावन तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

77-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में धाधुपुरा से नगला तल्फी तक, कुंआ खेड़ा से बुढ़ाना तक, बमरौली कटारा से घड़ी वृन्दावन तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

धाधुपुरा से नगला तल्फी तक एवं कुआं खेड़ा से बुढ़ाना तक मार्ग क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। बमरौली कटारा से घड़ी वृन्दावन तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा की अनेकों गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

78-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शमशाबाद रोड से अकबरपुर, ब्रह्मनगर, बुढ़ेरा फतेहाबाद रोड तक, कलाल खेड़िया से वाया, महुआ खेड़ा, कबीस, नगला सबला चौराहा तक, जगनेर रोड मलपुरा से बरारा माइनर नहर वाया सहारा मिढ़ाकुर रोड तक, जगनेर रोड नौमील से खाल खलौआ, सुतेड़ी वाया गढ़सानी तक, जारुआ कटरा बैंक से बाईखेड़ा सिरौली मोड़ तक, फतेहपुर सीकरी रोड से वाया लड़ामदा बिचपुरी रोड फाटक तक सड़कों पर जगह-जगह गडढे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्गों की मरम्मत व लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा की कतिपय रोडों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

79-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शमशाबाद रोड कहरई मोड़ से नगला कली, कौलक्खा, वाया इरादत नगर रोड तक, मिढ़ाकुर से नगला भालरा, नगला गूजरा, नगला हग्गा तक, हिगोट खेरिया से इकथरा, बिझामई तक, कलाल खेड़िया से कुआ खेड़ा, वाया बुढ़ाना तक, धाधूपुरा से करभना, नगला तल्फी नगला पैम्मा तक, कुण्डौल फतेहाबाद रोड से बिल्हैनी, वाया कबीस चौराहा तक सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं ? जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मिढ़ाकुर से नगला भालरा, नगला गूजरा, नगला हग्गा तक मार्ग की दशा संतोषजनक है। शेष मार्गों के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

80-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मुल्ला की प्याऊ से बल्हेरा मिर्जापुर मलपुरा नहर तक, नौमील से लाड़म, मनकेड़ा, वाया नगला कारे, फतेहपुर सीकरी मार्ग से नगला बसुआ, मिर्जापुर बरारा नहर, फतेहाबाद मार्ग कलाल खेड़िया, लकावली वाया बगदा, शमशाबाद मार्ग तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं हैं, जिसके कारण लोगों के आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मुल्ला की प्याऊ से बल्हेरा तक मार्ग की दशा संतोषजनक है। इस मार्ग के शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। नौमील से लाड़म, मनकड़ा, वाया, नगला कारे मार्ग एवं फतेहपुर सीकरी मार्ग से नगला बसुआ तक मार्ग तथा फतेहाबाद मार्ग कलाल खेड़िया, लकावली वाया बगटा, शमशाबाद मार्ग में 2.900 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग की मरम्मत व लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नगला बसुआ से मिर्जापुर बरारा नहर तक मार्ग तथा बगदा से शमशाबाद तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

81-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर रोड अजीजपुर से सोहल्ला फाटक तक, जगनेर रोड अजीजपुर से वाया टपरा, नैनाना ब्राह्मण ग्वालियर रोड तक, जगनेर रोड मलपुरा माइनर नहर वाया बरारा मिढ़ाकुर रोड तक, फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के के बिचपुरी तक, फतेहपुर सीकरी रोड से सुचेता ग्राम तक सड़कों पर जगाह-जगह गड्ढे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्गों की मरम्मत व लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर कार्यरत दाईयां को मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

82-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर कुल कितनी अंशकालिक दाईयां कार्यरत हैं ? वर्तमान में इनको कितना मानदेय मिलता है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि इनको नियमित मानदेय नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इन्हें

नियमित मानदेय दिये जाने के आदेश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनके मानदेय बढ़ाने का भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर कुल 15,343 अंशकालिक दाईयां कार्यरत हैं।

शासनादेश दिनांक 21-06-2003 में अंशकालिक दाईयों को रु0 200/- प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा, बहुओं से संस्थागत प्रसव हेतु कार्य लिया जा रहा है, तथा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक दाईयों के मानदेय का केन्द्रीय अंश का भुगतान न किये जाने एवं अंशकालिक दाईयों का कार्य आशा बहुओं से लिये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा भी अंशकालिक दाईयों के मानदेय का राजकीय अंश का बजट आवंटन नहीं किया गया।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा सुरक्षित प्रसव एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा हैं, जिसके कारण घर पर प्रसव कराने को हतोत्साहित करने हेतु इनका मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

प्रदेश में विद्युत घाटा एवं उसे रोकने हेतु उपाय

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार को विद्युत सप्लाई/विद्युत चोरी/विद्युत लाइन लॉस/ट्रांसफार्मर तथा अन्य मदों से पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितना घाटा उठाना पड़ा तथा उसकी भरपाई करने एवं भविष्य में घाटा न हो इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल घाटा रु0 11000 करोड़ हुआ है। उक्त घाटे की भरपाई निगमों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर पूरी की जा रही है। भविष्य में घाटा न हो इसके लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए आदेश दिनांक 05-10-2012 के द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना लागू की गयी है, जिसे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्राम सभाओं में माइनर की सफाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

84-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा खजूरगांव में सिर्धी ताली माइनर से लिंक छोटी माइनर हथेरवां तक सफाई का कार्य न होने से किसानों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त माइनर का सफाई कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। वर्तमान में टेल तक पानी पहुंच रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम रेमा से मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

85-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रेमा ग्राम में नेशनल हाई-वे से रेमा डोमान बस्ती तक मार्ग का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के बसन्त पेपर मिल की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

86-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिघीं ताली से बसन्त पेपर मिल तक सड़क एवं बसन्त पेपर मिल के पास एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मरम्मत/निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त तथा पुलिया क्षतिग्रस्त है।

सड़क की मरम्मत एवं पुलिया का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

87-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी में बरारा से खाल खलौआ तक फतेहपुर सीकरी रोड से नगला बसुआ मिर्जापुर बल्हेरा तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

बरारा से खाल खलौआ तक एवं फतेहपुर सीकरी रोड से नगला बसुआ तक मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नगला बसुआ से मिर्जापुर बल्हेरा तक का भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में जारूआ कट्टा से सिरौली की पुलिया तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

88-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में जारूआ कटरा से मुढ़हेरा तक, जारूआ कटरा बैंक से सिरौली की पुलिया तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के ग्राम नधौता से सैमरी इरादत नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

89-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में ग्राम नधौता से सीताराम की मड़रिया तक, सीताराम की मड़रिया से कछपुरा फतेहाबाद रोड तक, रजरई से नगलाकली तक, नगलाकली से सैमरी इरादत नगर रोड तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम नधौता से सीताराम की मड़रिया तक, रजरई से नगलाकली तक एवं नगलाकली से सैमरी इरादत नगर तक मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सीताराम की मड़रिया से कछपुरा फतेहाबाद मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से फतेहाबाद रोड क्रासिंग तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

90-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के के बिचपुरी तक एवं शमशाबाद रोड से अकबरपुर, ब्रह्मनगर, बुढ़ेरा फतेहाबाद रोड क्रासिंग तक की सड़क क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

फतेहपुर सीकरी मार्ग पथौली से वाया नगला अक्के के बिचपुरी तक मार्ग का प्रथम 800 मीटर भाग की दशा संतोषजनक है। इस मार्ग के शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

शमशाबाद रोड से अकबरपुर, ब्रह्मनगर, बुढ़ेरा फतेहाबाद रोड क्रासिंग तक मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में जगनेर रोड नौमील से बढ़सानी तक क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

91-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर रोड नौमील से खाल खलौआ, सुतैड़री वाया बढ़सानी की सड़क क्षतिग्रस्त होकर गड्ढायुक्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर से अस्पताल चौराहा की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

92-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के कोट बाजार अस्पताल चौराहा से बाजार के अन्दर जाने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा भिसौरी में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

93-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा भिसौरी विकास खण्ड चन्दौली में जी0टी0 रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए शशि मौर्या के मकान तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग जी0टी0 रोड कि0मी0 832 से भिसौरी (बिसौरी) ग्राम को जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 1.85 कि0मी0 है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग के कि0मी0 1.550 से खड़न्जा मार्ग (लम्बाई 250 मीटर) शशि मौर्या के मकान तक जाता है जिस पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग पर मरम्मत का कार्य स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा भलोखर में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

94-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा भलोखर में महफूज के दुकान से तारकेश्वर शर्मा के खेत तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 में 250 मीटर भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। अवशेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

सड़क की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अनेको ग्रामों में सघन सरकारी समिति की स्थापना किये जाने की मांग

95-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक-असोहा के ग्राम-दऊं, दरसवां, मिहीखेड़ा, राधा नगरी, गोसाईखेड़ा, कांथा आदि सैकड़ों ग्रामों में साधन सहकारी समिति नहीं होने के कारण स्थानीय किसानों को उर्वरक/खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में साधन सहकारी समिति की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम दऊं, दरसवां, मिहीखेड़ा एवं राधा नगरी के किसानों को उर्वरक पी0सी0एफ0 केन्द्र सहरावां से तथा ग्राम गोसाईखेड़ा एवं कांथा के किसानों को उर्वरक साधन सहकारी समिति लि0 गोसाईखेड़ा से उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद के किसी भी क्षेत्र के किसानों को किसी भी सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्र से उर्वरक/बीज लेने की सुविधा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के नवीनगर से मदफर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

96-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में नवीनगर से मदफर जाने वाला मार्ग बाढ़/वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के गांव रमुवापुर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

97-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के गांव रमुवापुर का सम्पर्क मार्ग बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में समयबद्ध विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

98-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है में समयबद्ध बिजली की आपूर्ति न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में समयबद्ध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर को ग्रामीण एवं तहसील कार्यक्रम के तहत 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। तद्नुसार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का यथा संभव प्रयास किया जाता है, किन्तु कभी-कभी स्थानीय व्यवधान एवं राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत् विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्टाफ की नई नियुक्तियां कराये जाने की मांग

99-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/विषय विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के नागरिकों को सुलभ चिकित्सा प्रदान करने के लिए एक समय सीमा में नयी नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा 2675 चिकित्साधिकारियों के पदों पर चयन हेतु पुनर्विज्ञापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है साथ ही 2868 चिकित्साधिकारियों के पदों पर चयन हेतु दिनांक 11-01-2013 को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर अस्पतालों में तैनाती की जाती है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फार्मासिस्टों के 1271 पदों पर चयन सूची जारी की जा चुकी है तथा 553 फार्मासिस्टों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एक्स-रे टेक्नीशियन व लैब टेक्नीशियन के पदों पर चयन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के निर्णय के क्रम में लम्बित है। उपचारिकाओं, डार्करूम सहायक एवं फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर इकौना रोड के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

100-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर-इकौना रोड पर नहर पुल से पुरैना होते हुए मुन्डेरवा ग्राम, गोण्डा सरहद तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के अनेकों मार्गों का निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

101-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली अन्तर्गत अशरफपुर-गंगरौल-सुल्तानपुर मार्ग पर भवरिया नाले पर उमापुर-कंदई का पुरवा-बदलेपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़ेला नाले व भूरा नाले पर तथा मड़हा नाले पर रसूलपुर बेतौली बकौली में सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण के संबंध में मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, फैजाबाद का पत्र 818/फै0क्षे0/5याता0 फै0क्षे0/12 (सेतु) दि0 18-01-2013 मुख्य अभियन्ता (सेतु), सेतु विंग, लो0नि0वि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

आगणन परीक्षणाधीन हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली मुख्यालय पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

102-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली मुख्यालय पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद का पत्र सी-446 मु0अभि0(वि0)/दिनांक 19-12-2012 जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मुख्य अभियन्ता (वितरण), फैजाबाद के पत्र सी-446, मु0अभि0(वि0)/दिनांक 19-12-2012 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को उपकेन्द्र निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया था।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि अथक प्रयास के पश्चात् भी अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है। भूमि उपलब्ध होने तथा धन की व्यवस्था होने के उपरान्त ही उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण की कार्यवाही हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अनेकों पुरवा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

103-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत सूलेमपुर सम्पर्क मार्ग, दुर्गी का पुरवा सम्पर्क तथा लोहानी का पुरवा (अमहटा हिन्दू का पुरवा से) सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत कराये जाने हेतु आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद का पत्र 204 फै0क्षे0/69/1 याता0पू0वि0नि0 (राज्यांश) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के कतिपय ब्लाकों में विद्युत तार बदलने की मांग

104-श्री लोकेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक नूरपुर व बुढ़नपुर स्योहारा में बिजली के तार जर्जर होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं ? यदि हां, तो इनको बदलने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बिजनौर के ब्लाक नूरपुर, बुढ़नपुर एवं स्योहारा में बिजली के तार जहां-जहां भी जर्जर अवस्था में हैं, वहां के तारों को समय-समय पर प्रणाली सुधार योजना में बदला जा रहा है एवं अन्य पुराने तारों को बदलने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

105-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/विशेष मरम्मत संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा मार्च, 2012 से जनवरी, 2013 के मध्य प्रेषित प्रस्तावों पर लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2 फैजाबाद को कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र रुदौली के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/विशेष मरम्मत में प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में राजवहा/माइनर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

106-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में राया एवं बलदेव ब्लाक में किसानों के सिंचाई का मुख्य साधन मांट ब्रांच (गंगानहर) के राजवाह/माइनर के वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने क्षेत्र की सफाई, खुदाई, सिल्ट निकाली गयी है तथा उसमें कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार शेष क्षेत्र की सफाई कराकर किसानों को मांट ब्रांच गंगा नहर के माइनर/राजवाहों के आखिरी छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मथुरा के विकास खण्ड राया एवं बलदेव के अन्तर्गत मनरेगा से माइनरों की सफाई पर रु0 3.2 लाख का व्यय तथा विभागीय मद से रजवाहा बलदेव 2.00 कि0मी0 एवं रजवाहा दघैटा 6.400 कि0मी0 लम्बाई में सफाई पर रु0 4.2 लाख का व्यय किया गया है।

विकास खण्ड राया एवं बलदेव की समस्त नहरों की टेल तक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गुणवत्ता के अनुरूप ट्रांसफार्मर की आपूर्ति एवं दोषी एजेन्सीज के विरुद्ध कार्यवाही

107-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निम्न गुणवत्ता के नये ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के कारण प्रदेश में बार-बार नये ट्रान्सफार्मरों के जलने से ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति लेने के बाद उसकी गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है ? यदि हां, तो सरकार दोषी एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्टिकरण के मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के परिवर्तक ही क्रय किये जाने हेतु आदेशित है।

जी हां।

गुणवत्ता की समीक्षा थर्ड पार्टी से भी चेक कराने को आदेशित है।

जी हां।

दोषी एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा के ग्राम मेरापुर के डेरा तक विद्युतीकरण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

108-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड कुरारा के ग्राम मेरापुर के मजरा जौहरिया के डेरा से केशरिया के डेरा तक विद्युतीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009410 दिनांक 19-06-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हा।

शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम मेरापुर के मजरा जौहरिया का डेरा एवं केशरिया का डेरा की आबादी 300 से कम होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

भविष्य में शासन द्वारा संचालित 300 से कम आबादी वाले मजरों को सम्मिलित किये जाने वाली किसी विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किये जाने पर तदानुसार उपरोक्त मजरों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बेड एवं जीवन रक्षक उपकरण की कमी को दूर करने के उपाय

109-श्री लोकेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ब्लाक स्योहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार बेड एवं अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ब्लाक स्योहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार बेड एवं अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के सुइया नाला की सफाई एवं ब्रेकर बनवाये जाने की मांग

110-श्री उमाशंकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत रतनपुरा (मऊ) से दतौरा-कुंवारीडीह-रामपुर-नागपुर होते हुए सुइया नाला कलना तक जाने वाली नागपुर डिवाई में गुरवां से सुइया नाला तक 1.5 कि0मी0 नहर की खुदाई कार्य न होने से आस-पास की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सफाई कार्य कराते हुये सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार ब्रेकर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नहरों की सफाई वर्ष में दो बार नहर बन्दी अवधि में शासन की नीति के अनुसार करवाई जाती है। नहर में ब्रेकर बनाने का कार्य सिंचाई विभाग के तकनीकी मानकों के अनुसार साध्य नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में टोंस नदी पान्टून ब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

111-श्री उमाशंकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा टीकादेउरी एवं नगपुरा सहित अधिकांश गांवों के कृषक टोंस नदी पर पुल न होने के कारण दूसरे किनारे पर स्थित अपनी जमीन पर ठीक से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा नगपुरा के सामने टोंस नदी पर एक पान्टून ब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत स्थान पर पाण्टून ब्रिज का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का कर्ज एवं उसके चुकाने की योजना

112-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन पर, वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्ज है तथा इसको चुकाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 28 फरवरी, 2013 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर वित्तीय संस्थाओं का रु0 26659 करोड़ का कुल बकाया है। इस ऋण में से रु0 14965 करोड़ के ऋण राज्य सरकार द्वारा ग्रहण करने का निर्णय हुआ है। जिसके विरुद्ध बैंकों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा बॉण्ड जारी किये जायेगें, जिनकी अदायगी राज्य सरकार करेगी, शेष ऋणों का भुगतान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो इसके लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-10-2012 द्वारा प्रसारित योजना के अनुरूप शासन द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना दिनांक 14-03-2013 को अनुमोदित करते हुए इस योजना को बैंकों, केन्द्र सरकार एवं विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

113-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्रतिदिन बिजली का क्रय एवं प्राप्त मूल्य का विवरण एवं प्राफिट नो लास पर सप्लाई करने की मांग

114-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में सरकार कितने रुपये रोज की बिजली क्रय कर रही है तथा उपभोक्ताओं से इसका कितना मूल्य किस दर से प्राप्त हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इससे एक साल में कितना घाटा अनुमानित है तथा घाटे को पूरा करने की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में नो प्राफिट-नो लॉस पर विद्युत सप्लाई करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन लगभग रु0 78 करोड़ की बिजली क्रय की जा रही है तथा उक्त के सापेक्ष उपभोक्ताओं से प्रतिदिन लगभग रु0 48.74 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की दर लगभग रु0 3.23 प्रति यूनिट है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में वर्तमान में लागू टैरिफ दरों एवं वेतन इत्यादि व्यय के आधार पर विभाग को लगभग रु0 13700 करोड़ का राजस्व घाटा होना अनुमानित है। उक्त घाटे को पूरा करने के लिए उ0प्र0 में आगामी वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित वित्तीय पुनर्गठन योजना लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि कार्यों हेतु निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति लागत से कम दर अर्थात् लॉस पर की जा रही है। फलतः प्राफिट का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरी क्षेत्रों में विद्युत तारों के गुच्छे व्यवस्थित करने की नीति एवं शाहजहांपुर के मोहल्लों में तारों को ठीक करने की मांग

115-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में जो तार के गुच्छे घरेलू लाइनों में लटक रहे हैं उनको सेट राइट (व्यवस्थित) करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या

सरकार शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के पेड़ पर दीवार आदि के सहारे अव्यवस्थित रूप से लटके तारों को व्यवस्थित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

शाहजहांपुर शहर में आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट-बी का कार्य शुरू हो चुका है। आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत लम्बे स्पैन के बीच नये खम्भे लगाने, कन्डक्टर को निर्धारित ऊंचाई तक करने तथा खराब पोलों को बदलना व झुके पोलों को सीधा करने का कार्य किया जाना सम्मिलित है। कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ककरही-गोनहा बांध में किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

116-श्री जय प्रताप सिंह

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर में स्थित ककरही-गोनहा बांध के लिए किसानों से अधिगृहीत की गयी भूमि के मुआवजा विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-10-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बांध के निर्माण हेतु किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है और कितना मुआवजा दिया जाना शेष है तथा कब तक किसानों को मुआवजा पूर्ण रूप से दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद-सिद्धार्थनगर स्थित ककरही-गोनहा बांध वर्तमान में ड्रेनेज खण्ड-सिद्धार्थनगर के कार्यक्षेत्र में नहीं है, बल्कि सिंचाई निर्माण खण्ड-सिद्धार्थनगर के नियंत्रण में है।

ककरही-गोनहा बांध के निर्माण में अधिगृहीत 26.063 हे0 भूमि में से 9.20 हे0 भूमि का रु0 14,20,734.00 का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा चुका है। शेष भूमि के भू-प्रतिकर भुगतान हेतु रु0 183.26 लाख का गणना-चक्र तैयार कर लिया गया है, जो परीक्षण की प्रक्रिया में है। संगत गणना-चक्र के अनुसार अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान कृषकों को किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में अर्द्धनिर्मित सेतु के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

117-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में सन् 2005 से अर्द्ध-निर्मित सेतु से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 2005 से अब तक निर्माण कार्य के लिए कितनी धनराशि दी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सेतु का अर्द्ध-निर्मित कार्य कितने दिन में पूर्ण किया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कुल रु0 535.07 लाख।

सेतु की तृतीय पुनरीक्षित आगणन परीक्षणाधीन है। सेतु का निर्माण कार्य पूरा किया जाना पुनरीक्षित स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी के बिचपुरी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

118-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के बिचपुरी तक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की कुल लम्बाई 2.30 कि0मी0 में से प्रथम 850 मीटर भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है। शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी की अनेकों रोडों की मरम्मत कराये जाने की मांग

119-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगनेर रोड नौमील से खाल खालऊआ गड़सानी सुतैड़ी तक कौलक्खा पुलिया से नहर की पटरी पंचगाई खेड़ा रोहता तक भोला डेयरी, रजरई, नौवरी, सैमरी, इरादत नगर रोड तक जगनेर रोड नगला परमाल से नहर की पटरी नगला कारे तक, फतेहपुर सीकरी पथौली से वाया नगला अक्के बिचपुरी रोड तक, नधौता कबीस रोड से बरौली गूजर तक सड़क जर्जर होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

जगनेर रोड नौमील से खालऊआ गड़सानी सुतैड़ी तक, कौलक्खा पुलिया से नहर की पटरी पचगाई खेड़ा रोहता तक मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नदौता कबीस रोड से बरौली गूजर तक मार्ग में नदौता तथा बिल्हैनी आबादी भाग क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। इस मार्ग का शेष भाग संतोषजनक है। फतेहपुर सीकरी पथौली से वाया नगला अक्के विचपुरी मार्ग में प्रथम 850 मीटर भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी दशा संतोषजनक है। सेमरी पुलिया से इरादतनगर मार्ग तक 300 मीटर भाग में लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है, जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष मार्गों पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के जगनेर रोड से ब्राह्मण रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

120-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगनेर रोड आगरा अजीजपुर से वाया टपरा, नैनाना ब्राह्मण ग्वालियर रोड तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण गड्ढ़ायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आबादी भाग में क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

121-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के कलाल खेड़िया से वाया महुआ खेड़ा, कबीस नगला सबला चौराहा तक एवं फतेहपुर सीकरी से सुचेता ग्राम तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में नये पुल/पुलियों का निर्माण कराये जाने के निर्देश

122-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के राया एवं बलदेव ब्लाक में सिंचाई विभाग की मांट ब्रांच (गंगानहर) पर रख-रखाव के अभाव में पुरानी बनी पुल/पुलिया काफी जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्थान पर नये पुल/पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जर्जर पुलियों की मरम्मत का कार्य अनुरक्षण मद का है, जिसके लिये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को यथावश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

123-श्री काली चरन सुमन-

[5वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

124-श्री राकेश बाबू-

[5वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में बिजिनेश प्लान के अन्तर्गत अनेकों फीडर के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

125-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में पूर्व में बिजिनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत वेलनगंज फीडर, गोथुआ फीडर रजावली, जौधरी फीडर हजरतपुर, नयावास फीडर जेल, नगला धनी फीडर, नगला जरिया फीडर, चनौरा फीडर, नगला राजपति फीडर जटई, ढार लोकमन फीडर जटई के विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद फिरोजाबाद में बिजिनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत नगला धनी, नगला जरिया, चनौरा फीडर नहीं है। ये सभी ग्रामों के नाम हैं। जेल फीडर पर अवस्थित ग्राम नयाबांस है। इन सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

वेलनगंज फीडर नहीं है अपितु ग्राम का नाम है। इसका विद्युतीकरण किया जाना अवशेष है। इसके अतिरिक्त रजावली फीडर पर अवस्थित ग्राम गोथुआ, हजरतपुर फीडर पर स्थित ग्राम जौधरी तथा जरर्ह फीडर पर अवस्थित ग्रामों नगला राजपति एवं ढार लोकमन के विद्युतीकरण का कार्य भी अवशेष है।

जी हां।

उपरोक्त वर्णित अपूर्ण विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अवशेष सामग्री की व्यवस्था भण्डार के माध्यम से करायी जा रही है। अवशेष सामग्री की व्यवस्था होने के उपरान्त ही इन अपूर्ण विद्युतीकृत ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में नगर पालिका परिषद मुगलसराय में की जा रही ग्रामीण क्षेत्र की बिजली सप्लाई को नगरीय क्षेत्र से कराये जाने की मांग

126-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगरपालिका परिषद्, मुगलसराय में स्थित वार्ड नं0 1 नई बस्ती वार्ड नं0 10 मुगलचक व वार्ड नं0 13 अलीनगर में बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से हो रही है जबकि इनको नगरीय क्षेत्र से बिजली की आपूर्ति होनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति नगरीय क्षेत्र से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में स्थित वार्ड नं0 1 नई बस्ती एवं वार्ड नं0-13 अलीनगर को ग्रामीण पोषक से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, किन्तु वार्ड नं0 10 मुगलसराय को 33/11 के0वी0 चन्धासी विद्युत उपकेन्द्र (शहरी) से विद्युत आपूर्ति की जाती है।

जी हां। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत अलीनगर में 5 एम0वी0ए0 क्षमता का एक उपकेन्द्र प्रस्तावित है। यह उपकेन्द्र बन जाने पर इससे वार्ड नं0 1 नयी बस्ती एवं वार्ड नं0-13 अलीनगर को शहरी विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

उपरोक्तानुसार उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। अभी समय-सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण कराये जाने की मांग

127-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती में स्थापित पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 पर पांच वर्षों से अधिक समय से नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-07-2012 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के राजकीय अस्पतालों में कतिपय सुविधाओं की मशीनें लगवाये जाने की मांग

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के राजकीय अस्पतालों में एक्सरे तथा अल्ट्रासाउन्ड जांच की सुविधा में रेडियोलॉजिस्ट के अभाव के कारण मरीजों को हो रही परेशानियों विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 12-10-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

पत्र दिनांक 12-10-2012 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ तथा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती से करायी गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि जनपद बस्ती के सामु0स्वा0केन्द्रों/जिला पुरुष/महिला

विकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के पद रिक्त हैं। वर्तमान में विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों (रेडियोलॉजिस्ट) की कमी होने के कारण रिक्त पदों पर तैनाती नहीं की गयी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन लोक सेवा आयोग से होने/विभागीय डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अस्पताल में ट्रामा सेन्टर व बेड बढ़ाये जाने की मांग

129-श्री ओम कुमार-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हल्दौर या नहटौर कस्बे में 100 बेड का अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नहटौर एवं इन्दौर दोनों कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं, जिसमें जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं। 100 बेड का अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर की स्थापना, सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में बिजली कटौती से प्रभावित बुनकरों की समस्या का समाधान कराये जाने की मांग

130-श्री ओम कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में बिजली की घोर कटौती के कारण क्षेत्र के छोटे-छोटे बुनाई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं तथा विद्यार्थियों को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बुनकरों व विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर को प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार ग्रामीण एवं तहसील कार्यक्रम के तहत 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र को 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के थाने के पास लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

131-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में थाने के अत्यन्त व्यस्ततम एवं भीड़-भाड़ वाले स्थान पर स्थित एक बड़े विद्युत ट्रांसफार्मर से आये दिन बिजली से संबंधित दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर को वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में थाने के अत्यन्त व्यस्ततम एवं भीड़भाड़ वाले स्थान पर ही 400 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा है। पिछले एक वर्ष छः माह में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। सुरक्षा के दृष्टिगत फेन्सिंग इत्यादि और सुदृढ़ करना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के नगर क्षेत्र में शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

132-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर क्षेत्र में शिड्यूल के अनुसार विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर को एच0वी0-2 शिड्यूल के तहत प्रतिदिन 17 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

उपर्युक्त आदेशित शिड्यूल के अनुसार विद्युत की आपूर्ति का प्रयास किया जाता है किन्तु स्थानीय व्यवधान एवं राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की अनेकों ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

133-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के गोपालापुर, हमीरपुर, चन्दरखा, कटहरवा, गगेहरा, गोधना, नौगरहा, सपुरकेमहा, बबुरी दलित बस्ती, पुरैनी, दुलहीपुर दलित बस्ती, पचोखर ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यहां पर विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा गोपालपुर, गोधना, बबुरी, दलित बस्ती, पचोखर, मगेहरा, चन्दरखा, नौगराहा एवं पुरैनी पूर्व मानकों के अनुसार विद्युतीकृत हैं तथा रामनगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम हमीरपुर, कटहरवा एवं सपुरकसहा पूर्व मानकों के अनुसार विद्युतीकृत है।

दुलहीपुर दलित बस्ती अविद्युतीकृत है। जिसे विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उपरोक्त दलित बस्ती का विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय गांवों को गंगा नदी के कटान से बचाने की मांग

134-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कुण्डा कला, कुण्डा खुर्द, मवई इत्यादि गांवों का गंगा नदी से कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटाव को रोकने का कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम दुलहीपुर से मलोखर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

135-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा दुलहीपुर जी0टी0 रोड से ग्राम सभा शकुराबाद रोड तक एवं जी0टी0 रोड ग्राम सभा दुलहीपुर से मलोखर तक सड़क का लेपन स्तर तक कार्य सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम सभा दुलहीपुर जी0टी0 रोड से ग्राम सभा शुकराबाद रोड तक मार्ग पचपेड़वा मार्ग (पुरानी जी0टी0 रोड) के कि0मी0 13 से प्रारम्भ होकर मलोखर ग्राम होते हुए शकुराबाद तक निर्मित है। मलोखर ग्राम तक प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.60 कि0मी0 एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मलोखर से शकुराबाद तक (पड़ाव-भूपौली मार्ग का कि0मी0 5 एवं 6) लम्बाई 1.00 कि0मी0 लेपित सतह की चौड़ाई 5.50 मी0 अन्य जिला मार्ग है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की मरम्मत व सुधार कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के सोहरियावां नहर पुल से सोहरियावां गांव तक सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

136-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बहराइच-गोण्डा सड़क मार्ग के 33 कि0मी0 पर सोहरियावां नहर पुल से सोहरियावां ग्राम तक जाने वाली सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिं यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कैसरगंज सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

137-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पयागपुर-हजूरपुर-कैसरगंज सड़क मार्ग के कि0मी0 एक पर कांधीकुइयां से जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम भर्रामई में विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा बिलों का संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

138-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-142 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलन रु0 2.50 लाख से उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त क्षेत्र के बिलों का नियमानुसार संशोधन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम भर्रामई के 10 खम्भे टूट गये थे जिन्हें ठीक करने हेतु मुख्य अभियन्ता, वितरण बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा दिनांक 17-01-2013 में रुपये 2.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

विद्युत आपूर्ति सुचारू होने पर नियमानुसार बिलों का संशोधन कर दिया जायेगा।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र ऐरायां के कतिपय रजवाहा में पानी टेल तक उपलब्ध कराये जाने का कथित प्रकरण

139-श्री मो0 आसिफ-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र ऐरायां के प्रेमनगर रजवाहा से आशीषपुर रजवाहा की टेल तक पानी न पहुंचने से किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहा में टेल तक पानी उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र ऐरायां में प्रेमनगर रजवाहा एवं आशीषपुर रजवाहा नामक कोई नहर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिरौरा के ग्राम थरी में वन्द पड़े नाले की खुदाई कराये जाने की मांग

140-श्री मो0 आसिफ-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के ग्राम थरी स्थित सिन्नई तालाब से पासियों की अड़ार मजरे थरी तक, वर्ष 1962-63 में खोदा गया नाला पूरी तरह से बन्द होने से जल भराव के कारण हजारों बीघे कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने से क्षेत्रीय किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की खुदाई बरसात से पहले करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सिन्नई ड्रेन में जंगल झाड़ी होने के कारण बहाव अवरुद्ध है तथा ड्रेन में अभी भी पानी भरा हुआ है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम कुरसहा में कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराये जाने की मांग

141-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम कुरसहा में मोक्ष द्वार इण्टर कालेज सम्पर्क मार्ग से इमरती गांव में स्थित ऐतिहासिक पाण्डव कालीन शिव मन्दिर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई/फेज 10 के पैकेज संख्या यू0पी0-0987 के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसका पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

142-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में गंगा घाट लेहदरी में बन रहे सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सेतु का कार्य 81 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होने के कारण निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के अनेकों ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

143-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के दिनांक 03-07-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1 का अर्द्धशा0 पत्र संख्या-2769/ 24-पी0-1-2012-2124/12, दिनांक 26-09-2012 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक वितरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पत्रांक 816, दिनांक 04-05-2011 के द्वारा कार्यों हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

निदेशक (वितरण) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक-816 दिनांक 04-08-2011 के द्वारा प्रस्तावित कार्य विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अहमदगंज गलड़िया ब्लाक मिर्जापुर, क्लक्टरगंज जलालबाद, कोयला ज्ञानपुर जलालबाद, शान्तीपुर कलान, चम्पतपुर अल्लागंज, आंधी देयी कलाल के विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलित धनराशि रु0 62.71 लाख के विरुद्ध मात्र रु0 47.69 लाख की धनराशि दिनांक 22-12-2011 को अवमुक्त हुई थी।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान सभा चुनाव 2012 की घोषणा के कारण आचार संहिता लगने पर कार्यों को पूर्ण कराना संभव नहीं हो सका था। आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त समुचित सामग्री एवं अपेक्षित धन के उपलब्ध न होने तथा उक्त योजना का प्रचलन समाप्त होने के कारण कार्यों का निस्पादन संभव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में महोत्सव हेतु स्वीकृत धनराशि का कथित प्रकरण

144-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 5 से 7 फरवरी, 2013 के मध्य शाहजहांपुर महोत्सव मनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त महोत्सव में कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा उक्त के लिए सरकार से नियमानुसार अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

पर्यटन विभाग द्वारा जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 5 से 7 फरवरी, 2013 के मध्य किसी महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में बिजली के तार के स्थान पर बन्च केबिल लगवाये जाने की मांग

145-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली नगर में तेज हवाओं से नंगे तार टकराने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिये बरेली नगर में बिजली के तार के स्थान पर बन्च केबिल लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कभी-कभी तेज हवा/ऑधी आने पर तार टकरा जाते हैं।

तार के टकराने से होने वाली घटनाओं की संभावनाओं को दूर करने हेतु आवश्यकतानुसार तार को पुनः सैग करके (टाइट करके) एवं बीच-बीच में स्पैसर लगाने का कार्य माह अप्रैल, 2013 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के बार्ड-53 न्यू आजाद नगर के सतबारी रोड में न्यू ट्रांसफार्मर लगवाये जाने की मांग

146-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 न्यू आजाद नगर के सतबरी रोड, रामपुरम फेस-2 में स्थित पुराने ट्रान्सफार्मर का लोड कम करने हेतु सरकार एक अदद नया ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर नगर के वार्ड-53 न्यू आजाद नगर के सतबरी रोड, रामपुरम फेस-2 में वर्तमान में 400 के0वी0ए0 का एक परिवर्तक स्थापित है। इस परिवर्तक में वर्तमान में कुल 300 के0वी0ए0 का भार है एवं परिवर्तक अतिभारित नहीं है। अतः उक्त स्थान पर वर्ममान में अतिरिक्त परिवर्तक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के बल्देव राजवाहा में पानी टेल तक पहुंचाये जाने की मांग

147-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में क्या बल्देव राजवाहा से पिछले कई वर्षों से किसानों को टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बल्देव राजवाहा से किसानों को रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक के पचावर मे लगे विद्युत उपकेन्द्र को चालू कराये जाने की मांग

148-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में बल्देव ब्लाक के पचावर में दो वर्ष पूर्व स्थापित विद्युत उपकेन्द्र चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक बल्देव के पचावर में एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य करने में असाधारण विलम्ब तथा रुचि न लेने के कारण उस कार्यदायी संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है। अब पुनः दूसरी कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध करके उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण के कार्य को कराया जा रहा है।

जी हां।

उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा माह जून, 2013 तक इसका पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में बांध निर्माण हेतु अधिग्रहीत अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने की मांग

149-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत फील्ड फायर एरिया एवं बांध बनाने हेतु अधिग्रहीत की गयी जमीन के बदले में उनको जो जमीन दी गयी है, उस जमीन पर उनका पूर्णरूपेण मालिकाना हक दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

(अ) जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत फील्ड फायर एरिया रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा सम्पदा अधिकारी, आगरा सैनिक क्षेत्र के मालिकाना हक में है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ढुकवा बांध सन् 1909 में तैयार हो गया था। इस बांध के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा भूमि वन विभाग से हस्तानान्तरण पर ली गई थी। उक्त भूमि पर सन् 1905 से अब तक सिंचाई विभाग का कब्जा चला आ रहा है। अन्य किसी विभाग/व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है। अतः मालिकाना हक सिंचार्ह विभाग का है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ढुकवा बांध के जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली 2201.55 एकड़ जमीन (जो कि एक दर्जन गांव की थी) का मुआवजा जमींदारों द्वारा छोड़ दिया गया था और इस प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

(स) उपर्युक्त जमीनों के बदले उनको दी गई जमीनों में से (अ) के समक्ष उल्लिखित स्थिति का सम्बन्ध भारत सरकार से है, जबकि (ब) के समक्ष उल्लिखित स्थिति के सापेक्ष यह सूचनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा बदले में उनको कोई जमीन देने की आवश्यकता नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अनेकों क्षेत्रों में जर्जर हो चुके तारों/ट्रांसफार्मर को बदलवाये जाने की मांग

150-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खैलार, बड़ागांव, बबीना, बरूआ सागर, चिरगांव, रकसा सिभरावारी, भेल आदि क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर एवं विद्युत तार अत्यन्त जर्जर होने के कारण उक्त क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं हो

पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर अवस्था में पड़े ट्रान्सफार्मरों एवं विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खैलार, बड़ागांव, बबीना, बरुआ सागर, चिरगांव, रकसा सिभरावारी, भेल आदि क्षेत्र मे लगभग 14-15 घण्टे औसत सप्लाई उपलब्ध है। परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर समय से बदले जाते हैं। निर्धारित अवधि से ज्यादा का कोई परिवर्तक बदलने हेतु शेष नहीं है।

परिवर्तकों एवं तारों की स्थिति का परीक्षण करते हुए चिन्हित् कर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपर्युक्त चिन्हीकरण उपरान्त धन की उपलब्धता होने पर परिवर्तक, तार इत्यादि बदलना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा की ग्राम पंचायतों को प्राधिकरण द्वारा विकसित करने सम्बन्धी जानकारी

151-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को भी विकास प्राधिकरण विकसित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में मच्छरों से हो रही बीमारियों के रोक थाम के उपाय

152-श्री काली चरन सुमन-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मच्छरों के बढ़ते हुये प्रकोप से बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनायी गयी है। जिसके अनुसार मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण, सेनेटरी इंजीनियरिंग, कीटनाशक छिड़काव, मनुष्य-मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से रोकथाम का कार्य किया जा रहा है। मच्छरों से होने वाले रोगों की तत्काल पहचान, निदान एवं उपचार हेतु प्रत्येक सरकारी चिकित्सा केन्द्र पर निःशुल्क सुविधायें एवं औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा की अनेकों नहरों, माइनरों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

153-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कौलक्खा पुलिया नहर माइनर, सैमरी, पचगाई खेड़ा, रोहता नहर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

अनुरक्षण/मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। अतः प्रश्नागत सड़क की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में जगनेर रोड से मिढ़ाकुर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

154-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर रोड मलपुरा से नहर की सर्विस रोड वाया बरारा मिढ़ाकुर तक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत नहर की सर्विस रोड की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम अकोला ऊदर में पानी टंकी चालू कराये जाने की मांग

155-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम अकोला ऊदर में पेयजल हेतु पानी की टंकी लगी हुई है परन्तु विद्युत कनेक्शन न होने के कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की टंकी चालू कराने हेतु विद्युत कनेक्शन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा ग्राम अकोला ऊदर में पानी की टंकी का विद्युत कनेक्शन पूर्व से ही संयोजित है। विद्युत समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं है। पानी की टंकी की बोरिंग लगभग दो कि0मी0 दूर नगला सूर में जल निगम द्वारा करायी गयी है, जिसके विद्युत कनेक्शन हेतु वांछित धनराशि दिनांक 28-06-2012 में जल निगम द्वारा जमा कराने के पश्चात् नये स्थल पर आवश्यक

सामग्री पहुंचा कर विद्युत लाइन निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है और सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति करी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय मार्ग पर बने पुल को पक्का करने की मांग

156-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय मार्ग से सोहास रोड पर सुगम आवागमन हेतु बने लकड़ी के पुल को पक्का पुल बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भगत प्रायोजना हेतु शासनदेश संख्या-01/23-10-13-01(सेतु)/13, दिनांक 01-03-2013 द्वारा रुपये 564.84 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपये 112.968 लाख का धनावंटन किया गया है। जी0ए0डी0 एवं विस्तृत परिकल्पना हेतु सर्वेक्षण, भूमि परीक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सेतु का निर्माण पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आगरा में बमरौली अहीर रेलवे क्रांसिग पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज हेतु मकानों को तोड़े जाने सम्बन्धी जानकारी

157-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बमरौली अहीर रेलवे क्रासिंग पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज बनने हेतु वर्षों पूर्व बसा हुआ ग्राम नगला पदमा के मकानों को तोड़ा जा रहा है जबकि सामने खाली जमीन पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में तट बन्ध का निर्माण कराये जाने की मांग

158-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में यमुना किनारे बसे हुये महल बादशाही, समोगर, महरा नाहरगंज, तनौरा नूरपुर घड़ी महावन आदि ग्राम

बाढ़ के समय कटान होने के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके बचाव के लिये पक्के तटबन्ध (ठोकर) आदि का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

परियोजना तैयार की गई है। तकनीकी सलाहकार समिति एवं स्थायी संचालन समिति से तकनीकी एवं आर्थिक रूप से परियोजना साध्य पाए जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के जगनेर रोड से सौहल्ला फाटक तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

159-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के जगनेर रोड अजीजपुर से सौहल्ला फाटक तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के ग्राम नगला कली में घनी आबादी से ट्रांसफार्मर अन्यत्र हटाये जाने की मांग

160-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में ग्राम नगला कली, सैमरी में घनी आबादी के मध्य लगे ट्रान्सफार्मर से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ट्रान्सफार्मरों को घनी आबादी से अन्यत्र हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, आये दिन प्रश्नगत परिवर्तक पर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर की फेन्सिंग इत्यादि के कार्य का सुदृढ़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के अनेकों ग्रामों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु खारी नदी पर बांध निर्माण की मांग

161-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में ग्राम रामनगर अकोला, रामनगर, पिरयानी के अन्तर्गत खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार मीठा पानी क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराने हेतु खारी नदी पर बांध का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

तकनीकी दृष्टिकोण से बांध का निर्माण साध्य नहीं है।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

162-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के अन्तर्गत क्षेत्रवासियों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये रामनगर, मौजमपुर, मण्डावली मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम रामनगर, मौजमपुर, मण्डावली पूर्व से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती की मांग

163-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर कितने डाक्टर एवं तकनीशियन तैनात करने का मानक है ? क्या सरकार इन मानकों में परिवर्तन करते हुये इन अस्पतालों में विशेषज्ञ एवं तकनीशियन तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

चिकित्साधिकारी-01 पद

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

विशेषज्ञ चिकित्सक-05 पद

तकनीशियन-03 पद

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का मानक

164-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानक है तथा यह मानक किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है ? क्या सरकार वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये पुनः मानक बनाकर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

30 हजार सामान्य जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का मानक है तथा यह मानक वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर है।

जी नहीं।

नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना प्रदेश सरकार के वित्तीय स्थिति एवं मानव संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं हेतु खुली निविदा की व्यवस्था कराने सम्बन्धी जानकारी

165-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगने वाली 9 विद्युत परियोजनाओं का एम0ओ0यू0 18 माह बढ़ाने से सरकार को क्या फायदा होगा ? क्या खुला निविदा कराने में सरकार को कोई आपत्ति थी ? यदि हां, तो क्या सरकार खुली निविदा की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

चूंकि प्रदेश को विद्युत की आवश्यकता है तथा सभी विकासकर्ताओं ने परियोजना स्थापना में निवेश कर रखे हैं अतः इन विकासकर्ताओं हेतु समय बढ़ोत्तरी न प्रदान करने की दशा में एक ओर तो प्रदेश को बिजली मिलने की सम्भावना समाप्त हो जाती वहीं दूसरी ओर प्रदेश में निजी निवेशक हतोत्साहित होता। अतः प्रदेश के व्यापक हित में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

खुली निविदा कराने में विभाग द्वारा परियोजना स्थापना हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं (अर्थात् भूमि, जल पर्यावरण क्लीयरेंस, कोल लिंकेज) की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है एवम् इसके पश्चात् निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अतः इस प्रक्रिया को पूरा करने में अतिरिक्त समय लग जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राधिकरणों के अतिरिक्त आवासीय कालोनियों को विकसित लिये जाने सम्बन्धी जानकारी

166-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों एवं कस्बों में प्राधिकरणों के अतिरिक्त अन्य आवासीय कालोनियां विकसित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति

निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

- उ0प्र0 में विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् गठित है तथा परिषद् द्वारा विभिन्न नगरों में आवासीय योजनायें संचालित की जा रही है।
- उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 एवं यथासंशोधित हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007 प्रख्यापित की गयी।
- वर्ष 2010 में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो गयी है, किन्तु नीति के अधीन पूर्व में चयनित विकासकर्ताओं द्वारा अनुमोदित एवं विस्तारित विकास क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है।
- इसी प्रकार भूमि अर्जन एवं विकास (इंटीग्रेटेड टाउनशिप) की नीति वर्ष, 2005 में जारी की गयी थी, जिसके अधीन निजी विकासकर्ताओं के पंजीकरण, लाइसेन्स निर्गमन, भूमि अर्जन/जुटाव, डी0पी0आर0 अनुमोदन तथा विकास एवं निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित है।
- इन योजनाओं में निजी विकासकर्ताओं द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत भवन/भू-खण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग एवं 10 प्रतिशत भवन/भू-खण्ड अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित लागत पर एवं मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्मित कर विक्रय किये जाने की व्यवस्था है।
- योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन तथा विद्युत सब-स्टेशन के लिये विकासकर्ता द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है एवं नीति के अधीन भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित भू-स्वामियों/किसानों के पुनर्वास हेतु विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को (आवेदन करने की दशा में) प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति/शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवाये जाने की जानकारी

167-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के द्वितीय बुधवार के अता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनेस प्लान 2012-13 में पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के ट्रान्सफार्मरों को बदलने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो इन ट्रान्सफार्मरों को कब तक बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में मा0 विधायक जी द्वारा 27 स्थानों के ट्रांसफार्मरों को बदलने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 4 अद्द क्रमशः पयागपुर बाजार में 100 से 250 के0वी0ए0 कोट बाजार में 250 से 400 के0वी0ए0, भूपगंज बाजार में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 एवं पुरैना बाजार में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। क्रम सं0-09 पर अंकित मानी टाड चौराहा विद्युतीकृत नहीं है। शेष 22 स्थानों के परिवर्तकों के क्षमतावृद्धि हेतु चिन्हित करने का कार्य अन्तिम चरण में है। आवश्यकतानुसार परिवर्तकों के क्षमता वृद्धि हेतु बिजनेस प्लान 2013-14 के अन्तर्गत सम्मिलित कर परिवर्तक बदलने का कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्धता निवारण कार्यक्रम में आवंटित धनराशि तथा आपरेशन के साथ जनपद शाहजहांपुर में इस सम्बन्ध में जानकारी

168-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कितना धन आवंटित किया गया तथा इससे कितने मोतिया बिन्द के आपरेशन किये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर में इस मद में वर्ष 2012-13 में कितना धन आवंटित किया गया तथा इससे कितने मोतिया बिन्द के आपरेशन दिनांक 15-02-2013 तक किये गये ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में मोतियाबिन्द आपरेशन करने हेतु कुल 1332.38 लाख की धनराशि प्रदेश के 75 जनपदों हेतु वितरित की गयी जिससे माह फरवरी, 2013 तक 557326 आपरेशन किये गये।

जनपद शाहजहांपुर में मोतियाबिन्द की मद में वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक रु0 20,04,284.00 की धनराशि आवंटित की गई है तथा दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक कुल 2695 मोतियाबिन्द आपरेशन किये जा चुके हैं।

लखनऊ के रानी लक्ष्मी बाई चिकित्सालय में दवाओं के क्रय में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

169-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय लखनऊ में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में एक करोड़ बयासी लाख की दवाओं के क्रय में प्रचलित जांच में कौन-कौन से अधिकारी व फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट संलिप्त थे ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अनियमितता की जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध क्या कोई

कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त अनियमितता में दोषी पाये गये चीफ फार्मासिस्ट का जनपद शाहजहांपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में एक करोड़ बयासी लाख के उपकरण एवं सामग्री का क्रय डा0 राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं श्री हंसराज पारस, चीफ फार्मासिस्ट की देख-रेख में किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार दवाओं के क्रय के सम्बन्ध में न कोई शिकायत थी न ही जांच हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चीफ फार्मासिस्ट श्री हंसराज पारस का स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत दिनांक 24-05-12 को जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर किया गया था, जिसे रिट याचिका संख्या-880 (एस0बी0)/2012 हंसराज पारस बनाम राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-06-12 के आलोक में दिनांक 13-07-12 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री रघुनन्दन सिंह भदैरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच के सिंचाई विभाग को आवंटित धनराशि का व्यय विवरण

171-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के सिंचाई विभाग को वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में कुल कितना धन आवंटित किया गया तथा उसके सापेक्ष उपरोक्त धन को किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों के लिये खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	परियोजना का नाम	धनावंटन (लाख रु0 में)	कुल व्यय (लाख रु0 में)
1	2	3	4
2010-11	सरयू परियोजना	4982.00	4984.00 (स्टाफ व्यय सम्मिलित)
	नलकूप पूर्व	439.59	439.59
	योग :-	5421.59	5423.59

1	2	3	4
2011-12	सरयू परियोजना	2712.33	2712.33
	नलकूप पूर्व	420.62	420.62
	योग :-	3132.95	3132.95
	सम्पूर्ण योग :-	8554.54	8556.54

उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है। सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं के मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव कराने की सुविधा

172-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में किन-किन नर्सिंग होमों में यह सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में कितनी ऐसी महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव की सुविधा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

ही हां।

प्रदेश के 29 जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद बरेली में 08 एवं बुलन्दशहर के 01 नर्सिंग होम में सुविधा प्रदान की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

1. श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज, भोजीपुरा, बरेली।
2. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, पीलीभीत, बाईपास रोड, बरेली।
3. कोपल हास्पिटल, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
4. कैट हास्पिटल, कैण्ट बरेली।
5. स्वाती हास्पिटल, करगैना, बदायूं रोड, बरेली।
6. आर्या हास्पिटल, नवाबगंज, बरेली।
7. महेन्द्र गायत्री हास्पिटल, सेटेलाइट बस स्टैण्ड, पीलीभीत रोड, बरेली।
8. चन्द्रलोक हास्पिटल, सेटेलाइट बस स्टैण्ड, पीलीभीत रोड, बरेली।
9. तेवतिया चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह गुलावटी, बुलन्दशहर।

† (छापी नहीं गयी)

वर्ष 2011-12 में 198 एवं वर्ष 2012-13 में 591 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमों में प्रसव की सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

173-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के बल्देव एवं राया ब्लाक में आने वाले कितने ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन ग्रामों का विद्युतीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मथुरा जनपद के अन्तर्गत ब्लाक बल्देव एवं राया ब्लाक में कोई भी राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा से अलीगढ़, हाथरस सड़क मार्ग के लगने वाले निरन्तर जाम के समाधान की मांग

174-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मथुरा से अलीगढ़, हाथरस सड़क मार्ग के मध्य राया कस्बे में तीन से चार घण्टे लगने वाले रोजाना जाम के समाधान के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद मथुरा के गोवर्धन, फरह ब्लाक के ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण पश्चात् टूटने में कार्यवाही की मांग

175-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ऐसे कितने सम्पर्क मार्ग हैं जिनका पिछले तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण किया गया है और मानक के अभाव में सम्पर्क मार्ग टूट गये हैं ? क्या यह सही है कि जनपद मथुरा के गोवर्धन, फरह ब्लाक के ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के टूटने से ग्रामीण अंचल के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मथुरा में पिछले तीन वर्षों में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 92, 57 एवं 53 सम्पर्क मार्गों (विवरण संलग्न) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है किन्तु उक्त सम्पर्क मार्ग टूटे नहीं है।

जी नहीं। मार्गों पर पैच/पॉट होल्स होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे उपलब्ध संसाधनों से ठीक कराया जाता है, ताकि यातायात में असुविधा न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा कतिपय ब्लाकों में विद्युत करेन्ट से हुई दुर्घटनाओं के परिजनों के आर्थिक सहायता का विवरण

176-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के राया, फरह एवं बल्देव ब्लाक के ग्रामों में पिछले चार वर्षों में विद्युत के पोल एवं तार टूटने पर आये करन्ट से कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार ने प्रभावित परिवारीजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा के राया, फरह एवं बल्देव ब्लाक के ग्रामों में पिछले चार वर्षों में विद्युत के पोल एवं तार टूटने से हुई दुर्घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	राया		फरह		बल्देव		आर्थिक सहायता (रु0 लाख में)
	मानव	पशु	मानव	पशु	मानव	पशु	
2009	02	01	01	01	01	01	3,05,000
2010	01	03	01	01	01	04	1,05,000
2011	03	00	01	00	00	01	1,00,000
2012	01	02	00	00	00	00	1,00,000
कुल योग	07	06	03	01	02	06	6,10,000

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के ग्राम रामबाग शिवाला पर बने पुल की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्री की मरम्मत

177-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा-अलीगढ़ के गोमत-बजना रोड पर मांट ब्रांच पर तथा ग्राम रामबाग शिवाला पर बना पुल व पुल की बाउन्ड्री क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

पुल के क्षतिग्रस्त पैराफिट की मरम्मत करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में बायो मेडिकल वेस्ट कचरे हेतु डम्पिंग स्टेशन बनाये जाने की मांग

178-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में बायो मेडिकल वेस्ट कचरे को उठाने तथा डम्पिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जनपद के अस्पतालों का कचरा जहरीला सामान इंजेक्शन आदि खुले में फेंके जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु जनपद मेरठ में डम्पिंग स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जनपद के अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण मेसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा किया जा रहा है।

अलग से डम्पिंग स्टेशन बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण मेसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा अपनी व्यवस्थानुसार किया जा रहा है।

जनपद आगरा के राजमार्ग-2 के साथ सर्विस रोड बनाये जाने की मांग

179-श्री सूरज पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर रूनकता, आगरा पर बनवाये जा रहे आर0ओ0बी0 के साथ सर्विस रोड बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के रूदौली रेलवे स्टेशन की क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

180-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा रेल लाइनों के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद के रूदौली रेलवे स्टेशन की क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद फैजाबाद में भेलसर-रूदौली मार्ग पर रूदौली रेलवे स्टेशन के निकट रेल समापर सं0-143ए की टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण रेलवे विभाग द्वारा इसे रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जनपद फैजाबाद की विधान सभा रूदौली में मां कामाख्या भवानी मन्दिर के पास गोमती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

181-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र में स्थित मां कामाख्या भवानी मंदिर के पास गोमती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त सेतु निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रस्तावित सेतु की स्वीकृति त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा की जानी है।

प्रायोजना की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के रानीमऊ में प्रस्तावित चिकित्सालय बनाये जाने की मांग

182-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 बेड के अस्पतालों की स्थापना की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के रानीमऊ में पूर्व से प्रस्तावित 100 शैय्या चिकित्सालय की स्थापना वित्तीय वर्ष 2013-14 में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रदेश में चिकित्सा इकाइयों/चिकित्सा उपकरणों को स्थापित किया जाना संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में अनेकों सड़कों के निर्माण की मांग

183-श्री राकेश बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में जिला योजना 2013-14 में जामपुर औखरा मार्ग से हुलासपुर ग्राम ब्लाक नारखी, ओखरा बम्बा की पुलिया से ओखरा तक, प्राथमिक विद्यालय तक, कामथा नारखी मार्ग से नगलावधे तक,

परीअतपुर बम्बा से रामनगर तक ब्लाक नारखी, राजमल से चूहरपुर मार्ग, ब्लाक टूण्डला राजमल से नगला करन सिंह से गणीदया होते हुये नगला धनवन्त डावर की सड़क तक ब्लाक टूण्डला छितरई से वाजराई गणी तक (ब्लाक टूण्डला) तथा मनी गणी से मितावली रेलवे स्टेशन तक की सड़कों को सरकार नव निर्माण हेतु सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2013-14 में जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बिजली के करन्ट से हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान

184-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 08-06-12 से पिछले पांच वर्षों में बिजली के तारों, लाइनों इत्यादि के द्वारा दुर्घटनाओं से वर्षवार कितनी मौतें हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मरने वालो को कितनी धनराशि प्रति व्यक्ति सरकार देती है ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में गत् पांच वर्षों में बिजली के तारों, लाइनों इत्यादि से घटित मानव मृत्यु की वर्षवार सूचना निम्नवत् है :-

विद्युत वितरण निगम का नाम	विद्युत दुर्घनाओं से होने वाली मृत्यु की संख्या				
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
मध्यांचल	135	156	122	138	38
पूर्वांचल	128	76	98	113	52
पश्चिमांचल	32	69	105	91	37
दक्षिणांचल	81	151	135	137	145
केस्को	06	04	10	07	05
योग	382	456	470	486	277

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश सं0-2400 ओ0सं0/2008-19(125)ए0एस0/2008, दिनांक 19.05.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्तमान में घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु पर प्रति व्यक्ति रु0 100000/= की अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद गाजियाबाद में मा0 कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

185-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के अधूरे भवनों का निर्माण कार्य सरकार पूरा करायेगी ? यदि

हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त भवनों के निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उसके सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भूमि की अनुपलब्धता के कारण जनपद गाजियाबाद में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण में भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो सका था। अतः इस योजना के अन्तर्गत कोई अधूरे भवन नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुये भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 8.00 करोड़ की राशि आवंटित की गयी थी परन्तु भूमि की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य शून्य होने के कारण राजकोष से आवंटित धनराशि आहरित नहीं की गयी, फलस्वरूप सन्दर्भित भवनों के सापेक्ष कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के ब्लाक पसगवां के कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल कनेक्शन कराये जाने की मांग

186-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ब्लाक-पसगवां के ग्राम-पिपरी अजीज व ग्राम गुरूदेवखेड़ा में ट्यूबवेल कनेक्शन के कितने आवेदन-पत्र निस्तारण हेतु विगत 6 माह से लम्बित हैं ? क्या सरकार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद खीरी के ब्लाक पसगवां के ग्राम पिपरी अजीज में सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप कनेक्शन हेतु तीन आवेदन-पत्र विगत 06 माह से लम्बित हैं। ग्राम गुरूदेवखेड़ा में कोई भी आवेदन-पत्र निजी नलकूप कनेक्शन हेतु लम्बित नहीं है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत सामान्य योजना में प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर प्रथम आवत प्रथम पावत की प्राथमिकता पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

187-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[3सरे शुक्रवार के अत0प्र0सं0-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर में चीनी मिलों द्वारा बिजली उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन नीति सम्बन्धी जानकारी

188-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के तराई क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा क्या सरकार बिजली उत्पादन को बढ़ाने एवं प्रोत्साहन हेतु किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 28-1-2013 द्वारा चीनी उद्योग, को-जनरेशन आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 प्रख्यापित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0प्र0 लखनऊ के संयुक्त सचिव की तैनाती शासन द्वारा होने एवं उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

189-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ के प्राविधिक शिक्षा विभाग में वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2004 से 2006 तक एवं इसके पूर्व में भी संयुक्त सचिव के बिना सृजित/स्वीकृत पद पर बाह्य सेवा के कर्मी को प्रतिनियुक्ति पर अनियमित तैनात किये गये अधिकारी को लाखों रुपये की धनराशि भ्रष्टाचार, जालसाजी एवं पद का दुरुपयोग करके वेतन भत्ते मानदेय आदि का भुगतान किये जाने विषयक श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य विधान सभा, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर का पत्र दिनांक 24-03-2011 तथा 14-04-2011 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

जी हां।

वर्ष 2004 से 2006 तक की अवधि के लिये संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0प्र0 लखनऊ के पद पर विभागीय अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी थी तथा शासन द्वारा उसकी सेवा शर्तें भी निर्धारित की गयी थी। जहां तक उक्त तैनात अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग व वित्तीय अनियमितता करने का प्रश्न है, इस शिकायत की जांच निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर एवं अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर की संयुक्त जांच समिति से करायी गयी। जांचोपरान्त शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद् के बिना भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण की जांच पर कार्यवाही

190-श्री सन्त प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में बिना लेआउट प्लान पास कराये भू-माफियाओं द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण की उप जिला मजिस्ट्रेट व नगर

मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से दिनांक 04-12-12 को जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गम्भीर प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में बिना ले-आउट प्लान पास कराये अवैध रूप से भू-खण्डों की बिक्री करने वाले भू-स्वामियों के विरुद्ध नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी वि0क्षेत्र, सीतापुर द्वारा आर0बी0ओ0 ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीब परिवारों के गम्भीर बीमारियों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था

191-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे हृदय रोग, हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दा आदि गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिये राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0 वाराणसी, जे0एल0 नेहरू मेडिकल कालेज, ए0एम0यू0 अलीगढ़ व एस0वी0वी0पी0 मेडिकल कालेज, मेरठ में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में पहले से ही मरीजों की अत्यधिक भीड़ एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुये उक्त अस्पतालों के द्वारा आगणित धनराशि को सुलभ चिकित्सा हेतु सीधे मरीजों को अथवा अन्य चिकित्सा संस्थानों (निजी एव प्रदेश के बाहर) को प्रदान करने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगी को प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों क्रमशः छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय) लखनऊ, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, बी0आर0डी0 कालेज गोरखपुर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, सरसुन्दर लाल चिकित्सालय, बी0एच0यू0 वाराणसी, मेडिकल कालेज मेरठ तथा जे0एन0 मेडिकल कालेज, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध है।

(ख) चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि सीधे मरीजों को दिये जाने का औचित्य नहीं है।

(ग) संगत नियमों की व्यवस्था के प्रतिकूल होने के कारण।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

192-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद मार्ग श्यामों मोड़ से बजहेरा नहर तक व बजहेरा नहर से बहेटा सुजगई, विसेरा कलां इरादत नगर मार्ग तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बजहेरा नहर से बहेटा सुजगई मार्ग की दशा संतोषजनक है। अन्य मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धत पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्यवाही

193-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की जिला योजना समिति की प्रथम बैठक दिनांक 28-08-2012 में विधान सभा क्षेत्र रूधौली की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु प्रभारी मंत्री मा0 महबूब अली को प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित नवनिर्माण से सम्बन्धित 34 मार्गों में से 12 मार्ग पूर्व में ही लेपित स्तर तक निर्मित हैं। 04 मार्गों की डबल कनेक्टीविटी होने के कारण मानक के अनुरूप नहीं है। 07 मार्ग का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना, 02 मार्ग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 01 मार्ग जिला योजना तथा 08 मार्ग पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित हैं, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में जिला योजना स्वीकृत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य पूरा कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

194-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त

हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

195-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला योजना में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्टीमेट जिला योजना 2012-13 के अन्तर्गत स्वीकृति के उपरान्त स्थानीय समाचार-पत्रों में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य कराने के टेण्डर आमंत्रित हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या अभी तक मथुरा जिला योजना को लोक निर्माण विभाग मद में धन आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मद में धन आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद-मथुरा के 76 निर्माण कार्यों के प्राप्त प्रस्ताव के सापेक्ष शासनादेश संख्या-117आ0जि0यो0/23-14-2012-117 आ0जि0यो0/12, दिनांक 19.02.13 द्वारा 11 कार्यों में रु0 96.78 लाख वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 38.712 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों की संख्या एवं इनसे निकालने वाले कचरे के निस्तारण की योजना

196-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र में कुल कितने प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल हैं ? क्या इनसे निकलने वाले कचरे को खुले स्थान में फेंके जाने से संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कचरे के निस्तारण हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद सोनभद्र में कुल 33 प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल हैं।

जी हां।

जी हां।

राजकीय चिकित्सालयों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु वर्ष 2006 में अनुमोदित एजेन्सी मै0 एस0एन0जी0 मर्केन्टाइल प्रा0लि0 को आदेश दिये गये हैं।

प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) (द्वितीय संशोधन) नियम 2000 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना का सेक्टर-एच0 नगर निगम को स्थानान्तरण पश्चात् क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

197-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम बुधवार के अता0प्र0सं0-54 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् योजना का सेक्टर-एच नगर निगम को दिनांक 28-4-2008 को हस्तानान्तरण के पश्चात् उक्त सेक्टर-एच के फेज-1, 2, 3 एवं 4 में कौन-कौन से विकास कार्य कब-कब कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों, रोड क्रास पत्थरों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच0 की विभिन्न सेवाओं के नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभाष के निराकरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निराकरण कर विकास कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के पार्क में स्ट्रीट लाइट एवं पथ निर्माण की व्यवस्था

198-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में भवन संख्या-1/185 के सामने स्थित एकता पार्क रोशनी एवं विकास के अभाव में छुट्टा जानवरों एवं असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक तत्वों का अड्डा बन गया है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क में उचित प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट) लगाने के साथ इण्टरलॉकिंग पथ बनवा कर इसे विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच0 की विभिन्न सेवाओं के नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभाष के निराकरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निराकरण कर विकास कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी विभिन्न सेवायें बहाल करने की मांग

199-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् के सेक्टर-एच में वर्ष 2003 से अगस्त, 2012 के मध्य सड़क, नाली, सीवर एवं पार्क आदि के निर्माण, मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेक्टर में वांछित विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच0 की विभिन्न सेवाओं के नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभाष के निराकरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निराकरण कर विकास कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री गोरखनाथ के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोरखनाथ का 16 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री गोरखनाथ का जन्म 15 मार्च, 1935 को ग्राम मांगाकाड़ेर, जिला देवरिया में हुआ था। श्री गोरखनाथ वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र रुद्रपुर, जिला देवरिया से कांग्रेस(आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गोरखनाथ क्षेत्र समिति, रुद्रपुर के ब्लाक प्रमुख, पंचायती राज सेल, देवरिया के संयोजक, साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षा प्रसार समिति के व्यवस्थापक रहे थे। वे राम जी सहाय डिग्री कालेज, रुद्रपुर, दुग्धेश्वर इण्टर कालेज,

रुद्रपुर तथा बाबा राघव दास डिग्री कालेज, देवरिया के सदस्य भी रहे थे। जनसेवा और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गोरखनाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मा0 श्री गोरखनाथ जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है, मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक-संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

[12.00] तारांकित प्रश्न संख्या-4 के मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की पीड़ा के दृष्टिगत उन्हें पुनः सुने जाने का अवसर दिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, इस सदन में, अपने क्षेत्र की समस्या रखने के लिए प्रदेश की समस्या रखने के लिए या जो भी सामाजिक समस्यायें हैं, उनका उल्लेख करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से यहां रखते हैं और जब उनके नाम का उल्लेख होता है, उस प्रश्न के मुख्य प्रश्नकर्ता भी हैं, तो यह मान्यवर, नियम भी है और परंपरा भी आपने रखी है कि कम से कम जिसका प्रश्न है, उनको एक या दो अपने विवेक से अनुपूरक पूछने का, आप अवसर देते हैं। मा0 सत्य प्रकाश जी, मान्यवर, एक तरह से सबसे सरल प्रवृत्ति के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं, सरल हैं।

श्री हुकुम सिंह-

क्योंकि वे व्यवधान नहीं करते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र की या प्रदेश की जो भी समस्या उनके सामने आए, वे प्रश्नों के माध्यम से उसको रखें। आज भी उनके नाम का उल्लेख है मान्यवर, प्रश्नकर्ता के रूप में, मुख्य प्रश्नकर्ता के रूप में, कई बार वह खड़े हुए मान्यवर, किसी वजह से आपकी निगाह उन पर नहीं पड़ पायी। मान्यवर, यह उनके साथ में यह दरअसल अन्याय हुआ है, उनको भी एक अवसर मिल जाता, तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात रहती। मन में एक टीस रहती है कि मैंने प्रश्न भी किया, मेरे नाम का उल्लेख भी हुआ और मुझको अवसर नहीं मिला। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है, कि कम से कम, क्योंकि वे बहुत ज्यादा अपने आपको आहत महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं उनकी पीड़ा को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, मैं भी उनकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन यह अब आगे बढ़ गया है। मैंने निवेदन किया है कि आपका जो प्रश्न है आप लिखकर दे दें, मैं मा0 मंत्री जी को भिजवा दूंगा। लिखित दे

दीजिए उत्तर दे देंगे, हम आपका करा देंगे आपका हो जायेगा और मान लिया जायेगा, आप लिखित दे दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर दें या न दें मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप हमारे संरक्षक हैं अगर हमें नहीं बोलने देंगे, जो मूल प्रश्नकर्ता है उसे, तो उससे फायदा क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर कहां देंगे, जब हम आगे बढ़ गए हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

अगर उसमें मेरा नाम न होता तब तो हमारी गलती थी।

श्री अध्यक्ष-

देखिए ऐसा है, आपका नाम है लेकिन आपकी पार्टी के इतने लोग प्रश्न पूछ डाले कि मैं क्या करता उसमें ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ एक छोटा-सा सवाल है कि जो ये फिक्स चार्ज लगाया जाता है, जो लगाया है, वह 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के ऊपर लगाया हुआ है। 24 घंटे का चार्ज है वह, फिक्स चार्ज है। क्या इस वक्त जब पूरे उत्तर प्रदेश में 8 घंटे, 10 घंटे बिजली मिलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो क्या फिक्स चार्ज कम करने में यह सरकार ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष-

यही सवाल तो मा0 हुकुम सिंह जी ने पूछा था और गाजियाबाद के अमरपाल शर्मा ने भी यही पूछा था।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी)-

नहीं, यह उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने किसानों के लिए पूछा। मा0 हुकुम सिंह जी ने किसानों के लिए पूछा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात रख रहा हूं कि 10 घंटे, 12 घंटे जब आप बिजली दे रहे हैं तो क्या उसमें फिक्स चार्ज कम करने पर विचार करेंगे। इसमें ये अपना जवाब दे दें।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप चौबीस घंटे बिजली देने के नाम पर फिक्सड चार्ज उपभोक्ताओं से बढ़ाकर ले रहे हैं। बिजली आप दे रहे हैं आठ घंटे या दस घंटे तो क्या यह फिक्सड चार्ज खत्म करने का काम करेंगे।

मान्यवर, मा0 लोक निर्माण एवं ऊर्जा मंत्री जी बैठे-बैठे यह कह रहे हैं कि वह कम नहीं करेंगे। तो जवाब तो नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

[12.05 बजे] नियम-310 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाओं को ले लेता हूं।

आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद बलिया के रानीगंज बाजार स्थित फुलेश्वरनाथ मन्दिर के पुजारी को दी गई अमानवीय यातना के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया समेत प्रदेश भर में हो रही मानव तस्करी को रोके जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली में अवैध रूप से चल रहे मांस विक्रय केन्द्रों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रवीन्द्र जायवाल की वाराणसी के तुलसी घाट में संग्रहालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की सन्तरविदास नगर में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त पंचायत मित्र के मूल प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के मृत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पुत्र को मृत आश्रित पर नियुक्ति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की सहारनपुर मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जल निगम फिरोजाबाद द्वारा लगाई गई टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित पेयजल टंकियों से पानी की सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की प्रदेश के होम्योपैथी निदेशालय द्वारा लम्बित पड़ी फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत गंगा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों एवं उनके किनारे बनी नालियों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड भरूवा सुमेर से देवगांव तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड पर दोहरी घाट मुख्य नहर की अधूरी खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की जनपद गोण्डा के नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए अनुसेवक की पेंशन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा भगेसर/मजरों में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

2-डा0 अरुण कुमार,

3-ठा0 दलवीर सिंह,

4-श्री पूरन प्रकाश,

5-श्री ममतेश शाक्य,

6-श्री गुटियारी लाल दुवेश,

7-राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह,

8-श्री राजबली जैसल,

9-श्री लक्ष्मीकान्त ''पप्पू'' निषाद,

10-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

11-श्री उमाशंकर सिंह,

12-श्री सुरेश बंसल,

13-श्री राधेश्याम जायसवाल,

14-श्री रोशन लाल वर्मा तथा

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद।

श्री अध्यक्ष-

इसमें चूंकि श्री दलजीत सिंह जी नहीं हैं इसलिए मैं श्री राजबली जैसल जी की सूचना को ले लेता हूं।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बलिया के रानीगंज बाजार स्थित फुलेश्वरनाथ मन्दिर के पुजारी को दी गई अमानवीय यातना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, त्रिशूल चोरी के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए जनपद बलिया के बैरिया थाने की पुलिस द्वारा उक्त 65 वर्षीय पुजारी भृगुनाथ मिश्र को चोरी कबुलवाने के लिए पेड़ में बांधकर बेरहमी से पिटाई की गयी और अंग्रेजी शासन की याद को ताजा करते हुए उनके हथेली में कील तक ठोक दी। पिछले सप्ताह उक्त पुजारी को बैरिया थाने में 2 रात और 3 दिन गम्भीर यातना दी गयी। रात में थाने में स्थित पेड़ में बांधकर सिपाहियों ने अधिकारियों के सामने बेरहमी से पीटा और हथेली में कील ठोकने से उक्त पुजारी बेहोश हो गये। होश में आने पर एक पुलिस कर्मी उनकी दाढ़ी भी नोच ली। इस प्रकार निर्मम और अमानवीय घटना को अंजाम देने के बाद 14 मार्च को गांव ले जाकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने उक्त पुजारी को सोनवर्षा अस्पताल में भर्ती कराया जहां प्राथमिक उपचार के बाद रविवार, 17 मार्च को जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। चोरी के पर्दाफाश हेतु पेड़ में बांधकर पीटना हथेली में कील ठोकना और फिर दाढ़ी नोच लेना जैसी निर्मम और आमनवीय हरकत निश्चित ही सभ्य समाज में नितान्त निन्दनीय कृत्य है। इस प्रकार के कृत्य सम्भवतः देश के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता होगा। इस घटना की जांच और दोषियों को दण्डित किया जाना लोकतंत्रीय व्यवस्था में आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर मा0 मंत्री द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया समेत प्रदेश भर में हो रही मानव तस्करी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[महोदय, बलिया जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पिछने तीन सालों में तीस नवजात लावारिस के रूप में मिले। यह बलिया का जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा स्वीकार कर रहा है किन्तु वो नवजात कहां गये इसका रिकार्ड न जिला प्रशासन के पास है न ही स्वास्थ्य महकमा के पास। अभी ताजा घटनाक्रम में 23 नवम्बर, 2012 को रेलवे स्टेशन रसड़ा के आगे रेलवे ट्रेक पर नवजात बच्ची मिली जिसे लोगों ने रसड़ा कोतवाली में पहुंचाया। यह वाकया उक्त दिनांक को रसड़ा कोतवाली के जीडी में दर्ज है। कोतवाली का सिपाही उसे लेकर नारी संरक्षण गृह निधरिया बलिया पहुंचा किन्तु संरक्षण गृह अधिक्षिका ने नवजात को लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि हम छः वर्ष के नीचे के बच्चों को नहीं रखते। उसके बाद उस बच्ची के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है कि वह कहां गयी तथा किसके पास है।

ऐसे मामलों में नियम है कि नवजात बच्चों के लावारिस स्थिति में मिलने पर स्थानीय चाइल्ड लाइन को सूचना दी जाती है। चाइल्ड लाइन नजदीकी शिशु संरक्षण गृह को सौंप देता है। यदि कोई व्यक्ति नवजात को गोद लेना चाहता है तो दत्तक ग्रहण केन्द्र उस व्यक्ति के आपराधिक रिकार्ड की जांच करके यदि सही पाता है तो आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद उस बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति को सौंपता है।

लेकिन सारे नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन की लापरवाही कई प्रश्न खड़े करते हैं। आज मानव तस्करी जोरों पर है कहीं बलिया जनपद सहित उ0प्र0 भी इसके आगोश में तो नहीं आ गया है यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। ऐसे मामलों के उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

यह तत्कालिक विषय है। लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है। मेरा आग्रह है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की जाये।]

जनपद शामली में अवैध रूप से चल रहे मांस विक्रय केन्द्रों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली में नगर पंचायत थानाभवन के मुख्य मार्ग सहारनपुर दिल्ली रोड से ग्राम मुल्लापुर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है जिससे प्रतिदिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हजारों छात्र-छात्रायें लगभग सैकड़ों गांव से पढ़ने के लिए थानाभवन आते हैं। महोदय, उसी मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने हमजा चिकन सेंटर गुलफाम चिकन सेंटर दिलबहार चिकन सेंटर जिनमें खुलेआम मांस बेचा जा रहा है, खोल लिये हैं। जिसके कारण जहां मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानदारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर वहां से गुजर रहे छात्र-छात्राओं को भी भारी दिक्कत का सामना करने के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इन्हें हटाने के लिए कई बार छात्र-छात्रायें एवं ग्रामीण आन्दोलन कर चुके हैं और अब भी आन्दोलनरत हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहारनपुर दिल्ली रोड पर स्थित उपरोक्त चिकन सेंटर हटाये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी के तुलसी घाट में संग्रहालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय, वाराणसी एक प्राचीन नगरी है जहां पर तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की। पवित्र साहित्य रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी द्वारा काशी के तुलसी घाट पर किया गया। आज यह पवित्र साहित्य करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केन्द्र है। वाराणसी में जो भी पर्यटक, धर्मावम्बी, श्रद्धालू, जब भी बनारस आते है तो तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस जहां पर लिखा गया उस स्थान को जानना व देखना चाहते हैं परन्तु काशी में ऐसा कोई संग्रहालय अथवा स्थान चिन्हित नहीं है जहां से पर्यटकों व धर्मावम्यिों को समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु काशी के तुलसी घाट पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाय जहां तुलसीदास जी मूर्ति सहित उनके द्वारा रचित साहित्यों के साथ ही आडियों, वीडियों कैसेट उपलब्ध हो।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तुलसी घाट पर एक संग्रहालय स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की निम्न मुख्य सड़क बहुत ही जर्जर/गड़ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं हैं आये दिन दुर्घटना हो रही है जिनकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

<u>ब्लाक-इगलास</u>

1-इगलास मुरसान मार्ग से रायतपुर इमिलीया, दूरी 1.5 कि0मी0।

2-सासनी इगलास मार्ग से किशनपुर तक, दूरी 2 कि0मी0।

3-अलीगढ़ मथुरा रोड से मानचुहरा तक, दूरी 2 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-अलीगढ़ मथुरा रोड से महुआ तक, दूरी 2 कि0मी0।

5-कारास से हरिया की नगरिया तक, दूरी 1.5 कि0मी0।

ब्लाक-गोण्डा

1-गोण्डा अलीगढ़ मार्ग से नुनेरा तक, दूरी 1.5 कि0मी0।

2-गोण्डा अलीगढ़ मार्ग से बसौली तक, दूरी 3 कि0मी0।

3-पायदापुर से सढ़ा तक, दूरी 2 कि0मी0।

4-नगला बिरखू से नगला जोतू तक, दूरी 1.5 कि0मी0।

5-गोरई मांठ मार्ग से नगला घना तक, दूरी 1.5 कि0मी0।

6-गोण्डा खैर मार्ग से गिडोरा तक, दूरी 1 कि0मी0।

7-गोण्डा खैर मार्ग से डिगसारी तक, दूरी 1 कि0मी0।

ब्लाक-लोधा

1-ल्यौहर्रा से बाढोन तक, दूरी 2 कि0मी0।

2-अलीगढ़ गोण्डा रोड से मण्डला तक, दूरी 2 कि0मी0।

3-बड़ागांव अकबरपुर से बिनूपुर तक, दूरी 2 कि0मी0।

4-पिजरी चौराहा से करहला बागरी तक, दूरी 3 कि0मी0।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त गांवों के सम्पर्क ग्रामों की मरम्मत कराये जाने का मांग करता हूं।]

सन्तरविदास नगर में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त पंचायत मित्र के मूल प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में विकास ख्ण्ड अमोली के ग्राम पंचायत गुवाली में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त पंचायत मित्र (रोजगार सेवक) द्वारा ग्राम पंचायत में गरीब जनता द्वारा आवास, वृद्धा पेंशन एवं राशनकार्ड आदि बनाने के नाम पर की जा रही धन उगाही एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ग्राम पंचायत में कागजों पर कार्य कराकर लाखों रुपये का गबन किया जा चुका है जबकि ग्राम सभा में जमीन पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यो को दिखाकर सरकारी धन की बंदर बांट की जा रही है। उक्त खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये जा रहे शोषण के कारण गांव की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त पंचायत मित्र (रोजगार सेवक) एवं ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के मृत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पुत्र के मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के ग्राम वैष्णो कालोनी सेमरी रोड सेवरा सरॉय निवासी स्व0 श्री राजाराम स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पुत्र रमाकान्त वर्मा को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी न दिये जाने के कारण पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है तथा परिवार का पालन पोषण करने में काफी कठिनाई होने के कारण परिवार में काफी आक्रोश है। स्व0 श्री राजाराम स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शमसाबाद आगरा में तैनात है जिनकी मृत्यु 21-7-2009 में हो गयी थी। शासन सं0एम-61/सेक-4/पांच-2005 जी-52/05 दि0 13 अक्टूबर, 2005 में निर्णय लिया गया था कि मृतक आश्रितों को नौकरी दी जायेगी। लेकिन अभी तक मृतक आश्रित रमाकान्त वर्मा को नौकरी नहीं दी गयी है। जबकि मृतक आश्रित की पत्रावली उक्त के सम्बन्ध में शासन में सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर आ चुकी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दिये जाने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश की संयुक्त शिक्षा निदेशक की शासन द्वारा प्रोन्नति करके प्रदेश के सभी मण्डलों में संयुक्त शिक्षा निदेशक तैनात कर दिये हैं। किन्तु सहारनपुर मण्डल में नियमित संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती आज तक नहीं की जा रही वर्तमान संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत निदेशक की तैनाती नियम के विरुद्ध है। जबकि नियमानुसार मण्डल में नियमित संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती अन्य मण्डलों की भांति सहारनपुर मण्डल में होनी चाहिए थी। किन्तु नहीं की गयी जिसके कारण सहारनपुर मण्डल के शिक्षक, प्रबन्धक, कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सहारनपुर मण्डल में नियमित संयुक्त शिक्षा निदेशक तैनात किये जाने की मांग करता हूं।]

जल निगम फिरोजाबाद द्वारा लगाई गई टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित पेयजल टंकियों से पानी की सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय, निवेदन है कि फिरोजाबाद में जल निगम द्वारा निम्न स्थानों पर टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण होने के बाद 10 के0वी0 ट्रान्सफार्मर को लगाकर योजना को चालू करने की आवश्यकता है। जिन योजनाओं में ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है वह निम्न प्रकार है :--

1-खेड़ा (उलाऊ), 2-खेड़ा (उलाऊ) चक बस्ती, 3-हबीबपुर दिवाकर बस्ती, 4-अकबरपुर (हनुमान मंदिर, 5-नागऊ (जाटव बस्ती), 6-लालबेग, 7-अकबरपुर, 8-जरौली खुर्द, 9-हबीपुर जाटव बस्ती, 10-मनी गढ़ी (प्रा0पा0), 11-बुर्ज नत्थू, 12-चुल्हावली (जाटव बस्ती), 13-चुल्हावली (कुआं पर),

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

14-चुल्हावली (अम्बेडकर पार्क), 15-चुल्हावली (जाटव बस्ती), 16-बांसदानी (जाटव बस्ती), 17-बुर्ज भजन, 18-नगला गंगा राम, 19-नगला राम किशन (झोपड़ पट्टी), 20-गढ़ी दया, 21-नगला दल, 22-टूला, 23-पखरपुरा, 24-नगला सूरज, 25-नगला गढ़िया झिकाऊ, 26-नगला उम्मेद, 27-सराय नूर महल, 28-पमारी, 29-बजाईगढ़ी, 30-प्रा0पा0 पमारी, 31-नगला पुन्नू (जाटव बस्ती), 32-छितरई (जाटव बस्ती), 33-सिकराई (जाटव बस्ती), 34-मोहम्मदपुर, 35-न0 कलुआ, 36-जारखी (जाटव बस्ती), 37-जारखी बाजार में, 38-हजरतपुर, 39-नगला बरी साइनी, 40-खेरिया, 41-मदवली, 42-बदनपुर, 43-नगला जाट, 44-डेरा बजरा (कोटकी), 45-सिरौलिया, 46-तिरलोपुर, 47-कुतबपुर जारखी, 48-बनकट, 49-रामपुर, 50-राजनगर, 51-नगला रईया, 52-तिरलोकपुर (डेरा बंजारा), 53-नया बांस (साहबपुर), 54-नगला कुम, 55-मिलक (कश्यप बस्ती), 56-रेपुरा (राजेन्द्र जाटव के खेत में), 57-कार्तिकी, 58-पिपरौली।

उपरोक्त कार्य को 10 के0वी0 ट्रान्सफार्मर को लगाकर योजना को चालू कराने की सरकार से मांग करता हूं तथा सदन में व्यक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश के होम्योपैथी निदेशालय द्वारा लम्बित पड़ी फर्मासिस्टों की नियुक्ति प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उ0प्र0 होम्योपैथी निदेशालय द्वारा फरवरी, 2009 में शासन की अनुमति से कार्यहित एवं जनहित में फार्मासिस्ट के स्वीकृत रिक्त पदों का विज्ञापन किया गया। इसके सापेक्ष हजारों आवेदन-पत्र तथा लाखों रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। वैध अवैध प्रार्थना-पत्रों की वर्गवार छंटनी भी हो चुकी है। आवेदन स्वरूप के रूप में प्राप्त पोस्टल आर्डर भी भुनाये जा चुके हैं किन्तु चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया के दिशा में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे चिकित्सालयों में औषधि वितरण का कार्य बाधित है। फार्मासिस्टों की भर्ती न होने के कारण चिकित्सालयों में औषधि वितरण का कार्य वार्ड ब्याव एवं स्वीपरों से लिया जा रहा है जो अत्यन्त जोखिम पूर्ण है। अतएव आवेदकों तथा क्षेत्रीय जनता में घोर क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त फार्मासिस्ट के पदों पर शीघ्र चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने की प्रबल मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत गंगा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत गंगा नदी पर बना पुल दयाछपरा से नौरंगा तक पीपे का पुल बना हैं जो सन् एच0 31 (गाजीपुर से हाजीपुर) बिहार को जोड़ता है। यह पीपे का पुल है और जनहित में पक्के पुल के बनाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार रेवती दतहा से घाघरा नदी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग होकर सिसवन बाजार बिहार तक पीपे का पुल बनाये जाने की आवश्यकता है जिसे यू0पी0 और बिहार के लोग अपनी खेती करने के लिए दोनों तरफ आ जा सके। किसानों की ज्यादातर जमीन बिहार की है और हजारों की संख्या में यू0पी0 के लोग निवास करते हैं। उन्हें नदी पार करने में बहुत ही घटनायें होती रहती हैं और पूर्व में भी तमाम घटनायें हो चुकी हैं। यह पुल यू0पी0 बिहार को जोड़ने के लिए काफी लाभकारी होगा। यह गम्भीर विषय है जो आम लोगों से जुड़ा है तत्काल इस पर शासन को ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों एवं उनके किनारे बनी नालियों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद की निम्नलिखित सड़कों एवं नालों के क्षतिग्रस्त होने से जनआक्रोश है :--

1-राजेन्द्र नगर से0-2 की डी0 एल0 एफ0 स्कूल से लेकर 7/103 चौराहे तक की सड़क मरम्मत का कार्य।

2-शनि बाजार सुभाष पार्क से लोक प्रिय बिहार एन0 एव0 24 तक सी0सी0 रोड व नाले के निर्माण का कार्य।

3-लोधी चौक से लेकर मास्टर पार्क सोम बाजार से पहले पुस्ते एन0 एच0 24 तक सी0सी0 रोड व नाले के निर्माण का कार्य।

4-इंतवार बाजार की प्वाइट से लेकर हिमालबं इन्क्लेब होते हुए खोड़ा गांव से नोएडा रोड तक सी0 सी0 रोड व नाले के निर्माण का कार्य।

5-पसोड़ा की पुलिया से लेकर विक्रय इन्क्लेब से शालीमार गार्डन तक ना के निर्माण का कार्य।

6-भोपूरा से लेकर गरिमा गार्डन बसौड़ा से करैसड़ा से हिण्डन तक नाला का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

7-किस गेट चौकी राजेन्द्रनगर के सामने से लेकर मदर डेयरी-चौक तक नाले की सफाई व मरम्मत करवाने विषयक।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड भरूवा सुमेरपुर से देवगांव तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत भरूवा सुमेर विकास खण्ड के अन्तर्गत भरूवा-सुमेरपुर से देवगांव के बीच लगभग 4 कि0मी0 मार्ग बहुत जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं कि आये

दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस पर मार्ग से प्रतिदिन लगभग 5000 से अधिक लोगों का अवागमन होता है। भुरूवा सुमेरपुर-देवगांव, भमौरा, गहतौली, जलाला, सिमनौड़ी, पत्योरा सुरौली सहित अन्य गांवों का प्रमुख बाजार भी है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड पर दोहरी घाट मुख्य नहर की अधूरी खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान विकास सम्बन्धी विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड जनपद बलिया में दोहरी घाट मुख्य नहर आती है इस नहर से ग्राम गौरा के पास से नगरा होते हुए खनवर ताल तक एक माइनर निकली है। इस माइनर की खुदाई खनवर गांव के समीप नगरा गडवार मुख्य सड़क तक खुदाई करके छोड़ दी गयी है। शेष दो कि0मी0 तक खुदाई का कार्य शेष रह गया है। शेष भाग की खुदाई न होने से नहर में पानी का बहाव होता ही नहीं है जिससे किसानों की फसलें असिंचित रह जाती हैं। यह लोक महत्व का विषय है और जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त नहर के शेष भाग की खुदाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए अनुसेवक की पेंशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं :--

1-मान्यवर, श्री मोहन लाल यादव जो नरहरि स्मारक उ0मा0 विद्यालय पूरे तिवारी कसैलगंज गोण्डा में अनुसेवक (चपरासी) के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी उम्र वर्तमान में लगभग 80 वर्ष है। इन्होंने अक्टूबर माह में जीवित प्रमाण-पत्र भी भरा था परन्तु माह दिसम्बर से अभी तक किन्हीं कारणों से इनके खाता संख्या 11189014358 भारतीय स्टेट बैंक शाखा करनैलगंज में पेंशन नहीं आयी है।

2-मान्यवर, यह भी अवगत कराना है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 सा-3-1515/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत जो 1-1-2006 के पहले सेवानिवृत्त हो गये हैं को न्यूनतम 3500 पेंशन है इससे श्री मोहन लाल यादव को अभी तक वंचित रखा गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से श्री मोहन लाल यादव को शीघ्र पेंशन उनके खाते में भेजे जाने एवं उक्त शासनादेश का लाभ दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा भगेसर/मजरों में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 265 कोरांव विकास खण्ड कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा भगेसर है जहां पूरे ग्राम सभा/मजरों में विद्युतीकरण न होने के कारण पूरे ग्राम का विकास रूका पड़ा है चूंकि आज के युग में विद्युत एक आवश्यक आवश्यकता बनकर रह गई है उपरोक्त ग्राम सभा में सर्व समाज के लोग रहा करते हैं जहां पर विद्युतीकरण होना आवश्यक है विद्युतीकरण न होने से ग्रामवासियों तथा क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर ग्राम सभा भगेसर/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधायक के सांसद निर्वाचित होने पर उन्हें भी शिक्षक-विधायक की भांति दोहरा वेतन/पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरा है श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी का दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद पश्चिमी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के संविदाकर्मी भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं 01 अप्रैल, 2013 से समाप्त करने के आदेश जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है देखिये यह नियम 300 में नहीं आता है लेकिन इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं। तीसरी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष एवं सदस्य, विधान सभा को सदस्य बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह विधान सभा का मामला नहीं है यह बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। 82 से जब से यह योजनायें चली हैं तभी से इस असेम्बली में लड़ाई इसकी होती रही है और सबकी सहमति से हुआ है यह नहीं सुना जायेगा। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की लोहिया समग्र विकास ग्रामों के चयन का आधार सुविधाओं से वंचित तथा आर्थिक पिछड़ापन को बनाये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता है। पांचवी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा जी का अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं एवं अल्पसूचित तथा तारांकित प्रश्नों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता न होने के सम्बन्ध में है। आपने तो अब मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया हम क्या करें बताओ। नहीं, यह नहीं सुना जायेगा, बैठिये, आपके जो मन में आता है लिख डालते हैं और जो मन में आता है बोल देते हैं, बैठिये, कुछ नियम-वियम पढ़ते नहीं हैं, यह नहीं सुनी जायेगी यह सुविधाओं से वंचित, यह कहां 300 में आता है।

आप तो पीठ पर भी बैठते हैं तो ऐसे निर्णय करेंगे आपको बैठा दें 300 पर तो आप ऐसे निर्णय, आप ही बैठकर कर दीजिए तो मैं मान लूंगा।

[12.12 बजे] विधायक के सांसद निर्वाचित होने पर शिक्षक-विधायक की भांति दोहरा वेतन/पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप इसमें भारत का संविधान के अनुच्छेद-14 देख लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप तो लायें ही हैं, हम भी रखें हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अनुच्छेद-14 अब आपकी किताब में भी यही लिखा होगा वह मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अनुच्छेद-14 न बताइये सीधे-सीधे बताइये आपका क्या कहना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम यहां तो बराबरी का पालन हो । यहां जो लोग बैठे हैं, मान्यवर, शिक्षक जो हैं उनको वेतन मिलता है और उसके साथ विधायक का उनको वेतन मिलता है। अब वेतन तो दो लोगों को मिल सकता है दोहरा वेतन ले सकते हैं ले मान्यवर, मुझको उसमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु मान्यवर, जब यहां विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है वह सांसद बन जाता है राज्य सभा में या लोक सभा में तो मान्यवर, जो यहां का वेतन, मैं पेंशन की बात कर रहा हूं यहां तो वेतन प्राप्त कर रहे हैं दोनों, वहां उनको पेंशन नहीं मिलती है। कुछ गरीब लोग हैं वहां पर। मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह आर्टिकिल 14 का बीच है भारत के संविधान 14 का अगर कुछ बैठे सदस्य दोहरा वेतन ले सकते हैं तो कम से कम पेंशन और लोक सभा में वेतन ले सकते हैं भारत वर्ष के कई राज्यों में यह प्राविधान है बाकी आप तय कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, यह प्रश्न जो आप अध्यापकों का कहे हैं मैं सन् 1982 में विधायक था और मैं यह प्रश्न सरकार के संज्ञान में लाया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्रीपति मिश्रा जी ने उस पर रोक लगा दी थी तो सरकार के बहुत से मंत्री भी अध्यापक थे इधर विपक्ष में भी बहुत से एम0एल0ए0 अध्यापक थे इन लोगों ने लड़ के उसको जुड़वा दिया। अच्छा यह होता कि आप यह प्रस्ताव लाते कि एक ही ले चाहे तनख्वाह लें चाहे पेंशन लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

तब प्रस्ताव नहीं लाऊंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यही नहीं अध्यापक तो पेंशन नहीं तनख्वाह भी लेता है, एमएलए का भी लेता है। तो इस पर आप कुछ लाते तो कोई बात भी थी। यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वेतन जो शिक्षक को मिल रहा है, और विधायक के रूप में मिल रहा है अगर वह दोहरा वेतन ले सकते हैं तो पेंशन और लोक सभा की वेतन दोनों अनुचित नहीं है और कई राज्य दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके सामने यहां सरकार के लोग बैठे हैं, सबने आपकी बात सुन ली बेहतर यह हो कि एक दिन बैठकर इस पर आप लोग बात कर लें, यह अच्छा होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अग्राह्य किया सारे अग्राह्य हो गये।

(श्री बब्बन चौहान के खड़े होने पर)

अरे बब्बन चौहान जी, यह जो आप कह रहे हैं अनुश्रवण समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष एवं सदस्य, विधान सभा, मेरी समझ में।

श्री बब्बन चौहान-

मान्यवर, इसका शासनादेश है।

श्री अध्यक्ष-

शासनादेश है तो यह नियम-300 में कैसे आता है ? विधान सभा की कौन कार्य-प्रणाली बाधित हो रही है ?

श्री बब्बन चौहान-

मान्यवर, इस पर ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिये, आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, ये अब मंत्री हैं, इनको लोक सभा की पेंशन मिलती है और वेतन मिलता है। तो मान्यवर, उधर से तो गंगा आ रही है, इधर से नहीं जा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने कह दिया, सब नेताओं के बीच में बैठकर बात हो जायेगी, जो तय होगा। यह हमारा मामला नहीं है, यह सरकार का मामला है, आपने संज्ञान में ला दिया, सरकार बैठेगी, आप बैठेंगे, सब बैठेंगे तो हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, लोहिया ग्राम के संबंध में।

श्री अध्यक्ष-

उस पर इतनी बहस हो गयी, अब आप बैठिये।

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब लोक सभा का जो सदस्य है और नहीं रहे तो यहां रहने पर जब मिलता है यह बात उठी थी वहां भी लोक सभा में भी, जब सम्मानित सदस्य यहां का यहां न रहने पर पेंशन मिल रही है तो इसकी सुविधा तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप सरकार हैं, पेंशन देने का अधिकार मुझे तो है नहीं। यह तो काम सरकार का है कि वह ऐक्ट में संशोधन करे। तो आप सरकार है, कैबिनेट में बात करके इसको करा लीजिये, इसमें हमसे क्या मतलब।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी चिन्ता आपको लेकर है, कल को आप लोक सभा में निर्वाचित हो जायें, फिर क्या होगा ? मैं तो आपकी चिन्ता कर रहा हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात केवल विचार के लिये। हमने यहां जो भी सेवा सदन के माध्यम से की, वह करते रहे। आपने व्यवस्था की एक विधेयक बना करके अधिनियम बना करके, कि जो लोग पात्र होंगे उनको पेंशन दी जायेगी। पात्रता तय हुयी, यहां की स्टैन्डिंग के आधार पर, जब वह यहां पर अपनी सेवा दे चुके, अब वह कहां हैं, कहां नहीं, यह तो अलग बात है लेकिन वह पेंशन के पात्र हो गये। अब उनको वंचित करना वास्तव में सही नहीं है। अब यह तर्क जब कहीं और नहीं चल रहा, बाकी राज्यों में पेंशन दी जा रही है, इस राज्य में न दी जाये, यह भी तो उचित नहीं है। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि जब भी आपको समय हो, इस विषय पर बात कर ली जाय और बात करके इसका समाधान कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, जब सरकार के मंत्री सहमत हैं तो मैंने आपसे कहा कि आप लोग इसको कैबिनेट में बात करके करा लीजिये, विधान सभा के माध्यम से तो केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया, आपसे मैंने कह भी दिया कि सरकार के एक मंत्री जी ने भी कहा कि देना चाहिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

संसदीय कार्य मंत्री जी राज्य सभा के सदस्य रहे हैं, इनको मिल रहा होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी यह सूचना है कि मिल रहा होगा और मैं यह सूचना दे दूं कि गलती से कुछ मिल गयी थी शुरू में, तो उसे वापस करना पड़ा, कैसे मेरे जैसे गरीब आदमी ने वापस किया होगा यह सोचिये। कुछ नहीं मिलता है मान्यवर।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री ओम प्रकाश जी की ओर इशारा करते हुये)

श्री अध्यक्ष-

उनको मिलता है। अब यह हम नहीं जानते। अब आपस में बैठकर बात होगी।

[12.18 बजे] उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012, जो प्रक्रिया नियमावली के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2013 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो प्रक्रिया नियमावली के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2013 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो प्रक्रिया नियमावली के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया ।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012, जो प्रकिया नियमावली के नियम-150(1) के

अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19, मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2012, जो प्रकिया नियमावली के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2013 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19, मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19, मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

[12.20 बजे] जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगपुर पुल से गड़रियन पुरवा होते हुए बृजेन्द्र यादव के आवास के पास ग्राम मूड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृज किशोर आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अध्यक्ष-

श्री अवस्थी बाला प्रसाद जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगपुर पुल से गड़रियन पुरवा होते हुए बृजेन्द्र यादव के आवास के पास ग्राम मूड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृजेश किशोर व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम ऐरा खमरिया शुगर मिल के मुख्य मार्ग वाया सरैया से नौरंगपुर पुल से होते हुए ईसानगर पेट्रोल पम्प तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेम नारायण सिंह आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम ऐरा खमरिया शुगर मिल के मुख्य मार्ग वाया सरैया से नौरंगपुर पुल होते हुए ईसानगर पेट्रोल पम्प तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित सरकारी नलकूप में विद्युत कनेक्शन कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री चेतराम आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित सरकारी नलकूप में विद्युत कनेक्शन कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री चेतराम व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मसिंह सैनी जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

जनपद सहारनपुर के मुख्य मार्ग सहारनपुर मुख्यालय से सुल्तानपुर चिलकाना तक लगभग 5 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संदीप कुमार सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सहारनपुर के मुख्य मार्ग सहारनपुर मुख्यालय से सुल्तानपुर चिलकाना तक लगभग 5 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री सन्दीप कुमार सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के ग्राम सोना में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरण सिंह आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के ग्राम सोना में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम कपूरी खेड़ा, अफगान एवं वान्दूखेड़ी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम कपूरी, खेड़ा अफगान एवं वान्दूखेड़ी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के नगरपालिका सरसवां में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के नगरपालिका सरसवां में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के तहसील एवं कस्बा नकुड़ में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री अनिल सैनी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के तहसील एवं कस्बा नकुड़ में डिग्री कालेज बनाये जाने विषयक श्री अनिल सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम पंचायत शेखपुरा में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम पंचायत शेखपुरा में 33/11 के0वी0ए0के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि एवं समस्त सामग्री उपलब्ध होने के उपरान्त भी विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने विषयक श्री राजेश राणा आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि एवं समस्त सामग्री उपलब्ध होने के उपरान्त भी विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने विषयक श्री राजेश राणा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

[12.25 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7, 8 व 9 में कुछ नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी एक कार्य-स्थगन की सूचना हमारी भी है।

श्री अध्यक्ष-

वह संज्ञान में है। आज 23 सूचनाएं हैं अगर इन सबको लेंगे तो बजट कब पास होगा।

आप बता दें। एक-दो जो महत्वपूर्ण होती हैं, वही ली जाती हैं। आप तो विज्ञ हैं, 23 सूचनाएं हैं, आप बताइये कि मैं क्या करूं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हाउस है, देर तक चल जायेगा क्या हर्ज है, दो ही दिन का तो हाउस है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सबकी सूचना है, इसी में लिखा है और जो आपने विषय दिया वह भी मैंने पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंधेरे में है, हम सब जानते हैं अब एक क्रम से लेने दीजिए, इसका भी एक टाइम है। माननीय हुकुम सिंह जी की सूचना है कोई छत से कूद पड़ा तो उसकी भी सूचना है।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, कोई नहीं कूद पड़ा, आप लें या ना लें, मैं उस पर बोलूंगा भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई कूद पड़ा वाली बात नहीं है, एक महिला के साथ रेप करने का होटल मालिक ने प्रयास किया, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए होटल से कूद गई तो यह केवल कूद पड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपने समय पर बोलियेगा, उसे ले लिया गया है। आप सुन लीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है वह अपने समय पर कहियेगा। आपका नियम-56 में है आपको जो कहना होगा उसी समय कहियेगा।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रथम दो सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री वीरपाल राठी, श्री तेजपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजबली जैसल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैइया, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री उमाशंकर, श्री लोकेश दीक्षित, श्री मो0 आसिफ जाफरी एवं श्री दीपक पटेल की दिनांक 19-03-2013 को जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव नौगांव निवासी श्री जितेन्द्र सिंह को पुलिस द्वारा किसानों से अवैध वसूली न देने पर गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इसमें एक माननीय सदस्य आप में से बोल लें और एक माननीय सदस्य माननीय मौर्या जी के दल से बोल लेगा। जो बोलना चाहें आप बता दें एक माननीय सदस्य बोल लें।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय तेजपाल सिंह के क्षेत्र का प्रकरण है। हमारी तरफ से तेजपाल सिंह बोलेंगे, मैं चाहूंगा कि कृपया इसे विस्तार से सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, बड़ी दुःखद घटना कल हुई है। शेरगढ़ थाना पड़ता है जनपद मथुरा में। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि किसान की इस समय कैसी स्थिति है, किसान कैसे जिन्दा है और किसान को जो मूल्य मिल रहा है उससे उसकी लागत नहीं निकल पा रही है, इसलिए किसान कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसको लागत का मूल्य मिल जाये, कुछ आमदनी हो जाए। मान्यवर, कल सुबह की बात है सात-साढ़े सात बजे की, तीन किसान जिनमें से एक जितेन्द्र था, एक गोपसिंह था और एक बच्चू सिंह था। तीनों ट्रैक्टर से, जो टूड़ी होती है सरसों के लाये का जो भूसा होता है, उस टूड़ी को ले जाते हैं, क्योंकि टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत रोक लगी हुई है, भट्ठे उधर नहीं हैं और वह टूड़ी भट्ठों में काम आती है ईंट पकाने के, यह लड़के टूड़ी का ट्रैक्टर ले करके जा रहे थे नौझील की तरफ वहां वह टी0टी0जेड0 के बाहर का एरिया है इसलिए वहां पर भट्ठे लगे हुए हैं। यमुना पर शेरगढ़ का एक पुल बना हुआ है वहां पुलिस के सिपाही वसूली करने के लिए खड़े होते हैं और रात भर वसूली करते हैं उनकी फीस बंधी हुई है सौ रुपए, यह वह हर ट्रैक्टर-ट्राली से लेते हैं। मान्यवर, जब वह लड़के ट्रैक्टर-ट्राली ले करके जाते हैं, मांगने पर उसने 100 रुपए निकाल करके उन सिपाहियों को दे दिये, इसके बावजूद सिपाहियों ने कहा कि नहीं 100 रुपए नहीं और दो, 200 रुपए हम लेंगे। इतने में वह लड़का ट्रैक्टर ले करके चल दिया, मान्यवर, उसके पीछे तीनों-चारों सिपाही मोटर साइकिल ले करके दौड़ते हैं ट्रैक्टर रुकवाने के लिए और मान्यवर, बड़ा अफसोस उस समय हुआ जब उसने ट्रैक्टर नहीं रोका तो उन सिपाहियों ने उस 22 साल के लड़के जितेन्द्र को गोली मार दी जिससे जितेन्द्र वहीं खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद जो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस इस समय ऐसी हो गई है, इस समय कुछ सुन नहीं रही है, लॉ एण्ड आर्डर का कोई मतलब नहीं रह गया है, पुलिस को किसी का भय या डर नहीं है। तभी एक ट्रक आ जाता है और मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि उन सिपाहियों ने उस डेडबाडी को उस ट्रक में लाद दिया और उससे कह दिया कि इसको कहीं बाहर फेंकना। हम तो ट्रक वाले का शुक्रिया करेंगे कि उस भले आदमी ने पटेल चौक पर, शेरगढ़ में एक पटेल चौक पड़ता है जहां सरदार पटेल की मूर्ति लगी है, उस पटेल चौक पर लाकर उस डेडबाडी को रख दिया और उन लोगों को बता दिया कि ऐसे-ऐसे किस्सा हुआ है, पुलिस ने यह कर दिया है। उसके बाद मान्यवर, गांव में आसपास नौग्राम लगा हुआ है, बड़ाग्राम है, जहां का वह 22 साल का लड़का था, वहां के लोग आ गये, उसके बाद आसपास के गांवों के लोग सूचना पाकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पहुंचते हैं। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि पुलिस के उन सिपाहियों ने थाने में भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। वहां थाने से एस0ओ0, थानेदार और सिपाही वगैरह आ जाते हैं। गांव के लोगों ने यह जानकारी करना चाही कि किस तरह से लड़का मर गया, क्या हुआ तो उन्होंने कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया है जबकि एक्सीडेंट जैसी कोई घटना थी ही नहीं। उसके बाद जब उन लोगों ने बाडी ले जाने की बात कही और यह कहा कि एक्सीडेंट नहीं है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, हमें बताओ, तो पुलिस ने डंडे चलाना शुरू कर दिया और जब डंडे चलाना शुरू कर दिया तो भीड़ और इक्ट्ठी हो गयी। पुलिस दबाव में आ गयी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी और 7 आदमियों को गोली लगी। उनमें से भी एक दूसरा लड़का बाबू जिसकी उम्र 20 साल है। अफसोस इस बात का हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप मुख्य बात पर आईये।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, सुन लें, मेरी पीड़ा है। बाबू कल ही खत्म हो गया और पुलिस झूठे बहाना करके ले जा रही थी कि आगरा में हमने भर्ती करा दिया है, रिफर कर दिया है। आगरा में वेंटीलेटर मशीन पर लगा दिया, घरवालों को दिखा रहे हैं कि सांस चल रही है अभी तो जिन्दा है। जब उसके बाद बातचीत हुई तो कहा कि मशीन को हटाओ हम तब देखेंगे, जब मशीन हटायी तो पता चला कि वह तो कल ही मर गया था। मान्यवर, जो 6-7 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक की हालत इतनी खराब है कि पता नहीं कब वह भी मर जाए। पुलिस इतने बहशीपन पर आ गयी है। यह स्थिति होती जा रही है। तो हमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि मृतकों को पांच-पांच लाख रुपये देंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपये देंगे। मान्यवर, दुर्भाव हो रहा है। निर्दोष, बेकसूर, निहत्थे किसान पुलिस की गोली से मारे जा रहे हैं उनको पांच-पांच लाख रुपया देंगे और दूसरी जगह जहां जरा सी मौत हो जाती है तो उनको 20-25 लाख रुपया आज दे रहे हैं तो यहां इस तरह का दुर्भाव क्यों हो रहा है ? पुलिस के द्वारा मारे जाने पर। आप बात पूरी हो जाने दें। मान्यवर, सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है हम इस सदन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जिन पुलिस कर्मियों ने यह कार्य किया है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया जाए और पुलिस पर कण्ट्रोल नहीं रहा आज सिपाही इस तरह का कार्य करेंगें कि निहत्थे किसानों को मार देंगें, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। केवल इतना अपराध है कि पुलिस जो अवैध वसूली कर रही है उसने 100 रुपये रोजाना की भांति दे दिये और 200 रुपये मांगने पर नहीं दिये तो उसको गोली मार दी जायेगी। यह कानून-व्यवस्था की स्थिति है, कैसे यह प्रदेश चलेगा ? हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि जब आपने यह कर दिया है कि किसी परिवार के मरने पर 20 और 25 लाख सरकार की तरफ से दिया जाता है, एक परिवार को नौकरी दी जाती है तो वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गयी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए तो इसमें हमारी आपसे विनती है और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज वहां पर बहुत बड़ा बवाल फिर हो रहा है। बाबू जो कल वहां मर गया था उसको छिपाकर रखा उसको लोग आज नेशनल हाई-वे-2 पर लेकर बैठे हैं

और दिल्ली-आगरा नेशनल हाई-वे को जाम कर दिया है। तो मान्यवर, यह किसानों के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, विश्वास उठ रहा है। अगर विश्वास उठ जायेगा तो प्रदेश कैसे चलेगा ? इस पर हमारा आपसे अनुरोध है कि इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा लें और आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, बहुत जरूरी है, सरकार यहीं इस सदन में घोषणा करे 5-5 लाख से काम नहीं चलेगा, जवान लड़के पुलिस की गोली से मरे हैं, एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, एक्सीडेंट में मर जांए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, आपकी बात आ गयी।

श्री तेजपाल सिंह-

लेकिन जवान-जवान लड़के पुलिस की गोली से मार दिये गये, 6-7 आदमी पुलिस की गोली से घायल हैं। मेरी मांग है कि जब सबको 20-25 लाख रुपये दिये जा रहे हैं तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, पांच लाख रुपये से काम नहीं चलेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपने अपनी बात कह ली, बहुजन समाज पार्टी ने भी इसी विषय पर सूचना दी है, उनको भी बोल लेने दीजिए।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, बहुत ही गंभीर घटना है और दो नवयुवकों की मृत्यु पुलिस की गोली से हो चुकी है। जो मुआवजे की घोषणा की गयी है वह बहुत कम है इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये दिये जांए तथा मृतक के परिवारों में एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए।

(इसी बीच श्री दलवीर सिंह, श्री तेजपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश व श्री सुदेश शर्मा सहित राष्ट्रीय लोकदल के अनेक मा0 सदस्य सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये। सरकार का जवाब तो आ जाने दीजिए।

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

जब आपने अपनी बात कह दी सरकार की बात भी तो आने दीजिये। बहुजन पार्टी ने भी इसी पर नोटिस दिया है, इनको भी बोल लेने दीजिये।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, ऐसा भेदभाव क्यों बरता गया सरकार की तरफ से। जरा भी संवेदनशील नहीं है सरकार।

श्री अध्यक्ष-

यह काम आप वहां से करिये। यहां क्यों बैठते हैं। यही काम कुर्सी पर बैठ कर करिये यहां क्यों ? हमसे क्या सरकार से आपने अपनी बात कह ली सरकार का जवाब सुनना चाहिए कि नहीं ? सरकार का जवाब नहीं सुनेंगे ?

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल से ही बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग ऐसे बैठे हैं, बैठे रहिये। तेजपाल जी आप तो इतने सीनियर मेम्बर हैं, मिनिस्टर रहे हैं। सरकार की कोई बात आने देंगे कि नहीं ? आपने अपनी बात कह दी अब सरकार की बात भी तो आने दीजिये। यह तरीका ठीक नहीं है। आपकी नोटिस पर दूसरे दल ने भी नोटिस दी है, आप उनको बोलने नहीं देंगे ? यह तरीका ठीक नहीं है। आपने जब अपनी बात कह दी ? तो दूसरे दल ने भी उस पर नोटिस दिया है तो उनको भी कह लेने दीजिये। इस पर सरकार का जवाब आ जाय तब कुछ कहिये। आप तो पहले ही यहां आ गये। मौर्या जी आप बोलिये, यह लोग बैठे रहेंगे, मानेंगे नहीं। आप बैठे रहिये, हम भी बन्द नहीं करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा।

श्री तेजपाल सिंह-

पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल जाम कर देगा।

श्री अध्यक्ष-

भई आपने बात कह दी, सरकार का भी कुछ सुनेंगे ? मौर्या जी ने भी नोटिस दिया है, उनका सुनेंगे कि नहीं। चलिये अपनी सीट पर चलिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बस इतना निवेदन है यहां तो यह फिर भी आ सकते हैं। मैं इनका जवाब दे लूं पहले।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी को बुला लिया है, पहले इनको बोलने दें, इनका भी वही प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

ठीक है मान्यवर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है क्योंकि जब कानून के रखवाले ही कानून से खिलवाड़ करने लगेंगें तो स्वाभाविक रूप से कानून से लोगों का विश्वास उठेगा। मान्यवर, जनपद मथुरा के शेरगढ़ थाने के अन्तर्गत जो नौगांवा गांव के नौजवान जितेन्द्र के साथ जो घटना घटी

उसको हमारे माननीय सदस्य लोकदल ने विस्तार से बता दिया है हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। यह प्रकरण मान्यवर पूरा का पूरा अवैध वसूली के चक्कर में हुआ और मनचाही अवैध वसूली न मिलने के नाते से जिस तरीके से यह कानून के रखवाले कानून को धता बताते हुए दौड़ाया गोलीबारी की और गोलीबारी से उस नौजवान की मौत हुई और इसके बाद मान्यवर, तथ्यों को भी छिपाने का प्रयास किया गया। उस लाश को अस्तपाल भिजवाने के बजाय, थाने लाने के बजाय उसको ट्रैक्टर पर लाद कर गायब करने की कोशिश की गई। यह तो ट्रक का ड्राइवर और उसकी ईमानदारी काम आई कि शहर के मुख्य चौराहे पर उतारते हुए यह बताया कि पुलिसवालों ने इस प्रकार का हादसा किया। मान्यवर, आक्रोशित भीड़ थाने पर गई वहां पर भी अगर पुलिस सूझ-बूझ से काम लेती तो हम समझते हैं कि जो बड़ा बवाल हुआ वह नहीं होता। समय रहते इस पर नियंत्रण किया जा सकता था लेकिन वहां पर भी पुलिस ने सूझ-बूझ का परिचय न देते हुए गोलीबारी का काम किया। और उस गोलीबारी के फलस्वरूप भी बाउला नामक व्यक्ति की मौत होती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि उसकी गोली लगने से अस्पताल जाते समय ही मौत हो गई थी लेकिन इस पर पर्दा डालने के लिये वहां स्थानीय प्रशासन ने उसको वेन्टीलेटर पर रखकर किसी तरह से जिन्दा बताने की कोशिश की तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दो चीजें संज्ञान में लेने की बात है। एक तो जब पहले ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई तो वेन्टीलेटर पर क्यों रखा गया ? इसके पीछे क्या साजिश थी ? दूसरी चीज अवैध वसूली करने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं और जिन लोगों ने थाने पर भीड़ पर गोली चलाई जिससे बाउला की मौत हुई, इन सारे पुलिसकर्मियों को केवल सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर करके सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो। चूंकि यह सीधे-सीधे इसमें पुलिसकर्मियों की गलती से यह हादसा हुआ है इसमें नैसर्गिक न्याय कहता है कि सरकार को भरपूर सहायता जैसा कि माननीय सदस्य लोकदल ने चूंकि उनके क्षेत्र की घटना है, इसलिये उन्होंने विस्तार से बताया है उसका संज्ञान लेते हुए अधिकतम मुआवजा देने का कष्ट करें और बहुत ही गम्भीर है उतनी ही गम्भीरता से इस प्रकरण को लिया जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर है, बहुत अफसोसजनक है, बहुत शर्मनाक है और एक जिम्मेदार सरकार के लिए इससे ज्यादा नदामत की कोई बात नहीं हो सकती है कि पुलिस जो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए, उनकी सेवा के लिए हो, हमारे यहां जो पुलिस का स्वरूप है वह बहुत अच्छा नहीं है और लोग उनको देखकर बहुत खुश नहीं होते है, बल्कि, अक्सर तो अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं, पुलिस की वर्दी को देखकर, पुलिस जिससे लोगों को यह इत्मिनान हो कि अब हमारी तकलीफ, हमारी प्राब्लम, हमारी समस्या, दूर होगी, लोग उनसे दहशतज़दा होते हैं, दहशत से तो समाज खुश नहीं रह सकता है। मेरे पास इसकी निन्दा के लिए कोई शब्द नहीं हैं और मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं। पैसा भी उसकी भरपाई नहीं है। थोड़ा सा समय दे दें, ताकि यह ठीक से मालूम हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई विस्तृत सूचना नहीं है मौके की, किसने गोली चलाई है, किसकी गोली से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। सरकार इससे सहमत है कि जिसकी गोली से मौत हुई है उस पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं।)

उसे जेल जाना चाहिए। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों का जितना जुर्म है उनके जुर्म के हिसाब से उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और मैं फिर इस बात पर बल देता हूं कि ऐसे सभी पुलिसकर्मी और अफसरान जिनकी तीन बार उनकी निष्ठा और काम करने का तरीका संदिग्ध हो गया हो, तीन बार सस्पेंड हुए हों, उनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं।)

इस वाक्ये की निन्दा ही कर देने से काम नहीं चलेगा। सख्त कार्यवाही होगी बहुत सख्त कार्यवाही होगी। हद यह है कि नेशनल हाइ-वे पर जितने वसूली के गेट्स लगाए गए हैं वह हमारे कन्ट्रोल में नहीं आता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ठेके होते हैं और वह बहुत पहुंच के लोग होते हैं, अगर उनके आप रिकार्ड्स निकालकर देखें तो अंदाजा होगा कि किस तरह के लोगों को ठेके मिलते हैं।

(शोर)

मेरी बात तो पूरी सुन लें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वहां भी जो तरीका इख्तियार हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन गेट्स पर जिनके विधिवत ठेके होते हैं नेशनल हाइ-वे पर पी0डब्लू0डी0 के रूल्स हैं कि रम्बल स्ट्रिप्स नहीं बनाए जा सकते हैं बड़े संगीन हादसे होते हैं अचानक जो लोग अपने गांव के आगे रम्बल स्ट्रिप्स बना देते हैं बहुत ऊंचे-ऊंचे, मालूम हुआ कि मोटर साइकिल से मियां बीबी जा रहे हैं, बीबी कूदकर पीछे गिर गईं, मर गईं और दस किलोमीटर बाद शौहर को जाकर यह पता लगा कि बीबी मर गई। मैं यह कह रहा हूं कि हमारी नज़रें बहुत कम जा रही हैं इन बातों पर, दो-दो बार गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है रम्बल स्ट्रिप्स की वजह से और गाड़ियां रुक जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दुश्मन ऐसी जगहों पर अपनी दुश्मनी निकालते हैं रेलवे क्रासिंग पर दुश्मनी निकालते हैं। यह बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन सब पर एक विचार की जरूरत है कार्यवाही के बारे में तो मैंने कह ही दिया कि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसकी बन्दूक से गोली निकली है और मौत हुई है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा, उसकी गिरफ्तारी, उसे जेल जाना, उसके अलावा भी जिसने जिस लेबल का जुर्म किया है उनके खिलाफ उतनी ही कड़ी कार्यवाही होगी। बहुत अफसोसनजक है, जहां तक मुआवजे की बात है इस संबंध में मैं नेता सदन से बात करूंगा मुआवजा बढ़ाने के सिलसिले में।

श्री तेजपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा, उसी मौके पर एक और दुःखदपूर्ण बात हुई है। एक जिम्मेदार अधिकारी पुलिस का, मथुरा जनपद का, एक नेता से यह कहता है, उसको मोबाइल में फीड कर लिया है, वह यह कह रहा है कि 'अरे तू क्यों आया है', जाति विशेष का नाम लेकर यह कह रहा है कि 'तू यहां क्यों आया है, यह तो ठाकुरों के मरे हैं, तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों आया है ? उसके खिलाफ भी मान्यवर, कार्यवाही होनी चाहिए। उसके सबूत हम दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब जांच होगी, तब होगा, अब कुल यहीं फैसला हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और मैं फिर कह रहा हूं कि आप सबको यह समझना चाहिए कि इन तमाम मामलों से जो कुछ हो रहा है, हमारी तमाम कोशिशों पर

पानी फिरता है। जो कुछ हम अच्छाई के काम कर रहे हैं, जितना समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, लोगों की गरीबी दूर करने का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, कमजोरों के लिए, रिक्शावालों के लिए, वह सारी हमारी स्कीम्स और सारे काम एक तरफ रह जाते हैं, जब इस तरह की छवि सरकार की बनकर आती है और इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। हमें खुद बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, हमारे सारे किए हुए कामों पर पानी फिर जाता है, इन वाकयात से। हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे, इसमें जांच होने दीजिए और जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री तेजपाल सिंह को सुना, मौर्या जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना पंकज कुमार मलिक की है, मलिक जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, कुछ किसान संगठन और किसानों द्वारा मेरठ कमिश्नरी पर पिछली 26 तारीख से धरना दिया जा रहा है। मान्यवर, बहुत छोटी बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा, जब जुगाड़ का मामला आया, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का, न्यायालयों के आदेश का पालन किया और तुरन्त जुगाड़ पर रोक लगाने का काम किया कोर्ट के आदेश का पालन किया इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा, अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, एक गन्ने का मामला है, लखनऊ बेन्च से 29-08-11 में रिट संख्या-5287 पर एक फैसला दिया गया। मान्यवर, गन्ना आयुक्त को उस आदेश का पालन करना था। वर्ष 2009-10 में 185 और 260 प्रति कुन्तल के भाव से जो भुगतान गन्ना किसानों को दिया गया, उसे 260 रुपये की दर से कराये जाने का और इसमें जो अन्तर था, उसे 2 माह में दिलाने का आदेश किया गया। उसका मान्यवर, कोई अनुपालन नहीं किया गया। यह जो धरना चल रहा है, यह सरकार के खिलाफ नहीं है, कतई भी सरकार के खिलाफ नहीं है, बस उनकी पीड़ा यह है कि जो दो आदेश कोर्ट द्वारा किए गए हैं, गन्ना किसानों के हित में, उनका अनुपालन होना चाहिए। मान्यवर, दूसरा आदेश लखनऊ बेंच से ही रिट संख्या-6429/12 पर आया जो 06-08-12 में आदेश हुआ है, उसमें गन्ना भुगतान में 15 दिन के विलम्ब पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाया जाना था। मान्यवर, उस आदेश की वह खुली अवहेलना कर रहे हैं। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह सरकार कार्यरत है, प्रयासरत है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके सम्बन्ध में कुछ जरूर कह दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, आश्वासन हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये माननीय प्रदीप माथुर जी और मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी, आपने नियम-56 में दिया था। यह पांच साल पहले की घटना है इसको नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए इसको नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है। वक्तव्य आ जाएगा उसका उत्तर आपको मिल जाएगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

आपने नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन यह मामला 5-6 साल का नहीं है। यह मामला न्याय, संविधान और मानवता का है। दिनांक 12-13 जून, 2007 को श्री मणिप्रसाद सी0ओ0 कलेक्टरगंज कानपुर एक इनामी बदमाश को लेकर मुठभेड़ करके ला रहे थे। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गये और उनकी मृत्यु हो गयी। तब से लेकर आज तक उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका पाठक उनकी दो नाबालिग पुत्रियां हैं वह लगातार प्रयास कर रही हैं और आज तक न तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिली। न ही कोई मुआवजा मिला। यह मामला केवल पांच साल पहले का नहीं है। पिछली सरकार ने क्या किया उनकी क्या नीयत रही यह नहीं मालूम। लेकिन वर्तमान सरकार की नीयत रहमदिली की है और जमूरियत में जज्बे की है। आज ही मुझे पता चला कि हमारे जो सी0ओ0 साहब शहीद हुए थे उनकी पत्नी को ओ0एस0डी0 की नौकरी मिल गयी। यह भी एम0ए0, एम0एड0 हैं पढ़ी लिखी हैं। यह भी सी0ओ0 की पत्नी हैं। यह भी इनामी बदमाश को पकड़कर मुठभेड़ करके ला रहे थे और दुर्घटना में वह भी मरा यह भी मर गये। यह शहादत है। उस शहादत को किसी धर्म जाति और भेद के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए शहादत को शहादत मानते हुए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा जो कि बहुत रहमदिल हैं और सही बात को हमेशा सही कहने वाले चाहे सदन में हो या सदन के बाहर। उनका जज्बा रहा है, इस सरकार का जज्बा जमूरियत में रहा है। मेरी आपसे अपील है कि नियम-51 में पता नहीं कब वक्तव्य आएगा क्या होगा ? आज 6 साल हो गया। इस पर कोई निर्णय हो जाये। उनकी भी योग्यता ओ0एस0डी0 पद की है और इस सम्बंध में डी0जी0 पुलिस ने पहले लिखा था, न्यायालय ने भी कहा है अब इनको गृह विभाग कह रहा है कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाइये और 10 किमी0 जाकर अपनी दौड़ की परीक्षा दीजिए। इनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात की जा रही है। एक महिला जिसके पास खुद दो नाबालिग बच्चे हैं जो खुद 44 साल की हो गयी है। जिनके श्वास का रोग है उनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात की जा रही है। यह एक असमानता है। मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाकर यह अनुरोध करता हूं कि इनको मानवीय आधार पर नियुक्ति प्रदान करें।

मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें अगर माननीय सदस्य इजाजत दें तो नेता सदन से बात कर लेंगे और यह जरूरी नहीं है कि पुलिस में उनका एडजस्टमेंट हो उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर कहीं और भी अगर हो सकता हो। मैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी से अलग से भी चाहूंगा कि वह इस पर बात कर लें। कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। इस पर बात कर लेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मैं आपसे बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तो मैंने आपकी इस सूचना को जो नियम-51 में परिवर्तित किया था उस नियम-51 को मैं निरस्त कर देता हूं। मैंने इस सूचना पर माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मात्र एक घटना मात्र रही होती तो मैं संभवतः इस विषय को लाता ही नहीं। मान्यवर, जो भी पर्यटक भारतवर्ष में आता है अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में आता है। और वह यहां घूमने के बाद यहां का इम्प्रेशन लेकर जाता है। कुछ दुर्भाग्य यह रहा कि लगातार प्रदेश में घटनायें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक घटना घटी उसका बहुत गलत संदेश गया वहां की सरकार ने कार्यवाही की। यह घटना जो आगरा की है। एक विदेशी पर्यटक महिला आगरा आती है पेशे से डाक्टर है। होटल में रुकती है और होटल का मालिक या मैनेजर जो भी हो उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वह महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदती है। उसकी जान भी जा सकती थी। प्रश्न यह है कि बलात्कार के बारे में कल संसद में चर्चा चल रही थी और सभी दल और नेता चिंतित थे। पूरा देश इस विषय को लेकर चिंतित और आन्दोलित भी है और इसके साथ-साथ घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। कानून बन जाएगा तो लगता है कि वह कानून भी निष्प्रभावी रहेगा। हमें मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव दे रहा हूं।

जो होटल जिसमें हमारा विश्वास होता है, विश्वास के कारण जाकर आदमी वहां पर ठहरता है कि वहां हम सुरक्षित रहेंगे, दो दिन रुकेंगे, तीन दिन रुकेंगे। हम छोट-छोटे हथियार का लाइसेन्स देने के लिए जांच कराते हैं और लोगों की भी जांच कराते हैं, इन होटलों को लाइसेंस देने से पहले कोई जांच नहीं होनी चाहिए क्या, जो आदमी वहां पर जिम्मेदारी के पद पर बैठा है उसके आचरण की जांच नहीं होनी चाहिए क्या और अगर जांच हो गई होती, क्योंकि इस होटल में यह पहली घटना नहीं है मान्यवर, इससे पहले भी महिला के साथ में वहां पर घटना हो चुकी है, ड्राइवर ने बद्तमीजी करने का प्रयास किया और इसके बावजूद भी होटल का लाइसेन्स निरस्त क्यों नहीं हुआ है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बलात्कार के प्रयास का प्रकरण और वहां की पुलिस 354 का मुकदमा कायम करे और 354 में उसको जेल भेजे। खैर आज आई0जी0 का बयान आया कि धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस की मानसिकता का सबसे बड़ा द्योतक यही है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी एक विदेशी महिला जो इंग्लैण्ड से आई थी डाक्टर थी उसके साथ में एक बेहूदे आदमी ने बलात्कार करने का प्रयास किया, इसमें तो तुरन्त प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी, हालांकि उसको जेल भेजा, उस होटल का लाइसेन्स रद्द होना चाहिए, उस होटल का मालिक जो भी है, जो दिल्ली में कहीं रहता है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे होटलों के संचालन की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आप इससे, इतर कुछ बोलेंगे ?

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

जी मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चितरूप से यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल उलट आचरण है और यह भी सही है कि जो भारत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सभ्यता और संस्कृति और यहां के जो दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आते हैं, वह बहुधा इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण उनको बहुत दुःख पहुंचता है और भारतीय लोगों का भी सिर शर्म से झुक जाता है, तो ये भी वैसा ही प्रकरण है, जैसा कि मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि कल मातृ शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत कुछ लोक सभा में हुआ और ठीक उसी दिन एक होटल मालिक के लड़के द्वारा उसको फ्री मसाज करने का प्रलोभन दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह सब तो मा0 हुकुम सिंह जी बोल चुके हैं, अच्छी तरह से ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, यह नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष-

अब यह नहीं बोले, लेकिन सब अखबार में पढ़ कर जान गये हैं, यह सब कह कर सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

और दुःखद पहलू यह भी है मान्यवर, जब उस महिला ने इन्कार किया तो भोर में चार बजे जो होटल में दूसरी चाभी थी, उससे वह कमरा खोल कर के कमरे में प्रवेश करता है और उस महिला से दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, जिससे वह महिला घबड़ा कर के, परेशान होकर के कूद जाती है, दुःखद पहलू यह है और मैं यह समझ रहा हूं कि अभी-अभी मा0 संसदीय मंत्री जी जो एक संवेदनशील मंत्री हैं और उन्होंनें जो कुछ कहा वह बहुत ही दुःखद है कि इस प्रकार की घटनाओं से अगर सरकार का सिर झुकता है, तो हम भारतीयों का भी सिर झुकता है कि हम कैसे लोग हैं, कैसी हरकत करते हैं, अपने यहां जो लोग आते हैं, तो निश्चितरूप से यह हमारा नैतिक पतन भी है और इस पर हम लोगों को भी विचार करना चाहिए और मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि यह कार्य-स्थगन की सूचना है, बिल्कुल अविलम्बनीय है और सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और जो इसके लिए दोषी है, उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात को आपने कहने से रोका चौधरी साहब को, वह बात कहे बगैर वह माने नहीं, क्योंकि यहां बहुत सी महिला सदस्य भी बैठी हुई हैं और गैलरी में भी हमारे लोग रहते हैं, तो वह चीज जो सबको मालूम है उसका यहां तस्करा नहीं होना चाहिए था। आपने खुद भी बार-बार कहा है कि इससे भारतीय संस्कृति बदनाम होती है और भारतीयों का सिर भी झुकता है और यह बात सदन में सभी जिम्मेदार सदस्यों ने, सभी नेताओं ने कही है कि कैसे सुधार आये, इसके लिए कोई कानून नहीं बनता और कोई कानून इन चीजों को रोक नहीं सकता, ये एक सच है, चाहे आप इस पर बाद में सरकार को दोषी ठहरा लें, लेकिन इन चीजों के लिए कोई कानून नहीं बनता, इसके लिए जब तक खुद समाज जिम्मेदारी नहीं लेगा और यह नहीं सोचेंगे तो हम किस तरह से समाज गन्दा कर रहे हैं। एक तरफ पार्लियामेण्ट का कानून बन रहा है। पार्लियामेण्ट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें बहस हो रही है और कई दिन पहले से जब ये प्रपोजल कैबिनेट के सामने जाना था और नेताओं की सहमति चाहिये थी कि 18 साल से उम्र घटाकर 16 साल कर दी जाये तो

इसमें भी मैं किसी को दोष नहीं देता लेकिन क्योंकि अखबार हों, चैनल्स हों, मीडिया हों, कुछ ऐसा माहौल और टीवी पर खासतौर से कि अब शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये 18 साल नहीं, 16 साल की उम्र कर दी गयी है। जो खबरें आयी हैं और देखने को मिला, जिस तरह की बैकग्राउण्ड में तस्वीरें दिखायी गयीं, वो ब्लू फिल्म से ज्यादा गन्दी थीं। अगर किसी ने देखीं हों, हमने सुना है और कुछ ये साबित करने की कोशिश की गयी कि अब 16 साल की उम्र में ये काम गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, इसकी इजाजत है। मंशा ये नहीं होगी लेकिन जो इम्प्रेशन गया उस खबर का और जो बराबर 10-15 दिन से दिखायी गयी और अभी भी दिखायी जा रही है कि अब यौन सम्बन्ध कायम करने के लिये 18 साल से घटाकर उम्र 16 साल कर दी गयी है। गोया अब ये कोई गुनाह नहीं है। हमें सब चीजों पर नजर रखनी चाहिये कि हम कहां जा रहे हैं पैसा कमाने के लिये, टीआरपी बढ़ाने के लिये, शोहरत हासिल करने के लिये। हमें तो उसकी सजा मिलती है कि हम थोड़ा कह देते हैं लिहाजा आपने देखा कि हमारा कोई गुनाह नहीं था लेकिन सारा दिन हम पर गाली पड़ी कि हमने गोया जमीन बिकवा दी नगर निगम की उसकी सजा भी हम भुगतते हैं। मगर इसमें बहुत विचार करने की जरूरत है क्योंकि नेता सदन तशरीफ ले आये हैं और उनके काम करने के तरीके से, स्वयं उनकी भावुकता से, उनके उदार आचरण से। उनका भी उतना ही दर्द भरा दिल है जितना आपने उसकी खबर में देखा होगा कि सुनते-सुनते आपकी आंखें भी आंसुओं से भर गयीं। इन वाकयात को सुनकर बहुत सख्त लोगों के भी दिल भर आयेंगे। बहुत शर्मनाक हुआ लेकिन होटल के अंदर, कमरों के अंदर, मालिक की नियत, काम करने वालों की नियत कितना कानून रोक सकेगा, उसके लिये कड़ा कानून बन रहा है, जरूर डर पैदा होगा लेकिन एक दफा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में और वह है 302, सी0आर0पी0सी0 की, इण्डियन पीनल कोड की ये सबसे बड़ी दफा है। क्या हत्यायें नहीं होतीं, ऐसी हत्यायें जिनमें बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप की हत्या करता है। पति पत्नी की और पत्नी पति की हत्या करती है। क्या 302 की हत्यायों में कोई कमी ला सका। कानून बन जायेगा फिर भी इसकी कोई जमानत नहीं है कि इस तरह के अपराधों में कब कमी आयेगी। ये कमी तभी आयेगी, जब समाज इस बात के लिये तैयार होगा और समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा जो इस तरह के काम करेंगे और उन्हें इस तरह से जीने पर मजबूर करेगा कि उनकी जिन्दगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाये। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अच्छा सुझाव है हुकुम सिंह जी का और मैं ये सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे तमाम होटल्स और ऐसे तमाम जिन्हें रेस्ट हाऊसेज़ कहा जाता है। उनका एक बार फिर सघन परीक्षण होना चाहिये। इस तरह के वाकयात जहां हुये हों, पुलिस से उनकी रिपोर्ट ली जानी चाहिये और इस पर विचार होना चाहिये कि ऐसे होटल्स को जिनमें इस तरह के पाप और ऐसे लोगों की तरफ से जो होटल में काम करते हों, मालिक हों या उसके मैनेजमेण्ट या स्टाफ से ताल्लुक रखते हों। उनके द्वारा ये काम होना ज्यादा गंभीर है। अगर किसी मुसाफिर ने मुसाफिर के साथ किया होता तो इसकी गंभीरता उतनी नहीं होती। जब रक्षक ही भक्षक होगा तो बात ज्यादा गंभीर हो जायेगी। ये गंभीर प्रश्न है और इसको सरकार गंभीरता से लेती है और इन चीजों का परीक्षण कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को सुना, चौधरी साहब को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

रुकिये, रुकिये जो लिये हैं, उसको तो ले लेने दें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, कल रात में अलीगढ़ में एक ट्रक, मान्यवर, एक घर में गिरी और 8 लोग उसके नीचे दबकर मर गए। मान्यवर, अगर मैं इसे पढ़ने लगूं तो इसमें मैंने 11-12 उदाहरण दिए हैं, जहां पर मान्यवर, निर्दोष लोग, मासूम लोग, जिनका कहीं दूर-दराज तक कोई वास्ता नहीं था, कोई अगर अपने घर में सो रहा है और उसके ऊपर ट्रक गिर जाए, 2 साल, 3 साल के बच्चे बैठे हो मान्यवर, उन पर ट्रक चढ़ जाए, बस चढ़ जाए। मान्यवर, मुझे सबसे ज्यादा चिंता जो होती है, वह स्कूली बसों की हालत देखकर होती है। मान्यवर, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जिस तरह रिक्शों में बांधे जाते हैं, जिस तरह टेम्पो में दुगुने-तीगुने डाल दिये जाते हैं, मान्यवर, फिर उनको तेजी के साथ एक दूसरे को ओवरटेक करने की व्यवस्था होती है। मान्यवर, उनके साथ जो मिनी बस लगी होती है, उनकी हालत इतनी खस्ता होती है कि हार्न को छोड़कर, सब कुछ बजता है मान्यवर। ये सारी चीजें सड़कों पर होती हैं, मान्यवर, हमारी नजरों के सामने होती हैं। मान्यवर, व्यवस्था हमारी गड़बड़ है कि हम उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते और कीमत चुकानी पड़ती है, उनको जिनकी जुबान नहीं होती, जो इस बात के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते मान्यवर, जो कहीं-न-कहीं से बेगुनाह होते हैं, और वह मारे जाते हैं। मान्यवर, मेरे इस प्रश्न को उठाने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य था कि कहीं भी अगर दुर्घटना होती है तो मान्यवर, भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे दुर्घटना होती हैं, मालूम भी नहीं होता कि गलती किसकी है। सबसे पहले जो मिल गया, बड़ी गाड़ी वाले से अगर छोटी गाड़ी वाली की टक्कर हो जाए तो चाहे गलती छोटी गाड़ी की हो, बड़ी गाड़ी वाले की धुनाई शुरू हो जाती है। नतीजे के तौर पर लोगों की एक टेन्डेन्सी हो गई कि भागो दुर्घटना करके और मान्यवर, जिससे दुर्घटना होती है, वह सड़क पर पड़ा रहता है। हिन्दुस्तान में 60 प्रतिशत लोग वे मारे जाते हैं, जिन्हें ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है। मान्यवर, मेरा इसको लाने के पीछे मकसद एकमात्र यही था कि एक नियंत्रण हो मान्यवर, यह जो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, जो रख-रखाव बसों का, ट्रकों का, थ्री व्हीलर का नहीं है मान्यवर। उस पर एक सघन अभियान चले और कुछ इस तरह के प्रयास किये जाये मान्यवर, जैसे अलीगढ़ में, कोई घर पर सो रहा हो, ट्रक उसके ऊपर गिर गई, निःसंदेह गलती ड्राइवर की होगी या मान्यवर, कहीं मोड़ की गलती होगी, तो मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए। मैं इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान इसलिए खींचना चाहता हूं कि खास तौर से मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एक अभियान चला कर स्कूली बच्चों को उनकी गाड़ियों में, जिस साधन से वे जाते हैं, उसकी चेकिंग कराई जाए। उनकी जो ओवर स्पीडिंग होती है, उस पर नियंत्रण किया जाए और मासूम बच्चों के साथ जो यह खिलवाड़ हो रहा है, मान्यवर, खास तौर से आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से स्कूल खुल गए हैं मान्टेसरी के नाम से...

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप तो बैठ जाएं, आप क्यों खड़े हैं ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दलवीर सिंह-

मेरे विधान सभा क्षेत्र का मान्यवर, यह प्रकरण है रात का, कानून व्यवस्था इससे बाधित हो रही थी, पूरे जनपद भर की पुलिस इकट्ठी हुई, आठों बेकसूर बच्चे और महिलाएं निर्मम तरीके से दब कर मरे हैं, उसका कारण केवल एक है कि 91 एन0एच0 का बाईपास बना है, जो एटा और मैनपुरी के लिए जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बराबर लगा हुए क्षेत्र है यह, जहां सड़क बनी है, वह केवल सड़क-सड़क का स्थान है, शेष गड्ढ़ा है पूरा, जैसे ही ट्रक आया, टर्न लिया, क्योंकि वहां कोई सपोर्ट में कोई मिट्टी का भी भरत नहीं था और वह ट्रक उस समय उन बच्चों के ऊपर गिर गया। आठों बच्चे वहां मर गए और 10-12 घायल हो गए, जिला प्रशासन पूरा वहां रात भर लगा, घटना अति संवेदनशील बन गई। मैंने अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखित में भी दिया है। इतने गरीब लोग थे, चिथड़े और टुकड़े बीन करके अपना गुजर-बसर करते थे। उन लोगों के पास रहने के लिए मकान भी नहीं था, झोपड़ी तक में तिरपाल टांक कर के वे लोग रह रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे गरीब लोगों को मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, जरूर आर्थिक सहायता आप दिलवायें और वह जो रोड है, पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी बैठे हैं, नेशनल हाई-वे का बाईपास है, एटा-मैनपुरी के सब वाहन वहीं होकर जाते हैं, उसको चौड़ा कराने के लिए भी व्यवस्था करा दी जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, एक रह गई थी।

श्री अध्यक्ष-

बीच में इतना सहयोगी बना लिया। आपका था, उनका तो था नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब आप नहीं रोक पाये तो मैं कैसे रोकता। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा एक प्रयास है इस विषय को लाने के पीछे कि मान्यवर, एक सघन अभियान चलाकर स्कूल जाने वाले बच्चों की बसों को, थ्री व्हीलर्स को, उनमें मान्यवर, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि उनकी हालत ऐसी हो कि बच्चों को सुरक्षित ले जा सकें, ला सकें, कहीं ऐसा न हो कि मान्यवर, तमाम जैसी हम रोज दुर्घटनाएं सुनते हैं, वैसे ही। मान्यवर, मेरा एक प्रयास है, इसको लाने के पीछे कि जो ये दुर्घटनाओं के बाद लोग भाग जाते हैं, मान्यवर, यह भी एक ऑफेन्स होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि जिससे दुर्घटना हो मान्यवर।

मान्यवर, जिससे यदि दुर्घटनायें हों तो दूसरा व्यक्ति उसको नजदीक के अस्पताल तक पहुंचाये। अगर नहीं पहुंचाता है तो वह भी उतना ही अपराधी होना चाहिए जितना दुर्घटना करने वाला। अगर मान्यवर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाये तो उसकी जान बचायी जा सकती है। मान्यवर, आदमी इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि वह जानता है कि अगर रुकेगें तो फिर मुसीबत में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फंस जायेंगे पुलिस पूछताछ करेगी। मान्यवर यह भी प्रायः देखा गया है कि जब कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है तो भीड़ निर्दोष व्यक्ति को अगर वह मौजूद होता है तो उसको फिर नहीं छोड़ती है। भीड़ उस पर पत्थरबाजी करती है। इसलिए भी वह वहां से निकल जाना चाहता है। मान्यवर, जो दुर्घटना करने वाला व्यक्ति होता है वह भाग जाने का काम करता है। मान्यवर इसलिए जरूरी है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए इसमें कोई आम सहमति बनायी जानी चाहिए और प्रचार प्रसार करके एक जन अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मान्यवर, इन बच्चों को बचाया जा सकता है जो हमारी गलतियों से मौत का शिकार हो जाया करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक प्रकरण यहां पर उठाया है। मान्यवर आज जितने भी इस प्रकार के मामले सदन में आ रहे हैं वह सब बहुत दुःख भरे हैं और अमानवीयता से भरे हुए है। मान्यवर जो एक्सीडेंट होते हैं प्रदेश में, यह सही है कि यदि उन्हें समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाये तो फिर बचाया जा सकता है। जो दुर्घटना में सरकारी सहायता पहुंचाने की बात कही गयी है इसमें सरकारी सहायता संभव नहीं होती है। आपका इस सम्बन्ध में पत्र मिला है वह मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दिया है वह विचार करेंगे कि इसमें कितनी सहायता दी जा सकती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर स्कूल बसेज के बारे में आप कह दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, स्कूल बसेज के बारे में यह कहना है कि जो ड्राइवर भाग जाता है। क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट जब होता है यदि वह ड्राइवर भीड़ के हाथों में पड़ जाय तो पीट दिया जाता है और मार दिया जाता है। इसलिए उसका भागना तो स्वाभाविक है और वह भाग जाता है उसकी कोशिश करता है। मान्यवर सिर्फ ड्राइवर ही नहीं भाग जाता है उस रास्ते पर चलने वाले कोई आदमी भी रुकने का कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि वह यह जानते हैं कि कौन इस मुसीबत में फंसे पुलिस पूछताछ करेगी। तो फिर किसी को आप कैसे रोकेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हम सबको खुद इसका एहसास करना होगा। माननीय प्रमोद तिवारी जी, जब पहली बार मैं मंत्री था यह शायद बात 1989 की है। तब मैं गाड़ी में पूरब की तरफ जा रहा था रेलवे लाइन के पास एक जोर का धमाका हुआ। मैंने उतर कर देखा कि एक बारात ट्राली में जा रही थी। वह टकरा गयी थी। उसमें लाशें पेड़ों पर पहुंच गयी थी। जब अधिकारियों को पता चला तो वह भी मौके पर पहुंच गये थे। लेकिन यही था कि कौन शुरुआत करे। फिर मैंने शुरुआत की और बचे हुए लोगों को गाड़ी में सवार करना शुरू किया फिर देखा-देखी अन्य अधिकारी भी लोगों को अपनी गाड़ियों में सवार कराने लगे तो उसमें कई लोगों की जानें बच गयी थी। तो खुद हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि खुद भी हम इस तरह का काम करें। इसके लिए समाज में भी इसका एहसास पैदा करना होगा। इस पर विचार करने की जरूरत है। माननीय नेता सदन यहां पर पधारे हुए हैं उनको मैंने आपका पत्र दे दिया है वह खुद इसको सुन भी रहे हैं आपके पत्र पर जरूर पूरी हमदर्दी के साथ विचार होगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत जी की प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2012 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परीक्षाफल अपूर्ण घोषित किये जाने एवं परीक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है उस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी आपकी अगली सूचना है उस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। उस पर शासन का जवाब आ जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना इटावा के थाना सिविल लाइंस के अन्तर्गत एक गांव आता है संतोषपुर एटगांव। इसमें मान्यवर, कल की घटना है, 30-35 लोग मान्यवर, इकट्ठा होकर एक चन्द्र महेश, कुलदीप और शिव कुमार वाजपेयी इनके घर पर हमला करते हैं और हमला ही नहीं करते हैं मान्यवर, उनको पकड़कर पीटते हैं और घसीटकर ले जाते हैं एक स्थान पर वहां बन्द करते हैं उसके बाद एक लड़का शनि आता है उसको भी मारते हैं और उसके बाद उनके मुंह पर कालिख पोतते हैं, जूते की माला पहनाते हैं और जितनी बेइज्जती और जितनी दरिन्दगी दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। मैंने यह घटना इसलिए उठाई आपके माध्यम से कि एक मैसेज सरकार की तरफ से यह जाना चाहिए कि अगर कुछ लोग कानून को इस आधार पर हाथ में लेते हैं मान्यवर, उनको यह विश्वास होता है कि हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं होगा। सरकार ने अभी तक एक वर्ष में यह मैसेज देने का काम नहीं किया कि ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाये, ऐसे लोगों को इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से रोकें। मान्यवर, इसमें झगड़े की जड़ यह थी कि एक देवा त्रिपाठी नाम का लड़का है वह एक लड़की को ले जाता है दोनों बालिग हैं, लड़के का बाप जेल में है और उसके बाद उसके आलू खोद दिये जाते हैं। जब आलू खोदने से रोका जाता है तो इस प्रकार की घटना की जाती है कि 30-35 लोग इकट्ठा होकर एक स्थान पर दूसरे पर हमला करते हैं। मैं केवल इतनी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिरकार हम समय समय पर कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। डेढ़ घन्टे की चर्चा हुई और डेढ़ घन्टे की चर्चा के बाद यह संदेश पूरे प्रदेश में नहीं जाता कि हम अमुक व्यक्ति किसी अमुक संगठन को हम घटना करने से रोके कैसे। आज हम आपके माध्यम से केवल इतना चाहते हैं कि यह सरकार इस बात का संदेश दे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो ताकि प्रदेश में एक मैसेज जाय तो किसी भी प्रकार का जातीय संघर्ष न हो यह मैं आपके माध्यम से जरूर चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहां ऐसा संदेश गया खन्ना साहब। ऐसा संदेश तो कहीं भी नहीं गया कि सरकार ने इस तरह की अपराधिक कार्यवाहियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की है। आपको मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी को भी सुन लीजिए यह भी उसी विषय में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि विस्तार से माननीय खन्ना जी इस विषय को रख चुके हैं इसलिए हम ज्यादा इस पर नहीं कहेंगे लेकिन यह गम्भीर इसलिए है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह जनपद है और साथ ही साथ जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की लोगों ने जुर्रत की। मान्यवर, शिव कुमार वाजपेयी और उनके परिवारीजनों को जिस तरह से बंधक बनाया और बुरी तरह से मारा पीटा, गाली दी और जूतों की माला पहनाई, बहुत ही शर्मनाक है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए यदि कहीं ऐसी आवश्यकता है भी, कानूनी कार्यवाही करने की जरूरत है तो इसीलिए पुलिस और थाने बने हैं वहां जाना चाहिए और मान्यवर, इस तरीके से सामूहिक हल्ला बोल करके जिस तरह का कृत्य किया गया हम समझते हैं कि निन्दनीय है और इसका सरकार गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(श्री अमरपाल शर्मा द्वारा ख़ड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह क्या तरीका है, अब हर आदमी बोलेगा। आपका लिखा ही नहीं जायेगा । यह क्या तरीका है, जब आपके बड़े नेता बोल दिये। न आपका कुछ लिखा जायेगा और न कार्यवाही का अंग बनेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात रखें। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा, चाहे जो बोलो, नेताओं का आप लोगों पर नियंत्रण ही नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जिस प्रकरण को खन्ना साहब और नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, उसको गंभीरता से लिया जायेगा लेकिन यह भी आप जानते हैं कि इस तरह के मामलों में लोग भावुक हो जाते हैं और भावुकता में वह कानून अपने हाथ में लेते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिये। इस मामले में जो भी प्रभावी कार्यवाही होगी, वह इसमें की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने खन्ना जी को सुना, मौर्य जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियमों में नहीं आती, इसे अग्राह्य करता हूं। जीरो आवर खत्म हो गया इसलिये माननीय मंत्री जी बजट रखें।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब रुकियें, आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया। यह समय हमने नहीं निर्धारित किया, आपके सभी नेताओं ने निर्धारित किया, लम्बा-लम्बा बोलकर टाइम ले लेते हैं। ठीक है, हम ध्यान आकृष्ट कर लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूंकि मान्यवर, आप बजट लेने चल रहे हैं तो जो अन्य सूचनायें हैं, उन पर ध्यान आकृष्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री प्रदीप चौधरी एवं अन्य, श्री सतीश महाना, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अजय मिश्र टेनी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), सुश्री सावित्री बाई फूले, श्री दलवीर सिंह व अन्य, श्री कालीचरन सुमन व अन्य, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री अगयश राम सरन वर्मा तथा श्री रामहेत भारती की सूचनाओं पर हमने पहले ही ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

[1.20 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-48, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 48,75,04,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,86,77,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरा विभाग ऐसा है कि हर आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। लोग सड़क चाहते हैं, नाली चाहते हैं, पुलिया चाहते हैं और इन सड़क नालियों पर झाड़ू पोछा चाहते हैं और यही काम हमारा है। लोग पानी चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के दुःखी लोग, कमजोर लोग अपने लिये जीने के अच्छे तरीके चाहते हैं। सरकारें इसीलिये बनती हैं, हमारी राजनैतिक व्यवस्था, हमारा संविधान, हमारा कानून और यह सरकारें, यह सदन इसीलिये होते हैं कि उनके लिये जो लोग चुनकर इन हाऊसेस में आते हैं चाहे वह लोकसभा हो, राज्य सभा हो, विधान सभायें हो, परिषद् हो, उनमें उनकी भलाई के लिये विचार हो, फैसले हों और उन्हीं की गाढ़ी मेहनत से कमाये गये खजाने को उन पर खर्च किया जाय और जब उन्हें यह लगता है कि उनकी गाढ़ी कमाई का खजाना, जो उनके लिये होना चाहिये था, मिसाल के तौर पर एक मजदूर जो सड़क पर पत्थर तोड़कर सड़क तैयार करता है, वह सड़कें तैयार करता है उन लोगों के लिये, जिनकी कीमती गाड़ियां उन पर चलती हैं। लेकिन उस वक्त उसकी जिज्ञासा होती है, ख्वाहिश होती है कि जिस मोहल्ले में जिस बस्ती में वह रहता है, अगर उसकी गलियां ऐसी न बन सकें, जैसी बढ़िया गाड़ियों के लिये हैं, कम से कम उसकी गलियां ऐसी हों, कि जब बारिश का पानी बरसे तो वह पानी उसके घर के अन्दर दाखिल न हो जाय। सरकारों की यह मानसिकता और भावुकता होनी चाहिए कि वह छोटे-छोटे से सवाल जो इंसान की जिन्दगी से जुड़े हुए हैं उन सवालों पर वह विचार करे अपने आप में बहस करे और उनके निदान के लिए उनके हल के लिए कोशिश

करे। जब कोई अच्छी पहल होती है तो उसका नतीजा उसका अंजाम भी अच्छा होता है मैंने गत सरकार में क्योंकि आपके साथ बाहर जाने का मौका मिला और जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हम कितनी सिमटी और सिकुड़ी हुई दुनियां में रहते हैं। हमारी अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी इतनी हैं कि उनसे जूझते रहते हैं, छुटकारा नहीं मिलता। आप देख रहे हैं कि जिस तरह के सवाल आज सदन में आए वह किसी सरकार के लिए खुशी का विषय नहीं है और वह कानून से भी बहुत ज्यादा सम्बन्ध नहीं रखते।

हमारी सामाजिक कुरीतियां हर इंसान के अन्दर एक फरिश्ता भी बसता है और एक शैतान भी रहता है वह फरिश्ता कहीं बहुत दब गया है और शैतान बहुत हावी हो गया है। उस शैतान ने हमारी पूरी इंसानियत को पूरी तहजीब को शर्मशार कर दिया है। मेरा विभाग एक हस्सास विभाग है चाहे वह नगर विकास हो चाहे अल्पसंख्यक कल्याण हो जिसके बारे में धनराशि का बजट हमने रखा है चाहे वह जिसके बारे में अभी नहीं कहा कि सूडा या डूडा हो गरीबों की बस्तियों को कैसे ठीक किया जाय एक छोटी सी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा था कि आपके साथ बाहर जाने का मौका मिला और हमने देखा कि लोग नालों को इतना सुन्दर बनाए हुए हैं उनमें टाइल्स लगे हैं नीचे उतरने की सीढ़ियां बनी हुई हैं उनमें बेंचेज लगी हुई हैं और लोग वहां शाम के वक्त आकर बैठते हैं और इन्ज्वाय करते हैं जिन्दगी का मजा लेते हैं। लेकिन उन नालों के अन्दर जो पानी बह रहा है उसमें न कीचड़ है न उसके अन्दर सिल्ट है न मिट्टी है न बदबू है और मैं यह अमेरिका या यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं बहुत छोटे-छोटे देश और ऐसे देश जिनके खजाने में बहुत धन नहीं है ऐसे देश भी अपने शहरों को सजाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं ऐसे प्लान तैयार करते हैं और हर साल मान्यवर, उनके यहां ऐसा बजट होता है और 20-25-30 सालों में इस तरह वह एक अच्छा राष्ट्र बनने में कामयाब हुए हैं। हमने देखा कि छोटी-छोटी सीमेंट की ईंटों से बहुत सुन्दर सड़कें बनाई गई हैं और हमारे यहां एक कांसेप्ट, एक तसव्वुर यह है कि अगर इण्टरलाकिंग को हाई-वे पर या हैवी लोडेड ट्रक्स की सड़कों पर लगाएंगे तो वह टूट जाएंगे। लेकिन लंदन वगैरह में आपने देखा है इण्टरलाकिंग ईंटें लगी हैं और हैवी ट्रैफिक उन पर है। लेकिन न तो कोई ईंट नीचे बैठती है न कोई ईंट क्रैक होती है। वजह क्या है ? गुणवत्ता वजह क्या है कि काम करने वालों के अन्दर देश प्रेम की भावना है। हम कभी तो अपने आप से सवाल करें कि हम जब 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं तो हमारे चेहरों पर उल्लास और उत्साह की कैसी कमी होती है। हम वहां जाकर नहीं देख सकते लेकिन अब दुनियां बहुत सिमट गई है और एक छोटे से परदे पर आ गई है और हमारे कमरों के अन्दर दुनियां मौजूद है। हम देखें कि जब दूसरे राष्ट्रों के लोग अपने देश की आजादी का दिन मनाते हैं तो लगता है कि कोई धार्मिक पर्व इतना पवित्र और इतना खुशी का नहीं होगा न ईद, न होली, न दीवाली किसी पर वह इतनी खुशी नहीं मनाते जितनी खुशी वह अपने आजादी के दिन की याद में मनाते हैं। घर-घर, दुकान-दुकान झंडे होते हैं। हर हाथ में झंडा होता है हम अक्सर अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई इस नेशनल फ्लैग को बदल लो बहुद गंदा हो गया है। वहां हर बच्चे के हाथ में हर दुकान पर हर मकान पर जिस तरह से नेशनल फ्लैग लगाते हैं उससे अहसास होता है कि अपने नेशन के लिए उनका क्या कमिटमेंट है। बहुत सी चीजें मान्यवर, कहां तक कानून रोकेगा किस-किस पर आप डंडा चलाएंगे कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे कितनों को मुअत्तल करेंगे। कितनों को नौकरी से निकालेंगे और जिन्हें लाएंगे क्या जमानत है आपके पास कि वह लोग उन जैसे नहीं होंगे।

तजुर्बे तो किये जा चुके हैं, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था एक तजुर्बागाह है और उसके अन्दर तजुर्बे किये जाते हैं और अफसोस यह होता है कि हमें नाकामी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। हमारी कुल जनसंख्या की 22 प्रतिशत आबादी नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कम नहीं है, 630 हमारे कुल नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 13 नगर निगम और 194 नगर पालिका परिषद् और 423 नगर पंचायतें हैं। मान्यवर, यह एक बड़ा चैलेंज हैं पूरे-पूरे देश इतने नगर निकायों पर आधारित नहीं हैं। 20 और 21 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का दिल कहलाने वाला है, जिसका एक हिस्सा उत्तराखण्ड, हमारी हसीन, खूबसूरत और ठण्डी वादियां अलग हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का अपना एक इतिहास है।

उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का अगुवा रहा है और जब पहले प्रधानमंत्री नामजद किये गये बापू के हाथों से तो वह भी उत्तर प्रदेश के ही थे। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को हासिल है, अपने सुनहरे इतिहास के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनायें। हम लफ्जों से तो खेलते हैं लेकिन हम उसके लिए कितना करते हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार पर, व्यवस्था पर, अधिकारियों पर देने से ज्यादा यह भी होगी कि हम कहां तक उसके लिए संजीदा हैं। मान्यवर, हमने कोशिश की है उत्तर प्रदेश को पहले से बेहतर बनाने की। हमें यह कहना चाहिए कि हमें भारत सरकार से भी बहुत सी स्कीम्स मिलीं जैसे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की मिली और उन स्कीमों से हमने जलापूर्ति की, सीवर सिस्टम, सड़कें यह सारे काम किये। लेकिन क्या करें मान्यवर, ऐसे भी दौर आये कि भारत सरकार से जो पैसा मिला वह नफरतों की नजर चढ़ गया। जो काम चल रहे थे हमारी गत समाजवादी सरकार में, वह सीवर के काम, सड़कें बनने के काम, ओवरहेड टैंक बनने के काम, क्योंकि सरकार बदल गई, पार्टियों के नाम बदल गये लिहाजा देश-प्रदेश के लिए, खजाने के लिए और उन आम लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको सजा दे दी गई। हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया जो सीवर और सड़कों पर लगा हुआ था वह नफरत की नजर हो गया और वह काम वहीं रोक दिये गये। 90 प्रतिशत सीवर के काम जहां हुए थे, 5 साल तक उन पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया और उन कामों को बरबाद करने के तरीके ये अख्तियार हुए कि जिसके जो चुने हुए लोग वहां पहुंचे, उन शहरों, उन बस्तियों, उन जिलों से जीते, उन्होंने मेनहोल्स के ढक्कन उठाकर उनके अन्दर सिर्फ पिछली सरकार के कामों का सत्यानाश करने के लिए और राष्ट्र के इस पैसे को बरबाद करने के लिए, जो किसी राजनैतिक दल का नहीं था, किसी मुख्य मंत्री की अपनी ज़ाती कमाई का पैसा नहीं था बल्कि गरीबों की मेहनत, उनकी गाढ़ी कमाई, खून-पसीने की कमाई का पैसा था। उन मेनहोल्स को हटाकर उनके अन्दर कूड़ा-कबाड़ भरकर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों रुपए के सीवर के चलने वाले प्रोजेक्ट्स को फनह कर दिया। कैसे सुधार हो इसमें, कब कानून बनेगा कि कोई भी सरकार चाहे हमारी ही क्यों न हो, कोई भी राजनैतिक दल चाहे हमारा ही क्यों न हो, विकास के चलते हुए कामों को रोकेगा तो उस व्यक्ति को, उस नेता को राष्ट्रद्रोह के दायरे में लाकर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जायेगा। बहुत सच बात है, नहीं लागू होगा लेकिन वह दिन आयेगा जरूर जब इस पर विचार होगा कि खजाने से होने वाले कामों को रोकने वाले लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते, समाज के हितैषी नहीं हो सकते। हमने मान्यवर, संकल्प लिया है कि वह सारे काम जो गत सरकार में चल रहे थे, उनको रोका नहीं जायेगा और हम समझते हैं कि सरकारें शर्मिन्दा

भी होंगी और सबक भी लेंगी, उन कामों को नहीं रोकेंगी क्योंकि यह काम उनका नहीं है यह समाज के उन लोगों का काम है जिनका खजाना है और जिस खजाने की हिफाजत के लिए हम यहां भेजे गये हैं और उसके सही इस्तेमाल के लिए हमें लोगों ने और कुदरत ने यहां भेजा है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में हमारे पास इस मद में 650 करोड़ और 250 करोड़ रु0 का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। एक मान्यवर, सॉलिड वेस्ट की योजना, हमारा विचार था लेकिन भारत सरकार ने उसमें सहयोग किया। सॉलिड वेस्ट क्या है, हमारा कूड़ा, हमारा वेस्ट। आज हालत यह हो गयी कि सड़कों के किनारे आप गुजरें तो आप आसानी से चल नहीं सकते क्योंकि इतनी बदबू है उस कूड़े के अन्दर, सड़कों के किनारे ढ़ेर लग गये हैं।

आबादियां सिकुड़ती चली जा रही हैं। हमारे यहां जो यह शादीघर की रस्म चली है, क्यों चली है ? इसलिए कि जो बाप का घर था वह सौ गज का था, पांच बेटे हुए, बंट गया घर और बीस-बीस गज का रह गया। उसके बाद और नई नस्ल आयी, नतीजा यह हुआ कि घर छोटे-छोटे से कमरों में तब्दील हो गये। फिर हमारा कल्चर भी बदला। मान्यवर, जो घरों के बाहर चौक कहलाते थे, चौड़े-चौड़े इलाके, चौड़ी-चौडी सड़कें। जब कुदरत ने हमें कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनाने की हैसियत दी तो हमें बदनीयती भी दी और हम अपनी दीवारों को आगे बढ़ाकर रास्तों को सिकोड़ते चले गये। हमने 50 साल पहले जो मकान बनाया वह बहुत आलीशान नहीं था, हमारी मानसिकता भी बहुत घटिया नहीं थी और हमारे अन्दर फैलने का भी कोई माद्दा नहीं था लिहाजा हमने इन्क्रोचमेण्ट तो किया लेकिन इन्क्रोचमेण्ट थोड़ा सा किया। हम और सम्पन्न हुए, मकान हमारा जब कोठी बनने लगा, हमारे वास्ते ताल्लुकात बढ़ गये, हमने सड़कों को और छोटा कर दिया और यहां तक हुआ कि नेता सदन यहां तशरीफ रखते हैं एक दिन कह रहे थे इटावा स्टेशन के पास जब इन्क्रोचमेण्ट हटाया गया तो पहले सड़क निकली, फिर फुटपाथ निकली, फिर नाली निकली और फिर निकला इटावा 9 कि0मी0। (हंसी) तो यह हालत हो गयी है बदनीयती की। घर के बराबर चौड़ी नाली है उस पर चार पिलर उठायेंगे, स्लैप डाल लेंगे, लोग देखेंगे चलो भाई अच्छा काम किया, थोड़े दिन बाद खड़ी ईंट से उसको ब्लाक कर देंगे। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि बुनियाद खोदी और उस पर इमारत खड़ी कर दी। यह मानसिकता हो गयी है लिहाजा कूड़ा सड़ रहा है नालियों में और नालियां सड़ रही हैं घरों में। कूड़े के इंतजाम के लिए एक स्कीम बनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। कूड़े से बिजली बनाना, कूड़े से खाद बनाना और उसके अंदर से जो ईंटा, पत्थर निकल रहा है उसे दूसरे काम में लेना और प्लास्टिक के जूते, चप्पल, टोपियां वगैरह आपने स्वयं देखें हैं मान्यवर, इस तरह का हमारा विचार था और हमने पिछली सरकार में इसकी कोशिश की थी और सिर्फ कोशिश नहीं की थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत काम करने के लिए हमने कारखाने लगाने शुरू कर दिये थे। वह लगे और यह भी परेशानी सरकार के सामने आ रही है कि बरेली में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, बहुत मंहगा है। उसमें भारत सरकार का भी पैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी है। वहीं पर एक निजी विश्वविद्यालय भी बना है। निजी विश्वविद्यालय ने सरकार की जमीन को अपनी जमीन मान लिया। गत सरकार में बुल्डोजर चला, हमने जमीन पर कब्जा ले लिया, जब सरकार चली गयी तो उस सरकार ने फिर कब्जा करा दिया। अब उनके कब्जे में है। चलिये वह कब्जे में है लेकिन उनका कहना है, कल के अखबार में था कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इस कारखाने का उद्घाटन नहीं होने

देंगे। मान्यवर, यह समस्यायें भी हमारे सामने है। जाहिर है वहां एक शैक्षिक संस्था है। निजी तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि खुदा न करे चाहे 4-5 बच्चे मर जायं मैं यहां पर सालिड वेस्ट का काम नहीं शुरू होने दूंगा और हमने भी कहा है कि उद्घाटन करने के लिये अगर कर्फ्यू लगाना पड़े तो हम कर्फ्यू लगाकर उद्घाटन करेंगे।, लेकिन हम करेंगें (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, हमारी प्राथमिकताएं हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं, उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है। नगरीय पेयजल कार्यक्रम, राज्य सेक्टर में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सेक्टर निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा विभिन्न नगरों की आवश्यकता के दृष्टिगत महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में उपलब्ध बजट व्यवस्था 60 करोड़ के सापेक्ष अब तक 42 स्थानीय नगर निकायों को कुल 35.026 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। मान्यवर, इतना तो आप वाकिफ हैं ही कि मैं इसकी कोशिश करता हूं कि जो पैसा जिस मद में दिया जाय उसको उस मद में खर्च होना चाहिए। हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है और माननीय मंत्री जी ग्राम्य विकास यहां मौजूद होंगे और हैं कि स्वजल योजना के तहत कोई यह नहीं जानता हम अपने अधिकारियों से कहते हैं अभी इलाहाबाद का मामला था जहां महाकुम्भ हुआ अभी। वहां हमने दौरे के दौरान देखा कि सड़कों के डिवाइडर का कोना टूटा है तो टूटा है। कोई ट्रक वाला अगर डिवाइडर को तोड़ गया है तो वह टूटा हुआ पड़ा है, रंग नहीं है तो नहीं है। जहां इतना बड़ा पर्व होना है, बेशुमार पैसा लग रहा है, बार बार सदन में घोषणा हो रही है कि कोई पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी लेकिन जब जाते हैं और धरातल पर सच्चाई देखते हैं तो नई हाट मिक्स रोड बनी है लेकिन फुटपाथें गन्दी हैं, कूड़ा नहीं उठा, बजरी नहीं उठी। सीवर की लाइनें कहां बना दी गई मान्यवर, हम इस बात को सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि हम उस वक्त इसे दुरूस्त नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी सरकार के जमाने में यह गलत फैसला नहीं हुआ था। इलाहाबाद की सड़कें हिन्दुस्तान की तमाम सड़कों से ज्यादा चौड़ी हैं, इसलिये नहीं कि वह हमने बनाई हैं। इसलिये कि हम गुलाम थे और अंग्रेजों के लिये इलाहाबाद एक बहुत बड़ी हिन्दुस्तानी चरागाह था। उन्होंने वहां बहुत बड़े-बड़े दफातिर बनाये थे, अपने लिये आलीशान कोठियां बनाई थीं, उनका सेन्टर था मान्यवर, उनका मानसिक सेन्टर था इलाहाबाद। वहां की चौड़ी सड़कों पर जब सीवर लाइन बिछने लगी मिसाल के तौर पर इतनी ही चौडी सड़क है जितना चौड़ा यह सदन है। उस सड़क के बिल्कुल किनारे से सीवर का पाइप खोद दिया गया। उसका नतीजा क्या होगा ? आने वाले कल में जब लोग इनक्रोचमेंट करेंगें तो इनक्रोचमेंट करते हुए वहां तक आ जायेंगें जहां सीवर लाइन बिछाई गई है। हमने संज्ञान लिया है मान्यवर, और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिन इंजीनियर्स ने यह गलत प्लानिंग की है, जिस सीवर को बिल्कुल कोने पर बिछाया जाना चाहिए था उस सीवर को सड़क के बराबर पर बिछाने का क्या औचित्य था। क्योंकि आबादी बढ़ेगी, गाड़ियां बढ़ेगीं यह सड़क फिर चौड़ी होगी। जब यह सड़क चौड़ी होगी तो इस सीवर लाइन का क्या होगा, और इस पैसे की देनदारी कौन करेगा।

मान्यवर, एक दिन रात में सरकार के आते ही हमने लखनऊ में अपने अधिकारियों को साथ लेकर गये हम गये तो देखा हॉट मिक्स रोड चार रोज पहले पड़ी है और चार दिन के बाद सीवर लाइन खोद दी गई और सड़क का बना हुआ पैसा बर्बाद हो गया। हमने मान्यवर, उसमें निलम्बित नहीं किया बल्कि अधिकारियों की तनख्वाह से उस पैसे को काटा है। (मेजें थपथपाई गई) और हो

सकता है हम इस पर विचार करें और इस पर काम करें कि इस तरह के जितने भी नुकसान होंगें उस पर निलम्बन से कोई फायदा नहीं होगा। निलम्बन के लिये तो हाईकोर्ट ने कह ही दिया कि 'निलम्बन इज नो पनिशमेंट'। बहाल हो जाते है, और जितने दिन निलम्बित रहते हैं इतना नाक में दम कर देते हैं, इतनी राजनीति करते हैं, इतने हालात खराब कर देते हैं कि मजबूर होकर उन्हें बहाल करना पड़ता है। काम लेंगें, सख्ती से काम लेंगें। मान्यवर, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, सीवर के लिये 2012-2013 में 60 करोड़ 42 का यह मैंने आपके सामने रखा। मान्यवर, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सिलसिले में। चूंकि आज नहीं है महाना जी। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि वह यहां तशरीफ रखेंगें। मान्यवर, इसमें 70 करोड़ रुपये का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

और आश्वस्त करना चाहते हैं इसमें कन्नौज, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर एक-एक परियोजना शामिल की गई है और आश्वस्त करना चाहते हैं मान्यवर जैसा मैंने कहा था कि-

ए आबरुए- गंगा वह दिन है याद तुझको,

उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा।

आप उसमें स्नान करते हैं और हम इन नदियों से वजू करते हैं। हमारे लिए यह उतनी ही पाक है, जितनी यह आपके लिए पाक है और गंगा को पाक साफ करने के लिए, हमारी जो बात हुई थी कुछ बड़े नेताओं से, उनसे यही हुई थी कि हम इसे धार्मिक मुद्दा न बनाकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनायेंगे और सब हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर, अपनी इन नदियों को पाक साफ करेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

क्योंकि इनकी पाकीज़गी से, बहुत कुछ पाक हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी कोशिश करेगी सरकार, इसके लिए वचनबद्ध भी है और संकल्पबद्ध भी है। मान्यवर, झील संरक्षण योजना में, डाक्टर साहब का ताल और मानसी गंगा ताल, गोबर्धन नगर, जनपद मथुरा, नहीं हैं (हैं, की आवाजें)

श्री मोहम्मद आजम खां-

कहां हैं ?

श्री पूरन प्रकाश-

हम हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे, असल मथुरा कहां है, आप तो झूठ मूट के मथुरा हैं, ठेका तो उन्होंने ले रखा है जो नहीं हैं।

लक्ष्मीताल झांसी, तथा मदन सागर ताल महोबा, यह सब जगह ऐसी हैं जिनकी बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, खुद गोरखपुर की, गोबर्धन नगर मथुरा की, लक्ष्मीताल झांसी की, अगर इनको हम अच्छी तरह से डैवलप करने में कामयाब हो जाएं, मान्यवर, विदेशों में तो हमने देखा है कि वह लोग पता नहीं, मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था तो हमारे प्रोवोस्ट हुआ करते थे, खलिक अहमद निजामी साहब,

बाद में एक्टिंग बाइस चांसलर हुए, हमारा उनसे झगड़ा हुआ, हमने उनसे इस्तीफा भी लिया, फिर वह एम्बेजडर भी हुए, बड़े आदमी थे, बड़े इतिहासकार थे, ही इज ए नोन्ड हिस्टोरियन, तो पता नहीं बात कहां की कहां चली गई।

श्री अध्यक्ष-

वह हिस्टोरियन थे, राजदूत बन गए थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपने कहा कि उनका प्रमोशन हो गया और वह एम्बेजडर बन गए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे और छात्र जीवन की यादें कुछ ऐसी होती हैं जो आदमी भूल नहीं पाता है। मैं कह रहा था कि वह हिस्टोरियन थे, फाउन्डर ऑफ यूनीवर्सिटी सर सैय्यद अहमद खां पर उनका बड़ा काम था, और उसी जमाने में छात्रों की एक मांग थी कि सर सैय्यद हाउस को दुबारा बनाया जाए। सर सैय्यद हाउस बहुत अच्छा बनाया गया, जैसा था, बड़े-बड़े लान्स बनाए गए फिर उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए सर सैय्यद के सामान को, उनके कपड़े, उनके फर्नीचर को वहां लाया गया, जब मैं देखने गया तो मैंने देखा कि बहुत शानदार बेड है, बड़े आदमी थे, उनके बेटे, उनके पोते, बहुत नामवर जस्टिसेज रहे। सर महमूद जैसे उनके परिवार के लोग, हमें यह भी श्रेय प्राप्त है कि उनके परिवार के लोगों ने हमें कानून पढ़ाया है। तो जब मैंने देखा बहुत शानदार कुर्सी है, बहुत शानदार सोफे हैं, कपड़े और शेरवानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनका बेंत था वह सेंटे वाला बेंत था, मैंने मीटिंग बुलाई यूनियन की, और मैंने कहा कि देखिए, बाकी सब चीजें तो ठीक हैं लेकिन यह जो बेंत है यह बेंत मैंने कठपुतले के फकीर के हाथ में बेंत देखा था यह सर सैय्यद का बेंत नहीं हो सकता है और वह बात इतनी सच साबित हुई कि वह बेंत हटा दिया गया, यह सारी चीजें वह फर्जी बेंत नहीं हैं, यह हमारी धरोहर है, और इन्हें बनाने में कहीं कोई धर्म, कोई जाति, न इसमें अखिलेश यादव साहब बीच में आते हैं और न इसमें आजम खां बीच में आते है। हमारी पूरी कोशिश है कि यह झीलें ऐसी बनें कि यह भारतवासियों के लिए इज्जत का सबब बनें। विदेश से लोग आयें, हम अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में गए हैं, डेलीगेशन्स में, मामूली पत्थर के टुकड़ों को कहीं टेढ़ा और कहीं सीधा करके रख दिया है, चारों तरफ लान्स बना दिए हैं और कहा कि यह जार्ज पंचम के महल के टुकड़े हैं, आप पता लगाते फिरिए कि यह जार्ज पंचम कौन थे और उनका महल कहां था। दिन में आप चले जाइये तो मान्यवर, वहां यह भी जी न चाहे कि कोई बैठकर वहां फोटो भी खिंचवा ले लेकिन रात में वहां जाइये, उनका लाइट इफेक्ट ऐसा होता है, इस तरह से उन्होंने रोशनियां लगा रखी हैं, लगता है यहां से उठकर भी न जायें। हमारे यहां मान्यवर, कितने कीमती इमामबाड़े हैं, कितनी अच्छी जगह हैं, नवाब वाजिद अली शाह का महल आप देखकर आइये, क्या महल है, घण्टा घर देखिए, आप, बेगम हजरत महल का क्या शानदार इतिहास है, रेजीडेंसी आप जाकर देखिए। मौलवी खानदान यहां का किस तरह अंग्रेजों से लड़ा था, यह सारा इतिहास खोता चला गया और हम अपनी यादों को संजो कर नहीं रख सके। अगर हम इन चीजों को मान्यवर, उन देशों से सबक लेकर इन्हें तैयार करेंगे, मान्यवर, झांसी आप जाइये, चप्पे-चप्पे पर आपको ऐसा लगेगा कि

अगर हम इसे ठीक कर दें तो पूरी दुनिया यह देखने आएगी कि वह कौन सी महिला थी जिसने इस दीवार से कूदकर अपने वतन को आजाद करने के लिए जान दे दी थी और यह मालूम होना चाहिए कि झांसी की रानी के साथ कौन था, उससे हमारे आपस के रिश्ते अच्छे होंगे। वह गलत इतिहास है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों को यह जानने को मिलेगा। क्या वजह है कि इतिहास यहां खामोश क्यों हो जाता है और हम क्यों खामोश हो जाते हैं? जलियावाले बाग में मरने वाला कोई एक नहीं था, पंजाब के जलियावाले बाग में गोली चली थी, वहां केवल सिख और पंजाबी ही नहीं थे, वहां हिन्दू भी थे और वहां मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी, जहां पत्थर पर लिखे हुए उनके नाम आज मिल सकते हैं। मान्यवर, बरेली से आप निकलते हैं, रामपुर की तरफ, बायोजानिब जहां दो जोड़ा की लड़ाई हुई, रामपुर के जियालों ने वह लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, उनका कब्रिस्तान देखा जा सकता है। वह यादें मिट गयी थीं, पिछली सरकार में हमने उसे ठीक किया है, इसलिए किया है कि लोग यहां रूकें और उन्हें मालूम हो कि अंग्रेजों से लड़ने वालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे और यह सारा कब्रिस्तान उन शहीदों का है जो हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। हमने इस सदन में कितनी बार शर्मिन्दगी का इजहार किया है कि यह देश, हमारा वतन 1857 में आजाद हो गया होता, हम शर्मिन्दा हैं, इसके लिए कि 1857 में मेरठ से चली हुई फौज का कत्लेआम अगर कहीं हुआ था तो हमारे यहां हुआ था, रामपुर में हुआ था। हम उसके लिए आज माफी मांगते हैं, समाज से लेकिन कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए मान्यवर, इन झीलों को बनाना, अच्छे से बनाना, इन्हें सजाना सरकार की और सरकार के एहसास की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मान्यवर, नगरीय सड़क सुधार योजना के तहत् प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस मद में 150 करोड़ का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। यह बहुत कम है। यहां नेता सदन बैठे हैं, आप बड़ा अजीब समझते होंगे कि मैं बजट रख रहा हूं, नेता सदन से मांग भी कर रहा हूं कि आने वाले सालों में इसे बढ़ाने की जरूरत है। अवस्थापना निधि से जो पैसा मिलता है, उसे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि आबादी बढ़ रही है। 'नया सवेरा', नया सवेरा इसलिए बुरा नहीं मानेंगे, नेता प्रतिपक्ष क्योंकि 5 साल के स्याह अंधेरों से लोगों को निजात मिली है। पिंजड़ा सोने का हो और परिंदे के खाने के लिए हीरे और जवाहरात हों, वह उसमें रहना नहीं चाहेगा। यह सिद्ध इस तरह होता है कि जब पिंजड़े का दरवाजा खुलता है तो सोने के पिंजड़े से हीरे और जवाहरात की जगह छोड़कर परिंदा उड़ जाता है क्योंकि उसका यह पैदाइशी हक है कि वह आजादी से जिये और आजादी से मर जाये। लेकिन गुजरे हुए 5 सालों में इंसानी आजादी कितनी थी, इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे महसूस करने की जरूरत है और इसीलिए जब हमने गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना तय की तो उसका नाम भी नया सवेरा ही दिया है। यह सही है कि हम हर शख्श को मकान नहीं दे पायेंगे लेकिन 900 करोड़ रुपया हम इसमें खर्च करेंगे जिसकी पहली किस्त 241 करोड़ रुपया रिलीज की जा रही है। गुणवत्ता का खयाल रखेंगे और जहां गुणवत्ता में कमी होगी वहां लोगों को उनकी गलती के लिए सजा भी दी जाएगी। मान्यवर, इसी के साथ मेरे साथ एक महकमा है अल्पसंख्यक कल्याण। यानि अकलियतों की फलाहबहबूद का, अकलियतों को उनके जीने का हक दिलाने का उसमें मान्यवर, ऐसा हुआ है कि सोचिये तो दुःख भी हो और अगर आपके पास ताकत है तो गुस्सा भी आये। मान्यवर, जो पैसा हमारे पास भारत सरकार से आया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या आप दोनों विभाग एक साथ लेंगे ? क्योंकि कटौती अलग-अलग रखनी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बस मैं दो-चार मिनट में खत्म कर रहा हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

नहीं, नहीं आप पूरा रखें, आप अलग-अलग रखेंगे या एक-एक।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक साथ लिये लेते हैं जो सज्जन जिस पर चाहेंगे उस पर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहें हैं, कटमोशन आप अलग-अलग रख सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें हुआ यह, असल में अंग्रेजी की एक कहावत है 'मिसफार्चून नेवर कम्स अलोन'। बदनसीबी कभी अकेले नहीं आती । बहुत सी चीजें मिलकर उसको घेर लेती हैं। देश आजाद हो गया और आजादी की सबसे ज्यादा चोट अगर किसी पर पड़ी तो वह हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर पड़ी। उन्हें इस बात की सजा मिली कि वह देश छोड़कर क्यों नहीं गये। उन्हें शक की निगाह से देखा गया उन्हें शुब्हे की निगाह से देखा गया और यहां तक हुआ कि आजादी के 60-65 सालों में जो योजनायें सरकारों ने बहुत नेकनियती से उनके लिए बनायीं वह उन पर लागू नहीं हो सकीं। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि क्योंकि आबादी का पांचवा हिस्सा हैं और हमारे शरीर का जिसे हम अजीम हिन्दुस्तान कहते हैं उसके पांचवे हिस्से को यह कहें कि वह बीमार हो गया वह अपाहिज हो गया उसे केंसर हो गया तो वह हिस्सा पूरे जिस्म को लेकर डूब जाता है। मेरे शरीर का अगर 1/5 हिस्सा फलिजजदा हो जाये मेरा जिस्म बेकार हो जाएगा और कहते-कहते मैं उम्र की इस मंजिल पर आ गया कि हिन्दुस्तान बीमार है इसकी 1/5 आबादी बीमार है और जब 1/5 आबादी बीमार है तो हिन्दुस्तान सेहतमंद नहीं रह सकता, खुशहाल नहीं रह सकता। इन्हें जाहिल रखना, अनपढ़ रखना, इन्हें भूखा और नंगा रखना देश के लिए अच्छा नहीं है और हुआ क्या कि पिछले पांच सालों में मदरसों को मिलने वाली मदद मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि साक्षरता अभियान चला। भारत के खजाने खाली हो गये यह साबित करने के लिए कि हिन्दुस्तान में जिहालत नहीं बल्कि शिक्षा है। संविधान की किसी एक भाषा में अगर किसी ने कोई एक शब्द बनाना सीख लिया है और यह उसने पहचान लिया कि यह मेरा हस्ताक्षर है, वह साक्षर है। मदरसों का कोई कन्ट्रीब्यूशन न हो लेकिन इतना जरूर है कि हिन्दी, उर्दू, हिसाब जोड़ना, अपनी मजहबी किताब को पढ़ना इतना कम से कम उनसे आ जाता है और भारत सरकार की उस योजना से ज्यादा उनका कन्ट्रीब्यूशन है जो मदरसे काम करते हैं। एक जमाने में बड़ा वाबेला हुआ कि नेपाल के बार्डर से लगे हुए जितने मदरसे चलते हैं यह आतंकवाद के अड्डे हैं। लेकिन इन तमाम इल्जामात् के बावजूद एक मदरसा भी ऐसा साबित नहीं किया जा सका जिसमें आतंकवाद का अड्डा होना तो बहुत दूर की बात है किसी एक व्यक्ति पर किसी एक मास्टर

पर या किसी एक बच्चे पर यह कहा गया हो कि यह आतंकवादी है और मान्यवर, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि क्या इतनी बुद्धि नहीं है लोगों को, चाहे वह किसी भी धर्म किसी जाति से ताल्लुक रखते हों कि उन्हें अगर आतंकवादी अड्डा चलाना होगा तो उसका नाम किसी मदरसे के नाम से क्यों रखेंगे किसी बड़े नेता के नाम से रखेंगे ताकि उस पर नजर ना जाये। मान्यवर, यह इसलिए कह रहा हूं कि यह विडम्बना ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जिस पैसे से गुजरे पांच सालों में एक कमजोर कौम को बैसाखी दी जा सकती थी उनकी जाहिल जबान को शिक्षा दी जा सकती थी उनके बच्चों को तकनीक दी जा सकती थी उन्हें जीने का सलीका दिया जा सकता था। पांच साल तक एक पत्रावली एक कमरे में इस टेबिल पर, उस टेबिल पर और इस तरह पांच साल पूरे हो गये और एक पैसा भी रिलीज नहीं हुआ।

इसके पीछे कितनी खतरनाक मानसिकता थी, वह मानसिकता जिसने इसी सदन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का बिल पास किया, वह नहीं बन सकी और फिर इसी सदन में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ, तो बनी, लेकिन जब गत सरकार आई तो माननीय कांशीराम जी के नाम से उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितना अजीब है मान्यवर, इतना अजीब है मान्यवर कि वह लोग जिनके लिए उर्दू अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो भारत सरकार से पैसा आया, वह उन तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचने दिया गया कि अगर पहली ग्राण्ट इस्तेमाल हो जाती, तो दूसरे साल की ग्राण्ट मिल जाती और जब दूसरे साल की ग्राण्ट इस्तेमाल हो जाती तो तीसरे साल की ग्राण्ट मिल जाती, फिर चौथे साल की मिल जाती, फिर पांचवे साल की मिल जाती, तो हो सकता था कि वह मदरसा जिस पर लोग आतंकवाद की उंगली उठाते हैं, वह डिग्री कालेज बना खड़ा होता, वह इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज बना खड़ा होता। तो क्या मान्यवर, यह देश के लिए बुरा हो जाता कि जिस देश के पास झोला छाप डाक्टर नहीं हैं, उस देश को कुछ ऐसे लोग मिल जाते जो मरीज का इलाज कर देते। अगर एक व्यक्ति भी इन बद्नसीबों के इलाज से बच जाता, तो लोग कहते हैं कि किसी एक बेगुनाह को बचा लेना, पूरी मानवता को बचा लेना है, किसी एक बीमार को बचा लेना, सारे बीमारों को बचा लेना है। इस मानसिकता से पिछले पांच बरस काम हुआ और जब पत्रावलियां देखी गईं तो यह मालूम हुआ कि एक मेज से आगे फाईल बढ़ी ही नहीं, मान्यवर सारा पैसा लैप्स हो गया। मान्यवर, उसमें काम किया है हमने और कई योजनाएं हैं हमारी, बहुत समय हो जायेगा, 30 हजार रुपया हाईस्कूल पास करने वाली बच्चियों को और मान्यवर, इस बार हमने बहुत सख्ती से एक चीज यह भी लागू की है कि किसी भी स्तर का वजीफा हो, हम मैनेजमेण्ट को या प्रिंसिपल को वह नहीं दे रहे हैं। सब बच्चों के खाते खोले जा रहे हैं, हमें इसमें परेशानी आई है, बहुत से बैंक ने इसमें दुश्वारियां खड़ी की हैं, नेता सदन से मा0 मुख्य मंत्री जी से हमने उसमें मदद ली है, हमने आपके बहुत सख्त आदेश कराये हैं पत्रावलियों पर और वह सारे खाते खोले जा रहे हैं और इस तरह हम अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से ज्यादा काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अब बहुत से सवालात ऐसे हैं, जिनके जवाब नहीं हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है कि हम अनपढ़ समाज को कैसे शिक्षित कर सकते हैं, ''पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां'', ''हमारी बेटी उसका कल'', इस तरह हम एक शिक्षित समाज तैयार करने की कोशिश में लगे हैं मान्यवर। इसी के साथ मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण में ही जो शमशान

हैं, ये बदनामी भी आज इस सदन में हमारे दामन से हटनी चाहिए कि केवल कब्रिस्तानों की ही बाउण्ड्रीवाल्स नहीं बल्कि शमशानों की भी बाउण्ड्रीवाल्स बनाने की योजना इसलिए नहीं है, हरगिज नहीं है कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल्स बनाने की योजना कि सरकार कोई तुष्टिकरण की पालिसी इख्तियार कर रही है, सरकार सिर्फ मुसलमानों को खुश करना चाहती है, मगर सच्चाई यह है कि आबादियों के अन्दर जो कब्रिस्तान हैं, उनकी क्योंकि कोई देख-भाल नहीं होती है और सारे शहरों की खूबसूरती खराब होती है, कब्रे नजर आती हैं। वहां हिन्दू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, ईसाई भी रहते हैं, जब उधर से गुजरते हैं तो अच्छा नहीं लगता, चुनांचे अपने शहरों को सुन्दर बनाने के लिए और यह भी सच है कि उन कब्रिस्तानों में जनाजे लाने वाले लोगों की यह हैसियत नहीं है कि वह वहां दीवारें बनवा सकें। आज भी बहुत गरीबी है, हमारी बस्तियों की, मुस्लिम बस्तियों की गरीबी देख कर आपको खुद तरस आयेगा कि वह अपने कब्रिस्तान की देख-भाल तो दूर की बात, अपने अजदाद की कब्रों को भी ठीक से नहीं संभाल सकते, अपनी औलादों की, अपनी पत्नी, अपने मां-बाप की कब्रों को भी नहीं दुरुस्त कर पाते हैं, तो वह दीवारें क्या बनायेंगे। तो शहरों को अच्छा करने के लिए मजबूत दीवारें बनाने का हमने तय किया है। मुख्य मंत्री जी का बहुत यह एक मजबूत लक्ष्य है उसे हम हासिल करेंगे और आप देखेंगे मान्यवर, इन दीवारों को हमने ईंट से नहीं बनाया है, हमें मालूम है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां ईंट की जरूरत पड़ती है, चाहे घर के इस्तेमाल के लिए या किसी पर फेंकने के लिए। हमने जो डिजाइन तैयार किया है, वह आर0सी0सी0 डिजाइन है। उसमें सरिया होगा और कांक्रीट होगी। अगर कोई तोड़ेगा भी तो उसके काम नहीं आयेगा। मान्यवर, मजबूत दीवारें बनायेंगे और हम इस तरह की दीवारें बना रहे हैं जिसमें कब्रिस्तान के अन्दर नजर आयेगा कि क्या है, कौन बैठा है इसमें, कोई छुप तो नहीं गया है यहां जाकर तो ये सब भी मान्यवर, या जो शमशान की दीवारें हैं उनमें भी, वही हमारी पालिसी रहेगी। बिल्कुल एक सी योजना है तो इस तरह के काम मान्यवर, और एक बहुत बड़ा काम जो वैचारिक है और समाजवादी पार्टी की बुनियादी सोच है।

हमें ये सौभाग्य हासिल है कि मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी से लेकर मोहतरम अखिलेश यादव जी तक काम करने का मौका मिल रहा है और उनके जहन, उनके दिल, उनके विचारों को लागू करने में हमको कोई परेशानी नहीं होती। अक्सर हमारी और नेता जी की बात होती थी कि रिक्शा वालों का कैसे उद्धार किया जाये और समाजवादी पार्टी की गत सरकार में मेरे पास जब यह विभाग था तो हमने रिक्शा वालों का लाइसेंस खत्म कर दिया था। रिक्शा वाला लाइसेंस की फीस नहीं दे पाता था। अगर वो दे सकता होता तो उसका लाइसेंस खारिज क्यों हो जाता। मान्यवर, इंसान होकर हैवानों की जिन्दगी जीने के लिये जो समाज मजबूर करता हो। मैंने इस वाकये को जब पिछला बजट पेश करते हुये पिछली सरकार को यह बतलाया था कि हमने जब वकालत शुरू की तो रिक्शा से ही घर जाते थे। कई बार देखा कि एक साहब जिनकी 80 से 85 साल की उमर होगी। नौजवान साथी जो पहली बार चुनकर आये हैं। ये चीज उनके लिये एक सबक बनेगी। 80, 85 साल के बूढ़े जिनकी पूरी दाढ़ी सफेद थी। कमर दोहरी थी, वो रिक्शा लिये खड़े रहते थे और मैं जब पांच, साढ़े पांच बजे कोर्ट से निकलता था तो वो अकेले रिक्शा वाले होते थे क्योंकि बाकी को सारे लोग लेकर चले जाते थे। चाहे वो मुवक्किल हों, चाहे वो वुक्ला साहेबान हों। रिक्शों की ज्यादती नहीं थी उस वक्त जितनी आज ज्यादती है और सिर्फ एक अकेला बूढ़ा शख्स मेरा वहां इंतजार करता हुआ वहां मौजूद था। मैं उनके

रिक्शा में नहीं बैठा, एक बार नहीं बैठा, दो बार नहीं बैठा और सड़क पर निकलकर आया, कोई और रिक्शा मिली तो उस पर बैठ कर चला गया। एक दिन उन्होंने मेरी राह रोक ली और कहा बेटे बताओ तुम मेरी रिक्शा में क्यों नहीं बैठते हो। मैंने कहा चचा, आपके रिक्शा में बैठते हुये मुझे शर्म आयेगी इसलिये मैं नहीं बैठता। उन्होंने कहा तुम देख रहे हो मेरी रिक्शा में कोई नहीं बैठता। अगर तुम भी नहीं बैठोगे तो मैं अपने बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊंगा। हम बहुत दर्द भरे और दुखों भरे समाज में हैं। हमारी समस्यायें भी बड़ी अजीब हैं। हमें मजबूर होकर उनकी रिक्शा में बैठना पड़ा और तय किया अपने आपसे कि अगर कभी भी इस काबिल होंगे तो हम इस समाज की चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस रिक्शा समाज की मदद करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला काम हमने नेता जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद आपको याद होगा कि खैराती अस्पताल का पर्चा नेता जी ने जो उस वक्त 8 रुपये था। सामने वाली पार्टी ने गत सरकार ने किया था, इस सरकार से पहले जब सरकार बनी थी और 8 रुपये का खैराती अस्पताल का पर्चा इसलिये जुल्म था कि 90 परसेण्ट मरीज वो होते हैं जिन्हें 2 रुपये की गोलियां भी दवाइयां के तौर पर नहीं मिलतीं और 6 रुपये उनकी जेब से नोच लिया जाता था। एक रुपया के लिये भी मा0 मुख्य मंत्री जी का मन नहीं था लेकिन सवाल ये उठा कि कागज और छपाई की कीमत निकल जाये। लिहाजा अस्पताल का पर्चा 01 रुपये किया गया। ये सोच थी समाजवादियों की और इसीलिये रिक्शा का लाइसेंस न हो और जब ये मालूम हुआ कि रिन्युअल का भी पैसा जाता है तो वो पैसा भी खत्म कर दिया गया कि रिन्युअल का भी पैसा न हो। हम अपने संसाधनों को जैसा हासिल कर सके और जितना हम तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ सके। उसके बाद फिर हमारे लिये ये सोचने के सिवा कुछ नहीं रह जाता था कि दुनिया के बहुत छोटे लोग जिनके पास हमसे कहीं कम वसाइल हैं, जिनके पास रोटी कम है, जिनके पास कपड़ा कम है, जिनके पास मकान कम है, जिनका बैंक बैलेंस कम है, वहां भी इंसान जानवरों की जिन्दगी गुजारने के लिये मजबूर नहीं है और उन देशों में भी रिक्शा नहीं हैं इसलिये हमारा संकल्प है मान्यवर, और मैं समझता हूं कि हमारी तमाम योजनायें एक तरफ अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उन रिक्शा चालकों को जिनकी रिक्शा फेफड़ों के गल जाने के बावजूद भी चलती है। कैंसर का पेशेण्ट होने के बावजूद भी चलती है। और ये सच है कि रिक्शा चलाने वाले सौ फीसद किसी भी धर्म, जाति के लोग हो, 100 फीसद लोगों को टी0वी0 होती है और कैंसर होता है। मालूम नहीं होता, क्योंकि उसके कैंसर के ईलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि अस्पताल जाने के लिए जितना पैसा चाहिए उसका विचार भी उसके पास नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को रिक्शा लेकर, बैट्री चालित रिक्शा देने का जो एक बड़ा संकल्प लिया है, मान्यवर, यूं तो यह एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है, न जाने हमें इसमें किन-किन शिकायतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने एक शुरूआत की है, कुछ लोगों को ट्रायल के तौर पर रिक्शे दिए गए हैं।

अब हम उनमें छांटने जा रहे हैं कि कौन से रिक्शे ऐसे होंगे जो कामयाब हो सकेंगे, इस तरह से थोड़े-थोड़े से रिक्शा बंटना हम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव तक हम ठीक कह रहे हैं आपसे, हम राजनीति कर रहे हैं लेकिन राजनीति में भी हमारी इंसानियत का पहलू कहीं, धुंधला नहीं होता, कि हम कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव तक या अगले 4 सालों तक, चुनाव शब्द नहीं कहना चाहूंगा, आने वाले और 4 सालों तक हम पैरों से रिक्शा चलाने वालों की

तादाद को बहुत कम कर दें, कोशिश तो यह है कि हम उन्हें खत्म कर दें, (मेंजों की थपथपाहट) लेकिन बहुत-कम कर दें। मान्यवर, इसी के साथ वफ्फ की जायदादें भी हमारी हैं, उसे भी हम देखते हैं मान्यवर। गत सरकार में बहुत लूटा गया है, वफ्फ की जायदादों को। मान्यवर, वक्फ को गैर-वक्फ बनाया गया है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि देग से एक दाना चावल का निकाल लें आप, तो पूरे देग के पक जाने की इत्तलाह मिल जाती है, सूचना हो जाती है। हमारे यहां कर्बला हुसैनी सराय, ऐसी जमीन, जिसे नवाब रामपुर ने अपने ज़ाती पैसे से जिसकी रजिस्ट्री की हो, अपने ज़ाती पैसे से, नवाब ने खजाने से नहीं बल्कि अपने ज़ाती पैसे से, जिस जमीन की रजिस्ट्री की हो, नेशनल हाई-वे की, बेशकीमत जमीन और वसीयत यह की हो उस हलफनामें में कि इस जमीन में एक मुसाफिरखाना और एक धर्मशाला बनायी जाए, उस जमीन को भी बेच लिया गया, बिल्डर्स के हाथ। कर्बला जो बहुत पाक नाम है, वह जमीन बेच ली गई, बेशुमार कीमती जायदादों को बेच लिया गया और पूरी व्यवस्थाएं खामोश तमाशाई की तरह वक्फ की इन जायदादों की बर्बादी देखती रहीं। मान्यवर, हमने चुनाव के दौरान भी और अपने घोषणा-पत्र में भी ऐलान किया था और अडिग हैं हम इस पर, मैं तो कहता था, अपने भाषणों में अपने शहर के लोगों से और इस वक्त आप रामपुर में जाकर देखें कि जितना इलीगल इन्क्रोचमेंट है वह किस तरह हटाया जा रहा है। किसी को नहीं देखा जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में इलीगल इन्क्रोचमेंट को हटाने के लिए ड्राईव चल रहा है हमारा। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति नाराज होंगे, लेकिन एक हजार लोग, जिन्हें खुलकर वहां चलने का मौका मिलेगा, वह जरूर हमारी तारीफ करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैंने कहा था उस वक्त लोगों से कि देखो अगर तुमने किसी ठग के, कोई अगर ठग मुतवल्ली है, अगर कोई बेईमान चोर मुतवल्ली है, अगर कोई इस्लाम के एक शब्द को नहीं जानता और जो जमीन से नहीं, अपने मालिक से बगावत पर उतरा हुआ है, तो तुम ये जमीनें खरीद तो चुके हो, लेकिन एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे साथी के नाते मेरा मशवरा है कि इस पर कुछ बनाना मत, क्योंकि आने वाले कल अगर व्यवस्था बदली, तो जमीन भी जायेगी और जमीन के साथ ये बनी हुई जायदाद भी जायेगी। अगर नहीं बनाओगे तो केवल जमीन जायेगी, इमारत नहीं जायेगी और अगर बना लोगे तो ईमारत भी जायेगी और जमीन भी जायेगी। हम एक ऐसा ही कानून ला रहे हैं मान्यवर, कि ऐसी सारी वक्फ की जमीनें, जिन्हें गलत तरीके से गैर-वक्फ घोषित किया गया है और बिल्डर्स के हाथ बेचकर उस पर तामीरात कराई गईं हैं। हम एक कानून बनाकर उन सारी जमीनों और उस जायदाद में फिर उसी वफ्फ में मुन्तकिल कर देंगे, जहां से गैर-कानूनी ढंग से उसे गैर-वक्फ बनाया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, 50 मिनट हो गए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, खत्म। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप पूरी बात कह लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं पूरी बात कह चुका। बस इतना कह कर अपनी बात खत्म करता हूं, कि मैंने जो कुछ कहा है, वह सिर्फ-सिर्फ और सिर्फ दिल से कहा है। मैं ज्यादा काम दिल से लेता हूं, दिमाग मेरे पास

कम है और यही वजह है कि कभी आप मुझे यहां दौड़ा लेते हैं और और कभी समाज बाहर दौड़ा लेता है। मैंने जो कुछ कहा है पूरे दिल से कहा है, पूरी नेकनीयती से कहा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उतना ही कहूं, जितना कर सकूं और जो कहूं फिर वह किया जाए। मैं आप सबसे सहयोग की आशा करता हूं, क्योंकि कटमोशन रखना हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। कटमोशन रखा जायेगा, कटमोशन रखा जाए लेकिन कटमोशन रखने के वक्त ये मन जरूर रहना चाहिए हमारे डॉक्टर साहब का। मान्यवर, वहीं ये कटमोशन पेश करने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा था कि महाना जी आज कहां हैं मान्यवर, लेकिन महाना जी तो कल अपना काम दिखा चुके हैं अधूरा ही। जो इस समय अच्छा लगे उसे आप कम से कम अच्छा कहिये और जो बुरा लगे उस पर जरुर कहें और यह समझकर कहिये कि उसमें आप जो तब्दीली चाहते हैं उस तब्दीली पर जरूर विचार होगा और उस पर अमल करने की कोशिश होगी।

श्री अध्यक्ष-

आज माननीय नेता विरोधी दल ने लिखा है कि अनुदान संख्या-37 पर उनके दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह दलीय नेताओं की बैठक में जो तय हुआ था उसी के अनुरूप यह मैंने भेजा है। अब डा0 साहब रोज खड़े हो जाते हैं तो क्या किया जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम उठ कर चले जाते हैं कल भी यही हुआ था। यह उनका विशेषाधिकार है वह चाहे तो इसका उपायोग करें या दुरुपयोग करें।

श्री अध्यक्ष-

कल भी आपका विवाद था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। यह साथ में बैठकर तय हुआ था। माननीय हुकुम सिंह जी शायद भूल गये हैं। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी कटौती का प्रस्ताव रख लें फिर आप हमारी तरफ से डा0 धर्मपाल जी को बुला लें वह मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे क्योंकि काफी तैयारी की है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अल्पसंख्यक कल्याण पर गुड्डू जमाली जी रख देंगे।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सॅम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस बात को पूरा सदन और पूरा प्रदेश स्वीकार करता है कि जब भाषण और तकरीर की बात आती है तो सचमुच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि यह आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है माथे पर इसकी गहरे निशान हैं। मान्यवर, जो उन्होंने यहां पर आज पचास मिनट तक भाषण दिया है उसमें मैं बहुत सी बातों से सहमत हुआ हूं। मान्यवर जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं से मैं भी शुरुआत कर रहा हूं। माननीय नगर विकास मंत्री जी आपके साथ विदेशों में जाने का मौका मिला है और विदेशों के नगरों को देखने का मौका मिला है। सब सहमत होंगे इस बात पर कि वहां की व्यवस्थायें अच्छी हैं। मान्यवर, प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था वहां पैदा क्यों है मंत्री जी ने कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है इस नाते और वहां गुणवत्ता मिलती है इस नाते। मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हो सकता हूं अगर तीसरी बात भी आप मेरी स्वीकार कर लीजिये। मान्यवर, वहां वस्तुतः निगमों को बनाया गया है उन्हें स्वायत्ता दी गयी है। उन्हें अधिकार दिया गया है। वहां एक मेयर को वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक सूबे के मुख्य मंत्री को प्राप्त होते हैं। हम लोगों के यहां यह सब नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों नहीं है। यहां नगर निगम का मतलब है सफाई कराने वाला पथ प्रकाश की व्यवस्था कराने वाला निगम। इसी रुप में उसे रखा गया है। मुझे दुःख इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि संविधान का 74वां संशोधन 1992 में लागू हुआ और 1992 और आज हम 2013 तकरीबन 21 साल का अन्तर आ गया। 1992 में जो अधिकार नगर निगमों को दिये गये थे अगर वह अधिकार उत्तर प्रदेश में नगर निगमों को दिये गये होते तो नगर निगमों के संशाधन में इतनी वृद्धि हुई होती कि हो सकता है कि जो चीजे हम विदेश में देख करके आये थे उतनी उचाइयों पर न पहुंचे होते लेकिन शायद जो स्थितियां हम आज देख रहे हैं उनसे बहुत बेहतर स्थिति पर शायद हम लोगों के नगरों की स्थिति होती। प्रश्न यह है कि उस 74वें संशोधन के द्वारा कौन से वे अधिकार थे जो नगर निगमों को दिये गये। अध्यक्ष जी, 12-18 ऐसे अधिकार थे जो नगर निगमों को बारहवीं अनुसूची के माध्यम से केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण भारत में नगर निगमों को दिये जाने की व्यवस्था की। और इन सारे 18 कार्यों को उन्होंने बारहवीं अनुसूची में अलग से चिन्हित कर दिया। नगर निगमों को यह अधिकार दिया कि वह इन 18 विषयों के बारे में बाकायदा कानून बना सकते हैं और नियमन कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, अगर दो मिनट के लिए मैं जिन विषयों को रखने जा रहा हूं उसमें अकेले हमारे नगर विकास मंत्री जी सक्षम नहीं हैं और उन्होंने तो स्वयं आपसे गुजारिश किया हम लोगों के सामने कि उनका धन बढ़ा दिया जाय मैं उसी गुजारिश को अपनी ओर से आपके सामने लाने वाला हूं उस नाते आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, जो सबसे पहला अधिकार नगर निगमों को दिया गया वह यह था कि नगरीय योजना बनाना और विशेष रूप से शहरी योजना बनाना दायित्व नगर निगमों का होगा, दूसरा जो अधिकार दिया गया नगर के अन्दर बनने वाले भवनों के निर्माण और भूमि प्रयोग के उपयोग की निमिया और उनकी सारी उपविधियां यह सब कुछ नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत होगा, तीसरा अधिकार जो दिया गया किसी भी नगर के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की सारी नीतियों को बनाने का दायित्व अपने अपने क्षेत्र में नगर निगमों का होता है, चौथा अधिकार जो दिया गया सड़कें तो हम बनाते हैं, सड़कों के अलावा पुलों को बनाने का भी अधिकार नगरीय क्षेत्र में नगर निगमों को होगा, इसी के साथ जो अग्निशमक दल के लिए हम लोगों ने....

(इस समय 02 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठीसीन हुए।)

अलग से विभाग बनाया हुआ है मान्यता यही स्थापित हुई बारहवीं सूची के द्वारा कि यह दायित्व भी नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाय। जिस सूडा और डूडा की चर्चा माननीय मंत्री जी कर रहे थे यह नगरीय विकास, नगरीय ग्रामीण उन्मूलन, नगरीय उन्नयन जिसे हम सूडा और डूडा बनाकर एक अलग विभाग बनाकर रखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 74वें संशोधन के बाद यह अधिकार भी नगर निगम को दिये गये। यह 18 अधिकारों की सूची है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, अध्यात्मिक उन्नयन के लिए कार्य करना यह भी नगर निगम के अधिकार में है। जिस शवदाह गृह की आप चर्चा कर रहे थे वह शवदाह गृह, मसान घाट, कब्रिस्तान यह सारे भी नगर निगम के अधिकार के विषय थे। अध्यक्ष महोदय, यह सारी बाते मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने इस बारहवीं अनुसूची को व्यावहारिक धरातल पर नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में दिया होता तो जिस आर्थिक संशाधन की कमी, मैं रोना-रोना तो कहूंगा नहीं, क्योंकि यह शब्द कभी भी आपके साथ जुड़ता नहीं लेकिन जिस पीड़ा की अनुभूति आपको हो रही है कि संशाधन की कमी है अगर यह चीजें की गयी होतीं तो संशाधनों की कमीं का हवाला नगर निगम विभाग को देना नहीं पड़ता। कारण क्या है यह खेल हुआ है उत्तर प्रदेश के अन्दर। माननीय मुख्य मंत्री जी इस देश के अन्दर कई ऐसे प्रान्त हैं जिन्होंने बारहवीं अनुसूची को लागू कर दिया और इन सारे विभागों को नगर निगम को स्थानान्तरित कर दिया। अन्तर क्या पड़ा यह विकास प्राधिकरण जैसी संस्था आज किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण उस पर नहीं है। कभी-कभी माननीय सदस्य यहां खड़े होकर कहते हैं हम लोग भी इस बात को कहते हैं विकास प्राधिकरणों में जो क्षेत्र नगरीय के विकास की योजनायें बनाई जा रही हैं वह बाहर से जाने वाले अधिकारी जो कुछ दिनों के लिए वहां जाते हैं सिर्फ दूध दुहने के लिए विकास प्राधिकरणों का, वह अधिकारी मनमाने तरीके से उनकी नीतियां बनाते हैं, सारी जमीने बेची जाती हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मानचित्र वह सैंक्शन करते हैं, विकास की सारी नीतियां नगर निगमों की वह तय करते हैं और अध्यक्ष महोदय, विकास प्राधिकरणों की आय का एक रुपया भी नगर निगमों को नहीं प्राप्त होता है। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद पहली बार यह हुआ है कि जमीन के विक्रय के नाम पर जो स्टाम्प शुल्क मिला करता था, उस दो परसेंट में उसमें भी एक तिहाई हिस्सेदारी विकास प्राधिकरण की और एक तिहाई हिस्सेदारी आवास विकास परिषद् की हुआ करती थी, अब वह दो प्रतिशत धन नगर निगमों के पास आया है। अध्यक्ष महोदय, यह प्राधिकरण अगर समाप्त किये गये होते या आवास विकास परिषद् समाप्त किये गये होते या अगर समाप्त न भी किये गये होते और इन्हें नगर निगम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया होता तो आज नगर निगम हमारे आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते कि हम जिस विकास की कल्पना को लेकर चलना चाहते हैं, विकास की उन बहुत सारी आवश्यकताओं को अध्यक्ष महोदय, नगर निगम पूरी तरह करने के लिये तैयार होते ।

इसलिये मैं इस बजट में कटौती के माध्यम से जो सबसे पहली बात कहना चाहूंगा, यह अन्याय जो उत्तर प्रदेश की नगरीय जनता के साथ हुआ है और यह छोटी मोटी जनता नहीं है, नगर विकास मंत्री जी तकरीबन 4 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं, अगर आपके 22 परसेंट के आंकड़े को मान लिया जाय तो 4 करोड़ से अधिक लोग नगरों में रहते हैं यह जो अन्याय इन नगर क्षेत्र में जीने

वाले लोगों के साथ में हुआ है और यह अन्याय मूलतः सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हुआ है। गुजरात हो, तामिलनाडु हो, आन्ध्र हो, आसपास के प्रान्तों में यह परिवर्तन किया जा चुका है। इसलिये सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिये यह जो 74वें संशोधन को उत्तर प्रदेश में लागू करने से रोका गया है और आप जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है यह ऐतिहासिक सत्य है आखिर आजादी में बड़ी भूमिका निर्वहन करने का दंड हमें क्यों मिलता है। 74वें संशोधन से आजादी लोकतंत्र में नगरीय जनता को मिल सकती है, वह हम तक क्यों नही पहुंची यह हम सबकी चिन्ता का विषय है इसलिये आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब जवाब देने खड़े होंगे तो बतायेंगे कि कौन सी वह परिस्थितियां हैं, किसका दबाव है, कौन से वह कारण हैं, जिसके नाते आज भी हम 74वां संशोधन लागू करने की स्थिति में नहीं हैं यह सदन और यह समाज जानना चाहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि नगर निगमों की स्थिति बहुत खराब है जो साहित्य माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम लोगों को मिला है, मैं उसे देख रहा था, अधिकांश पैसा जो नगर निगमों को मिलता है या तो वह 13वें वित्त का पैसा है, या तो वह स्टेट फाइनेंस का पैसा है, या तो वह रिवाल्विंग फंड का पैसा है, या किसी अन्य स्कीम जिसकी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की चर्चा हुयी, गंगा क्लीन मिशन की चर्चा हुयी, इनके माध्यम से मिलने वाला पैसा है। यह नगर निगम अपने संसाधन से चार रुपये में सिर्फ एक रुपया का जुगाड़ कर पाते हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि यह सारी संस्थायें जितनी भी पैरा सेटल बाडीज हैं इस बात को 74वें संशोधन ने कहा, इस बात को 13वें वित्त आयोग ने कहा, इस बात को स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कहा। सबकी रिपोर्टें हैं, सब लगातार इस बात को कह रहे हैं, इसके बावजूद यह संस्थायें क्यों चल रही हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र की सीमा से परे बनाकर के उन्हे एक पैरा संवैधानिक संस्था के रूप में खड़ा किया गया है, यह सदन इसका जवाब पाना चाहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ कुछ बांतें 13वें वित्त आयोग ने भी कहीं। 13वें वित्त आयोग ने कुछ बांतें बहुत साफ कहीं हैं। हमने जो इन 18 कामों को चिन्हित किया है, अगर राज्य सरकार अपने नगर निगमों को धन देता है तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि इन 18 कार्यों को अलग-अलग मेजर हेड में बांटकर दें जिससे कि ऐसा न हो कि नगर निगम का पैसा किसी एक काम में पूरी तरह खर्च हो जाये, सिर्फ सड़कें ही बनती रहें या सिर्फ नाले ही बनते रहें। इसलिये यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी दायित्व नगर निगमों के दिये गये हैं, जब भी शासन अपने पैसे का संवितरण करे तो इन 18 दायित्वों के अन्तर्गत यह पैसे बांटकर भेजे जायें और जो नेशनल एकाउन्ट मैनुवल है उसके हिसाब से उसको अलग-अलग प्रदर्शित करके नगर निगमों को यह दायित्व दिया जाय, स्थानीय निकायों को यह दायित्व दिया जाय कि वह जो अपना बजट वापस भेजें, उस बजट में उस पैसे का कैसे अलग-अलग उपयोग हुआ, यह प्रदर्शित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा दायित्व दिया गया है और एक बहुत बड़ी कमी है हम यहां बजट प्रस्तुत करते हैं, संविधान यह कहता है कि इस बजट के साथ-साथ नगर निगमों का एक सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत होना चाहिये। यह परम्परा आज तक प्रारम्भ नहीं हुई। 1992 का यह 74वां संशोधन है उस जमाने से वित्त आयोग लगातार इस बात को कह रहा है जब भी हम अपना मूल बजट प्रस्तुत करते हैं तो जैसे मिड टर्म फिस्कल रिस्पांसिबिल्टी बजट के हिसाब से प्रतिवर्ष की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा देते हैं वैसे ही हमें नगर निगमों का एक सप्लीमेंटरी बजट देना चाहिए। और पूरा सदन यह जान सके कि यह नगर

निगम आर्थिक रूप से किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। वह सारे तथ्य इस बजट के माध्यम से समाज के सामने आने चाहिए।

सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने भी अभी वित्त आयोग की हल्की सी चर्चा की वित्त आयोग की रिपोर्ट 2008 में आई । 2008 के बाद से आज तक कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई। यह 2008 की रिपोर्ट 2011 तक थी 2011 के बाद कितनी वित्त आयोग की रिपोर्टें समाप्त हो गईं और 2011 के बाद तीन साल करीब करीब बीत रहे हैं एक वित्त आयोग का कार्यकाल पांच साल होता है और मैं आपके संज्ञान में दूं कि इन तीन सालों में हम लोग वित्त आयोग की रिपोर्टों के आधार पर नहीं सरकारी कागजातों और निर्णयों के आधार पर नगर निगमों को धन आवंटित कर रहे हैं यह नगर निगमों के साथ एक आर्थिक अन्याय है मैं समझता हूं कि सरकार को यह प्राविधान सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर 2011 तक वित्त आयोग की रिपोर्टें थीं तो 2015 से लेकर 2016 तक जो वित्त आयोग की रिपोर्टें थीं वह 2011 में आनी चाहिए थी। मैंने अभी जो चौथा वित्त आयोग चल रहा है उनके चेयरमैन साहब से बात किया मैंने उनसे पूछा कि आपकी नई रिपोर्ट कब तक आएगी जो कुछ उन्होंने कहा उसके हिसाब से वह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय अभी आने में दो साल लगने वाला है। स्थिति यह है कि इतना बड़ा संवैधानिक संकट हमारे सामने है हमारे पास वित्त आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है वित्त आयोग की कोई अनुशंसा नहीं है और हम वित्त आयोग की तथाकथित अनुशंसा के आधार पर निगमों को वित्त आयोग का धन देते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में जब रिपोर्ट आएगी और जब दोनों रिपोर्टों और हमारे द्वारा दिए गए धन में अन्तर होगा तो उस सारे धन की भरपाई कर पाना आर्थिक रूप से नगर निगम प्रशासन के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल होगा। एक सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी गुणवत्ता की करते हैं आखिर अगर नागरिक नगर निगम से परेशान है तो शिकायत किसके पास करें। अधिकारियों की शिकायत हो या चयनित जनप्रतिनिधियों की शिकायत हो इसलिए एक बहुत अच्छा सुझाव जो तीसरे वित्त आयोग ने दिया था हमें नगर निगमों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना करनी चाहिए। जिन्हें अधिकार देना चाहिए कि एक सामान्य नागरिक अपनी शिकायतों को चाहे वह नगर निगम के जनप्रतिनिधि हों चाहे वह नगर निगम के अधिकारी हों उनके बारे में शिकायतें कर सकें और यह संस्था उनकी जांच कर सके और जांच करके जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हों वह करें। अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि शायद ही नगर निगम के संदर्भ में की गई किन्हीं शिकायतों पर स्थानीय आधार पर किसी प्रकार का कोई लोकतांत्रिक फैसला हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं जो धन वित्त आयोग के द्वारा आवंटित किया जाता है उसका एक आधार है जनसंख्या का आधार क्षेत्रीय विषमता का आधार क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या का आधार और उस क्षेत्र के द्वारा राजस्व के लिए किये गये प्रयासों का आधार। इसी आधार पर वित्त आयोग विभिन्न नगर निगमों को धन आवंटित करता है। एक प्रश्न जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा हम लोग इस आधार पर नगर निगमों को धन तो भेजते हैं लेकिन हमारे मन में इस बात की चिन्ता कभी नहीं आती कि नगर निगम अब वह नहीं रह गए जो 10 साल पहले थे। आज नगर निगमों का क्षेत्र व्यापक हो गया। नगर निगमों के क्षेत्र में वह बहुत सारे हिस्से आ गए जो गांव के हुआ करते थे। जहां सड़कें नहीं थीं, नालियां नहीं थीं, विकास की कोई सुविधाएं नहीं थीं आप किसी

भी नगर का उदाहरण ले लीजिए वह दो हिस्सों में बंट गए हैं एक हिस्सा वह है जो पुराना नगरीय हिस्सा है दूसरा हिस्सा वह है जिसमें नया जोड़ा गया है। मैं इस बात को लगातार सदन में लाता हूं और मुझे एक रटा रटाया जवाब दिया जाता है । नगर निगम स्वायत्त हैं सरकार उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्हें जैसे धन खर्च करना हो खर्च करने का अधिकार है । होता क्या है गोरखपुर नगर निगम में 70 पार्षद हैं जितना उनके पास धन होता है वह सत्तरों में बराबर बांट देते हैं कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो पिछड़ा रह जाय उस क्षेत्र में अतिरिक्त विकास कराया जायेगा इसकी चिन्ता नहीं होती।

विकास का यह पैमाना अध्यक्ष महोदय नहीं हो सकता और इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर वित्त आयोग यह तय करते हैं कि हम नगर निगमों को इस आधार पर धन देंगे कि 50 प्रतिशत पापुलेशन, 30 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ापन, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति की संख्या और 10 प्रतिशत राजस्व की वसूली तो हम जो इन नगर निगमों को धन देते हैं क्या हम उनके साथ यह शर्तें नहीं जोड़ सकते कि आपको यह धन खर्च करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर हमने आपको 50, 30, 10 और 10 के रेशियो में धन दिया है तो आप भी यह सुनिश्चित करें कि आप अपने नगर निगमों में इसी 50, 30, 10 और 10 के रेशियो में अपने धन को खर्च करेंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था अगर तीसरा वित्त आयोग हमारे ऊपर लादता है और हम इस धन को नगर निगमों को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह संवैधानिक व्यवस्था हमें नगर निगमों में करनी चाहिए, वित्त आयोग की इस रिपोर्ट को नगर निगमों पर लागू करना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं एक छोटे से शहरी क्षेत्र से आते हैं, बहुत खराब स्थिति है, हर नगर निगम के अन्दर एक शहर बन गया है और हर नगर निगम के अन्दर एक गांव बन गया है, विकास उससे बहुत दूर हो गया है। वह सारे गांव के क्षेत्र हैं कॉलोनाइजर्स उनकी जमीन को टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदकर सीधे-सीधे काश्तकारों से लिखवाकर उनके जीवन को और नारकीय कर दे रहे हैं न तो विकास प्राधिकरण वहां काम कराता है और न नगर निगम वहां काम कराता है और रोज-रोज हम लोग इन समस्याओं को ले करके यहां आते हैं। आज मुझे चूंकि नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका मिला है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो प्राविधान विकास सापेक्ष, पिछड़ापन सापेक्ष, अनुसूचित जनसंख्या सापेक्ष, राजस्व की वसूली सापेक्ष किया गया है, यह प्राविधान नगर निगमों में किया जाए जिससे कि नगर निगम के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हम सुनिश्चित कर सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसा करने से मैं समझता हूं कि कोई भी संवैधानिक संकट इस प्रदेश के सामने नहीं होगा, इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, बहुत से अन्य सुझाव भी आये हैं, यह जो मनोरंजन कर हम देते हैं, यह जो मोटर व्हीकिल टैक्स हम वसूलते हैं, यह जो सिनेमा में विज्ञापन किये जाते हैं, यह जो खनन की रायल्टी ली जाती है, यह सारा अगर हमारे नगर निगम क्षेत्र से आता है तो सवाल यह है कि अगर यह सारी आय सरकारें हमारे नगर निगम क्षेत्र से ले रही हैं तो इनकी आय का एक हिस्सा हमारे नगर निगमों को अपनी आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। यह बातें हम लोग नहीं कह रहे हैं यह बातें तेरहवां वित्त आयोग कह रहा है, यह बातें तीसरा स्टेट वित्त आयोग कह रहा है। अगर संवैधानिक संस्थाएं इस बात की सलाह दे रही हैं तो आखिर क्या कारण है अध्यक्ष महोदय कि

इन चीजों को हम लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात नगर निगम की सीमा के अन्दर जितने राज्य सरकार के संस्थान चलते हैं, जितने केन्द्र सरकार के संस्थान चलते हैं, आखिर इन संस्थानों के ऊपर नगर निगमों का कम से कम कर की दृष्टि से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, वित्त आयोग की यह रिपोर्ट है, विधानों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ऐक्ट्स में परिवर्तन किया जाना चाहिए और यह प्राविधान किया जाना चाहिए कि इनसे शुल्क वसूल करके नगर निगमों को दिया जाए जिससे कि नगर निगमों की आय बढ़ सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ढेर सारे लोग अशासकीय सहायता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालय चलाते हैं और विद्यालय के आगे की जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करते हैं और विद्यालय के नाम पर उन्हें किसी प्रकार का कर देने से छूट हो जाती है।

नगर निगमों की यदि हम आय बढ़ाना चाहते हैं तो यह जो शासकीय सहायता प्राप्त या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को विद्यालय के नाम पर तमाम छूट मिलती है और बाद में अपनी जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करते हैं, उनको हम नगर निगमों की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन बना सकते थे। यह सारी बातें मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि बात ही यहीं से शुरू हुई थी। माननीय नगर विकास मंत्री ने इस बात की चर्चा की कि नगर विकास विभाग आर्थिक रूप से संसाधनों की कमी को लेकर कितना परेशान है। यह सारे सुझाव हम लोगों के नहीं हैं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के हैं, जिसका प्रयोग यदि किया जाता तो नगर निगम आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो सकता था। मैं इस बात का पूरा विश्वास प्रकट करता हूं कि जब सरकार की ओर से जवाब आयेगा तो इस बात की चर्चा की जायेगी कि वित्त आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2008 में आने के बाद आखिर कौन से वे कारण थे जिसके नाते यह प्राविधान लागू नहीं किये गये। आपने चर्चा की सीवरेज की, जल निकासी की और जलापूर्ति की और उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जलापूर्ति में, 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की सीवरेज में और 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जल निकासी में। यह साहित्य में है जो हम लोगों को मिला था, कुल मिला करके 630 करोड़ रुपए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के 12वीं योजना का अध्ययन कर रहा था। 12वीं योजना में जो नगर विकास के बारे में प्लान तैयार किया गया है अगर हमें नगरों की स्थिति को बेहतर करना है वह जो सपने हम देखते हैं और दिखाये जाते हैं, उन सपनों को अगर पूरा करना है तो हमारे उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग ने वह आंकड़े तैयार किये हैं कि नगरों की मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए कितने धन की व्यवस्था होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी ?

माननीय मंत्री जी यह सब उत्तर प्रदेश के एनुअल प्लान का हिस्सा है और एनुअल प्लान यह कहता है कि इस सरकार को पांच साल में जलापूर्ति के लिए 7968 करोड़, सीवरेज के लिए 35,796 करोड़, जल निकासी के लिए 32,695 करोड़, सॉलिड वेस्ट के 2643 करोड़, अरबन ट्रांसपोर्ट के लिए 58,533 करोड़ और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए 14,734 करोड़, कुल मिला करके 1,49,492 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। यह स्वयं सरकार की योजना आयोग, सरकार के नियोजन विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम नगरों की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमें नगर विकास विभाग को कुल मिलाकर 1,49,492 करोड़ रुपया देना होगा। जो सम्पत्ति सृजित होगी उसके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 3191 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है हमारे सामने कि यह 12वीं योजना का डाक्यूमेंट है जो इतने खर्च की बात करता है और दूसरी ओर सरकार के द्वारा नगर विकास विभाग के साथ किया गया अन्याय है जहां कुल मिला करके 360 करोड़ रुपये जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति के लिए, 159 करोड़ रुपये शायद सॉलिड वेस्ट के लिए है और जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे थे 150 करोड़ रुपये सड़क के निर्माण के लिए, कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपये है। प्रश्न यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो रखा है अगर इतना ही कम धन नगर विकास विभाग को आवंटित किया जायेगा तो यह जो विकास के सपने हम लोगों ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखे हैं पूरे कैसे होंगे ? और सबसे बड़ी समस्या है अब स्थितियां बदल गयी हैं। अब जो केन्द्र सरकार का नगरीय विकास विभाग है वह सर्विस केवल रंचमात्र की बात करता है सैनीटेशन की दृष्टि से, जलापूर्ति की दृष्टि से और सॉलिड वेस्ट की दृष्टि से क्या-क्या हमारे लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्यों को चिन्हित कराता है और यह बताता है कि अगर हम सहस्त्राब्दि वैकासिक लक्ष्यों को तो 2015 तक हमें कम से कम इनमें से आधे लक्ष्यों को पाना होगा और 2025 तक सारे लक्ष्य पाने होंगे। अब प्रश्न यह है कि आज की जो नगर निगम की स्थिति है, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक साल तो अभी कार्यकाल हुआ, पांच साल के बारे में चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं। मैं गोरखपुर का विधायक हूं, लोक सभा चुनाव के पहले यही लोग गये थे, गोरखपुर में नगर विकास मंत्री जी गये थे। इनके ही मंत्री मा0 नकुल दुबे जी गोरखपुर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की घोषणा करके आये। प्रत्याशी खड़ा हो गया और जब यह पता चला कि वह प्रत्याशी भा0ज0पा0 के प्रत्याशी के मुकाबले कहीं नहीं है तो 1000 करोड़ रुपये कहां गये कुछ पता नहीं चला। तो यह जो राजनैतिक सब्जबाग दिखाया गया है उससे विकास की जमीनी योजनायें अध्यक्ष जी बनने वाली नहीं हैं। समस्या यह है कि जो जमीनी सच्चाइयां हैं आज भी कुल मिला करके नगर के क्षेत्र में 20 प्रतिशत हिस्से ऐसे हैं जो सीवरेज से वंचित होते हैं और सीवरेज सिस्टम की बात मैं कहूं तो माननीय मंत्री जी गोरखपुर के तीन हिस्सों में सीवरेज सिस्टम है और उन तीनों हिस्सों से सीवर निकाला जाता है, वह कहीं ट्रीटमेण्ट प्लांट में नहीं जाता है, उस मोहल्ले से निकलता है और पाइप को ले जा करके नाली में खोल दिया जाता है और उस मोहल्ले का सारा सीवर पूरे नगर के लोगों के भाग्य का हिस्सा बन जाता है। मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि आखिर ये कैसे कर रहे हो, इतना बड़ा पाप क्यों हो रहा है ? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या करें यह जो बी0 टेक्स की दवा आती है तो जब हम लोग सीवरेज निकाल कर डालते हैं तो बी0 टेक्स की दवा उसमें डाल देते हैं जिससे कि जो कीटाणु उसके अंदर हों वह मर जाएं। यह स्थिति हम लोगों ने सीवरेज की बनायी है अगर सीवरेज सिस्टम को ला करके मुख्य शहर की नालियों में ही खोल देना है तो यह जो हम दावा करते हैं कि 20 प्रतिशत सीवरेज हमारे पास है तो यह दावा भी अधूरा होगा और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि किस प्रकार से हम सीवरेज की योजनाओं के लिये धन ला सकें और किस प्रकार से सीवरेज सिस्टम को बेहतर कर सकें।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय जो शुद्ध जल की बात आई, यह प्रश्न सदन में आया था उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री को एक जवाब मिला था नगर निगमों से जिसमें चर्चा आई थी गोरखपुर की। जलापूर्ति 70 प्रतिशत पेयजल की पाइप से है। सच्चाई यही है अधिष्ठाता महोदय आज

भी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां पाइप पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सारी बातें डाक्यूमेंटेड हैं और जल निगम के लोग जानते हैं तथ्यात्मक हैं। अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति जलापूर्ति की है, यही स्थिति वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की है और जो सॉलिड वेस्ट की चर्चा माननीय मंत्री जी कर रहे थे वह सॉलिड वेस्ट की स्थिति कहां गई है। वस्तुतः जमीनी धरातल पर कहां काम कर रही है वस्तुतः कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आज दोहरे शोषण का शिकार, एक ओर नागरिक 3 परसेन्ट सफाई कर भी देते हैं और दूसरी ओर नागरिक उन्हीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वालों से नकद पैसा देकर वह अपना कूड़ा भी उठवाते हैं। वह कूड़ा कहीं ट्रीट नहीं होता। वह कूड़ा कहां जाता है, हम समझ सकते हैं। नगर निगम पहले फेंकता था, आज वह उठा कर फेंक रहे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखेंगे और मुझे तो फिर एक मौका मिलेगा और हमारे नेता का एक निर्देश भी है और हमें दोबारा जब मौका मिलेगा तो हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा कर लेंगे। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अध्यक्ष जी, यह जो संवैधानिक बाध्यता उत्तर प्रदेश सरकार की थी, यह क्यों अधूरी है और कब तक पूरी हो जायेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब देंगे जो उन चीजों से पूरा प्रदेश अपने आपको आशान्वित करेगा कि स्वतंत्रता की वह लड़ाई और लोकतंत्र का वह अधिकार जो शहरी नागरिकों को नहीं मिला है कम से कम अब मिलने की सूचना प्रारम्भ होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अनुदान संख्या-48 पर श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपने भाषण में इस विभाग के बारे में चर्चा की है और इस विभाग से जुड़े हुए समाज के बारे में चर्चा किया है। महोदय, हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में यूं तो और भी लोग आते हैं जैसे कि सिक्ख, ईसाई, पारसी आदि-आदि। मगर चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समाज में मुस्लिम समाज की जनसंख्या सबसे अधिक है इसलिये इस विभाग को मुस्लिम समाज का बजट कहा जाता है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने पूरे भाषण में उनका केन्द्र मुस्लिम समाज ही रहा। मैं इसमें सुझाव और कुछ आलोचना लिखकर लाया था मगर माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया। जाहिर है बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत अनुभवी हैं और उनका एज्यूकेशनल बैकग्राउन्ड भी वकालत का है लिहाजा उन्होंने सरकार के पक्ष को बहुत प्रभावी ढंग से रखा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। महोदय, चूंकि मैं बहुत जूनियर हूं, हमें बोलना भी नहीं आता इसलिये शायद मैं अपनी बातें इतने प्रभावी ढंग से न कह सकूं लेकिन महोदय यह हम सब जानते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सच सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। माननीय मंत्री जी चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं और अक्सर मैंने देखा है वह इस सदन में कहते भी रहे हैं कि

हम लोगों के अन्दर सहनशीलता की बहुत कमी आ गई है, लिहाजा मेरा किसी से जाती विरोध नहीं है, जाती तौर पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मगर जब सही और गलत की बात आती है महोदय, तो कुछ बातें कहना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में यह कहा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है, ऐसी पार्टी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी है, और अगर कोई दल कोई पार्टी है तो वह समाजवादी पार्टी ही है, जो मुस्लिम समाज का भला कर सकती है। हमारी सरकार जो पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही थी उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा इल्जाम है कि उन्होंने मुसलमानों को पीछे करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बहुत लम्बी बात न कहकर मात्र दो-तीन बातें कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर माननीय मंत्री जी यह बातें किस बुनियाद पर कहते हैं। आपने बजट पेश किया उसमें एक राशि है कुछ बढ़ी हुई भी है यह भी मैंने देखा। मगर महोदय, एक जो आज समाज में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है और हम सबके लिए चिन्तनीय है, वह है इस समाज की सुरक्षा, अगर यह समाज ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे किसी स्कीम को लेकर, तीस हजार रुपये लेकर, किसी अनुदान को लेकर के, हम कहां ले जाएंगे, अगर हम नहीं रहे, यह समाज नहीं रहा, तो इस अनुदान का कोई महत्व नहीं रहा, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस समाज को कुछ देना ही चाहते हैं तो सुरक्षा दें। पहले आप सुरक्षा दीजिए ताकि हमारे अन्दर, हमारे लोगों के अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा हो। इल्जाम लगता है हमारे दल के ऊपर, हमारी नेता के ऊपर कि बहुत पीछे कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। चूंकि मैं पहली बार चुनकर आया हूं, लेकिन समाज में हम भी रहते हैं, इसी प्रदेश में रहते हैं हमने पांच साल में कहीं नहीं देखा, कि पांच साल की सरकार में कोई भी साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो। आखिर एक साल हुआ है इस सरकार को बने हुए, इस एक साल में, अगर छोटे-बड़े दंगों को मिला दिया जाए तो 24 दंगे हो चुके हैं। लगभग 97 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैं हिन्दू, मुसलमान की बात नहीं करता मान्यवर, दंगों में मारे जाने वाले चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, वह इंसानियत का खून होता है, और उस वक्त जब दंगों में कोई इंसान मारा जाता है तो पूरे इंसानियत रोती है। मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन मेरा यह मानना है कि वह लोग समाज के सबसे कमजोर और बुरे लोग हैं जो अपनी किसी राजनीति की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने ऐम को पूरा करने के लिए हिन्दू और मुसलमान का नारा लगाते हैं और धर्म और जाति की बात करते हैं। (मेजें थपथपाई गईं)

महोदय, चूंकि हम अपने को इंसान नहीं बना पाते हैं इसलिए अपनी चीजों को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन कमजोर बातों का सहारा लेते हैं। मगर महोदय चूंकि इसी समाज का हूं इसलिए इस समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनको कहना पड़ता है। यह बात सही है आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि चुनाव के दौरान आप लोगों ने अपने घोषणा-पत्र में, आपके नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज से बड़े वायदे किए, बहुत सारे वायदे किए, कि रिजर्वेशन देंगे जनसंख्या के आधार पर, आपकी सुरक्षा करेंगे। आपकी तरक्की करेंगे, यह भोला-भाला समाज, हमारा समाज भोला-भाला है। ईमानदार है स्वभाव से, उसको यह लगा कि नेता जी कह रहे हैं तो जरूर करेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लिहाजा इस समाज ने

आंख बन्द करके, भरोसा करके, एकजुट हो करके, एक मत हो करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और यह हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी सत्ता पर विराजमान है, प्रदेश की बागडोर समाजवादी पार्टी के हाथ में है। मगर फिर क्या वजह है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता ने यह बात कही, उस वक्त तो आपने घोषणा-पत्र में नहीं कहा कि हम केन्द्र को चिट्ठी लिखेंगे। आपके घोषणा-पत्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि हम जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देंगे। तब अब चिट्ठी लिखने की बात कहां से आती है ?

इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत अदब से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कौम तो पहले से ही लूटी हुई है, बर्बाद है, आपने मुझसे ज्यादा प्रभावी ढंग से इसके दर्द को यहां बयान किया, शायद मैं उस तरह से न कह सकूं, जब इस सारे सच को हम जानते हैं, इसको मानते हैं, देश मानता है, प्रदेश मानता है तो अपने किए हुए वायदे को ईमानदारी से पूरा करें। यह छोटी-मोटी बातें करके कि 30 हजार दे दिया, बड़ा हल्ला होता है, मैं अक्सर देखता हूं, हमारे दूसरे दल के भाई भी कहते हैं, 30 हजार रुपये मुसलमानों की बच्चियों को दिया जा रहा है, मान्यवर, हम तो कहते हैं, सबको दे दीजिए, सारी बच्चियां हमारी हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपने इस समाज से कुछ वायदा किया तो इन छोटी-मोटी चीजों से इनका भला होने वाला नहीं है, अगर देना है तो ईमानदारी से उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करें और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा करें। हम अक्सर देखते हैं, कई बार यहां चर्चा में भी आया कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय बड़े सेन्सेटिव हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि लायन सफारी बनवा रहे हैं, यह इटावा और ग्रेटर नोएडा में बनवा रहे हैं। आज यह समाज जानवरों की चिन्ता करता है, हम अक्सर कहते हैं कि जो रेड ब्रीड जानवर हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, वह खत्म नहीं होने चाहिए, जैसे कि टाइगर आदि-आदि, मुसलमानों की हालत तो उससे भी बदतर है। मान्यवर, एक-दो नौजवान जब बीसों साल के बाद किसी अच्छे पद पर आता है, चुनकर आता है तो उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है, अभी उसकी जीती-जागती मिसाल सी0ओ, जियाउल हक मरहूम की हमारे सामने मौजूद है और उसके बाद कहा जाता है कि हम आपके सबसे बड़े हिफाजत करने वाले हैं, हमारे अलावा आपकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता तो यह बातें बड़ी कन्फ्यूज करती हैं। यह बातें ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यह बात कही है कि कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। हमारे ऊपर यह इल्जाम है, हमारी नेता, बहन कु0 मायावती जी के ऊपर की उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि एक यूनीवर्सिटी बनायी और उसको मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर रख दिया, यूनीवर्सिटी का वह नाम रख दिया। आजादी के बाद पहली बार अगर किसी दल ने मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाया तो वह बहन कु0 मायावती जी हैं और किसी ने नहीं किया और नाम से क्या फर्क पड़ता है, किसी नाम से क्या होता है, जब हम किसी दूसरे महापुरूषों की तरफ व्यंग कहते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिये यह बहुत बड़ा समाज है जो मान्यवर कांशीराम जी को भी देवता और मसीहा से कम नहीं मानता है। मैं मुसलमान हूं, मुझको इस बात की चिंता है कि अगर हम किसी दूसरे महापुरूष की चिन्ता नहीं करेंगे तो क्या हक बनता है कि हम किसी से उम्मीद करें कि दूसरे समाज के लोग हमारे महापुरूषों की चिन्ता और इज्जत करें। इसलिए अगर इज्जत पानी है तो पहले दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर इज्जत लेना है

तो इज्जत देना पड़ेगा। नाम से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हां, मैं मानूंगा और मैं खुद चिल्ला-चिल्ला कर कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया, बना दीजिए 2-4 यूनीवर्सिटी अल्पसंख्यकों के लिए, मैं खुद कहूंगा, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता और न मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बात मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के खेमे से।

लेकिन जो बात हमें दिखायी दे रही है वह हम कह रहे हैं। आज हर तरफ एक हंगामा मचा हुआ है कि मुस्लिम समाज भयभीत है। आजादी के बाद पहली बार इतिहास उठाकर देख लीजिए कि पूरे प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर निकला है और उसने प्रदर्शन किया है। अपने ऊपर हो रहे जुल्म और ज्यादती के लिए। इससे पहले यह कभी नहीं हुआ। धार्मिक मामलों में हुआ होगा और यह हमारी रक्षा करने वाली सरकार है। यही हमारी रक्षा हो रही है। महोदय, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन हमारे भाइयों को इतना बुरा लग रहा है ऐसा लगता है कि बस नहीं चल रहा है वरना मुंह बंद कर दें। लेकिन क्या करें इसी समाज के हैं अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ''जहां वह हैं वहां आवाज देना जुर्म ठहरा है जहां मैं हूं वहां से पांव की आहट नहीं जाती।'' तो इन लोगों को यह है कि जो हम बोलें आप सुनिये हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महोदय, अपने लोगों की बात ही कहने के लिए आये हैं और जिस दिन वह नहीं कर सकेंगे उस दिन यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है, राजनीति कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मा0 मंत्री जी बहुत सीनियर हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनसे सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं कि वह इस समाज को कुछ दें या न दें। एक इस समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें दूसरा हम तब मानेंगे कि आपने इस समाज के साथ ईमानदारी से उसके साथ इंसाफ किया। जब आप हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करें वरना इन झुनझुनों से हमारा काम नहीं चलने वाला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री नारद राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नगर विकास मंत्री जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को खासतौर से शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए एक सपना देखने का काम किया। और दुनिया के कई देशों में जाकर वहां की अच्छाइयों को जिन चीजों को हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ला सकते थे उन योजनाओं को लाने का काम किया। लेकिन बार-बार जब हम लोगों की तरफ से यह बात कही जाती है कि पिछली सरकार में, तो लोगों को किरकिरी लगती है लोगों को दुखने लगता है। लेकिन पिछली सरकार में मा0 आजम साहब ने मा0 नगर विकास मंत्री जी की हैसियत से जिन योजनाओं को पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू करने का काम किया। सीवर का काम, नालों का काम, जल निकासी का काम, ओवरहेड टेंक बनाने का काम और इतना ही नहीं बहुत से ऐसे शहरों में जहां पर लोगों को रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं था नगर निगमों और नगर पालिकाओं की तरफ से दुकान बनाने का भी प्राविधान करने का काम किया। अभी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे साथी कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमने बरबाद कर दिया। सही है कि आपने उत्तर प्रदेश को बरबाद कर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था कि जब शहरों में सीवर का काम होगा और सीवर बनने से जो सड़कें तोड़ी जायेंगी वह सड़कें वही कार्यदायी संस्था वही ठेकेदार बनाने का काम करेगा जो सीवर डालते समय सड़क को तोड़ने का काम करेगा। मान्यवर, हमारी सरकार चली गयी और उत्तर प्रदेश की उन कार्य योजनाओं को बंद करने का काम किया गया। साथ ही साथ एक बड़ा घिनौना शासनादेश जारी करने का काम किया गया कि सीवर बनाने से जो सड़क टूटेगी वह कार्यदायी संस्था नहीं बनायेगी बल्कि वहां के नगर निकाय, नगर पालिका के लोग नगर निगम के लोग वहां के बहुजन समाज पार्टी के कोआर्डिनेटर और जनप्रतिनिधियों की झोली को मजबूत करने के लिए बहन जी के यहां जन्मदिन पर मरणदिन पर खजाना पहुंचाने के लिए उसका बंदरबाट करने का काम किया गया। उसका नतीजा हुआ कि पांच साल से प्रदेश के उन शहरों में जहां सीवर का काम चल रहा था। वहां की सड़कें बजबजाती रहीं, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, बनारस जैसे ऐतिहासिक शहर में, हमारे चौधरी साहब बैठे हुए हैं, पांच साल तक सड़कों पर काम होता रहा, पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गईं। बहन जी का भी दौरा हुआ था, चौधरी साहब आप थे बनारस में, बहन जी ने कहा, 15 जून के पहले सड़कें चमचमानी चाहिए, कैसे चमचमायेंगी, क्योंकि जिसने सड़क तोड़ा, उससे सड़क बनाने की जिम्मेदारी आपने छीन लेने का काम किया और नतीजा हुआ मान्यवर कि आज तक उन सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, पुनः वह शासनादेश होना चाहिए, जो सीवर लाईन डालने में, पाइप डालने में सड़क तोड़ेगा, वही उस सड़क का निर्माण करने का कार्य करेगा, तभी जाकर के शहर की सड़कें बनेंगीं, मान्यवर काम रूकेगा ही नहीं।

मान्यवर, बलिया जैसा पिछड़ा इलाका, जहां पर रोजी-रोटी का इन्तजाम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं, जहां एक बिस्कुट बनाने का भी कारखाना नहीं था, मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने मा0 नेता आजम खां साहब को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदर्श छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा को जिन लोगों के कर-कमलों से बलिया जैसे छोटे से शहर में 500 दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा था, एक लोहिया बाजार का निर्माण कार्य चल रहा था, पैसा गया खजाने से वह काम चल रहा था, जैसे ही हमारी सरकार गई, मा0 अधिष्ठाता महोदय बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सिर्फ काम ही नहीं रुकवाया बल्कि वहां जो पैसा गया था, उस पैसे को भी वापस मंगा लेने का काम किया गया । कैसे नहीं आपने बंदरबांट किया पैसे का, कैसे नहीं बरबाद किया उत्तर प्रदेश को, मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं बधाई देना चाहूंगा, मा0 मुख्य मंत्री जी को और बधाई देना चाहता हूं नगर विकास मंत्री जी को कि एक नया सवेरा योजना चलाने का काम किया है, लेकिन मैं आग्रह भी करना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से, हमने इसका हश्र भी देखा है। एक जमाना था, जब गठबन्धन था भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का और इन दोनों लोगों की मिलीभगत से और शहरों की तो बात छोड़ दीजिए इस लखनऊ शहर में लगभग 500 निर्बल आवास बनाने का काम किया गया। उन आवासों की हालत यह हुई मान्यवर कि एक आदमी भी जिनको यह आवास आवंटित किया गया, वह उस आवास में नहीं गया, उन आवासों के खिड़की, दरवाजे उखड़ गये, तब हमारे नेता आदरणीय

आजम खां साहब ने दौरा किया और पाया कि एक भी आवंटी उसमें नहीं है अगर कोई है भी तो वह हैं नाजायज कब्जा कर के लोग, माफिया लोग, गुण्डे लोग, शराब बनाने वाले लोग, जुआ का अड्डा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया था, वहां निर्बलों को बसाने का काम नहीं किया था। मान्यवर मैं फिर इस बात के लिए कोसना चाहता हूं पिछली सरकार को, एक योजना चलाई इन्होंनें, कांशीराम शहरी आवासीय योजना, बड़े-बड़े बैनर लगे, तस्वीरें लगीं कांशीराम साहब की, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या हश्र है उन आवासों का। मान्यवर, सबसे पहले रोटी का इन्तजाम होना चाहिए, इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आजम साहब ने दौरा किया था लखनऊ का, तो उन्होंनें पूछा था कि जब आपके नाम से आवंटन किया गया है तो आप क्यों नहीं गये, तो लोगों का जवाब था मान्यवर कि जहां हमको आवास दिया गया है और जहां हम रोजगार करते हैं, वहां आने-जाने में हमको सौ रुपया पूरे परिवार का खर्चा लगता है। अगर परिवार में चार लोग काम करने वाले हैं तो सौ रुपया लगता है, इसलिए हम इस झोपड़ी में रहना पसन्द करते हैं क्योंकि पहले हम रोटी का इन्तजाम करना चाहते हैं, कोई नहीं गया था, ठीक उसी तरह कांशीराम शहरी आवासीय योजना में कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह योजना तो लूटने के लिए बनाई गई है, साठ परसेण्ट कमीशन पर कांशीराम शहरी आवास योजना के आवासों का विकास करने का काम किया गया, ठेकेदारों ने लूटा और यह हम नहीं कहते हैं, जब आप ही की सरकार थी, एक तरफ से छत बनता था और दूसरी तरफ से छत गिर जाता था। कभी टी0वी0 में देखा जाता था, कभी अखबार में छपता था, कभी बहन जी का निर्देश जाता था, लेकिन कोई भी कार्य सुधार नहीं हुआ और हश्र क्या हुआ मान्यवर, जिन लोगों का भी कांशीराम शहरी आवास योजना में आवंटन किया गया, शहर के लोगों का किया गया और शहर से आठ किमी0, दस किमी0 छोटे-छोटे शहर, लखनऊ में तो 40 किमी0 दूर लोगों को बसाने का काम किया गया। आज उसकी हालत क्या है, जो आपके गठबन्धन में लखनऊ शहर में जो जुआ का अड्डा बन गया था, जो शराब बनाने का अड्डा बन गया था, जो अय्याशी का अड्डा बना हुआ था, जहां पर खिड़की, दरवाजे उखाड़ लिये गये थे, कांशीराम शहरी आवास योजना की वही हालत हो गई है, इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा मा0 मंत्री जी से कि नया सवेरा का आवास वहीं बने, जहां लोगों की रोटी का इंतजाम हो। शहर के आदमी को जाकर के, गांव में बसा करके उसको आप वहां बसा नहीं सकते हैं बल्कि उसको रोटी-रोटी के तरसाने का काम कर सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सही कहा डाक्टर साहब ने कि आज शहर बढ़ रहा है।

कभी शहर की शक्ल दूसरी थी। आज गांव जो शहर के बगल के हैं, आज सब के सब शहर में तब्दील हो गये हैं। बिल्डरों ने चाहे वह छोटा हो या बड़ा बिल्डर हो, सैकड़ों कालोनियां एक एक शहर में हैं। 1400 कालोनियों का अकेले बनारस शहर में अवैध निर्माण हो गया है, नहीं रोका किसी ने। वहां पर सुविधायें नहीं हैं, वहां पर पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, सड़क नहीं है। विकास प्राधिकरण में तो है मान्यवर लेकिन विकास प्राधिकरण वहां काम नहीं कर पाता है। मैं भी आग्रह करूंगा मा0 मंत्री जी से कि उन तमाम अवैध कालोनियों को वैध बनाने का काम किया जाये ताकि उन लोगों को जो गांव से शहर में आकर के बसे हैं, उनको भी सुविधा देने का काम किया जाये। मान्यवर, मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि अवस्थापना विकास निधि का पैसा जो किसी

जमाने में बड़े-बड़े शहरों में रह जाता था लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद इन शहरों में ही रहता था। मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस पैसे को इन छोटी छोटी नगर पंचायतों तक पिछली सरकार में भी पहुंचाने का काम किया था और विश्वास है कि इस बार भी सभी नगर पंचायतों तक अवस्थापना विकास निधि का पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। मान्यवर, कौन जानता था डूडा को, डूडा को तो आजम खां साहब ने सबको समझाया। इसके पहले तो जो सरकारें थीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। डूडा तो नगर विकास का एक कमाई का अड्डा था लेकिन मा0 आजम खां साहब ने अपना खूनपसीना एक करके, दिन भर डण्डा लेकर के, खड़े हो करके नगर विकास को खड़ा करने का काम किया और डूडा को भी ठीक करने का काम किया और आप मूड़ी हिला रहे हो भइया। आपके जमाने में सी0 ऐण्ड डी0एस0 के प्रोजेक्ट मैनेजर की बोली लगती थी। नगर विकास मंत्री के दरवाजे पर बोली लगती थी। इतना दोगे तो यहां भेजा जायेगा, इतना दोगे तो वहां भेजा जायेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक शिकायत कोई करने का काम करे कि ये सी0 ऐण्ड डी0एस0 का मैनेजर रुपया लेकर रखा गया है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में कोई बात नहीं कहना चाहता। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को कि स्वचालित रिक्शा देने का काम किया। ये रिक्शा चलाने वाले का मर्म विपक्ष में बैठे हुये लोग नहीं जानते। इनके खानदान के लोग भले ही रिक्शा चलाये होंगे लेकिन ये लोग रिक्शा चलाने वालों का मर्म नहीं जानते। रिक्शा चलाने वाले का मर्म समाजवादी पार्टी की सोच के लोग जानते हैं। समाजवादी सोच के लोग जानते हैं क्योंकि किसी जमाने में जब डा0 राममनोहर लोहिया ने रिक्शा चलाते हुये इंसान को देखा था तो उन्होंने कहा था कि मैं इस रिक्शे पर बैठने का काम नहीं करूंगा और उन्होंने उस रिक्शे से उतर जाने का काम किया था। इसी जमाने में, इसी सदन में मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि रिक्शा चलाने वाले के साथ ज्यादती होती थी। 15 रुपया आप साहूकार लोग लेते थे और वो बेचारा दिन भर कमाते-कमाते भी दिन में 15 रुपये नहीं जुटा पाता था। मैं बधाई देना चाहूंगा मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने रिक्शा चलाने वाले को रिक्शे का मालिक बना देने का काम किया था और यहीं इसी सदन में घोषणा की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को, हंसिये नहीं अपने खानदान वालों से पूछिये। रिक्शा चलाने वाले से पूछिये, उसके पसीने की कीमत समझिये। मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे भी खानदान में, मेरे भी परिवार में लोग राजा महाराजा नहीं हैं इसलिये हम उसकी वेदना को जानते हैं। आप लोगों ने नहीं जाना इसलिये मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 नगर विकास मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिक्शा चलाने वाले की वेदना समझने का काम किया और स्वचालित रिक्शा देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री नदीम जावेद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय डा0 साहब ने जो कट मोशन रखा है। अरबन डेवलपमेण्ट पर मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। डा0 साहब ने बड़ी कीमती बातें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कही हैं पूरे डेटा के साथ और जो राज्य सरकार का डेटा है उसके आधार पर बात कही है और मूल प्रश्न जो है वो ये है कि बड़े शहर हों या छोटे शहर हों। वो उनके आज और आने वाले समय के चैलेंजेज़ क्या हैं और उनको किस तरह से फेस करने की जरूरत है, मेरी जो अपनी विधान सभा है, वह एक शहर का हिस्सा है, बड़ा तारीखी शहर है मैं मध्यकालीन इतिहास का छात्र रहा हूं, 1399 से 1505 तक लगभग 106 सालों तक जौनपुर शहर उत्तर भारत की राजधानी रहा है। एक सरहद उड़ीसा, एक नेपाल और एक दिल्ली लगती थी और जौनपुर की शर्की सल्तनत ने दिल्ली पर ग्यारह बार हमला किया था और दिल्ली फतह होते-होते रह गई। हमारा मांजी बड़ा खूबसूरत है कि किसी का बड़ा कीमती शेर है कि-

" जिनको हम छोड़ चले वह जहां कैसे हैं,
शाकेंगुल कैसी है, खूशबू के मकां कैसे हैं,
ये शबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी,
उस गली में मेरे कदमों में निसां कैसे हैं।"

हमारा मांजी बड़ा काबिना रहा, लेकिन जो आज के हालात है, वह बड़े तकलीफदेह हैं, मूल प्रश्न यह है कि जो अर्बन डेवलपमेंट की समस्या है, वह है क्या ? चूंकि गांवों में जो पिछले सालों में सरकारें रही हैं, कोई भी सरकार हो, लेफ्ट, राइट, सेन्टर, उसने जो डेवलपमेंट का मॉडल अडाप्ट किया, वह मॉडल इस तरह का था कि जो शहरों को लेकर ज्यादा प्रोजीटिव था, गांव की तरफ फोकस नहीं था तो गांवों की तरफ से शहरों की तरफ पलायन शुरू हुआ। अगर जौनपुर की आबादी, जौनपुर का जो इन्फ्रास्ट्रेक्चर है, वह 50 हजार लोगों का है, लेकिन जौनपुर की आबादी 4 लाख लोगों की है। तो इन्फ्रास्ट्रेक्चर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि इतने लोगों को वह अक्मूडेट कर पाये। इसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, वॉटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, बिजली की समस्या है, ट्रॉन्सपोर्ट की समस्या है और मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगहों पर यह समस्यायें हैं और इसको लें, इसलिए कि इस चैलेन्ज का फेस कैसे किया जाए, जो मा0 मंत्री जी कह रहे थे और उनकी बात को मैं बड़े गौर-से सुन रहा था कि जो फ्यूचर चैलेन्ज है और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। भारत सरकार की योजना है, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना, उत्तर प्रदेश के 6 बड़े शहरों में वह एडोप्ट हो गई है। मगर उस योजना की हालत इतनी खराब है, भारत सरकार ने जो पैसा दिया है, पूरा बनारस शहर, बनारस के कोई साथी बोल रहे थे, पूरा बनारस शहर खुदा पड़ा है। बनारस शहर के अंदर हाईकोर्ट के अंदर से और उसके आधार पर वहां काम हो रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खासतौर से जो योजना को लेकर, फ्यूचर चैलेन्ज होना चाहिए, उस पर काम होता हुआ दिखायी नहीं दे रहा है। 22 प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं। और जो ये 22 प्रतिशत लोग शहर में रहते है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई, जो पैसा आया है, वह पैसा काफी नहीं है। वॉटर सप्लाई की बात हुई, वॉटर सप्लाई का बहुत बुरा हाल है। उस पर कोई खास किसी तरह का विजन नहीं दिखाई देता है। अंटर्नल रोड्स जो सड़कें हैं, अंदर शहर के अंदर के, उस पर कोई खास तरह से काम नहीं दिखायी दे रहा है, जो बड़े शहरों को लेकर के एक कॉन्सेप्ट है कि आप शहर को डेवलप कैसे करेंगे? नोयडा बना था और इस सपने के साथ

बना था। नोयडा आज से 23-24 साल पहले जब वह स्थापित हुआ था, तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि नोयडा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत देगा, लेकिन एक विजन था और आज नोयडा उत्तर प्रदेश को न सिर्फ ताकत दे रहा है, बल्कि रेवेन्यू लाने का काम भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नोयडा से हो रहा है। एक और चैलेन्ज है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो शहर के अंदर के सिस्टम को तो आप डेवलप नहीं कर सकते, तो रास्ता क्या है, महाराष्ट्र के अंदर 1970 में एक प्रोजेक्ट आया और उसका नाम सीटको रखा। सिटी एण्ड इंडिस्ट्रीरियल कारपोरेशन और उन्होंने कहा कि अगर मुबंई शहर नहीं बढ़ रहा है तो उसका रास्ता क्या है? उन्होंने नवी मुबंई बनाया, 30 किलोमीटर दूर, उसी तरह सिर्फ नवी मुबंई की तरह, नया औरंगाबाद बनाया, नया पूना बनाया, नया नासिक बनाया तो अगर हम लखनऊ शहर के अंदर चीजों को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम लखनऊ शहर के बाहर या उससे लगे हुए जिलों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बनारस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, चूंकि बनारस हमारा तारीखी शहर है, तो हम बनारस के आस-पास के इलाके को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये दूसरे जो और शहर हैं, इलाहाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, सब में यही है कि आपको भविष्य के चैलेन्ज के साथ उसको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि ढंग से काम वहां पर हो पाए और जो माइग्रेशन भविष्य में होने वाला है, उस पर काम हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेट्रो लखनऊ में शायद आ ही जायेगी, ऐसे हालात दिख रहे हैं, लेकिन मेट्रो तो आपके और दूसरे शहरों में भी लायी जा सकती है। मान्यवर, जहां मेट्रो नहीं आ पायेगी, वहां मोनो रेल लानी पड़ेगी। मान्यवर, वह छोटी ट्रेन होती है, उसमें दो डिब्बे होते हैं, और दिल्ली में यह शुरू होने जा रही है। मान्यवर, जो छोटे शहर हैं वहां यह चलाई जा सकती है। मान्यवर छोटे शहरों में मैट्रो नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि उतना आधारभूत ढांचा वहां नहीं होगा। मान्यवर, अगर आप सचमुच आप उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों की हालत को सुधारना चाहते हैं तो आपको सुधार करना पड़ेगा और लोगों के जीवन में सुधार करना पड़ेगा। उनको सुविधायें देनी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आज शहरों का विकास उस तरफ आप को बढ़ना होगा और उसमें सक्सेसफुल जो माडल हैं विकास के उनको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। मान्यवर, यह मैंने चार-पांच बातें कही हैं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा मिलेगा। कहा भी गया है कि ''सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है।'' तो आपको लोगों की जिन्दगी शहरों की हालत में सुधार करके, बेहतर बनानी होगी।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आप ने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इतना अच्छा बजट पेश किया गया है उसकी मैं प्रशंसा करती हूं। मान्यवर, नगर विकास के संबंध में काफी अच्छी बातें आपके सामने आयी हैं। आक्षेप भी हुए हैं लेकिन मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। मान्यवर हमारी सरकार की नई सबेरा योजना पर कटाक्ष हुआ है। मान्यवर, हाउस में कांशीराम योजना के बारे में बात आयी। मान्यवर, मैं गवाह हूं गाजीपुर सदर से विधायक हुई थी। वहां इस योजना के मकान बने थे और बनते

ही उनकी छत और प्लास्टर उखड़ गये। मान्यवर, जो यह हमारी नया सबेरा योजना है यह नौ सौ करोड़ रुपये की योजना है और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इसमें ऐसे छतें डाली जायेंगी जो आने वाली नस्लों के भी काम आयेंगी। उन्हें भी छत का लाभ मिलेगा। मान्यवर, आपकी सरकार में तो सारा पैसा पत्थरों के लगाने पर ही खत्म कर दिया गया था और लोगों को सिर पर छत नहीं मिल पाई थी इसलिए जो अभी एक सदस्य ने कहा कि हर शख्स परेशान सा क्यों है, वह इसीलिए है कि सारा पैसा तो पत्थरों पर खर्च कर दिया गया। उनके सिर पर छत देने की फिक्र नहीं थी कि जब सारा पैसा पत्थरों पर लग गया और जो मकान बनाने की जरुरत थी वह पैसा कम पड़ गया । इसलिए मैं कहूंगी आप लोगों ने उन मकबरों को देखा, मुर्दाशाहों के मकाबिर से बहलने वालों मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं रख रही हूं सिर्फ एक बात कह रही हूं कि मुर्दाशाहों के मखाबिर से बहलना तो आसान होता है लेकिन हमें अपनी आने वाली नस्लें या मौजूदा नस्लें किस हाल में रह रही हैं यह भी देखना होगा इसीलिए किसी ने कहा है कि मुर्दाशाहों के मखाबिर से बहलने वालों, अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, तो आप तो अम्बेडकर पार्क को देखकर बहलते रहे, लोगों के सर पर साया नहीं नसीब हुआ वह आप नहीं देख सके। जहां तक सवाल आपके शहर का है शायद आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जनाब आजम खां साहब ने कहा कि हम अपने तारीखे धरोहरों को सम्भाल के रखना चाहते हैं क्योंकि वह अपने अन्दर हिन्दोस्तान के अजीमुश्शान तारीख को समेटे हुए है। अजीमुश्शान माज़ी को समेटे हुए हैं चाहे वह लखनऊ हो लखनऊ को बेगम हजरत महल पार्क हो, उन्होंने नाम भी उसका लिया था या वह लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क हो, क्योंकि जंगे आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था उनका और उन सबके ब्यूटीफिकेशन की बात की गयी आपके शहर जिसे हम शिराजेहिन्द कहते हैं जिस जौनपुर की आप बात कह रहे हैं उससे आपका ताल्लुक है और जहां आप शर्की डाइनेस्टी की बात कर रहे थे इब्राहिम शाह शर्की की एक बहुत बड़ा किला वहां बना है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत लम्बे वक्त तक देश एवं प्रदेश में आपकी हुकूमते मौजूद थी और उस किले की खुबसूरती के लिए उसके सौन्दर्यीकरण के लिए उसके ब्यूटीफिकेशन के लिए कोई काम नहीं किया गया लेकिन हम लोग आपको यह यकीन दिलाते हैं कि हम चूंकि अपने माज़ी की अजीमुश्शान निशानियों को सम्भाले रखना चाहते हैं इसलिए आप शहर के उस किले को खुबसूरत बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। बिल्कुल पूछियेगा 5 साल का मौका होता है 4 साल तो अभी मौजूद ही हैं।

जहां तक सवाल है सवाल पूछना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है। इल्जाम रखना तो बहुत आसान है लेकिन इल्जाम का भार उठाना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि जब अल्पसंख्यक कल्याण की भी बात हो रही थी बहुत तीर चले उधर से। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी सिर्फ और सिर्फ एक बात कि जब हिन्दोस्तान आजाद हुआ जिस वक्त हिन्दोस्तान आजाद हुआ अक्सर यह बात आती है कि जंगे आजादी में, आजादी की लड़ाई में किसका क्या योगदान रहा, किसने कितना हिस्सा लिया यह बात अक्सर आती है लेकिन यह जरूर है कि जब हिन्दोस्तान आजाद हुआ और बहुत से लोगों ने हिन्दोस्तान को छोड़कर जाना चाहा कुछ लोग गये कुछ काफिले गये भी लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रुक गये, रुक गये उनके बढ़ते

हुए कदम, जाते हुए कदम पलट आये, लौटकर आ गये कि मादरेहिन्द हम तुम्हें छोड़कर जाने वाले नहीं हैं।

वतन की खाक हमें एड़िया रगड़ने दे,
हमें यकीन हैं पानी यहीं से निकलेगा।

और इस यकीन के साथ इस यकीनेमोहकम के साथ वह बढ़ता हुआ कारवां पलट आया सरजमींने हिन्दोस्तान पर, नहीं जाते हम छोड़कर हिन्दोस्तान की जमींन को कि हमारे आबाव अजदाद की कब्रे यहां पर हैं। इल्जाम लगाना आसान है यह बात मैंने इसलिए कहा कि जब हिन्दोस्तान आजाद हुआ था उस वक्त सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का तनासुब 34-35 फीसदी था और आज क्यों कम हो गया और इसी की दलील है कि सच्चर कमेटी ने सिफारिश की है कि आज की तारीख में हिन्दोस्तान का मुसलमान दलितों से भी बद्तर हालत में जिन्दा रहने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर हुआ इसलिए कि एक मुनज्जम साजिश होती है, मुनज्जम साजिश होती है बात थोड़ा पीछे तक जायेगी लेकिन तारीख के पन्नों को पलटना पड़ता है। पलटना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि हिन्दोस्तान की तारीख गवाह है आप लोगों ने देखा होगा कि डिलिमिटेशन से पहले चाहे मैं कुछ विधान सभाओं के नाम लेकर के आपको याद दिलाना चाह रही हूं चाहे वह आजमगढ़ की सरायमीर रही हो, या मलिहाबाद रही हो या बिजनौर जिले की नगीना रही हो यह सारी सीटे वह थी जहां पर अकलियत के लोग अकसरियत में मौजूद थे और यह सारी सीटे सुरक्षित कर दी जाती हैं क्यों, किसका दौरे हुकुमत था ? इसलिए कि हिन्दोस्तान का कानून गलियों में नहीं बनता, हिन्दोस्तान का कानून चौराहों में नहीं बनता, हिन्दोस्तान का कानून बनता है दिल्ली की संसद में और उत्तर प्रदेश का कानून यहां पर बनता है जहां पर जाने के लिए मुसलमानों का रास्ता अगर रोका जाता है तो वह कांग्रेस का दौरे हुकूमत था और हिन्दोस्तान के पहले वजीरेआजम आनजहानी पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। तारे और जहां तक तरक्की की राहें थीं वह बन्द थीं और हिन्दोस्तान का मुसलमान सोच रहा था क्या हमारे लिये हिन्दोस्तान की आजादी का मतलब कुछ भी नहीं। तालीमी मैदान में हम पीछे हो गये। यकीनन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती जो सर सैय्यद अहमद खान की एक बड़ी देन है तो आज जो भी 4-5 फीसदी लोग नजर आते हैं वह नजर नहीं आते और इसी चीज को महसूस करते हुए रामपुर में मौलाना अली जौहर जो जंगे आजादी के मुजाहिद थे, कोई लुटेरे नहीं थे, कोई लफंगे नहीं थे, बल्कि जंगे आजादी के मुजाहिद थे उनके नाम के ऊपर मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी खोली गयी इसलिए खोली गयी ताकि हम जो तालीम की रोशनी है वह अपनी कौम को दे सकें। दुनिया की तारीखे गवाह हैं कि जब तक हमें इल्म की रोशनी नहीं मिलती उस वक्त तक हम अंधेरों में भटकने के लिए मजबूर होते और यही हमारे साथ में हुआ। तालीम के मौके हमसे छीन लिये गये, मैं आपसे यह सवाल करती हूं कि जबाने उर्दू जो दुनिया की शीरी तरीन जुबान जिसे लस्करी जबान कहा गया वह जबान न ईरान से आई, न वह जबान अरब से आई, वह जबान हिन्दोस्तान के इसी गंगा नदी के किनारे रहने वाली सभ्यता से जब संगम हुआ है तो वह जबान बनी जबाने उर्दू। वह जबाने उर्दू मिट रही थी उस सरकारी जुबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, क्या यह काम, क्या यह कारनामा, क्या यह कार-नुमांया आपकी मोहतरमा बहनजी मायावती जी ने करके दिखाया, अगर दिखा दिया होता तो हम यह कहते कि

हां तुम्हारे सीनों में भी मुसलमानों के लिये एक दर्दमंद दिल धड़कता है। सवाल यह है कि जहां तक मैंने कहा कि अंधेरा हो जाता है, अगर शिक्षा के मैदान में हम पीछे हो जाते हैं और अगर हम कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो वह एक मीनार हो जाती है रोशनी की। रोशनी की मीनारें कैसे होगीं, अगर कालेजेज नहीं बनेंगे, अगर यूनिवर्सिटी बनेगी और आप उसके ऊपर बुलडोजर चलवाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप अपनी कौम की खिदमत करेंगे। यह आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी क्यों नहीं आपकी सरकार ने, जब आप यहां पर बैठे हुये थे, तो जो हमारे अकलियत के बच्चे थे उनको वजीफा देने की कोशिश क्यों नहीं की, वजीफा दिया, मगर बहुत कम रकम, इतनी कि आपको कहते हुये शर्म आयेगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि दसवीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिये हमारी सरकार ने 170 करोड़ से ज्यादा की रकम देकर यह साबित कर दिया कि देने का जज्बा होना चाहिये। दिया है हमने, आपने क्या किया, यह सवाल कीजियेगा। हमारी बेटी उसका कल योजना पर आपको एतराज, आपको तो हर बात पर भी एतराज है। हमारे सॉस लेने पर एतराज। सवाल यह है कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि अनुसूचित जाति से बदतर हालात में हिन्दुस्तान का मुसलमान जी रहा है तो उस अल्पसंख्यक की बेटी को आगे बढ़ाने के लिये हमारे इस बजट में 350 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गयी है ताकि अकलियत की बेटी पढ़ सके। तो क्या गलत हुआ यह आप भी कर सकते थे। अगर कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के लिये 300 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गयी है वित्तीय वर्ष 2013-14 में तो यह पहल आप भी कर सकते थे। अगर कब्रिस्तानों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा था तो उसको रोकने के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी। क्या यह आपने किया वही इसलिये कि आप हमेशा पैसों को जोड़ने में लोग रहे। आपके साथ भी लोग थे, अगर आपने कभी आवाज उठाई होती, आवाज नहीं उठाई आपने, लुटता रहा है यहां का मुसलमान, आप बता दें कि आपने कौन सी योजना चला दी हमारे लिये। आजादी के बाद कि लोग यह कहते थे कि हिन्दुस्तान का मुसलमान आजाद है हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को आजादी का यकीन दिलाया गया और वह यह सवाल अपने आप से करता रहा कि-

''लोग कहते हैं कि आजाद वतन है मेरा,
हम भी सुनते हैं कि आजाद वतन है मेरा,
अपनी आजादी को महसूस मगर कर न सके,
दो कदम साथ मसीहा के कभी चल न सके''।

अपने आपसे सवाल कीजियेगा कि वह धन्नीडीह गांव, याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिये कि इतनी जल्दी आइने के ऊपर धूल पड़ जाये कि तुम्हें अपना चेहरा नजर न आये । वही श्रावस्ती था, वही धन्नीडीह गांव था, वहां पर घरों को जला दिया जाता है, अकलियत की औरतों के साथ कहते हुये भी शर्म आती है कि वहां हमारी बहनों को सामने एक बरगद का पेड़ था, मैं उस अल्फ़ाज को दोहराना नहीं चाहती हूं, जाने के लिये मजबूर किया जाता है। कहां सो गयी थी गैरत, कहां चली गयी थी गैरत, सवाल यह है कि कौम की गैरत की बात करने वाले लोगों की गैरत कहां सो गयी थी उस वक्त, आप जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं, अगर सरकार के संज्ञान में आया तो इस्तीफा लेने में हमारी सरकार ने एक मिनट देर

नहीं की और आपका दद्दन मिश्रा मंत्री के रूप में इसी सदन में बैठा हुआ था, उस काले दिन को याद कीजिये। लेकिन मैंने यह कहा है कि अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, लाल बत्ती जल रही है, बस मैं इतना कहूंगी कि अब अंधेरों को कोसने से भला क्या होगा, चलो चिराग जलाते हैं रोशनी के लिये, इस माहौल से अंधेरों को दूर करें, चाहे वह अंधेरा बलात्कार का हो, अत्याचार का हो अंधेरा चाहे अपराध का हो । उस अंधेरे को दूर करें। रोशनी का एक चिराग जलाएं एक नए उत्तर प्रदेश की नई शुरुआत के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इस बजट के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

*श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं छोटी काशी अनूप शहर से चुनकर आता हूं। अनूप शहर जिसे ..

श्री अधिष्ठाता-

शायरी का तकाजा है कि जवाब जरूर दिया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह-

छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि हरिद्वार के बाद अगर कहीं गंगा आबादी के बीच से होकर गुजरती है तो अनूप शहर के बीच से होकर गुजरती है। तीन नगर अनूपशहर, जंहागीराबाद और औरंगाबाद यह तीन नगर अनूपशहर विधान सभा में पड़ते हैं। नगर विकास में इन तीनों नगरों में पिछली सरकार में तो विकास हुआ एक साल के लगभग होने को है जहांगीराबाद की जो मुख्य सड़क है जो जोड़ती है मेन सड़क से नगर को वह सड़क टूट जाने के कारण मेरे बार-बार सरकार के संज्ञान में लाने के बावजूद न तो नगर विकास से और न ही किसी और विभाग से उस सड़क की न तो रिपेयरिंग हुई न उसका पुनः निर्माण हुआ लम्बी चौड़ी बातें आज सरकार के विकास की अखबारों में टी0वी0के माध्यम से सुनाई जाती हैं और आलोचना भरे शब्दों में पुरानी सरकार के बारे में चर्चा करी जाती है। एक वर्ष बीत गया आज भी आलोचना की बातें रह गईं। आज एक वर्ष में होना चाहिए था कि अपने कामों के गुणगान अपने आप न करके जो जनता है उसके बीच काम हुए होते तो हम भी गुणगान कर रहे होते कि फलां जगह यह काम हुए अपने गुणगान करना अपने आप बहुत आसान है। लम्बी चौड़ी बातें करना कोई रोकता नहीं स्वतंत्र हैं अपने आप अपनी प्रसंशा करने के लिए। लेकिन जो पिछली सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी थीं। उस समय जहां भी नजर उठती थी चाहे गांव हो या शहर कहीं सड़क बनती नजर आती थी कही अस्पताल बनता नजर आता था। कहीं पुल पुलिया बनते नजर आते थे चाहे अम्बेडकर ग्राम के नाम पर गांवों के विकास होते थे आज मैं चेलेंज कर सकता हूं सरकार वाले सामने बैठे हैं अनूपशहर विधान सभा के एक गांव का कोई नाम निकाल कर दिखा दे जो अनूपशहर में उन्होंने करने का काम किया हो। एक क्षेत्र कटकर हमारे विधान सभा में जुड़ा है वहां से एक बार नहीं लगातार पांच बार जो वर्तमान सरकार है उस पार्टी के मंत्री और विधायक रहे जो हिस्सा कटकर वह क्षेत्र मेरे यहां आया है वहां कोई विकास नहीं हुआ जिसका नगर औरंगाबाद में पड़ता है। हमें चार साल 8 महीने का मौका मिला हर नगर और हर गांव में हमारा विकास हुआ। आज मैं रोना रो रहा हूं उस शहर का जहां पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांच बार समाज वादी पार्टी के विधायक चुने गए और मंत्री रहे। आज वहां पर बत्ती के लिए नाली के लिए सड़क के लिए हम लोग एक साल से लगातार चिट्ठी देने में लगे हुए हैं। आवाज उठाने में लगे हुए हैं लेकिन आज तक उस नगर की कोई खैर-खबर लेने वाला नहीं है। जब बात होती है, आलोचना होती है तो नई सरकार पुरानी सरकार पर आरोप लगाती है। मेरा कहना है आपके माध्यम से कि आलोचना करें कोई बात नहीं लेकिन कम से कम हम भी तो कहें कि हमारे यहां कुछ काम हुआ। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो नगर हैं, जिसका बजट आज रखा गया है, उन नगरों में उत्तर प्रदेश में अनूप शहर भी आता है जहां पर एक ईंट का काम एक साल में नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में भी तीन नगर पड़ते हैं उनमें भी कब्रिस्तान हैं, मेरे यहां अनूप शहर का कब्रिस्तान है जिसमें पीछे विवाद हुआ और मैंने खुद अपने पास से पांच लाख रुपया देकर उसकी चहारदीवारी कराई थी, अभी तक मेरे क्षेत्र के किसी कब्रिस्तान में पांच ईंट भी लगने का काम नहीं हुआ। बात करते हैं कब्रिस्तानों की चहारदीवारी की, मैं कहूंगा कि अगर कहीं वह चहारदीवारी होती है तो हमारे क्षेत्र में भी दिखनी चाहिए थी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद् देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और सरकार से मैं कहता हूं कि अगर विकास है तो उसे हमारे अनूप शहर में भी नजर आना चाहिए, धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुसीबत यह है कि जब मुझे बोलने का मौका मिला तो माननीय नगर विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैं अपनी बात चौधरी साहब के माध्यम से उन तक पहुंचा दूंगा क्योंकि मेरा एक मंसूबा भी है। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, उर्दू में तो मैं नहीं जानता कि कौन सा शब्द होगा उसके लिए लेकिन मैं किं कर्त्तव्य विमूढ़ हो करके सुन रहा था। वह क्या कह रहे थे, उससे सहमत हूं या असहमत हूं यह नहीं लेकिन तकरीर का पेश करने का ढंग लाजवाब था। वह काबिल व्यक्ति हैं और उस काबिल को उस सीट पर होना चाहिए, यह मेरा मंसूबा है बराबर वाली सीट पर। लेकिन यह वहां रहकर पूरा नहीं हो सकता, वह यहां आ जायेंगे तो पूरा हो जायेगा, यह उनसे बोल दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय उपाध्याय जी, आप नगर विकास विभाग की कटौती पर बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, वहीं आ रहा हूं। मैंने बजट को पढ़ा, पालनाझाल से आगरा को गंगाजल मिले, हमारी उनसे इस बात की ख्वाहिश की थी, वह पूरी हो गई इस योजना को पुनर्जीवन मिला इस सरकार के समय, मैं इस हेतु उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आगरा में यमुना पर बैराज की भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आगरा के ताजमहल की नींव इस तरीके की है कि उसको पानी की जरूरत है। लकड़ी की नींवों पर खड़ा ताजमहल लकड़ियों के सिकुड़ने पर क्योंकि पानी नहीं मिल रहा इससे वह धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। अगर यमुना में ताजमहल के पास बैराज बनेगा तो आगरा का भू-गर्भ जल स्तर भी ऊपर उठेगा और ताजमहल का स्थायित्व भी होगा, यह अधूरा रह गया इस काम के लिए भी बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए था। उन्होंने नदी प्रदूषण पर बात रखी है, मैं अपने

सुझाव देना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए। आपने गंगा में प्रदूषण को दूर करने की बात की है ''राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते-धोते'' मैं क्या जानू कौन पापी है, यह राजकपूर ने रजतपटल पर दिखाया लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, ओखला, दिल्ली जैसे नगरों के नाले ढोते-ढोते। इस बात को हमारे किचेन और बाथरूम के नालों से आते पानी ने हमें दिखा दिया यमुना तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना बदबूदार पानी आगरा में आता है। मान्यवर, आठ-दस दिन पहले मैं एक टी0वी0 चैनल का प्रोग्राम देख रहा था। एक खतरनाक योजना दिल्ली सरकार की है, वह दिल्ली की यमुना का प्रदूषण दूर करने के लिए दिल्ली में यमुना के पैरलल नाला बनाकर उसको ओखला तक लायेगी यानी कि इससे दिल्ली की यमुना तो स्वच्छ हो सकती होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की यमुना में दिल्ली के सब नाले बहेंगे और उत्तर प्रदेश की यमुना का, हमारे आगरा, मथुरा, कोसी और इटावा जैसी जगहों का क्या हाल होगा, यह आप समझ लीजिए। तो इस योजना को रोकने या उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी प्राविधान बजट में होना चाहिए था, जो इस बजट में नहीं है। झीलों के संरक्षण का विषय आया। आगरा एक पर्यटन नगरी है, यहां पर विदेशी लोग आते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी झील 5-7 सौ एकड़ में कीठम झील है। उसमें जलकुम्भी फैल गयी है तो उसके सौन्दर्यीकरण और प्रदूषणमुक्त करने का प्रस्ताव इसमें जोड़ा जाए। वह अगर सुन्दर होगी तो इतनी बड़ी झील है वहां पर्यटक आयेंगे और आगरा के समृद्धि का कारण बनेगी। आगरा एक पर्यटन नगरी है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि वह विदेश गये, मैं भी रामपुर गया उनके दावतनामे पर, तो रामपुर को मैंने देखा, विदेश तो मैंने आज तक नहीं देखा लेकिन रामपुर को देखा वह लन्दन, मास्को और न्युयार्क की तरह हो रहा है। मान्यवर, रामपुर लन्दन, मास्को और न्युयार्क हो सकता है लेकिन आगरा जहां पर वहां के लोग आते हैं वह गड्ढ़ों में चलते हैं, गन्दगी में चलते हैं और नालों की बदबू को सूंघते हैं। क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर चूर-चूर है। मैं आगरा आने की दावत देता हूं कभी आकर देखियेगा जो मैं कह रहा हूं वह सही है। रामपुर में फ्लाईओवर बन सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि रामपुर की जनता संसदीय कार्य मंत्री जी को बेपनाह मुहब्बत करती है लेकिन आगरे में भी हम जैसे कुछ लोग हैं जो उनसे मुहब्बत करते हैं इसलिए आगरा को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर दें, फ्लाईओवर दें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

माननीय सदस्य, एक मिनट रूक जाईये। माननीय अधिष्ठाता जी, एक बात कहना चाहता हूं कि-

क्या तरफा तमाशा है कि इस दौर के बौने,
अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उनसे हमें कुछ मिल जाए, हम बौने हैं लेकिन उनसे हम अपने शहर के लिए कुछ मांग रहे हैं। मैं कमेण्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हमें उनसे बेपनाह मुहब्बत है इज्जत करते हैं उनसे, हम जैसे आगरा में उनसे बहुत से लोग मुहब्बत करते हैं तो हमको भी कुछ दें। मान्यवर, आगरा गंदगी का शहर बना हुआ है। हेल्थ मैनुअल के हिसाब से 8000

सफाई कर्मचारी आगरा में होने चाहिए लेकिन यह जो आंकड़े हमारे पास हैं यह बता रहे हैं कि 1908 सफाई कर्मचारी आगरा में हैं, जबकि 3410 थे, कुछ रिटायर हो गये, कुछ मर गये और अब घटते-घटते संख्या 1908 रह गयी हैं, इससे सफाई नहीं हो सकती। हेल्थ मैनुअल कहता है कि 8000 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए, इसलिए आगरे के लिए कम से कम सफाई कर्मियों की पर्याप्त संख्या हो, यह मैं मांग करता हूं। (श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, यह लालबत्ती मुझे प्रकाश नहीं दे पायेगी। इसको बंद कर दें तो थोड़ा सा मैं और बोल लूं। यहां यह बात आयी कि अगर जो एजेंसिया खोंदेंगी, वही सड़कों को बनायेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जल निगम सड़कें खोदती है आगरा में एक टोरेंट कम्पनी है वह भी खोदती है। जो खोदेंगी वही बनायेंगी तो पेंच वर्क करेंगी। होना यह चाहिए कि खोदने वाली ऐजेंसी पेंच वर्क न करे, पेंच वक्र करने से सड़क बर्बाद होती है। उन क्षेत्रों में जल निगम सड़क बर्बाद करता है, टोरेंट बर्बाद करता है अपनी लाइन बिछाने के लिए और गालियां विधायक खाता है तो इसलिए वह किसी एक्सपर्ट एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 नगर निगम विकास प्राधिकरण बनाये और उसका पैसा उन एजेन्सियों से वसूला जाय जो सड़कें खोदती हैं। अगर सड़कें बनायेंगी भी वो, खोदेंगीं भी वो और पैच वर्क करेंगी तो सड़कों का विकास नहीं होगा। इसी अनुरोध के साथ इस कट मोशन का समर्थन करता हूं धन्यवाद।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर और अल्पसंख्यक कल्याण पर अपनी बात रखने व बजट का समर्थन करने का समय दिया, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, नगर विकास पर 48 अरब, 75 करोड़ 4 लाख 14 हजार का एक भारी भरकम धनराशि दी गई है। मान्यवर, नगर यह नगरीय की परिभाषा ही ऐसी है जहां अच्छे लोग रहते हैं जो नगर की परिभाषा है और आज जो छोटे-छोटे गांव थे बड़े गांव में बदल गये मान्यवर और बड़े गांव कस्बे में बदल रहे हैं, कस्बे अब बड़े नगर में बदल रहे हैं और मान्यवर, जो नगर थे आज वह महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं इसलिये मान्यवर, आवश्यकताएं भी उसकी बहुत हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 45 लाख लोग अब शहरों में रह रहे हैं। जहां 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है आज 4 करोड़ 45 लाख लोग जो नगरों में रह रहे हैं आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मान्यवर, जो बड़े-बड़े शहरों के लोग हैं हम तो बहुत छोटे शहर से आते हैं बस्ती से। कहा गया है कि-

बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़।

मान्यवर, आगरा की बात होती है, कानपुर की बात होती है, इलाहाबाद, बनारस की बात होती है, लखनऊ की बात होती है। नदियों में गंगा-यमुना की लेकिन हमारे घाघरा की बात नहीं हो पा रही है। हमारे गोरखपुर, बस्ती की बात नहीं हो पा रही है। कुवानो नदी की बात नहीं हो पा रही है, राप्ती और सरयू की बात नहीं हो पा रही है। शायद ऐसा लगता है कि यह नदियां इस प्रदेश में नहीं बहती

हैं। आज हमारे बस्ती जिले की जो कुवानो नदी है, मान्यवर, उसमें जानवर पानी नहीं पी पाता है। जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है आपके किनारे से निकलता है। मान्यवर, उसकी भी स्वच्छता की बात होनी चाहिए। लेकिन नगर का मतलब केवल बड़े शहरों को ले लिया जायेगा तो बाकी नगर क्या करेंगें। मान्यवर, बस्ती जनपद जो हमारा है वहां आज भी जो दलित बस्तियां हैं, मुस्लिम गरीब बस्तियां हैं। मान्यवर, वहां जल जमाव होता है और वहां से नालियां नहीं हैं, बरसात में कीड़े बजबजाते हैं मान्यवर, लेकिन उधर कभी भी पिछली सरकार ने नहीं देखा। माननीय आज़म खां साहब को मैं इस बार बधाई देता हूं कि हमारे बस्ती नगर पालिका को उन्होंने सड़क के लिये 2376.94 लाख पेयजल पर 973.26 लाख और मान्यवर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये 586.11 लाख रुपया दिया है। मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं, मैं नहीं बात करता कि करोड़ों रुपया दिया गया कानपुर को। दिया जाना चाहिए क्योंकि कानपुर उजड़ गया जो किसी जमाने में दुनिया में हिन्दुस्तान का मानचेस्टर कहा जा रहा था आज वह कानपुर उजड़ गया। जहां 80 हजार मजदूर काम करते थे, उत्तर प्रदेश के किसी कोने का व्यक्ति जाता था तो वहां रोजी रोटी मिल जाती थी। हमारे देश में दो शहर एक कलकत्ता और दूसरा कानपुर हमारे उत्तर भारत की एक ऐसी जगह थी जहां गरीब से गरीब आदमी शाम को पहुंच गया तो सुबह उसे रोटी का इंतजाम हो जाता था लेकिन इन शहरों के उजड़ने के बाद आज हमारे छोटे-छोटे शहर हैं आज उनको भी बसाने की जरूरत है। हमारी कवानो नदी साफ होनी चाहिए। हमारे शहर में बस्ती में मान्यवर, पुरानी बस्ती में एक झील के रूप में है जो अविकसित है जो केवल रोग पूरे शहर में फैलता है अगर उसको ठीक कर दिया जाय तो एक पर्यटन स्थल बन सकता है और बस्ती भी रोगों से मुक्त हो सकता है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो पाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े पैमाने पर मान्यवर, इसमें धन दिया गया है, और मैं इस पर आपसे और चाहता हूं। मान्यवर, एक अल्पसंख्यक कल्याण का बजट आया है हमारे साथी उधर से बात कर रहे थे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। क्यों अपने आप से अपना गला काट रहे हो। अपने सीने में खुद अपने से छुरी नहीं भोंकनी चाहिए, केवल समाजवादी पार्टी, और केवल समाजवादी पार्टी ने, अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो केवल मुलायम सिंह यादव ने किया है, और केवल अखिलेश यादव ने किया है, बाकी देखने को आज तक नहीं मिला है।

(मेजें थपथपाई गईं।)

आप देख लीजिए हम लड़कियों को तीस हजार रुपया दे रहे हैं। शादी के लिए दे रहे हैं, हम उनकी छात्रवृत्ति के लिए दे रहे हैं, हम उनको नया सवेरा जो योजना है दे रहे हैं। हम स्कूल, उनके लिए नये बनवा रहे हैं। हम उनके लिए छात्रावास बनवा रहे हैं, हम उनको रोजी-रोटी से जोड़ रहे हैं, हम उनके लिए इंजीनियरिंग कालेज बनवा रहे हैं। पांच साल में आपने क्या दिया, आपने जब दलितों को कुछ नहीं दिया तो मुसलमानों को देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पिछड़ों को आप कहां दे सकते हो, देने वाली केवल एक सरकार है और वह समाजवादी पार्टी की सरकार है श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है श्री अखिलेश यादव जी की सरकार है, (मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था एक सूफी राजनैतिक व्यक्ति ने, जो राजनीति में सूफी संत की तरह जिसकी जिन्दगी है उन्होंने नगर विकास का प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, या तो मैं जनेश्वर मिश्र जी को सुनता था या मैं आजम खां साहब को सुनता हूं, दो आदमी के बाद हिन्दुस्तान

में किसी को दिल की बात कहने वाला मैंने नहीं जाना, बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने कहा कि मैं किंकर्तव्यविमूढ़ था, वह होना ही है क्योंकि ऐसे व्यक्ति, जिसने बजट रखा। दिल की बात रखी। यह केवल मुस्लिम कौम ही नहीं, बल्कि पूरी हिन्दुस्तानी कौमें रहबर हैं, जिनकी जितनी तारीफ किया जाए, वह कम है, आज का जो बजट नगर विकास का और वक्फ बोर्ड का, अल्पसंख्यक कल्याण है। यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। होना ही चाहिए अगर हमारे नगर नहीं विकास करेंगे तो हमारी आबादी ठीक नहीं हो सकती है। यह भी हमारे साथी ने सही सुझाव दिया कि हमें डीसेन्ट्रलाइज करना है, हम केवल हम लखनऊ को बढ़ाते रहेंगे तो एक बड़ी तादाद उसमें आ जाएगी। हमको गोण्डा को भी बढ़ाना है, हमको बस्ती को बढ़ाना है, हमको फैजाबाद को बढ़ाना है, क्योंकि इन शहरों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो याद रखना कि बड़े शहरों में जीना दुश्वार हो जाएगा। आदमी की कोई जिन्दगी नहीं रह जाएगी। इसके लिए हमको नये तरीके से नगर के बारे में सोचना पड़ेगा। नगर विकास मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि केवल मथुरा की बात न की जाए। केवल कानपुर की बात न की जाए, केवल इलाहाबाद आगरा की बात न की जाए, बल्कि अगर बात की जाए तो हमारे बस्ती की भी की जाए, फैजाबाद की बात की जाए, देवरिया की बात की जाए, कुशीनगर की बात की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री रामकरन आर्य-

छोटी-छोटी जो नगरपालिकायें हैं, छोटे-छोटे जो शहर हैं नगरपालिकायें हैं जब तक इनका विकास नहीं होगा, केवल चन्द शहरों के विकास से यह हमारा प्रदेश नहीं बढ़ेगा। चन्द लोग अगर सेहतमंद हो जाएं बाकी लोग रोगी हों तो समाज कभी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग अगर अमीर हो जाएं बाकी लोग गरीब हों तो भी समाज अच्छा नहीं बनता है बराबरी का दौर होना चाहिए। शहर और देहात जब तक बराबर नहीं होंगे, जब तक बस्ती को नहीं देखा जाएगा। आगरा को नहीं देखा जाएगा, देवरिया को नहीं देखा जाएगा, लखनऊ को जब तक समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। तब तक प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आजम खां साहब, जो एक सूफी संत राजनैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बजट को रखा है मैं इस बेहतर बजट का भरपूर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री राकेश बाबू-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट की कटौती पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। क्योंकि सत्ता सभा की तरफ से काफी विधायकों के माध्यम से हमको सुनने को मिलता है कि काफी विकास की गति आपके माध्यम से शहरों में लाई जा रही है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के एक काम के बारे में माननीय नगर विकास मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों आप ही हैं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 8-9 माह पूर्व हमारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो पांच बस्तियां हैं-कांशीराम विहार, रानी नगर, सविता नगर, टापा खुर्द, नगला पानसार, श्रीराम कालोनी, इनकी पेयजल की सप्लाई के लिए दो टैंक बनाये गए थे, जिनका पिछले साल से काम चल रहा था और 8 माह पूर्व उन दोनों टैंकों का काम पूर्ण है, पूरा कम्प्लीट है और उन बस्तियों में पेयजल की गंभीर समस्या है, जनता को काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। आप जानते ही हैं, शहर फिरोजाबाद में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्प सारे फेल हैं, इस कारण से उन टंकियों का निर्माण पूर्व की सरकार के माध्यम से कराया गया था लेकिन आज तक उन टंकियों से सप्लाई देने का काम नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद के द्वारा नहीं कराया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपने बजट में काफी व्यवस्था की है, मुझे नए की जरूरत नहीं है लेकिन जो पुराना बना हुआ खड़ा है, कम्प्लीट है, उसे ही आप चालू करा दें तो हमारी जनता की काफी समस्या हल होने का काम हो जाएगा। इसके साथ-साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टूंडला में नगर पालिका के अन्तर्गत एक पेयजल टंकी करीब 40 वर्ष पुरानी बनी हुई थी, वह टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण, गिराऊ अवस्था में होने के कारण उसमें पानी भरने का काम नहीं किया जाता है, जिसके कारण पूरे शहर में उससे जो सप्लाई होती थी, आज वह डायरेक्ट नलकूपों से होती है, पानी घरों में नहीं पहुंच पाता है, जनता को पेयजल नहीं मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस टैंक का पुनः निर्माण करा करके जनता को पेयजल देने का काम करें और इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से तमाम बस्तियों में आपने डूडा के माध्यम से और अन्य जगहों के माध्यम से विकास करने का बजट में प्राविधान किया है तो हमारे भी शहर में रानी नगर, सविता नगर, टापा खुर्द, कांशीराम विहार, श्रीराम कालोनी और नगला पानसार, ये नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद के अन्तर्गत आते हैं। नई आबादी जो ग्राम सभा की इसमें सम्मिलित हुई है, काफी इनमें दलदल है, अगर उधर भी आपका ध्यान हो जाए, मान्यवर, उसमें ज्यादातर एससी, पिछड़ी और मुस्लिम आबादी है तो डूडा के माध्यम से अगर उसमें भी विकास कराने का काम करेंगे तो वहां की जनता को राहत मिलेगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि टापा खुर्द और नगला पानसार का जो टैंक है, उसे चालू कराने का काम करें, धन्यवाद।

*श्री मो0 इरफान-

अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के हक में बोलने का मौका दिया, उसका मैं निहायत शुक्रगुजार हूं। जिस शख्सियत ने यह बजट पेश किया है, मैं उनकी शान में इस बजट का समर्थन करते हुए एक शेर कहना चाहूंगा- ''सदन में बोलते हैं आजम तो फूल खिलते हैं, इसीलिए तो विपक्षी भी उन पै मरते हैं।'' अभी हमारे साथी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तारीफ की तो यकीनी तौर पर वह काबिले तारीफ हैं क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं। (इस समय 04 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) एक और खुसूसी तवज्जो के साथ मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। तहजीब रामपुर की लखनऊ कयाम है लुत्फो करम से वाकिफ हर खासोआम है।'' हमारे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह अपने आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मिसाल है। आपने जो उत्तर प्रदेश की 630 नगरीय स्थानीय निकाय जिसमें 13 नगर निगम 194 नगर पालिका परिषद् और 423 नगर पंचायतें हैं उनके विकास के बारे में जो इन्होंने योजनायें प्रस्तुत की हैं वह बहुत अनूठी योजनायें हैं। एक लाख से कम की आबादी वाले नगर निकायों को आदर्श नगर योजना 578 में से 462 का चयन करके एक विशेष उपलब्धि हम सबको दी है। जिसमें 90 प्रतिशत व्यय सरकार करेगी। 10 प्रतिशत नगर पालिका परिषद् करेगी। उसमें यह भी प्राविधान किया है कि वहां का सांसद, वहां का विधायक अपनी निधि से 5 प्रतिशत दे सकेंगे इससे वहां जल्दी विकास संभव हो सकेगा। नया सवेरा, नया विकास योजना, रिवाल्विंग फंड, नगरीय पेय जल तथा सीवेज कार्यक्रम इन सबकी मैं तारीफ करता हूं। यह जो कार्यक्रम हैं वह अत्यधिक प्रशंसनीय हैं। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह चाहूंगा कि बिलारी नगर पालिका परिषद् को आदर्श नगर योजना में शामिल किया जाये। चूंकि दोनों बजट एक साथ हैं इसलिए मैं अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में अपनी ओर से दो बातें और कहना चाहूंगा। पिछले पांच सालों में हमारे सामने वाले जिनकी सरकार रही है उन्होंने बेशक आज कटौती पर इतनी हिम्मत की है कि इस तरह का कटौती का प्रस्ताव रखा है जो इन्हें रखने का कभी हक नहीं पहुंचता है। हमारी सरकार की योजना अल्पसंख्यकों के लिए कितनी कारगर हैं जो आपने इससे पहले कभी सोचा ही नहीं है। आपने जो काम किये आपका जो दौर रहा है वह अल्पसंख्यकों के कितने खिलाफ रहा है अपने पांच साल के कार्यकाल में आपने किसी अल्पसंख्यक को उस तरह से फायदा नहीं पहुंचाया जो आपको पहुंचाना चाहिए था। आपके जमाने में जो भर्तियां हुयीं उसमें उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुयी हैं। उनको बराबर हक नहीं मिला है। ''दौर वह गुजरा कि कातिल को सजा बिलकुल नहीं, हर सजा उसको मिली जिसकी खता कुछ भी नहीं।'' वह समय जो आपका पांच साल का रहा है और आज आप उनके हितैषी बन रहे हैं। आपने जो ज्यादती की है वह आपको याद रखनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार प्रदेश के हर नागरिक को बराबर का हक देना चाहती है। कब्रिस्तान की चारदिवारी, हमारी बेटी उसका कल यह बहुत काबिले तारीफ योजनायें हैं जो विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए शुरू की गयी हैं। मान्यवर, जो अल्पसंख्यक का बजट है वह अनूठा बजट है इससे यकीनी तौर पर समाज के उस वर्ग को जो अब तक शोषित रहा है जिसके साथ ज्यादती हुयी है उसको लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट और नगर विकास विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं गाजियाबाद से आता हूं वह एक इंडस्ट्रियल टाउन है। मैं नगर विकास मंत्री जी को विकास के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की कुछ समस्या बताना चाहता हूं। शहर की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ग्रामीण अंचलों से बेरोजगार लोग शहर की तरफ आ रहे हैं और भी प्रदेशों से लोग गाजियाबाद में आ रहे हैं जो गरीब लोग आते हैं उनके पास मकान खरीदने के लिए,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किराये पर मकान लेने के लिए पैसा नहीं होता है। जो खाली जगह होती हैं वह उनमें अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। न वहां पर पानी मिलता है न बिजली मिलती है न सफाई होती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि महिलाओं को शौच भी खुले में जाना पड़ता है। मा0 अध्यक्ष जी, जो दूसरे साधन सम्पन्न लोग हैं वह भी शहर में आ रहे हैं। जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके। लेकिन शहर इतना महंगा है कि वह अपना मकान नहीं खरीद सकते। इसके लिए वह शहर के बराबर में अनअथराईज कालोनी हैं, वह उसमें मकान खरीदते हैं और वह बनाते हैं, वहां पर भी कोई सुविधायें नहीं होती हैं। दस-बीस साल बाद वह शहर के बीच में आ जाती हैं, लेकिन वहां के लोग सब सुविधाओं से वंचित रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे कहना है, जिन कालोनियों को 20-20, 25-25 साल हो गये हैं, जो शहर के बीच में आ गई हैं, उन्हें विनियमित कर दिया जाय और उनको भी सब सुविधायें दी जायं और जो लोग झुग्गी-झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, उनको कम से कम पीने के पानी के लिए नल और शौंचालय की व्यवस्था की जाय। माननीय अध्यक्ष जी शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम की है, इन्क्रोचमेण्ट बहुत है और इन्क्रोचमेण्ट से सड़कें भी सब टूट गयी हैं, एक तो मेरा सुझाव यह है, जो बिजली के खम्भे लगे हैं, उनके पीछे काफी जगह होती है, लोग अपने घर में दुकानों में तो सामान रखते नहीं हैं, सड़कों पर रखते हैं और उस जगह को घेर लिया है, इसलिए यदि यह बिजली के खम्भे सड़क के बीच में आ जांय तो बहुत जगह मिलेगी, यातायात में सुविधा मिलेगी और अध्यक्ष जी मेरा आपसे यह कहना है कि यह जो जाम की समस्या है, गाजियाबाद में बहुत विकट है और वह सबसे बड़ी समस्या वहां शहर के बीच में रेलवे लाईन होने की वजह से है, जिससे कोटगाम फाटक पर रेलवे ब्रिज बनना बहुत जरूरी है और मा0 नगर विकास मंत्री जो हमारे जिले के प्रभारी भी हैं, जब हमारे यहां जिला योजना की मीटिंग में गये थे तो सभी दलों के लोगों ने दलीय भावना से ऊपर उठकर मेरी इस बात का समर्थन किया था और मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह आपका रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा, परन्तु अभी तक उसमें कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम बजट में पढ़ रहे थे, गरीबों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं हैं, मेरे गाजियाबाद का केलाबट्टा सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी आबादी सवा लाख के करीब है, उसमें कोई भी स्कूल नहीं है, एक जूनियर स्कूल है। आपकी योजना है कि हम छः से बारह तक मुफ्त शिक्षा देंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जो जूनियर हाई स्कूल है, उसको आप इण्टर कालेज करा दें, जिससे वहां के जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, वह पढ़ सकें। वहां पर 98 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय की है और आपने यह भी कहा है कि हम उन मोहल्लों में सी0सी0 रोड बनवायेंगे, टाइल्स लगवायेंगे और बहुत सारे काम करवायेंगे, मेरे वहां केलाबट्टा में जो मेन सड़क है, जो बुद्धू के होटल से सादिक की पुलिया तक जाती है, बिल्कुल टूटी हुई है। मैं अनुरोध करूंगा, इसको बनवाया जाय और इतना बड़ा क्षेत्र है, उनकी शादी-विवाह के लिए, कोई स्थान नहीं है, कोई कम्युनिटी सेण्टर नहीं है। अध्यक्ष जी यह भी अच्छा होगा, वहां पर एक कम्युनिटी सेण्टर बनवाया जाय। मा0 अध्यक्ष जी मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, जो भी सड़कें शहरों में बनती हैं, अक्सर वह डामर की बनती हैं, डामर की सड़क पानी लगने से बहुत जल्दी टूट जाती है, उनकी लाइफ तीन-चार वर्ष होती है, मेरा यह सुझाव है कि यदि यह डामर की जगह सी0सी0 रोड सीमेण्ट की बनें, तो उनकी लाईफ बीस वर्ष होगी और इस पर पैसा भी बराबर ही स्टीमेट आता है। इन्हीं सुझावों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

*श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नगर विकास मंत्री जी के बजट के समर्थन में जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री, नगर विकास मंत्री जी ने बड़े अक्षरशः ढंग से उत्तर प्रदेश की हर जनपद की समस्याओं को देखते हुए जो आज बजट रखा है, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के माध्यम से, मैं अपनी समाजवादी पार्टी के आदरणीय मंत्री और मा0 सदस्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूं कि कितना अच्छा बजट, गरीब जनता, नगर और गांव तक जायेगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारी बड़ी बहन सादाब फातिमा ने अपने भाषण में धन्नीडीह गांव का जिक्र किया, उनके समर्थन में आपने जो खड़ा होने का मौका दिया है। इसके लिये धन्यवाद देती हूं। आदरणीय अध्यक्ष, हमारा जनपद विधान सभा भिनगा विकास खण्ड सिरसिया का गांव धन्नीडीह है और उस धन्नीडीह गांव में जब गरीब मुस्लिम परिवार के साथ ज्यादती हुयी तो उस समय बसपा की सरकार थी और बसपा का राज्य मंत्री वहां मौजूद था इसी विधान सभा में। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इन सदन के माध्यम से समाजवादी के परिवार के माध्यम से मैं बसपा के लोगों से पूछना चाहती हूं कि आपने उस समय गरीब मुस्लिम परिवार का घर जब दिनदहाड़े जलाया गया और बच्चे बच्चियों के साथ जुल्म, बलात्कार हुआ, जबरदस्ती हुयी तो आपने क्या कार्यवाही की, उसको बताने का आप कष्ट करें। आपने न कोई कार्यवाही की, न उस गरीब परिवार के घर जाने की बात की। आपका मंत्री, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्य मंत्री मायावती जी थीं। जो बहुत कहती रहती हैं कि हम महिलाओं और गरीबों की सहायता करते हैं। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं बसपा के मा0 सदस्यों से कि आपने क्या उस समय गरीब मुसलमान परिवार के लिये कोई कार्यवाही की। आपका तो वहां उस धन्नीडीह गांव में जाने का भी दिल गंवारा नहीं किया, क्यों नहीं गंवारा किया। आपको जाना चाहिये, आपको उनकी समस्या को देखना चाहिये। आपकी सरकार थी सरकारें तो आती जाती रहती हैं अध्यक्ष जी लेकिन उस समय जब आपकी सरकार थी। आपकी मुख्य मंत्री थीं तब आपने उन गरीबों को देखने का काम नहीं किया। आज आप जा जा करके पेपर में छपवाते हैं। आज आप हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार पर, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पर आक्षेप लगाते हैं जोकि गलत है। आदरणीय अध्यक्ष जी, में इस सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार और हमारी सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ऐसे हैं जो गांव, गरीबों और सभी जाति धर्मों को जोड़कर सबकी समस्याओं को देखने का काम करते हैं। चाहे हमारी समाजवादी पार्टी के जितने मंत्री हैं और जितने भी विधायक हैं। वो गरीबों के बीच से जीत के भारी तादाद में जीत-जीत के आये हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार बनायी है। जितने हमारे विधायक और मंत्री बने हैं। मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहती हूं कि हमारे एक भी विधायक, एक भी मंत्री कहीं जनता के बीच में गलत काम नहीं करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारा धन्नीडीह गांव था, वो हमारे सिरसिया विकास खण्ड गांव के बगल था, उस समय इनको मुसलमानों का दर्द नहीं था। किसी बसपा के लोगों ने देखने का काम नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। हमारा विधान सभा क्षेत्र भिनगा में हरिहरपुर रानी गांव है। हरिहरपुर रानी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव के पास एक गांव नौबस्ता था। नौबस्ता में एक गरीब किसान का बेटा मैजिक चला रहा था और दिनदहाड़े मैजिकसहित उस लड़के को गायब कर दिया गया लेकिन बसपा के लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

अरे, ये नगर विकास का बजट है।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

आज उस गरीब परिवार के बेटों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं सदन के माध्यम से बसपा के लोगों से पूछना चाहती हूं कि आज हमारी समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव की कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं। साफ सुथरी हमारी सरकार है और हम अच्छा काम करते हैं। हम जनता से चुनकर आये हैं। सभी विधायक, मंत्री जनता के दर्द को सुनते हैं। आदरणीय अध्यक्ष, मैं इस बजट के समर्थन में कहना चाहती हूं कि हमारा नगर विकास भिनगा का है। मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे नगर में पानी, सड़क की सुविधा करायी जाये। मलिन बस्तियों में बहुत सी नालियां खराब हैं, उसकी भी व्यवस्था करायी जाये। इसी के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, नगर विकास के इस अति महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। मैं केवल दो, चार बिन्दुओं में, बस 5 मिनट में अपनी बात रख लूंगा, जो आपके द्वारा निर्धारित समय है उसके अन्दर मान्यवर, नगर विकास का बजट जो स्थानीय निकाय से संबंधित होता है, सबसे ज्यादा महत्वूपर्ण बजट है। सबसे छोटा हाऊस जो होता है मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसको स्थानीय निकाय का हाऊस कहते हैं, फिर विधान सभा और सबसे बड़ा हाऊस लोकसभा और सबसे छोटा हाऊस सबसे ज्यादा महत्व का है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी से जुड़ी रोजमर्रा की जो जिम्मेवारियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं मान्यवर, वह नगर निगम से, नगर पालिका से और नगर पंचायत से गवर्न होते हैं और वह इतना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय लोग केवल नगर पंचायतों, नगर निगमों, और स्थानीय निकायों के सदस्यों से ही नहीं, विधायकों से भी उन्हीं कामों की अपेक्षा करते हैं, सरकार में बैठे मंत्रियों से भी उन्हीं कामों की अपेक्षा करते हैं और लोकसभा में बैठे हुए सदस्यों से भी उन्हीं कामों की अपेक्षा करते हैं, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। डा0 राधामोहन दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, इन्होंने अपनी पूरी बात कही है, इसलिए मैंने कहा है कि मैं अपने आपको सीमित रखूंगा मान्यवर, कुछ सुझावों तक। मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सफाई की, मा0 श्री आजम खां साहब यह कहते हैं कि ए टू जेड एक फ्रॉड है, उस बात से मैं आपने आपको सम्बद्ध करता हूं, लेकिन दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी है, इसका बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता हूं। अगर एक स्थान के ऊपर उस कंपनी ने काम करना बंद कर दिया, कानपुर जैसा महानगर मान्यवर, नारकीय स्थिति में हो गया, दो दिनों के अंदर और जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचनाएं हैं मान्यवर, दो-तीन दिनों के अंदर, जो नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठाया गया, उसमें डीजल को बेचने का कितना घोटाला हुआ, ये वहां से जानकारी मा0 मंत्री जी करा पायेंगे, मेरे को नहीं मालूम, उसके लिए मान्यवर, जिम्मेवारी हमारी है, कि उसके लिए हम व्यवस्था क्या कर रहे है ? रोज का मान्यवर, यह काम है, एक दिन का काम नहीं है सफाई व्यवस्था, रोज का काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे नेगलेक्टेड काम हम रखें, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं होता, उसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना महत्व किसी भी दूसरे काम का दिया जाता है, उससे ज्यादा महत्व देना चाहिए। मान्यवर, मैं जो बढ़ती हुई शहरों की आबादी है, जो आउटरस्केट्स के क्षेत्र हैं। इसके बारे में मान्यवर, बहुत-सारी चर्चा हुई है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, मा0 मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, उसके लिए भी कोई-न-कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी मा0 राधामोहन जी बोल रहे थे कि उसका रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा, तो उसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनके ऊपर कोई न कोई टैक्स लेवी कर दिया जाय कि इतना आपको टैक्स शेयर देना पड़ेगा, तब आपके क्षेत्र का विकास होगा और जहां तक मान्यवर, विकास की बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है (मा0 नगर विकास मंत्री जी और श्री योगेश प्रताप सिंह जी के मध्य वार्तालाप होने पर) मा0 योगेश जी की बात खत्म हो जाए तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बोलें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि वहां पर नगर निगम नियमावली और संविधान भी इस बात को कहता है। सिर्फ नगर निगम की नियमावली ही नहीं कहती, विधान सभा की नियमावली ही सिर्फ नहीं कहती है, संविधान भी इस बात को कहता है कि मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार, हर व्यक्ति को होता है और उसे देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मान्यवर, वहां पर न तो नाली है, न सड़क है, न सीवर है। आगे क्या करवाइंगे उसको देखिए, कम-से-कम जल निकासी की व्यवस्था और मुख्य मार्ग वहां पर बनवाने के लिए, इसके लिए आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे। एक मान्यवर, जो टैक्स डिस्पेरीटीज का मामला है, एक जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मा0 मंत्री जी, थोड़ा ध्यान देंगे, उस बिल्डिंग में जितने मकान हैं, उतने प्रकार के असेस्मेंट हैं। एक ही प्रकार के मकानों में रहने वाले, एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में अगर 40 फ्लैट हैं, तो 40 लोगों में 8-10 तरीके के उनके ऊपर टैक्स लाइबिलीटीज कर दिये हैं। एक ही प्रकार के, एक ही साइज के मकान और एक ही ब्लॉक में रहते हैं, उनका सबका टैक्स असेस्मेण्ट अलग-अलग होता है। इसका मतलब कहीं-न-कहीं उसमें गोलमाल है। इसको एक नमूने के तौर पर कहीं से भी, किसी भी नगर निगम से मंगाकर आप देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि वह आपके संज्ञान में आ जायेगा और उसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह आप करेंगे मान्यवर। ये होल्डिंग्स लगाने का जो बेतरतीब ढंग से होल्डिंग्स लगती हैं, उसके बारे में आप संज्ञान ले लें। जे0एन0एन0आर0यू0एम0 मान्यवर, इस नई जिम्मेदारी को, इस बार की जिम्मेवारी को जब आपने लिया था, तो आपने कहा था कि जे0एन0एन0आर0यू0एम0 भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, एन0एच0आर0एम0 से कम घोटाला यह नहीं है। आपने उसकी जांच कराने का भी आदेश दिया था, लखनऊ की जांच आपने आई0आई0टी0 से भी करवाई। हमने ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ा है। उन

जांचों का क्या हुआ और यदि आपने लखनऊ करवाया था तो मैंने आपसे निवेदन भी किया था, लिखकर भी दिया था कि कानपुर के बारे में भी उसको करवा दीजिए। उन जांचों को जरूर करवायें। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा एक मिनट में अपनी बात करूंगा सरकारों का पैसा भी बहुत मेहनत का होता है, बेकार का पैसा नहीं होता है। बेकार का पैसा जिन लोगों के पास होगा, वह होगा, लेकिन सरकारों का पैसा जनता का पैसा होता है। मान्यवर, बेकार का पैसा जिनके पास होगा वह होगा लेकिन सरकार के पास जो पैसा होता है वह जनता का पैसा होता है और उसके अच्छे रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मान्यवर, यह जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का घोटाला है इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, स्थानीय निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ हो इसकी जिम्मेदार सरकार की है। मान्यवर, आज शहरों में पीने का पानी नहीं है। छोटे स्थानों पर तो बिल्कुल नहीं है। वहां पर पाइप लाइन नहीं है तो आप वहां पानी कैसे पहुंचायेंगे। मान्यवर, जो शहर से बाहर आउटस्कर्ट पर लोग रह रहे हैं उनके लिए पाइप लाइन से पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है वह काम भी आपको कराना होगा। मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में विभागों में आपस में समन्वय नहीं है उस पर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, जो पीने के पानी की स्थिति है उसमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मान्यवर, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पैसा तो आप खर्च करते हैं लेकिन बहुत से काम अधूरे पड़े रहते हैं जैसे बहुत जगहों पर ओवर हेड टैंक बन गये हैं लेकिन उसमे सप्लाई नहीं आई है। इसी तरह से बरसात का समय आने वाला है और जगह-जगह पानी का भराव हो जाता है, उसमें आपको महीने दो महीने में व्यवस्था करनी होगी तभी समाधान हो पायेगा। मान्यवर, यह कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इनको लागू करेंगें तो जनहित में काम कर सकेंगे। धन्यवाद।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन कुमार पाण्डेय)-

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आदरणीय श्री आज़म खां साहब जी द्वारा रखे गये इन बजटों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को ढेर सारी शुभ कामनायें और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक बजट यहां पर रखा है। मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि एक साल पहले जब हम लोग चुनकर इस सदन में आये थे तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय नगर विकास मंत्री जी से इस बात का अनुरोध किया था कि हमारे अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में बीस-पचीस साल से फैजाबाद शहर में और अयोध्या नगरी में सड़कों का और नालियों का निर्माण नहीं हो सका है। जबकि वह अयोध्या नगरी मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्म स्थली है और असफाक उल्ला खां की शहादत की स्थली है। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से फैजाबाद शहर नगरपालिका के लिए दस करोड़ रुपये, और अयोध्या नगरपालिका के लिए दस करोड़ रुपये देने का काम किया। मेजों की थपथपाहट। लेकिन उस फैजाबाद नगरपालिका और अयोध्या नगरपालिका में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इसलिए उन्होंने उस रिवाल्विंग फण्ड के पैसे को लेने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और इन्होंने फैजाबाद और अयोध्या को पूरा कीचड़ बना दिया था

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत फैजाबाद शहर में सड़कों के निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये दिये हैं। अयोध्या नगरी के सड़कों के निर्माण का भी स्टीमेट आ गया है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसको स्वीकृति करने की कृपा करेंगे। मान्यवर, अभी अल्प संख्यक कल्याण विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखते ब0स0पा0 के माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं। मान्यवर, अभी मुस्लिम समाज की बात कही गयी कि वह सुरक्षित नहीं हैं मान्यवर, आज जो दंगे हुए हैं और जो फसाद हुए हैं इसके पीछे कौन हैं और इनके पीछे साजिश किसकी है आप एक साल का इतिहास उठाकर देख लें। मान्यवर, जो अयोध्या और फैजाबाद में घटनायें हुई उसमें मुस्लिमों की दुकानें जलाई गयीं, सब्जी और फल के ठेले वालों के ठेले जलाये गये। वह किसने जलाये। मान्यवर, आप पता कर लें कि उसमें वहां के ब0स0पा0 के नेता और सभासद भी गैंगस्टर और गुण्डा ऐक्ट में बन्द हैं। यह साजिश किसने की है। यह अधिकार दुकानों के जलाने का उन्हें किसने दिया। मान्यवर, जब आप पता करेगें तो सारी बाते आपके समझ में आ जायेंगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं-

यह जला दिया वह बुझा दिया यह काम है किसी और का,
न शमा किसी के खिलाफ है न कोई शमा के खिलाफ है ।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज नया सबेरा के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को गरीब लोगों को छत देने की योजना बनाई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे फैजाबाद में कांशीराम योजना के आवास बने हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आज वहां क्या होता है आज डेली कोतवाल और इंस्पेक्टर को फोन करके वहां भेजना पड़ता है। ऐसे-ऐसे लोगों को मकान दे दिये गये हैं पहली बात तो मकान गिर जाता है रोज किसी न किसी कमरे का पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। फैजाबाद में कांशीराम आवास योजना के मकान बने थे रोज न रोज कोई मकान गिरता है किसी की दीवाल गिरती है, किसी का छत गिरता है उससे किसी का हाथ टूटता है किसी का पैर टूटता है। कांशीराम आवास के ज्यादा से ज्यादा लोग तो जिला अस्पताल में रहते हैं और कुछ ऐसे विवादित लोगों को मकान दे दिया गया है जो इतना झगड़ा करते हैं, इतना बवाल करते हैं पता नहीं कहा से वह लोग आ गये हैं हम तो माननीय नगर विकास मंत्री जी से उसकी जांच कराना चाहते है कि जिनको मकान दिया गया है उनकी जांच करा लीजिए कि किस टाइप के वह लोग हैं कहां के रहने वाले वे लोग हैं, उनका चरित्र और आचरण क्या है, इसकी जांच कराकर हमारे फैजाबाद को स्वच्छ और अच्छा बना दीजिए यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि आपने फैजाबाद अयोध्या में सीवर लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है हम इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि जो अभी आपने एतिहासिक कुम्भ कराया और कुम्भ के अवसर पर माननीय नगर विकास मंत्री जी ने, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था की और पूरे विश्व के मानचित्र पर एतिहासिक कुम्भ का आयोजन करा करके इतना सफल आयोजन कराया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से हम माननीय नगर विकास मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। अभी अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में बोल रहे थे हम आपसे कहना चाहते हैं आपने उन लोगों की पढ़ाई और लिखाई के बारे में कहा, आज हमारे माननीय मंत्री जी अगर बेटियों

को 30-30 हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई है आपको इस बात का गर्व होना चाहिए था कि आपके समाज की बेटियों को, आपके समाज के बच्चों को आज समाजवादी पार्टी पढ़ाने लिखाने का काम कर रही है उनको मजबूत करने का काम कर रही है क्योकि जिस परिवार की बेटी बहन पढ़ लिखकर आगे निकलेगी समाज में वह एक अच्छे परिवार का निर्माण करेगी। अच्छे समाज का निर्माण करेगी, हमने तो सोचा था आप इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देंगे लेकिन आपको पता नहीं मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि आपके समाज की बेटियां और बच्चें पढ़ें इसीलिए ऐसा किया। मैं अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करते हुए एक बात और कहना चाहते हैं और नगर विकास मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि आपने अपने भाषण में अपने नगर विकास के कार्यक्रम में इसको भी शामिल किया है। जो क्रान्तिकारी लोग रहे हैं जो हमारे इस प्रदेश के धरोहर हैं जो हमारे इस उत्तर प्रदेश की संस्कृति सभ्यता है उसको आप सजोयेंगे उसको आप अच्छा बनायेंगे उसको आप बढ़िया बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है-

जिस सख्श को बुजुर्गों की रवायत न रहे,
आज उस सख्श की लोगों को कोई पहचान नहीं है ।

और आदरणीय आजम खां साहब ने इस रवायत को बचाने का काम किया है। जितने भी क्रान्तिकारी रहे हैं, जितने भी इस देश के लिए शहीद होने वाले लोग रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर काम किया है उनके नाम पर जो भी आपने करने की योजना बनाई है उसके लिए आपको दिली मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि आपने अपने नगर विकास के बजट पर गरीब शोषित पीड़ित दलित समाज फैजाबाद और उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर हैं जितने भी नगर पालिकाएं हैं नगर निगम हैं उनको विकसित करने का, पूरे समाज को अच्छा जल, मकान, शिक्षा देने की योजना बनाई है और सबसे बड़ी चीज आपने गरीब तबके के दुःख दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं चन्द लाइनों के साथ-

पढ़ने को तो खत उसने पढ़ लिया होगा,
हर लब्ज कांटा सा बन कर चुभा होगा,
बेटा किसी बेवा का जब दूल्हा बना होगा,
तो शादी में उस मां का आसू न रूका होगा
धनवान कोई होता तो धूम मची होती,
निर्धन का जनाजा भी चुपके से गया होगा।

इसलिए माननीय आजम साहब आपने जो एतिहासिक बजट प्रस्तुत किया हर तबके के दुःख दर्द को कम करने का काम किया इसके लिए बधाई देते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय राधा मोहन दास जी ने 1974 के बिल संशोधन की बात की। हम आपसे भी कहना चाहते हैं आपकी भी सरकार इस प्रदेश में कई बार रही केन्द्र में रही। आप आज संशोधन की बात करते हैं लेकिन जब आप प्रदेश और केन्द्र में थे तो आपने क्यों नहीं संशोधन करके इस प्रदेश के विकास की बात सोची। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय आजम खां साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, नगर विकास का एक बहुत भारी आकार है और इसमें 13 नगर निगम, 194 नगरपालिका और 423 नगर पंचायते हैं । मान्यवर, यह स्थानीय निकाय और स्थानीय सरकार का एक पूरा आकार प्रकार है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, उसके बाद असेम्बलीज हैं और फिर सबसे नीचे आधार में लोकल बाडीज हैं और यह अपने आप में पहले स्वायत्तशासी संस्थायें कहलाती थीं और अब यह स्वायत्तशासी सरकार है। मान्यवर, जब मैं पहली बार 1985 में विधान सभा का सदस्य हुआ था, उसके पहले लगभग 16 वर्षों से नगर महापालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे थे और मैनें उस समय पी0आई0एल0 दाखिल की थी कि नगर निगम के टैक्स लेने का अधिकार केवल चुनी हुयी संस्थाओं को होना चाहिये। चूंकि उस समय जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लिये जा रहे थे, उसमें बड़ी धांधली हो रही थी और रोज हम लोग परेशान हो रहे थे और इत्तिफाक से हम लोग इधर लोकदल में थे, जो शिकायतें होती थीं उस पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो हमने पी0आई0एल0 की और उस पी0आई0एल0 में जो 1991 में निर्णय आया, 1987 में तो चुनाव कराये गये निर्णय यह आया कि यह लोकल बाडीज इनको बहुत दिनों तक भंग करके नहीं रखा जा सकता । जिस तरह से 5 साल में पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव होते हैं, उसी तरह के चुनाव इनके भी कराने अनिवार्य किये गये और उसी के बाद 1992 में 74वां संविधान संशोधन आया जिसमें किस तरह यह संस्थायें मजबूत हों, उसके लिये जिस तरह अनुवर्ती सूची, उसी प्रकार 74वें संशोधन में एक 12वीं अनुसूची जारी की गयी। जिसमें यह तमाम विभाग दिये गये हैं, जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने उस पर जिक्र किया ही है कि बहुत से विभाग है आज दूसरों के पास हैं, उनको नगर निगम और नगर निकायों को दिया जाये और जो सबसे पहला महत्वपूर्ण विभाग था नगरीय योजना, जिसके अंदर नगर योजना भी है, आज यह विभाग आपके प्राधिकरणों के पास है, आवास विकास के पास है और इससे जो आय होती है नगर नियोजन बनाते तो आवास विकास के लोग हैं और उसका जितना मलबा कचड़ा है उसको नगर निगम देखता है। इनके पास साधान नहीं हैं और यह साधन इसके शमन शुल्क, मानचित्र पास करना, इसका नियोजन करना यह आवास विभाग के पास है। इस संविधान संशोधन के अनुसार यह नगर निगम के पास होने चाहिये। लेकिन सौभाग्य दुर्भाग्य कि सभी लोग इधर उधर रहे हैं, आज तक हम लोग इसको नहीं कर पाये हैं और यही कारण है कि आज जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, वह आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं हैं, दूसरों के सहारे हैं, दूसरों की बैशाखी पर हैं इसलिये यह स्वंय निर्णय नहीं कर पाये। तो सबसे पहले जो 74वॉ संविधान संशोधन है, जिस दिन सम्पूर्ण रूप से लागू हो जायेगा, उस समय यह नगर विकास विभाग अपने पैरों पर खड़ा होगा और उन्नति करेगा । इसी के साथ मान्यवर, मैं दो तीन बॉतों का जिक्र करना चाहूंगा कि शहरों में पलायन हो रहा है, गरीब लोग आ रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनके पास लाखों रुपये हैं नहीं। कोई शोरूम और बड़ी दुकानें नहीं ले सकते पगड़ी देकर। सड़क की पटरियों पर या इधर-उधर कहीं रोजगार करते हैं छोटे-मोटे, अतिक्रमण भी है अतिक्रमण में हटाये भी जाते हैं बेचारे उजड़ जाते हैं, उसके लिये एक राष्ट्रीय फेरी नीति 2009 बनाई गयी और लागू भी है। हम लोगों के यहां भी लागू है इलाहाबाद में।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग 14-15 हजार लोगों ने इसमें आवेदन दिया था और अभी तक केवल 259 लोगों को जगह दी गयी कि वह रोजगार कहां करेंगे । यह गरीब लोगों के सम्मान का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, कुछ न कुछ तो करेंगे, कमायेंगे, खायेंगे और तभी अपना परिवार चलायेंगे। छोटी-छोटी दुकानें लगाते हैं और उनको उजाड़ा गया अभी कुंभ मेले के दौरान तो तमाम लोग उजाड़े गये, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कुम्भ मेले का अवसर था और हमारे नगर विकास मंत्री जी का भी कुछ दृष्टिकोण था कि नगर साफ हो और नगर साफ भी हुआ साफ होने के बाद उनका कहीं पुनर्वासन होना चाहिए। जो इस तरह की गुमटियां थीं नगर निगम ने आवंटित की थीं विकास प्राधिकरण ने आवंटित की थीं लोग सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं हम चाहेंगे सदन के माध्यम से कि माननीय नगर विकास मंत्री जी उस पर थोड़ा रहम दिली करें और उनके पुनर्वासन की व्यवस्था कराएं। नगर विकास का मुख्य काम सफाई, सीवर, और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करना होता है। जो इस समय स्थिति है जो पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार 10 हजार की आबादी पर करीब 60 से 70 तक सफाई कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन जो आज स्थिति है हम लोगों की कि 10 हजार की आबादी पर 22-23 सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग सफाई चाहते भी हैं और गंदगी भी हम लोग फैलाते हैं आज सदन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम जिस सफाई की बात करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका की तो जो सिविक सेंस उन लोगों के यहां हैं वह हमारे यहां नहीं हैं। हम लोग चलेंगे तो केला खाकर फेंक देते हैं। कूड़ा फेंक देते हैं। अभी जो सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट का प्रोग्राम जे0एन0एन0आर0एम0 के अन्तर्गत चल रहा है इसमें लोग घर-घर कूड़ा उठाते जाते हैं लेकिन होता क्या है कि सुबह को कूड़ा लोग ले जाते हैं और दोपहर को कूड़ा लोग फेंक देते हैं। उसके लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए। जो इस तरह से हम लोग गंदगी फैलाते हैं नियमों के विपरीत जाते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभी नगर निगम में 33 हजार 277 सफाई कर्मचारी हैं और पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार 69 हजार 335 चाहिए। अभी भी नगर निगमों में 35 हजार 958 सफाई कर्मचारियों की कमी है। इसी प्रकार नगर पालिका में 66 हजार 390 पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सफाई कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में 30हजार 486 कर्मचारी हैं। 35, 904 सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका में कमी है। इसी प्रकार नगर पंचायत में भी लगभग 30,494 कर्मचारी चाहिए जिसके सापेक्ष 13, 868 सफाई कर्मचारी हैं तो सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो उनसे ठीक से काम लिया जाय। तभी यह सफाई होगी। इसके साथ ही साथ हाउस टैक्स का जहां तक सवाल है माननीय नगर विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हमारे यहां इलाहाबाद में जो 40 साल से पुराने मकान हैं उनको छोड़ दिया जाय लेकिन अभी हमारे यहां यह लागू नहीं हुआ है। इसमें मामला न्यायालय में भी गया था न्यायालय का भी आदेश हुआ लेकिन इसके बावजूद अभी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाय। बाकी जो कुम्भ का मामला रहा इलाहाबाद के विषय में क्या कहूं। चूंकि कुंभ में हम लोगों को पैसा मिलता है भारत सरकार से भी मिलता है राज्य सरकार से भी मिलता है। लेकिन इसके बाद चूंकि 6 साल बाद अर्ध कुंभ है उससे हम लोगों की रोड ग्रांट कम कर दी जाती इसलिए कि आपको कुंभ और अर्ध कुंभ में पैसा मिल चुका है यहां काम हो चुका है। इस बार माननीय नगर विकास मंत्री जी की देखरेख में सड़कें ठीक बनीं अच्छी बनीं काफी बन गई हैं जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने

इलाहाबाद की ओर दृष्टि रखी कुंभ मेले के नजरिए से ही हम लोगों का विकास हुआ है। हम लोगों के यहां फर्स्ट फेज में 350 कि0मी0 सीवर बिछना था बहुत खराब हालत रही जैसे ठेके हुए उस पर कुछ नहीं कहना सब लोग जानते हैं कि कैसे हुआ था। हुआ यह कि सीवर डाल दी गई और उसका जो कैंपेशन करना चाहिए था वह नहीं किया गया और 20 अक्टूबर 2012 तक पूरा होना चाहिए था कुंभ के पहले लेकिन नहीं हुआ यह माननीय नगर विकास मंत्री जी का ही ठोस निर्णय था कि अधिकारियों ने कुछ पूरा कराया है। मुख्य सड़कों पर तो हो गया है लेकिन जो गली और मुहल्ला है उसमें अभी ऐसी स्थिति है कि सड़कें खराब हैं इसको भी ध्यान देकर जो भी बजट हम लोगों के यहां कुंभ का बचा है उसको उसमें लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय नगर विकास मंत्री जी ने व्यवस्था कर रखी थी कि जो खर्च न हो जाए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्च के आखिर में सब लोग बजट खर्च कर देते हैं और काम नहीं हो पाता है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यह आपने निर्णय लिया था कि कुंभ में जो अभी काम है उसको किया जाय और जल्दबाजी में खराब गुणवत्ता का काम न किया जाय और जल्दबाजी में खराब गुणवत्ता का काम न किया जाए। उसमें अभी जो पैसे बचे हैं उनसे काम कराया जाए। कुछ स्थाई काम भी होने थे जैसे हमारे इलाहाबाद में 08 रेलवे क्रासिंग शहर में, उसमें से जो कुम्भ मेले की ओर जाने वाली जो क्रासिंग हैं उसमें भारत सरकार ने तीन रेलवे क्रासिंग की अनुमति दे दी है और बजट भी लोकेट कर दिया है अब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अपना हिस्सा देना है। यह जो बकाया बजट है कुम्भ का इसे हम लोग उसमें खर्च कर सकते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको प्राथमिकता पर ले लें जिससे कि आगे आने वाला जो अर्द्धकुम्भ है, उसमें यह काम आये। मैं पुनः सफल संचालन के लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को, आप तो कम गये लेकिन आपके जाने की जो धमक रही है उससे काम ठीक हुआ है तो मैं धन्यवाद् देता हूं। कुछ काम हो गये हैं कुछ बाकी हैं, जो बाकी हैं उन्हें भी शीघ्र करा दिया जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम्परा के अनुसार माननीय अग्रवाल साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती पर बल देता हूं।

*संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल, सम्पूर्ति, हज राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको मैं धन्यवाद् देता हूं कि आपने माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत नगर विकास विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। जिन शब्दों में भावुकता के साथ सम्बोधन मैंने माननीय आजम साहब का सदन में देखा उससे मेरा भी दिल भर आया। मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था संचालन और विकास में शहरों की क्या भूमिका होती है। इसीलिए शहरी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में इसका प्रभाव परिलक्षित होना आवश्यक है। इसीलिए नगर विकास की महत्ता अपरिहार्य है। हम शहरों के अन्दर बढ़ती हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनसंख्या की वृद्धि, ट्रांसपोर्ट का बढ़ना, नगरीय यातायात का बढ़ना, यह क्षेत्रफल का जो विस्तार होता जा रहा है तथा ग्रामीण लोगों के शहर में आने के कारण से शहर के अन्दर जो सुविधाएं हैं जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, सॉलिडबेस मैनेजमेंट, जल निकासी, सड़क, परिवहन, पर्यावरण आदि में सुधार लाने की निरन्तर आवश्यकता पड़ती है। मैं इसके लिए अपने मुख्य मंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद् देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके आज इतना बड़ा बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। हमारे यहां 630 नगरीय इकाइयां हैं, इसमें 13 नगर निगम हैं और 194 नगर पालिकाएं हैं, 423 नगर पंचायतें हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुम्भ के अन्दर जो वहां के संसाधन हैं और जो हमारा सहयोग है उससे हम वहां की अवस्थापना सुविधाओं को पूरा कर सकें। अभी हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बताया कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनाएं हमारे प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें 33 परियोजनाएं यू0आई0जी0 की हैं और 64 परियोजनाएं यू0आई0डी0 द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिस पर 4 हजार 327 करोड़ रुपए यू0आई0डी0 में और 11 सौ 40 करोड़ रुपए का निवेश किया भी जा चुका है। हम लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि सीवरेज हो, ड्रेनेज हो सभी शहरों के अन्दर, उसके अन्दर सभी नागरिक सुविधाएं हों। सेटेलाइट टाउन, केन्द्रीय सरकार द्वारा 7 सेटेलाइट टाउन सारे देश के अन्दर छाटे गये हैं जिसमें से एक सेटेलाइट टाउन हमारे प्रदेश में छटा है, पिलखुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बड़े शहर हैं उसके अन्दर लोगों का पलायन न हो इसलिए पूरी अवस्थापना सुविधाएं सेटेलाइट टाउन में दी जायेंगी और मैं इसके लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके लिए रुपये की व्यवस्था की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यह हमारी प्राथमिकताओं में है चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे वह कुछ और हो, हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने जा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। 17 निकायों का चयन हम एक जगह कर चुके हैं, 136 निकायों में सी0सी0 रोड, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित होना प्रस्तावित है जो केन्द्रीय सरकार को गयी हुई है। अभी आगरा के माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि आगरा में टिहरी प्रोजेक्ट से पानी ला रहे हैं जो बुलन्दशहर से होता हुआ आगरा पहुंचेगा, 140 क्यूसेक पानी पहुंचेगा जिसमें 130 क्यूसेक पानी आगरा को और 10 क्यूसेक पानी मथुरा को मिलेगा। यह 7000 करोड़ रुपये की योजना है। उसमें भी हमारे नगर विकास मंत्री जी ने 300 करोड़ रुपये इस साल के लिए प्रस्तावित किये हैं। इसी प्रकार से नगरीय पेयजल हो, स्टेट सेक्टर में हो या एस0सी0पी0 में हो उसके अंदर सभी मेन योजनाओं को दिया गया है। मान्यवर, अभी आपने बताया झील संरक्षण योजना के बारे में। यह एक बड़ी योजना है जिससे कि हमारे प्रदेश के वह झील जिनकी घोषणा हमारे मा0 नगर विकास मंत्री जी ने की है उनके अंदर कार्य करने से विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे और पयर्टन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से आदर्श नगर योजना के अंतर्गत हमारी जो यू0जी0आई0 से आच्छादित नहीं है उन योजनाओं को हम आदर्श नगर में चलायेंगे जिसके लिए 156 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने नया सवेरा नगर योजना के रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत भी 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है।

मान्यवर, भारत के संविधान में हमारा देश एक सम्पूर्ण धर्म-निरपेक्ष समाजवादी देश है जिसके अंदर हर धर्म और हर जाति के लोगों को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा, संस्कृति के सम्वर्द्धन तथा संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रही हो या अन्य रिपोर्ट रही हो आज तक यह किसी सरकार ने यह नहीं किया मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, अपने राष्ट्रीय नेता मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी को और नगर विकास मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो कि आज इक्कीसवीं सदी में बहुत जरूरी है उन्होंने 2011-2012 से 121 प्रतिशत बजट को बढ़ाया है इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मैं अपने नगर विकास मंत्री जी को दिल की गहराईयों से इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया है जहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलेगा। अभी राज्य में शैक्षणिक हब बनाने की योजना भी प्रस्तावित है और जल्दी ही हम इसको शुरू करेंगे जिसके अन्दर अल्पसंख्यक बस्तियों के अन्दर उन बच्चों को भी वह टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन मिल सके जिसके द्वारा वह समाज के अन्दर वह स्थान प्राप्त कर सकें जो अन्य लोग प्राप्त करते हैं। मैं मुजफ्फरनगर जनपद से आता हूं, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी का कि त्वरित विकास के अन्दर इन्होंने मुझे ड्रेनेज के लिए 20 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया है और मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मा0 आजम साहब ने डूडा के द्वारा वहां मलिन बस्तियों में इतनी अच्छी सड़कें बनवायी, उसके लिए मैं बधाई देता हूं और मान्यवर, मा0 शिवपाल यादव जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे ओवर ब्रिज के लिए आश्वासन दे रखा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री दलवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री रौशन लाल वर्मा-

मान्यवर, हमको भी बोलने का अवसर दीजिये। चार-चार बजट हैं, हमको एक मिनट का भी समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। अरे रौशन लाल बैठिये। राष्ट्रीय लोक दल का कोई नहीं बोला है दलवीर जी को बोल लेने दीजिये।

*श्री दलवीर सिंह-

आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जो बजट का प्रस्ताव रखा है वह हमारे सदन के महा विद्वान, बड़े योग्य और अनुभवी समझदार और सबसे अच्छे मंत्री हैं और जिन्होंने कटमोशन रखा है वह भी इस सदन के बहुत विद्वान, बड़े होशियार और बहुत अनुभवी हैं। दोनों के बीच में बजट चल रहा है हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे हम गांव के रहने वाले हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा तो इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दो चार हमारे भी सुझाव इसमें शामिल कर लिये जायं, बड़ी मेहरबानी होगी। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है शहरों की कि इसमें चारों तरफ के गांव आ गये हैं शहरों में। मैंने माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया था और अलीगढ़ को विशेष रूप से कोट किया था कि 40 गांव ऐसे हैं जो शहर के अंदर आ गये हैं लेकिन उनको शहरी सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनको शहरों में शामिल कर लिया जाय। दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ इतने बड़े-बड़े गांव हो गये हैं जैसे गभाना मेरी तहसील है। तहसील हेड क्वार्टर है लेकिन ग्राम पंचायत है। मैं चाहूंगा, मैंने कुछ गांव लिखकर दिये हैं जैसे गभाना, बरौली, जवां, तालिबनगर इन सब गांवों को टाउन एरिया नगर पालिका का दर्जा दिया जाय। हमारे शहर अलीगढ़ में हम हैं तो गांव के लेकिन शहर तो हमें आना पड़ता है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे सब लोग जैसे हमारा इस बजट से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इतने अवैध कट्टीघर हैं, उन सबको या तो बंद कराया जाय या उनकी साफ सफाई की जो नियमित व्यवस्था है वह कराई जाय। नगर निगम अलीगढ़ में इतने गड्ढे और इतनी गन्दगी है और बिल्कुल पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं भी देखा है। मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था अपने स्तर से करवायें। ट्रैफिक इतना भारी है, कमिश्नरी हो गई है, दिल्ली के नजदीक है वहां ट्रैफिक की व्यवस्था करवाई जाय। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनूवल मिशन की जो योजना चल रही है मैं चाहूंगा अलीगढ़ ने राष्ट्रपति दिये। वर्तमान में उप राष्ट्रपति अलीगढ़ के हैं और आप को भी अलीगढ़ ने दिया। आप सबके होते हुए अगर यह मिशन अलीगढ़ में लागू नहीं होगा तो अलीगढ़ की वह धरती आपको कहेगी कि अलीगढ़ ने आपको इसलिये तैयार किया था कि आपके होते यह मिशन वहां पर न लगे यह भी बड़ी वैसी बात है। मैं चाहूंगा कि यह मिशन वहां जरूर लगे। धोबीघाट वहां अधूरे पड़े हैं। थोड़ा सा खर्चा है। आपने देखे हैं। यूनीवर्सिटी के बगल में ही धोबीघाट है और सबकी इतनी दुर्दशा है मैं चाहूंगा धोबीघाट बनवाये जायं। साथ ही साथ नगर निगम ने रिक्शा वालों के लिये आप बहुत दया कर रहे हैं, आपने एक योजना चलाई है। मेरा आपसे एक सुझाव है कि इन रिक्शा वालों के लिये एक शेड ऐसे बनवाये जायं जहां यह लोग बरसात से बच सकें, दोपहरी में बैठ सकें, धूप धाप में वहां ठिकाना बन सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, दो बातें मेरी और है। अध्यक्ष जी, हमारी नगम निगम और नगर पालिका लूट कर रही हैं। आपने देखा है अलीगढ़ शहर से 25 किलोमीटर बाहर आउटर पर एक बोर्ड लगा है **सीमा नगर निगम**। 2 परसेन्ट टैक्स हमारा स्टाम्प जो टैक्स लगता है पूरा देहात की सब तहसीलों का उसमें दो परसेन्ट किसानों को वहां से खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। वह पूरा कलेक्ट होकर शहर में आ जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस टैक्स में भागीदारी हमारे देहात के लोगों की भी है। सड़क कार्य, विकास कार्य वहां भी उसी अनुपात में लगाया जाय। अलीगढ़ में आपने अच्छी तरह से देखा है अभी 8 आदमी मरे हैं इसलिये मरे कि रेलवे का पुल बन गया। रेलवे का पुल बन गया लेकिन रेलवे के दोनों तरफ जो चढ़ने वाली सड़क थी वह नहीं बनाई

गई इसलिए वह एक्सीडेंट हो गया। बाईपास में भारी ट्रैफिक है, एटा और मैनपुरी को जाने वाले बाईपास में भारी ट्रैफिक है जिसके कारण वहां एक्सीडेंट हो गया तो मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन है कि उस रेलवे के पुल के दोनों साइड में जो रैम्प बनता है, कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं, सवाल डाल चुका हूं आपका जबाव यही आता है कि धन उपलब्ध होने पर बनाया जाएगा। वहां व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री दलवीर सिंह-

आप यूनीवर्सिटी गए वहां भी रास्ता रोकना पड़ा तो मेरा निवेदन है कि उस रैम्प को बनवाएं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें। अग्रवाल जी बोलिए।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

अब किस किसको बुलाएंगे। एक दिन का मतलब चार घंटा और चार घंटा हो रहा है। बैठिए आप लोग।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

दो-दो मिनट बुलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कहां बुलवा दें। समय तो देखें। पासवान जी बैठें। एक काम कर सकते हैं आप लोग लिखकर दे दें सब प्रोसीडिंग का अंग बन जाएगा। सब लोग लिखकर दे दें प्रोसीडिंग में जुड़कर आपके घर चला जाएगा। डाक्टर साहब आप बोलें। मैं आपको बुलवा रहा हूं। आप बोल नहीं रहे हैं।†

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

जो नहीं बोल पाए हैं अपने-अपने क्षेत्र के बारे में लिखकर दे दें। आप लोग अपने नेताओं से कहिए कि इतना समय क्यों लेते हैं। डाक्टर साहब आप बोलिए। असीजा जी बैठें। आप लोग जो नहीं बोल पाए हैं वह प्रोसीडिंग का अंग बन जाएगा। आपको उसकी कापी सुबह मिल जाएगी। आप अपने क्षेत्र में ले जाकर दिखाइयेगा कि हम बोले हैं। डाक्टर साहब आप इधर-उधर उसर-पुसर क्या कर रहे हैं। बोलिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे बहुत खुशी है कि तकरीबन साढ़े चार घंटे बहस चली है और मुझे दुःख है कि भा0ज0पा0 के बहुत से सदस्य.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† (देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ-248-270 पर।)

श्री अध्यक्ष-

भा0ज0पा0 क्या सभी दलों के मा0 सदस्य।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

सभी दलों के बहुत सारे सदस्य अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते थे। मैं कुछ चन्द बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

(श्री जय प्रकाश निषाद के डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की तरफ इशारा करके कुछ कहने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप अपनी बात उधर कहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, दो दिन बचा है, क्यों हमें विवश करोगे, कार्यवाही के लिए। आप बैठिए, बहुत बढ़कर न बोलिए।

(श्री जय प्रकाश निषाद, श्री मनीष असीजा तथा कई अन्य सदस्यों के साथ-साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह सदन है, जो नियम है, नियमावली है, उसी से चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बैठिए। डाक्टर साहब, आप बोलिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में मैं चन्द अन्तिम विषय लाना चाहूंगा, चर्चा लखनऊ के अपट्रान की हुई है। गोरखपुर में नगर निगम के अधिकारियों ने बिना शासन की अनुमति लिए भ-ूमाफियाओं से मिल करके किसी प्रकार 81 डिस्मिल जमीन अदला-बदली करा ली है। एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था, रास्ते में उसके टेलीफोन और बिजली के तार पड़ गए, उन्होंने नगर निगम की जमीन एक उप नगर आयुक्त को पटा करके दस्तखत करा करके अदला-बदली करा लिया और उसमें वह जमीन भी आ गई, जिसमें नगर निगम सड़क बनाने वाला था, जिसमें विकास प्राधिकरण ने बाकायदा सड़क के नक्शे पास कराये थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि अपट्रान को लेकर उनकी बदनामी हो रही है जिसको लेकर वह जिम्मेदार नहीं हैं। यह अधिकारी जो कुछ लखनऊ में कर रहे हैं, वैसा ही यह अधिकारी कुछ अन्य नगर निगमों में भी कर रहे हैं। मैं गोरखपुर का एक स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं। अभी चार दिनों पहले, माननीय मंत्री जी, जल निगम एक नाला बना रहा था, मैंने उस नाले का निरीक्षण किया, अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उस नाले में कहीं नींव डाली ही नहीं गई थी, सीधे नाले की दीवाल खड़ी कर दी गयी, बिना नींव के। मैंने नगर आयुक्त को फोन किया, मैंने कहा कि यह किस प्रकार का नाला बन रहा है, यह दीवार तो कुछ दिनों में टूट जायेगी और अध्यक्ष महोदय, आप जानकर स्वयं दु:खी होंगे, हमारे द्वारा शिकायत करने के बावजूद आगे का जो निर्माण हुआ, उसमें तो

नींव का प्राविधान कर दिया गया, लेकिन जो नाला बन चुका है, नगर निगम के अधिकारियों ने यह जानने का भी प्रयास नहीं किया कि अगर वहां नींव बनी नहीं है तो काम रोक करके उसे ठीक कराया जाए और वहां नींव बनायी जाए। मैं इसे इसलिए लेकर आया हूं कि माननीय मंत्री जी गुणवत्ता को लेकर बहुत जागरूक हैं, लेकिन चीजें उनके संज्ञान में आनी चाहिए। तीसरी चीज प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पोखरे हैं जो अभी तक अतिक्रमित नहीं हुए हैं। हम उनकी बात तो करते हैं, जिनका अतिक्रमण हो गया है, जिनको हटाना करीब-करीब मुश्किल होता है। प्रश्न यह है कि जो ढेर सारे नगर निगम के क्षेत्र में पोखरें अभी भी पड़े हैं, जिन पर अतिक्रमण नहीं है, चिन्हित किया जा सकता है और वस्तुतः जिनका सौन्दर्यीकरण या जिनकी बाउन्ड्री करायी जा सकती है, आज पीने के पानी की जो समस्या है, बहुत बड़ा समाधान सिर्फ पोखरों से निकल सकता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी पोखरों में अभी अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं है, उन्हें चिन्हित करा कर उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, निघासन और तिकुनिया दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, यह पत्रावली शासन में आ चुकी है, इस पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। लखीमपुर से लेकर पीलीभीत तक के क्षेत्र में राय सिख मजहबी और कम्पोज सिखों की जातियां बहुत अधिक संख्या में हैं, पिछड़ी और गरीब हैं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बहस के बारे में सुन रहा था, समाज का एक बड़ा वर्ग है, उसकी चिन्ता की जानी चाहिए लेकिन यह जो छोटी-छोटी संख्या के लोग हैं, इनकी बेहतरी के लिए भी योजनाएं बन सकें तो शायद यह भारत, नेपाल के बार्डर पर यह रहते हैं, यह हम सबके प्रदेश के और देश के हित में होगा। इसी तरह से जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबाद शांहपुर में इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण और चूड़ी गली के मोहल्ले में इण्टरलाकिंक का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। झांसी के नगर निगम के बोर्ड ने नगर आयुक्त के खिलाफ एक निन्दा प्रस्ताव शासन को एक महीने पहले भेजा है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, उसे दिखवा लेंगे, अगर बोर्ड के प्रस्ताव में स्पष्ट लगता है कि नगर आयुक्त पर जो आरोप लगाये गये हैं, वह सही हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और अंत में अध्यक्ष महोदय, एक विधान सभा क्षेत्र बलाह के अंतर्गत मिहिनपुरवा कस्बा है जिसकी आबादी 50 हजार से अधिक है। मारवाड़ी सिक्ख, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का यह क्षेत्र है। ग्राम पंचायत में न तो कस्बे की सफाई होती है और इसे नगर पंचायत घोषित किया जाये। ऐसा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तजर्बात् अपने-अपने मशविरे यहां रखे हैं और बहुत ही अच्छे मन से अच्छे भाव से रखे हैं मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं उनका बेहद दिल की गहराईयों से शुक्रिया अदा करता हूं और जरा सी भी कड़वाहट उन बातों में नहीं थीं जो बातें अपने-अपने तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की जबान से यहां आयी हैं। कटौती का प्रस्ताव डा0 साहब ने रखा है। डा0 साहब इस सदन के सम्मानित और अनुभवी सदस्य होने के साथ-साथ अपनी एक पढ़ी-लिखी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने जितने सुझाव दिये हैं मैं किसी को भी बिन्दुवार न कहते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं चाहे वह 74वें संशोधन से संबंधित हो

या पार्षदों के बीच धन के बटवारे की बात हो। मैंने कभी इससे इत्तेफाक नहीं किया। इसलिए कि सांसद निधि और विधायक निधि को तजर्बा बनाकर पार्षद लोग या नगर पालिकाओं में सभासद लोग अगर बटवारा करेंगे तो ठीक नहीं होगा और अगर काम निकलेंगे और ठेकेदारी करेंगे अपने नामों से तो ठीक नहीं होगा। मैं एक जगह अपने ही जिले रामपुर में बहुत मजबूर हो गया और जब विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया तो मजबूरन मुझे इस बात की इजाजत देनी पड़ी कि ठीक है भाई अपने नाम से मत करो, अपना ठेकेदार ले आओ कम से कम काम तो ठेकेदार के जरिये हो। देखिये बड़ी मजबूरियां हैं। बहुत सख्त नियम बनाकर और बहुत सख्त फैसले लेकर आप वह काम भी नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। कहीं न कहीं कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ता है जिससे विकास का काम कम से कम शुरू हो। मुझे आपकी ज्यादातर बातों से इत्तफाक है और मैं आपकी इन सब बातों के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूं अधिकारी लोग सुन रहे हैं कि वह इन सबका एक चार्ट या चार्टर बनाकर आपके दिये हुए सुझावों पर कार्यवाही करें । एक बात मैं बगैर किसी विवाद बगैर किसी राजनीतिक विरोध के कहना चाहता हूं कि बरेली के मेयर को छोड़कर बाकी सारे मेयर ऐसे हैं जिनके बारे में हम यह कह सकते हैं कि वह किस दल के हैं यह नहीं मालूम। लेकिन ज्यादातर विचारधारा से यह अंदाजा होता है कि उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक भी महापौर ऐसे नहीं होंगे जिनकी तरफ से यह शिकायत मिली हो कि दल की बुनियाद पर मैंने उनके साथ किसी तरह का कोई पक्षपात किया है। पिछली सरकार में उनके साथ बहुत अच्छे रवैये थे। लेकिन एक तजुर्बा लखनऊ से कुछ ऐसा हुआ कि मेयर साहब ने शुरू में ही ऐसा माहौल बनाया जिससे सरकार को बड़ी नदामत का सामना करना पड़ा और यह भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि लखनऊ के महापौर साहब ने आज तक अपने पूरे कार्यकाल में जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां हुयी उनकी किसी एक पत्रावली पर भी अभी तक दस्तखत नहीं किये हैं यह मैं एक मंत्री की हैसियत में आपके सदन में जिम्मेदार घोषणा कर रहा हूं। अगर यह रवैया रहेगा तो कहां काम हो सकता है। जिस पैसे की आप शिकायत कर रहे हैं तो जब मां अपने बच्चों को खाने लगेगी तो नस्ल बढ़ेगी कहां से। आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि सिर्फ बेहतरी के लिये यह भी तय किया और आपने ही उसे पास भी किया है कि एक व्यक्ति के पास एक पद रहेगा। ऐसा होना भी चाहिए। चेयरमेन भी हैं, एम0एल0ए0 भी हैं, महापौर भी हैं, एम0पी0 भी हैं तो दो लोगों को उसका अलग-अलग तजुर्बा हो और उसका लाभ पहुंचे, ऐसा भी किया है और अभी तक चाहें कोई साहब, प्रमुख हों, प्रधान हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, एम0एल0ए0 हो, एम0पी0 हों, मंत्री हों, प्रधान मंत्री हों, कानून की नजर में सब बराबर हैं, गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। नगर निकायों के अध्यक्षों को तो सजा का प्राविजन था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी भी नजर नहीं गई, अगर महापौर महोदय कितना भी बड़ा गबन कर जांय तो उनके लिए सजा का कोई प्राविधान अब तक नहीं था, वह प्राविधान भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ चीजें, जो हमारी गलती होगी, हम उसे तस्लीम करेंगे और जहां दूसरी तरफ से कमी है, उसके लिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि उन कमियों को वह दूर करें। गोरखपुर के सीवर सिस्टम के बारे में गम्भीरता से निर्णय लिया जायेगा, जहां रह गया है, उसे पूरा करेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अपने-अपने विचार रखें हैं, उनकी सूची इस तरह है, डा0 साहब के बाद हमारे साथी, पिछली सरकार में हमारे साथ राज्य मंत्री थे नारद राय जी, नदीम जावेद साहब, शादाब फातिमा, शाह

आलम साहब रह गये, शाह आलम गुड्डू जमाली अब यह नहीं पता आपका जमाली नाम किस निस्बत से है, आपके वालिद साहब का नाम जमाली था या शाह जमालउल्लाह शाह साहब के वास्ते से आप जमाली हैं, हम न जमाली हैं, न कमाली हैं, हम तो बहुत अदना से आदमी हैं। गजेन्द्र सिंह जी, योगेन्द्र उपाध्याय जी, राम करन आर्य जी हमारे दोस्त मंत्री साथी, राकेश बाबू विधायक जी, मोहम्मद इरफान साहब एम0एल0ए0 बिलारी, सुरेश बंसल साहब बसपा से, श्रीमती इन्द्राणी देवी सपा से, सतीश महाना जी बी0जे0पी0 से, पवन पाण्डेय जी मंत्री सपा से, अनुग्रह नारायण सिंह जी, चितरंजन स्वरूप जी और दलवीर सिंह जी लोकदल से, मैं, सभी ने जो सुझाव दिये हैं, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। राकेश बाबू ने डूडा से फिरोजाबाद में जिस तरह से काम इण्टरलॉकिंग का कराने के लिए कहा है, आपने मुझे लिस्ट दी भी है और आप जो लिस्ट देंगे उस पर विचार ही नहीं बल्कि कार्यवाही होगी और जो आपका केलाभट्टा है मैं खुद वहां पर गया हूं, वाकया यह है कि बहुत दयनीय स्थिति है वहां और उस पूरे के लिए कोई अलग से प्रोजेक्ट तैयार करेंगे ताकि वह जगह बेहतर हो सके, बहुत कीमती इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है। इरफान साहब ने खास दर्जा दिये जाने की बात कही है, मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए, मेरी सिफारिश है उनसे कि बिलारी के लिए अलग से कुछ करने के लिए विचार करेंगे तो अच्छा ही होगा। सुरेश बंसल जी ने इन्क्रोचमेन्ट हटाने के लिए, इन्क्रोचमेन्ट हटे उसके लिए कहा है तो यह तो हमारी प्राथमिकता में है। पानी पीने के लिए इसमें कोई राय नहीं है, मिले और साफ पानी मिले, अच्छा पानी मिले। कम्युनिटी सेण्टर के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं कि जितने भी कम्युनिटी सेण्टर सूडा के माध्यम से बने हैं उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में, अलावा एक कम्युनिटी सेण्टर के, जो मेरे गरीब खाने के करीब है और उसके बराबर भारत की पहली नक्षत्रशाला है, डिजिटल लेजर प्लेनिटोरियम है, उसके बराबर है ये। पिछले पांच सालों में मैंनें आपके किसी भी अधिकारी को वहां कब्जा नहीं करने दिया, आते थे, मैं पहुंच जाता था और न ही मैंनें नक्षत्रशाला का उद्घाटन करने दिया। मेरा घर था, हालांकि बल्लियां लगा दी जाती थीं मेरी गली पर कि मैं निकल न आऊं, लेकिन स्वाभाविक था कि मैं निकलता इन कामों के लिए, इसलिए कि मेरी मेहनत का खून पसीना लगा हुआ था उसमें, बहुत सुन्दर और बहुत अच्छे बनाये हैं ये, देखने से ताल्लुक रखते हैं, अलावा उस एक कम्युनिटी सेण्टर के उत्तर प्रदेश का कोई कम्युनिटी सेण्टर ऐसा नहीं है, जिस पर लोगों का कब्जा न हो। उन कब्जों की हम लिस्ट बनवा रहे हैं, उन्हें खाली करायेंगे। हमारे समाज की एक जो बहुत बड़ी बद्नसीबी है, मुझे कल मालूम हुआ कि एक बहुत सम्पन्न परिवार के लोग अपनी वालिदा को ले गये विदेश। जब ले गये तो बीवी ने कहा कि तुम ये क्या कूड़ा उठा लाये तो बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम में, अपनी मां को औलाद ने ओल्ड एज होम में ले जाकर डाल दिया। मां बदनसीब नहीं है, बेटा बदनसीब है। वो औलाद जो अपने मां बाप की सेवा न कर सके। वो खुद बदनसीब है और तजुर्बा ये है जिन्दगी का कि फसल वही उगती है जो बोयी जाये। जो औलादें अपने मां बाप के पैर दबाती हैं, वही सरसब्ज होती हैं और जो औलादें अपने मां बाप का अपमान करती हैं। पैसा तो हो सकता है लेकिन सब कुछ होने के बाद भी शुगर के ऐसे मरीज होते हैं कि जुबान तक कुछ जा नहीं सकता तो हमने ये तय किया है कि ये सारी लिस्ट बन जाये। हम उनकी मरम्मत करा दें और जितने भी कम्युनिटी सेण्टर हैं। अगर आपके यहां हैं तो आप, पूरे सदन से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने यहां के कम्युनिटी सेण्टर्स के बारे में जानकारी दे दें और वहां जो भी

समाजसेवी संस्था काम कर रही हो या आप करना चाहें। हम कम्युनिटी सेण्टर आपको ओल्ड एज होम बनाने के लिये देने के लिये तैयार हैं। शुरूआत होनी चाहिये कहीं से और जहां-जहां अच्छे ओल्ड एज होम चलेंगे। उनको जरूरत के ऐतबार से हम और इमारत बनाकर देने की कोशिश करेंगे। इन्द्राणी वर्मा जी ने आज एक राजफाश किया है कि उनके इलाके में अल्पंसख्यकों के साथ जिस तरीके से ज्यादती हुई, बलात्कार, हत्या और घर जलाये गये। वहीं कोई एम0पी0 भी थे उस वक्त की सरकार के उन्होंने जो किया, उसके लिये दुख है और विकास का जो काम वहां संभव होगा कराया जायेगा। सतीश महाना जी हमारे बहुत सुलझे हुये और बहुत अच्छे साथी हैं। कूड़े की व्यवस्था वहां अच्छी इसलिये नहीं है क्योंकि बहुत घनी आबादी है। जब से ये सरकार आयी है। आप इतना तो वाकिफ ही हैं कि नेता सदन का एक राजनैतिक परिवार है और उस ऐतबार से उनका अपना एक अलग सा राजनैतिक तजुर्बा है। उस तजुर्बे के अलावा पढ़े लिखे होने के नाते, विदेश में तालीम हासिल करने के सबब और इंजीनियर होने के नाते बहुत सी ऐसी बातें जो तकनीकी तौर पर प्रदेश के लिये फायदेमन्द हो सकती हैं, उन पर उनका विचार रहता है। हमारी बहसें होती हैं और बहुत कोशिश में लगे हैं हम कि किसी तरह से ऐसा कुछ कर सकें कि हम बिजली की कमी को कम कर सकें। इसके लिये जो पूरी दुनिया में एक विचार चल रहा है और ये ऐसा नहीं है कि जो एडवांस कण्ट्रीज हैं, बहुत डेवलप हैं। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी जितने मुल्क हैं रूस वगैरह, चाइना भी जिसमें शामिल है कि उनके पास बहुत बिजली है। जो बिजली है उनके पास वह बहुत महंगी है। इसलिये एक नया विचार ये डेवलप हुआ है कि हर घर अपनी बिजली खुद बनाये। कुछ ऐसे अप्रैटस, इन्स्ट्रूमेण्ट्स बनें कि हम अपने खर्चे भर की बिजली खुद पैदा कर सकें। इस पर भी विचार है वो क्या हो सकता है, कूड़े से बिजली कैसे बने। इसके लिये हमारी और मुख्य मंत्री जी की राय और इन्वीटेशन है, सरकार के खर्च पर नहीं। आप ये भी जान लें कि हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो कंपनियां यहां आना चाहती हैं। उनसे हमने ये शर्त रखी है कि यहां से जाने वालों का सारा खर्च किराये का, रहने का, ले जाने का, टैक्सी वगैरह का सारा खर्च वो कंपनियां उठायेंगी। मल्टीनेशनल्स हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। हम चार, छह लोगों का खर्चा क्या मतलब रखता है उनके लिये। लिहाजा हम कई देशों में जाकर ये देखना चाहते हैं कि वो जो वाकई अपने लैपटाप पर आकर दिखाते हैं, वो धरातल पर मौजूद है या नहीं है। कई लोगों ने हमें अपने कूड़े के कारखानों से पैदा होने वाली बिजली की फिल्में दिखाईं। हमने पूछा ये कहां है तो उन्होंने कहा कि जी ये होने वाला है। पूछा ये क्या दिखा रहे हो, बोले ऐसा होगा। हमने कहा ऐसा होगा नहीं, ऐसा जहां है वो दिखाइये और जहां ऐसा है वहां हम सदन उठने के बाद जाने की कोशिश करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हम कूड़े से बिजली बनाने के कारखाने यहां दो कारणों से लगा सकें। एक तो यह कि बिजली की कमी है, दूसरा यह कि कूड़े की इतनी ज्यादती हो गयी है कि उसको भी ठिकाने से लगाना जरूरी होगा, लाजमी होगा। इस बिनाह पर हम कूड़े के कारखानों की भी बहुत संजीदगी से सोच बना चुके हैं। पानी की टंकी के बारे में, जहां भी चाहे पक्ष या विपक्ष के साथी हैं, ऐसा कोई भी ओवरहेड टैंक हो, यह हमारी उपलब्धि होगी, सूचना आपकी होगी, जानकारी हमारी होगी, आप में से जो साथी भी हमें इस बात की सूचना देंगे कि कोई ओवरहेड टैंक बना है, पम्प हाऊस भी है, बीच में कनेक्शन नहीं है, या बोर फेल हो गया है या लाइन्स फट गई हैं, पानी नहीं जा रहा है, उसकी आप सूचना देंगे, तो यह हमारे लिए अलग से उपकार होगा। आपकी चिट्ठी पर हम

आपको धन्यवाद का खत भी भेजेंगे, ताकि हम उस काम को पूरा कर सकें। खास तौर से हम चाहेंगे कि आप हमें यह जानकारी दें। पवन पाण्डेय जी, छात्रनेता रहे हैं और एक भावुक और सच्चे व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, दिल से कहा है और

"दिल से जो बात निकलती है असर रखती है,

पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है।"

अनुग्रह नारायण सिंह जी से हम पहले ही से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह वह भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और उन्होंने जिन फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदारों की बात कही है, इस पर बड़ी लंबी बहस दिल्ली में हो चुकी है और इत्तेफाक यह है कि आप जिस चीज में फंसाना चाहते थे, सारे मुख्य मंत्री जो आए हुए थे और मंत्री साहिबान वह फंस गए थे, और इत्तेफाक से मैं पहुंच गया और सारा फैसला बदल गया। देखिए जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, वो पैदल चलने वालों का रास्ता है। अगर हम एक बार भी उसका लीगल राइट एक्सपेक्ट कर लेंगे, चाहे वह सफाई के नाम पर ही क्यों न हो, तो हमारे प्रदेश से फुटपाथें खत्म हो जायेंगी। फुटपाथें इसलिए बनायी हैं, कि जब आबादी बढ़ेगी और सड़क का चौड़ीकरण होगा, तो वह किधर होगा, फुटपाथों पर होगा और अगर फुटपाथों पर दुकानें बन जायेंगी, तो फिर कभी सड़कें चौड़ी नहीं हो सकेंगी और जिसकी दुकान एक बार बन जायेगी, उसे आप हटायेंगे तो फिर आप पाप करेंगे क्योंकि वह उसकी रोजी की जगह है, लेकिन इसके साथ जो बात आपने कही है कि उनके साथ कोई वैकल्पिक इंतजाम होना चाहिए यह बिल्कुल सही है आपका और मैं अपने विभाग को इसी वक्त निर्देशित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद ही नहीं, जहां-जहां से भी हम चाहें, वह इनक्रोचमेंट इल्लीगल ही क्यों नहीं है, बस फर्क इतना होना चाहिए कि कुछ लोगों ने यह किया है, उनका मार्केट बना हुआ है, तो उन्होंने दुकानों के आगे 50 पल्लेदार भी बैठा दिये हैं, जैसे अमीनाबाद में है, ऐसा न हो, ऐसे लोग, जिनकी पीछे दुकान नहीं है और उनका इन्डीपेण्डेन्ट खोखा है, या दुकान है, या फड़ है, उनकी लिस्ट बना ली जाए और उनके लिए सरकार वैकल्पिक जगह की तलाश करे और उनको वगैर किसी किराए के वैकल्पिक जगह दे, इसकी हम कोशिश करेंगे। हमने क्योंकि यह तजुर्बा किया है और हमने आपकी मंत्री महोदया से यह कहा था कि हमने क्योंकि अपने शहर में यह तजुर्बा किया कि जितने दुकानदारों को हटाया, जितना इंक्रोचमेंट को हटाया, शत-प्रतिशत लोगों को अवस्थापना निधि से पैसा लेकर दुकानें बना कर दीं और उनसे कोई पैसा नहीं लिया। हम चाहेंगे कि जमीन हम दे देंगे, लेकिन भारत सरकार उस पर दुकानें बनाने के लिए पैसा दे दे। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर कुछ मदद भारत सरकार से इस पर फुटपाथ के दुकानदारों के लिए मिल जाए, तो हम वैकल्पिक जगह देकर उनके लिए अच्छे मार्केट बनाकर उनकी आबादकारी करने के लिए तैयार हैं। श्री चितरंजन स्वरूप जी ने बड़ी चतुराई से अपनी बातें मा0 मुख्य मंत्री जी से मनवा ली हैं। दलवीर सिंह जी हमारे नेता है, लोकदल के और आपने अलीगढ़ का नाम लेकर के थोड़े जज्बात उभारे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को जितनी ग्रांट हर साल मिलती है, अगर मुझे एक बार उतने पैसे दिलवा दें तो मैं जिन्दगी भर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं मागूंगा। कुछ उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और आजकल वहां जैसे हालात हैं। आप वहां के वाइस चान्सलर साहब को समझाइये और उनसे कहिए कि बच्चों के साथ सरहदों के सिपाहियों की तरह मामला नहीं किया जाता। सरहदों पर दुश्मन फौजियों का तरीका और होता है और किसी शैक्षिक संस्था

में बच्चों की शैतानी के वक्त, उसके प्रिंसिपल का और उसके वाइस चान्सलर का तरीका कुछ और होता है। लिहाजा हमने उनसे कहलवाया है कि आप अपने बच्चों के मामलात् को तय करिए और अगर कोई आपस में टकराव हो गया और जिला प्रशासन को बीच में आना पड़ा, लाठी-डण्डा चला तो बदनामी यूनिवर्सिटी की हो या न हो सरकार की बदनामी होगी। इसलिए छोटे-छोटे मामलात् पर प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनना चाहिए। जहां तक विकास के कामों का सवाल है, उसमें मैंने आपके सब सुझाव नोट कर लिये हैं। सब नोट कर लिया है, उसे कराने के लिए शुरुआत की जायेगी। अब आखिर में जो बलिया के लोहिया बाजार के बारे में और वहां के सीवर के बारे में, मैं नहीं कह सका, उसके लिए माफी, बाजार के लिए जितने धन की घोषणा पहले की गयी थी, नारद राय जी अगर कहीं छूट गया है और नहीं हुआ है तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और उस धन की उपलब्धता कराई जायेगी। मुख्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम आपके सामने ही कि उस धन को उपलब्ध करा दिया जाए और सीवर का काम आपका शुरू हो गया होगा, वह काम भी मुकम्मल होगा। देखेंगे, एकदम से यह सत्र आ गया था। मैंने अधिकारियों से यह कहा कि जब इस तरह के काम जो राष्ट्रीय स्तर के थे, जिन कामों से आम आदमी का लेना-देना था किसी राजनीतिक दल का नहीं था, चाहे वह सीवर का सिस्टम हो, चाहे वाटर लाकिंग हो, या पानी देने का मामला हो, ये किसी दल के आदमी को पानी नहीं जाता, इंसानों को जाता है। जो सरकारें इंसानों के मुंह से पानी की बूंदे छीनना चाहें, हमारे लिए तो वह राजीद से भी ज्यादा गुनहगार है और ऐसे गुनहगारों की सजा क्या होनी चाहिए यह समाज खुद तय करता है। पानी की टंकियों से सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी और सरकार ने बनवाई थीं, वहां पम्प नहीं लगने दिए। वहां छोटी-सी अगर 10 मीटर की लाइन रह गई तो वह लाइन नहीं डालने दी गई। सीवर सिस्टम 90 परसेन्ट काम हो गया और 10 परसेन्ट के लिए काम रोक दिया गया, तो हम यह तलाश करेंगे और मैंने कहा अधिकारियों से कि कम से कम एक बार पत्रावली पर आपको यह लिखना चाहिए था कि इस काम के न होने से इतना बड़ा नुकसान हो जायेगा। हम दोबारा आपसे शिकायत नहीं करते, कम से कम एक बार विरोध प्रकट करना चाहिए था। हम ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित कर रहे हैं, जिन्होंने बुराई को एक बार भी बुराई नहीं कहा और यह इसलिए हम चाहते हैं ताकि कभी भी अगर व्यवस्था बदलती है तो अधिकारियों को इस बात का ख्याल रहे कि ऐसे भी लोग आ सकते हैं, जो उनसे जवाबतलबी कर सकें। आखिर में मैं अपने नौजवान और नये साथी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बात बहुत अच्छी कहीं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

शाहजहॉपुर में वफ्फ की जमीनों पर कब्जे के संबंध में मैंने अभी कागज भेजे हैं। शायद आप देख नहीं पाये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या है बतायें ?

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 मंत्री जी, शाहजहांपुर में वफ्फ की जमीन थी, उसका कुछ भू-माफियाओं ने बैनामा करवा लिया, उसकी रिपोर्ट भी भेजी है, जिलाधिकारी ने जांच करायी है, उसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन

उसके बाद भी दोबारा उसमें ये लोग फिर से कब्जा करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हमने सारे कागज अभी आपके पास भेजे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है, मैं देखता हूं, बहुत संजीदगी से हम ऐसी प्रॉपर्टीज को बचा रहे हैं। शाहजहांपुर की वक्फ प्रॉपर्टी के लिए यहां शिया वक्फ बोर्ड में बहुत बदगुमानिया थीं और वह बोर्ड बर्खास्त हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के बारे में हमारी जानकारी यह है कि वे अच्छे आदमी हैं, राजनैतिक विरोध के बावजूद भी, लेकिन एक साल गुजर गया है, हमारी उनसे किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं हुई है। आज शायद मुलाकात हमारी हो, उनसे हम कुछ बातें तय करना चाहते हैं। चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर हर बोर्ड में होना चाहिए, शिया बोर्ड में नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में नहीं है, हम लेकर आए थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले से भी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दीं, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वापस लौट गए। बड़ी परेशानी है और उस परेशानी की इंतेहा यह है कि मदरसा बोर्ड बनना है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुलकर हम सदन में भी नहीं कह सकते। मान्यवर, यह शर्मनाक होता है, उससे मदरसा बोर्ड बना है। मान्यवर, जब तक बोर्ड नहीं बना है नये मदरसे को मान्यता नहीं मिली है। मान्यवर, जो हमारे विख्यात संस्थान हैं चाहे वह देवबन्द हो, नदवा हो, बरेली हो, हम लोगों ने उनके चलाने वालों से यह अनुरोध किया था कि वह दो-दो नाम दे दें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने लोगों को दलदल में नहीं फंसने देंगे। मान्यवर, अच्छे लोग उसमें आने को तैयार नहीं हैं तो हम कैसे करें। मान्यवर, हम अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं और अच्छे लोगों को चयनित करके मदरसा बोर्ड भी बनायेंगे और सुन्नी बोर्ड के सी0ई0ओ0 पद की जो कमी है शासन के माध्यम से वक्फ बोर्ड में उस कमी को भी दूर करेंगे। मान्यवर, एक अभी बड़ी जायदात खुद मेरे शहर रामपुर में सरकार के पास आई है। मान्यवर, वह किसी नवाब की थी अब तो वैसे नवाब शब्द हिन्दुस्तान में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब से प्रीवीयर्स खत्म हुआ है तब से वह शब्द समाप्त हो गया है। लेकिन अगर मैं खुद अपने को दुनिया का बादशाह अपने आपको लिखूं तो लोग यह तो नहीं कहेंगे कि आपका दिमाग खराब हो गया है बल्कि कहेंगे कि ठीक कह रहे हैं आप। उन्होंने यह जमीन बेंच दी थी और मान्यवर, बेचने का तरीका भी यह रहा कि मुकदमा कराया और एक्स पार्टी डिसीजन हो गया वह अदालत में नहीं गये और भू-माफियाओं ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया इत्तेफाक है मुझे वक्फ से पता चल गया क्योंकि सरकार थी इसलिए हम उस जमीन का कब्जा करने में कामयाब हो गये हाईकोर्ट से वक्फ के पक्ष में आदेश कराने में कामयाब हो गये और रातोंरात उस इमारत को गिराने में भी कामयाब हो गये। लेकिन जो कारनामें आपके जमाने में हुए थे उन कारनामों की जितनी तारीफ की जाय कम है। जितनी तारीफ की जाय कम है। वक्फ की कोई जायदाद छोड़ी ही नहीं आपने सब बिकवा दीं आपने न मकबरा छोड़ा न मस्जिद छोड़ी मस्जिदें मुनहदिम हों गयीं प्लाटिंग हो गयी। न क्रबिस्तान छोड़े आपने कर्बला नहीं छोड़ी कितना जबरदस्त इतनी बर्बादी हुई है वक्फ की जो साठ बरस में नहीं हुई। जो लूट साठ बरसों में वक्फ की जायदादों की नहीं हुई वह पांच बरस में हुई । बहुत अफसोसनाक हुआ है उसको वापस लाने की कोशिश करें और में एक चीज गुड्डु जमाली साहब आप मुझे लगा कि आपके अंदर है दिल है और आपने जो बात शुरू की और यह कहा आपका मैंने एक्जेक्ट जुमला नोट कर लिया है आपने कहा कि हमारी पार्टी की बहन जी का कहना है कि

मुसलमानों को बहुत पीछे कर दिया। आपका कहना नहीं है। आपने यह कहा कि बहन मायावती जी का यह कहना। आपने ठीक कहा। आपको कहना भी नहीं चाहिये कि कहीं अगर जमीर है हमारे अंदर तो हमें कहने की हद तक जरूर सही कहना चाहिये। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं आपने कहा कि जिन्दगी है तो सब कुछ है यकीनन लेकिन लानत भरी जिन्दगी से तो मौत अच्छी है। और जो लोग लानत भरी जिन्दगी जीना चाहते हैं वह जमीन का बोझ होते हैं और हिन्दुस्तान में कमजोर लोग जमीन का बोझ न हों इसीलिए रिजर्वेशन का प्रॉविजन हुआ। आरक्षण इसीलिए मिला जिन लोगों को मंदिर के दरवाजे पर नहीं जाने दिया जाता था जिन्हें कुएं के मन से पानी नहीं पीने दिया जाता था और अगर पी लेते तो चमड़ी उतार ली जाती थी उन्हें जीने का हक दिया कानून ने और हम राजनीतिक विरोध के बावजूद कहना चाहते हैं कि जो-जो हमारा और आपका मिलन हुआ था जो वैचारिक मिलन था वह कारण जो भी रहे हों अगर वह बाकी रहा होता तो आज हिन्दुस्तान की तस्वीर ही कुछ और हुई होती मेजों की थपथपाहट। इस तस्वीर को बिगाड़ने में कितनी गलती किसकी है इस पर अब विचार करने से कोई हासिल ही नहीं है लेकिन याद करें आप, आप कह रहे हैं कि तालीम की जरूरत नहीं है आप कह रहे हैं कि कमजोरों को पैसे की जरूरत नहीं है। 1857 जिसे गदर कहा लोगों ने और मैंने चिंगारी की आग कहा उस वक्त सैय्यद अहमद खां हाथ फैलाकर निकले थे लोग उनके हाथों पर थूकते थे उनकी दाढ़ी पर हाथ डालते थे और कहते थे बूढ़े सर सैय्यद नाच तब तुझे पैसा देंगे और अस्सी पचासी साल का बूढ़ा कठपुतले पर नाचते थे तब उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का चन्दा देती थी कौम। यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी उनकी जिन्दगी में मदन मोहन मालवीय जी की जिन्दगी में भी नहीं बनी थी लेकिन जो चराग रोशन किया था आज वह बड़ी कन्दील है और हम वहीं की देन हैं। जंग चल रही थी सात समुन्दर पार के अंग्रेजों से हिन्दुस्तान खाली करो यह कहा जा सकता था कि लड़ाई है हिन्दुस्तान की आजादी की पढ़ाई से क्या मतलब मगर वह शख्स अंग्रेजों के करीब पहुंचे। उन्हें खुशामदखोर कहा और यह कहा सर सैय्यद करिस्टान हो गया है यानि इसाई हो गया, फतवे दिये गये सर सैय्यद को, इस्लाम से खारिज कर दिया गया इसके बावजूद उसने कहा कि तुम्हारे लिए अगर बचने का कोई रास्ता है तो वह शिक्षा का रास्ता है। मैं तुम्हारी तालीम के लिए हर कुर्बानी दूंगा। आप कहते हैं कि उस कौम को जाहिल रखा जाय, उसे बेजबान कर दिया जाय, उसे नाली में झाड़ू देने और कूड़ा उठाने के काबिल रखा जाय, उसकी तकदीर को आप बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं लिहाजा हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कोई भी, हम आपसे एक बड़े के नाते आपके भाई के नाते यह कहना चाहते हैं कि सियासी जमाते अपने अगराजे मकासिब के लिए बहुत कुछ करती हैं। हो सकता है हम यह जो कुछ कर रहे हों इसके पीछे हमारी सियासी मंशा हो, हमें वोट मिले, हमारी सरकारें बनें। मालूम था किसी को ऐसा इंकलाब आ जायेगा दिल्ली में, देखते-देखते कांग्रेस पार्टी के युवराज एलान कर देंगे चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कुछ नहीं मालूम राजनीति में कल क्या होगा। जनता पार्टी की सरकार आई सफाया हो गया कांग्रेस का और मिसेज इंदिरा गांधी हिन्दोस्तान से जाना चाहती थीं। शाह कमीशन बना डेढ़ साल की जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गयी और वह जिसके लिए पूरी दुनिया ने यह कहा कि लोकतंत्र की हत्यारी हैं डेढ़ साल के बाद बड़ी ताकत के साथ वापस आईं और अपने देश की प्रधानमंत्री बनीं। कुछ नहीं मालूम राजनीति में कल क्या होगा। राजनीति की बाजीगरियों से दूर रहिये और अगर आपके कमजोर लोगों के लिए

तालीम का इंतजाम आपके दुश्मन भी करते हैं तो उसका स्वागत कीजिए कम से कम हम आपके दुश्मन तो नहीं हैं। हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बेटियों को उनके पैरों पर ख़ड़ा करना चाहते हैं इसलिए कि हम जानते हैं कि समाज में रहने वाले तमाम लोग वह किसी जाति, धर्म के हों, समाज से सीखते हैं। आपके यहां दहेज प्रथा नहीं थी आ गयी आपके यहां, आपके यहां लड़कियां जलाई नहीं जाती थीं जलाई जाने लगीं ऐसा न कहिये। आप तो नहीं चाहते हमारी बच्चियां पढ़ें लेकिन इन्हें चाहना चाहिए। आप नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे इसलिए नहीं चाहेंगे कि आपने अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने भी बनाना चाहा था। अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी की जरूरत मालूम नहीं कितनी है यहां नदवा है, यूनिवर्सिटी है उनसे ज्यादा अरबी के स्कालर्स पूरी दुनिया में कहीं से नहीं निकलते, देवबन्द है वहां से अरबी के स्कालर्स निकलते हैं, बरेली है वहां से अरबी के स्कालर्स निकलते हैं, आजमगढ़ है आजमगढ़ के बराबर वह कौन सी जगह है मुबारकपुर यहां अरबी-फारसी की मुताअइद यूनिवर्सिटियां हैं। मैं नहीं कहता कितनी यूनिवर्सिटी की जरूरत थी लेकिन जरूरत थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, टेक्निकल एजुकेशन की। मुसलमान डाक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे और जब वह बनना चाहते थे तो उनकी यूनिवर्सिटी पर आप बुलडोजर चला रहे थे, आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हम अरबी के स्कालर बनें उसके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि हम डाक्टर बनें इसलिए मोहतरम जमाली साहब हमसायों की साजिश से भी होशियार रहिये। हमसायों की साजिश से भी होशियार रहिये और तालीम का इंतजाम कीजिए। अगर दुश्मन भी आपकी मदद करे तो उसकी मदद से इंकार मत कीजिए हम कम से कम आपके दुश्मन नहीं हैं। इसी के साथ मैं सबका, सबके जज्बात का, सबके मशवरों का शुक्रिया अदा करता हूं और यह नहीं कहना चाहता डाक्टर साहब से कि कटौती का प्रस्ताव वापस लें हम जैसे लोग और हममें से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अजदाद ने सोचा भी नहीं होगा कि वह कभी सरकार बनेंगे। हम जैसे लोग सरकार बन सके, यही बहुत है। साहिर का एक शेर है न मुंह छुपा के जिये, न सिर झुका के जिये, यही बहुत है कि हम मशअले जला के जिये। तो हम जीते हैं तो अपनी पूरी खुद्दारियों के साथ जीते हैं, डा0 साहब आप भी एक मध्यम परिवार के ही व्यक्ति होंगे, मुझे मालूम तो नहीं, हैं या नहीं हैं लेकिन हां मैं हूं और हमें इस पर गर्व है और गर्व होना भी चाहिये और हम सब मिलकर प्रदेश को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकें, कुछ बेहतर कर सकें। आप कटौती का प्रस्ताव बिल्कुल वापस न लें, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुआ है, आप उसमें हां कह दें, इसकी आपसे दरख्वास्त है, बहुत शुक्रिया ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-11(1) पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बजट रखा गया नगर विकास का और एक परम्परा बनी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की, कि वह बोलते-बोलते दार्शनिक हो जाते हैं, आज भी दार्शनिक हो गये और हैं भी दार्शनिक वैसे। अध्ययन भी है, बोलने का तरीका भी है, शैली भी है और आवाज में एक दम भी है। लेकिन मान्यवर, परिणाम दूसरा है, दो-दो मिनट लेकर लोग अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव देना चाहते थे, वह उससे वंचित रह गये बस मैं तो उनकी वेदना आपके सामने रखना चाह रहा था, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, देखिये हुकुम सिंह जी हमारे साथ अब ज्यादती करने लगे हैं, पहले उनका ऐसा मिजाज नहीं था मैं तो जब अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने को कहा, तब बोला मैं, कुछ ज्यादा बोल लिया । लेकिन अब अध्यक्ष जी से तो हिम्मत है नहीं आपकी शिकायत करने की। क्योंकि अगर किसी का हक काटा, समय नहीं दिया तो अध्यक्ष जी ने नहीं दिया, अब अध्यक्ष जी को कहेंगे तो आपको इंगित कर देंगे और मेरी मजबूरी है कि मैं भी कहूं हां तो कमजोर पर नज़ला गिरता है मान्यवर, मेरी कोई गलती नहीं है। हुकुम सिंह जी, मैं तो चाहूंगा, सारे सदस्य बोलें और बैठं देर तक।

(श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये जमाली साहब, आप सुनिये कटौती का प्रस्ताव डा0 साहब ने रखा और आपको नेता विरोधी दल ने मुख्य वक्ता कहा था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा भ्रम हो रहा है। नगर विकास का कटौती प्रस्ताव डा0 साहब द्वारा रखा गया और अल्पसंख्यक कल्याण पर कटौती प्रस्ताव आप द्वारा रखा गया है, मुख्य वक्ता के रूप में धर्मपाल जी को मैंने कहा था, अभी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, इनका भी स्पष्टीकरण हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मांग लीजिये आप भी, अगर आप बाकी रह गये हैं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे मौका दिया। अभी मंत्री जी कह रहे थे अपने भाषण में, उन्होंने पूरी बात को अपने अनुभव के हिसाब से घुमा दिया, उन्होंने यह इल्जाम लगाया मुझ पर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

घुमा नहीं दिया। उन्होंने जो कहा वह आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि न मैं जमाली हूं, न मैं कमाली हूं तो इधर के लोगों ने कहा कि मैं बवाली हूं। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की फितरत है, यह उससे बाज नहीं आते। यह घुमाने में तो माहिर हैं ही।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मगर यह भी देखा है पूरे सदन ने, कि इस छोटे आदमी की कोशिश ने कुछ लोगों की फितरतें भी तब्दील करा दी।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था जब मैंने अपना कटौती प्रस्ताव रखा था, मैंने शुरू में ही कहा था कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है सच को सुनना।

सच बोलने वाले को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्या यह सच नहीं है महोदय अब चूंकि जब हम यह बात कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत नाराज हो जाते हैं, उन्होनें अपनी नाराजगी भी जाहिर की, हमसे बड़े हैं, हमको कोई बुरा नहीं लग रहा उनकी बात का मगर क्या यह सच नहीं है महोदय कि एक साल में जितने दंगे हुए और जितने लोग मारे गए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

क्या यह भी सच नहीं है महोदय कि इससे पहले एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया था प्रदेश में 30 सितम्बर, 2010 को जिसको हम बाबरी मस्जिद अयोध्या प्रकरण के नाम से जानते हैं। पूरा देश डरा हुआ था सारे लोग सहमे हुए थे किसी अनहोनी की आशंका को लेकर उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी क्या यह सच नहीं है कि कोई दंगा तो छोड़िये परिन्दा पर नहीं मार पाया। क्या यह सच नहीं है। अगर मैंने यह कह दिया कि आपके एक साल के शासन में यह चीजें हुईं। अधिकारी वही हैं प्रशासन के लोग वही हैं सरकार आप चला रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है किसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और महोदय इन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को जाहिल रखना चाहता हूं। मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन चूंकि इन्होंने कह दिया इसलिए मैं कह रहा हूं मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी दिल्ली में चार पांच मीटिंगें हुईं मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। उस वक्त एक बिहार के मौलाना साहब थे उन्होंने कहा कि यह मीटिंग सीटिंग मत करो तुम लोग। पहले तुम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो अपने इरादे बनाना सीखो। उसके बाद मैं आजमगढ़ गया और मैंने आजमगढ़ में मुस्लिम एजुकेशन और वेलफेयर के नाम से ट्रस्ट बनाया और अपनी जिन्दगी की गाढ़ी कमाई उसमें मैंने लगाई किसी से चन्दा नहीं मांगा। न किसी नेता से मैंने निधि का पैसा मांगा। महोदय इसलिए यह बात कहना मैंने यह भी नहीं कहा क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाया कि आप 30 हजार रुपए का विरोध कर रहे हैं। नहीं मैं 30 हजार का विरोध नहीं कर रहा हूं आप दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वह बुरा लग रहा है जब हमारी उन्हीं बहनों को यह कहा जाता है कि आप काले नकाब पोश में नहीं आएं। और उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है 30 हजार रुपए के लिए उनको बुलाकर मजबूर किया जाता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

महोदय संख्या के बल पर हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। न कार्यवाही का अंग बनेगा चाहे जितना हल्ला करें। अब बजट पास करने दें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

[x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित यह क्या कर रहे हैं। आप लोग शांत रहें। लोकेश जी बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमने रईसे शहर की आवाज सुनी। एक दौलतमंद की गरज सुनी। हम यह नहीं कहेंगे कि किसका पैसा है। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है एक-एक पैसा जकात निकला हुआ है। हम दौलतमंद नहीं हैं। न ठेकेदार हैं न किसी बड़े दहशतगर्द से हमारा नाम जोड़ा जाता है। बहुत साफ-सुथरी जिन्दगी गुजारते हैं और यह इरादा हाथ फैलाकर और दामन फैलाकर बनाया है आपके सामने भी फैलाते हैं। आपने आज जलील किया है अपने उन अजदाद को। घटिया दौलतमन्द हो गये आप और आप उन चन्द चांदी के टकों पर इतना अकड़ने लगे, इतना अकड़ने लगे आप कि आपने अपने अजदाद को, जिन अजदाद ने अपने हाथों पर थुकवाया है, जिन अजदाद ने आपकी नस्लों की तैयारी के लिए, आपकी नस्लों को तालीम देने के लिए दुनिया की हर ज़िल्लत बरदाश्त की है, आप चन्दा मांगने को ज़लालत समझते हैं, यह चन्दा तो बापू ने भी मांगा था देश की आजादी के लिए। दुनिया का कोई बड़ा काम किसी दौलतमन्द ने नहीं किया। आपने जो एजुकेशनल सोसाइटी बनाई, उस एजुकेशनल सोसाइटी का कोई कारनामा तो बताया नहीं आपने लेकिन हमने जो ट्रस्ट बनाया था और वजीर रहते हुए चेक से तनख्वाह से जो जमीन खरीदी थी यहां उसे 38 लाख रुपए में बेची थी। उसमें से 30 लाख रुपए की पहले यूनिवर्सिटी की जमीन खरीदी थी तब हमने भीख का हाथ बढ़ाया था। आज भी मान्यवर, दौलतमन्द साहब, शहंशाहेआलम, सोने और चांदी के बिस्तर पर सोने वालों, कीमती और मंहगी गाड़ियां रखने वालों, हमने अपने जीवन में आज तक नई गाड़ी नहीं खरीदी है, मोहल्ले की गली में रहते हैं और हमारे बच्चे आम आदमी से भी नीचे स्तर के कपड़े पहनते हैं। हमारी बीबी आज भी रिक्शे से चलती है लेकिन हम एक अजीमोशानी शख्स हैं और हम उसे दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे और कुदरत से इतनी जिन्दगी मांगेंगे। मांगेंगे चन्दा हम आज भी अपने कमजोर और नादान बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति ने कहा कि यह पैसा हम दो बच्चों की फीस देने के लिए लाये हैं, हमें उन बच्चों को आप दिखा दें। हमने कहा कि नहीं हम बच्चों को आपको नहीं दिखायेंगे, आपको भरोसा है तो हमें आप पैसा दें उसे हम बच्चों पर खर्च कर देंगे लेकिन जिन्दगी भर वह बच्चे आपके सामने शर्मिन्दा रहें कि आपके पैसे से उन्होंने पढ़ा है, हम अपने बच्चों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। दौलतमन्द साहब, रईसेआजम, शहंशाहेआलम, हम आपकी दौलत के कायल हो गये, आपको आपकी दौलत मुबारक और हमें हमारी फकीरी मुबारक।

गरीबे शहर के तन पर लिबास बाकी है।
अमीरे शहर के अरमां अभी कहां निकले हैं।।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अब समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48,75,04,14,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,86,77,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6.1] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,07,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 31,07,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6.3] अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,48,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,48,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6.5] अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,49,71,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(किसी के द्वारा कटौती प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं अब प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,49,71,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6.6] अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,79,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,79,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82, सर्तकता विभाग के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,24,47,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82 सर्तकता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,24,47,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,13,08,48,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,13,08,48,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,98,38,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,98,38,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,01,87,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,01,87,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,27,59,93,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,27,59,93,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,35,16,62,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,35,16,62,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 42, न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20,61,54,80,000/- रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20,61,54,80,000/-रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,21,04,10,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,21,04,10,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,80,45,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,80,45,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,20,82,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,20,82,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,14,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,14,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 33,06,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 33,06,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88, वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,66,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88, वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,66,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, भारत के संविधान में हुए 97वें संविधान के सुसंगत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में किए जा रहे संशोधनों से सम्बन्धित यह प्रस्ताव है और आप सब लोगों को पता है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियां हैं, से लेकर जितनी भी उत्तर प्रदेश की संस्थाएं हैं, संकट में हैं और संकट में इसलिए हैं कि उनका चुनाव कभी 2 साल, कभी 3 साल और कभी-कभी तो चुनाव समय से होते नहीं हैं, जबकि पूरे सहकारिता आन्दोलन का प्रजातान्त्रिक स्वरूप है, जनता के चुने हुए लोग इस पर होने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें समय से चुनाव हों, निष्पक्ष चुनाव हों और चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सहकारी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए जो समय से चुनाव कराये और मान्यवर, इनका जो भी समय है, इनके 2 साल, 3 साल कभी-कभी चुनाव होते ही नहीं और उन पर प्रशासक लोग बैठा दिए जाते हैं और इसी वजह से जो प्रशासक लोग बैठे हैं तो इसका पूरा सरकारीकरण हुआ है और सरकारीकरण होने की वजह से इन संस्थाओं पर अधिकारियों से मिल करके जो प्रशासनिक व्यवस्था रही, उन्होंने मिल करके इन संस्थाओं को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लूट लिया है। उनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की 16 बैंकें, वैसे तो 25 बैंकें खतरे में हैं। 9 बैंकों की तो हमने व्यवस्था कराई है, उनको लाइसेंस मिल गया है और 16 बैंकों को अभी लाइसेंस भी नहीं मिला है। उनकी वजह से वह बैंकें बन्द होने की कगार पर हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि पूरा सहकारिता विभाग जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहे, इसलिए हम यह संशोधन बिल लाए हैं और इसका कार्यकाल 5 साल रहे और 5 साल के साथ-साथ इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसका चुनाव करा देना चाहिए और निर्वाचन न हो पाने की स्थिति में धारा-29 में प्रशासक/प्रशासक कमेटी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था समाप्त की जाए। प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, जनता के चुने हुए लोग ही उस पर रहें और सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी में 4 संचालक पद आरक्षित किए जायें। जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति, एक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्राविधान है। सहकारी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय कौशल में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से प्रबन्ध कमेटी द्वारा लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबन्धन, कृषि या ग्रामीण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों जिनकी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, को आमेलित किए जाने का अधिकार दिया जा रहा है। अधिनियम की धारा-35 में संशोधन कर ऐसी सहकारी समिति जो बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर रही हैं, के विरुद्ध निलंबन अवक्रमण की कार्यवाही 6 माह के भीतर पूरी किये जाने की व्यवस्था की जाये। बैंकिंग व्यवसाय वाली समितियों के लिए यह अवधि एक वर्ष रखी जाये। ऐसी सहकारी समितियां जिनमें शासकीय अंश या पूंजी ऋण या वित्तीय सहायता या शासकीय गारंटी न लगी हो, के विरुद्ध निबंधन स्तर से प्रबंध कमेटी को निलंबित अथवा अवक्रमित किया जाना प्रतिबंधित किया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के भीतर कराया जाना अनिवार्य किये जाने हेतु धारा 64 में संशोधन किया है। प्रत्येक शीर्ष सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश की सहकारी समितियों की कार्य-प्रणाली में सुधार किये जाने एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम से आच्छादित किया जा रहा है। यह सूचना का अधिकार अभी तक को-आपरेटिव सेक्टर को नहीं था। अब सूचना के अधिकार में भी हम को-आपरेटिव सेक्टर को लाये हैं। इसलिए यह बिल हम लाये हैं जिससे सहकारिता आन्दोलन फलेफूले और जनता के चुने हुए लोग इस आन्दोलन में शरीक हों।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार देर में तो आयी है और दुरुस्त भी नहीं आयी है और न तो सही समय से आयी है और अभी आयी है तो ठीक से नहीं आयी है। सच्चाई तो यही है। मंत्री जी तो सीधे सरल हैं। जो अधिकारियों ने दिया होगा मंत्री जी रख रहे हैं। सच्चाई क्या है ? सच्चाई यह है कि 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और नाबार्ड के बीच, जो सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी और जिस प्रकार से उनको लिक्विडेट करने के आदेश लगातार आ रहे थे एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग पर दस्तखत किया। 2006 में इन्हीं की सरकार थी और यह सारे काम इनको उसी समय करने थे। क्योंकि यह जो लीगल परिवर्तन हम लोग एक्ट में ला रहे हैं इन्हीं परिवर्तनों के बाद केंद्र सरकार को आर्थिक सहमति और आर्थिक सहयोग देना है। अब अध्यक्ष जी, गौर कीजिए। कहा यह जा रहा है कि लोकतांत्रिक नियंत्रण लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी है तो अध्यक्ष जी 1965 के सहकारी अधिनियम में जो सारे प्राविधान हैं प्रशासक और कमेटी, प्रबंध कमेटी भंग करके प्रशासक और कमेटी बना देने के, वह सारे प्राविधान हटाये जाने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, गौर करने की बात है। सरकारी हस्तक्षेप कम करने का दावा भी सरकार कर रही है और 1965 के एक्ट में इन कमेटियों को बंद करने के बाद जो प्रशासक और कमेटी बनाने का अधिकार है उसे समाप्त भी नहीं कर रही है। आधी अधूरी बात सदन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के संज्ञान में रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हम लोकतांत्रिककरण करते हैं और सरकार का हस्तक्षेप हटाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चोरी के रास्ते से जो पुराने प्राविधान हैं, अगर सरकार ईमानदार थी। अगर सरकार ईमानदार थी, तो इस विधेयक को 1965 के, निरस्त कर देना चाहिए था और एक नया विधेयक लाते तो जो उसमें प्राविधान सरकारीकरण के थे, वह प्राविधान खत्म हो गये होते। जब आपने उन प्राविधानों को हटाया ही नहीं और खोज-खोज कर कुछ बिन्दुओं में परिवर्तन कर दिया, तो वह प्राविधान तो यथास्थिति आज मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो कमेटियां जब भंग होंगी, तो प्रशासक नियुक्त किये जायेंगे या कोई कमेटी निबन्धक के द्वारा बनाई जायेगी, इसका कोई भी प्राविधान इस सरकार ने नहीं किया, माने करी जायेगी। नम्बर-दो चीज, निर्वाचन आयोग का गठन, बहुत प्रशंसनीय कदम है, लेकिन सच्चाई क्या है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होगी, अगर संवैधानिक संस्था होगी तो इस ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत ये चीजें शामिल की जानी चाहिए कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन आयोग की चयन की प्रक्रिया क्या होगी और निर्वाचन आयोग में नियुक्त होने वाले लोगों की योग्यता क्या होगी। अगर आप निर्वाचन आयोग के बारे में ऐक्ट ला रहे हैं और उसमें ये सारी लू-पोल्स छोड़ रहे हैं, अर्थात् अब सीधे से काम नहीं करेगी, निर्वाचन आयोग के माध्यम से काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

निर्वाचन ऐक्ट बाद में बनेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी अध्यक्ष जी, बाद में बनेगा, तो इनको साथ में बनाना चाहिए था, अगर इन्होंने नहीं बनाया अध्यक्ष जी, तो सारा समाज यही मानेगा कि सरकार अब निर्वाचन आयोग का मुखौटा ओढ़ने जा रही है और मुखौटा ओढ़ करके, अब देखिये हमने तो इसी को पढ़ा है, हम तो इससे अधिक पढ़े नहीं तो सीधी सी बात है, आप निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जो काम पहले आप निबन्धक के माध्यम से करते थे, आपने वहां से निबन्धक शब्द हटा दिया है और निर्वाचन आयोग का शब्द जोड़ दिया है। अन्यथा तय होना चाहिए था। हम लोग तो भारत का निर्वाचन आयोग देखते हैं, निष्पक्ष है। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

ये शब्द निकाल दिया जायेगा क्योंकि आपने स्थानीय निकाय के निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी अध्यक्ष जी, जो आप उचित समझें, आपको अधिकार है और आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है और हम लोग तो आपके अधिकार के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, लेकिन एक मन में भय है कि जो आरोप ऐसे लगते हैं, ऐसे सहकारी निर्वाचन आयोग के बारे में न लगें, इसलिए संवैधानिक प्राविधान उनके बारे में भी कर देना चाहिए। तीसरी चीज अध्यक्ष

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जी, सहकारी समिति का कार्यकाल न जाने कितनी बार घटाया, बढ़ाया गया, 2002 से तो मैं आता हूं, जो सरकार आती है, कोई दो साल कर देती है, कोई तीन साल कर देती है, फिर कोई दो साल कर देती है। इसमें कोई ऐसा भी प्राविधान किया जाना चाहिए था कि अगर कोई सरकार आपके बाद, सम्भावना कम है आने की उनकी, लेकिन अगर कोई आये तो भी अगर चाहे तो पांच साल से घटा कर के पुनः एक या दो साल न करने पाये, यह प्राविधान इस व्यवस्था में कहीं न कहीं इनकारपोरेट करना चाहिए, इस पर आप पुनर्विचार करियेगा, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। सबसे बड़ी चीज अध्यक्ष जी, जो समझौता हम लोगों ने किया है, उसकी एक शर्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने बहुत स्पष्ट शब्द यूज किया है कि जो सचिव व्यवस्था है इसको समाप्त होना है और एक फिट एण्ड प्रॉपर जो शब्द रिजर्व बैंक ने यूज किया है फिट एण्ड प्रॉपर, चीफ इक्जीक्यूटिव अफसर। अब अगर ये काम करना है और आपने ऐक्ट में परिवर्तन किया नहीं, ऐक्ट अभी भी सचिव की बात करता है। सहकारी समिति सचिवों के द्वारा संचालित होगी, तो जब सचिव संचालित करेगा, तो जो रिजर्व बैंक की शर्त फिट एण्ड प्रॉपर, चीफ इक्जीक्यूटिव अफसर वाली यह शर्त तो पूरी नहीं होगी, इसलिए इसको लाने के बावजूद रिजर्व बैंक आपसे संतुष्ट होगा, अध्यक्ष जी मुझे है तो शक। हालांकि कहा जाता है कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी अच्छा चला हो, तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, तो कदम तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरी प्रशंसा तो तब मिलती जब आप पूरा कदम कर देते, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो कमियां हैं इसकी महत्वपूर्ण कमियां हैं, इन कमियों पर विचार होना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह वापस नहीं लेना है ?

*श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी केवल दो लाइनों में अपनी बात कह दूंगा, अभी कटौती का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा था और उसके बाद जो इसमें संशोधन मा0 मंत्री जी के द्वारा किये गये हैं, ये सुझाव भी हम लोगों ने उस समय रखे थे कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से और पारदर्शी होना चाहिए। यह आपने करने का प्रयास किया है। अब उसके जो भी परिणाम हों लेकिन प्रयास जो हुआ है, उसकी प्रशंसा जरूर करी जानी चाहिये, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। अब इसके परिणाम हैं, अभी पहले से हम लोग अनुमान लगा लें कि प्रयास असफल ही हो जायेगा। ये आवश्यक नहीं है, सफलता मिलेगी, ऐसी हम लोगों को आशायें रखनी चाहिये। दूसरा जो आपने, जो सी0ए0 का भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था। वो भी आपने माना है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के सी0ए0 के द्वारा आडिट कराया जायेगा। ये भी बहुत अच्छा है। बाकी और बातें मैं नहीं कहना चाहता किन्तु उस समय हमने दो तीन बातें और कहीं थीं। उनको मैं जरूर चाहता हूं कि आप शामिल कर लें। एक जो हम लोग किसानों का ब्याज जिला सहकारी बैंक में जो देते हैं 4.7 प्रतिशत उसमें प्रदेश का अंश होता है। मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि इससे कॉपरेटिव सोसाइटियों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है क्योंकि उनसे किसान से 3 प्रतिशत ले करके और कॉपरेटिव सोसाइटी को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

10.7 प्रतिशत बैंक में जमा करना पड़ता है। वो अग्रिम न जमा कराया जाये, वो आप जब अनुदान दें तब ही उसको माना जाये और जो किसान से मिले वही कॉपरेटिव सोसाइटी वहां जमा करे। एक इसको आप शामिल कर लें। दूसरा हमने एक फण्ड की बात कही थी कि जो कॉपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी हैं, उनका वेतन बहुत जगहों पर नहीं निकल पा रहा है तो कम से कम एक ऐसा सुनिश्चित फण्ड प्रदेश सरकार 20, 25 हजार रुपया प्रति माह का बना दे कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिये तो वहां पर वेतन सुचारु रूप से निकलेगा और कर्मचारी भी निर्भय हो करके और ठीक ढंग से काम कर सकेंगे। तीसरा वैद्यनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, वो लगभग 50 प्रतिशत लागू हो चुकी हैं। इनको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाये। ये तीन अगर आप और सम्मिलित कर लेंगे तो निश्चित रूप से जानिये, आप वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रयास आपका है इसीलिये इतनी जल्दी संशोधन विधेयक आया, उसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इसके साथ-साथ ये चाहता हूं कि ये तीन आप और जोड़ लें तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने लायक हो जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी स्टेट सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन किया है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा में पटल पर रखी जायेगी और सूचना का अधिकार जो नहीं था, सूचना की रिपोर्ट सीमा में ले आये तो ये जो पारदर्शी है और निष्पक्ष है और भी जो सुझाव दिये हैं अगर मैं ये जानता कि डा0 साहब इतने इण्टरेस्टेड होंगे तो इनका ये जैसा बताते वैसा ही कर देता और मैं जानता हूं कि ये तब भी लाते, विरोध करते, तब और कुछ चीजें ले आते।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अगर ये चीजें इसमें शामिल कर लें तो हम वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 15 फरवरी, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ञञ) 'निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से है;''

धारा 29 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (2), (3), (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में है, और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन, विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पूरा कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उसे नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन है, वहां वह निर्वाचन को स्थगित कर सकता है, और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि व प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के 4 मास पूर्व निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने के लिये अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजें।

(5) कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतने सदस्य रख सकती है, जितने के लिये उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो, परन्तु किसी शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या सत्रह, किसी केन्द्रीय समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या पन्द्रह तथा प्रत्येक अन्य सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की अधिकतम संख्या तेरह हो सकती है। समिति की कोई अन्य कमेटी या उप कमेटी अपनी प्रबन्ध कमेटी से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी कमेटी या उप कमेटी में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में चार स्थान, आरक्षित होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिये तथा दो स्थान महिलाओं के लिये होंगे।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, राज्य सरकार द्वारा यथानियत लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबन्धन, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कम से कम दो वृत्तिक व्यक्ति आमेलित करेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आमेलित सदस्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्यों की संख्या, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त, दो से अधिक नहीं होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्य प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारी के निर्वाचन अथवा अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी नहीं होंगे, और ऐसे सदस्य प्रबन्ध कमेटी के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्ह होंगे।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, नाम-निर्देशन द्वारा की जा सकती है, यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो।''

धारा 35 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 35 में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी,

अर्थात्- :

''(1) जहाँ निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है, जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन कराने में विफल रही हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है, तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से उक्त प्रयोजन के लिये बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विहित परिस्थितियों के अधीन समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाना सम्भव नहीं है, तो निबन्धक के लिये समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मामले में प्रबन्ध कमेटी का निलम्बन या अवक्रमण निबन्धक द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श न कर लिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की प्रबन्ध कमेटी को निबन्धक द्वारा केवल निम्नलिखित आधारों पर ही अवक्रमित किया जा सकता है :-

(एक) यदि कोई समिति लगातार तीन वर्षों से हानि उपगत करती हो, या

(दो) यदि गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें या कपट किया गया हो,

(तीन) यदि इस आशय का कोई न्यायिक निर्देश हों अथवा गणपूर्ति की निरन्तर कमी बनी रहे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां कोई सरकारी अंशधन (शेयर) धारकता न हो या सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता या कोई गारन्टी न हो तो, निबन्धक द्वारा किसी ऐसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण या निलम्बन नहीं किया जायेगा।''

(ख) उपधारा (2) में विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि बैंककारी-व्यवसाय करने वाली किसी समिति के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी और बैंकिंग व्यवसाय से भिन्न व्यवसाय करने वाली समिति के सम्बन्ध में छः मास के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी, और यदि यह नियत अवधि में पूरी नहीं की जाती है तो, उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाही छोड़ दी गयी समझी जायेगी और प्रबन्ध कमेटी यदि निलम्बनाधीन हो तो पुनः स्थापित हो जायेगी।''

धारा 64 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 64 में :-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार'' के स्थान शब्द, ''उस वित्तीय वर्ष की, जिससे लेखे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति के छः मास के भीतर'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(6) प्रत्येक शीर्ष सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।''

नयी धारा 113 का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 112 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''113 (1)-प्रत्येक सहकारी समिति, निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर, निबन्धक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करेगी, अर्थात :-

विवरणियों का दाखिल किया जाना

(क) अपने क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) अपने लेखों का लेखा परीक्षित विवरण;

(ग) सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष के निस्तारण की योजना;

(घ) समिति की उपविधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो;

(ङ) अपने सामान्य निकाय की बैठक के दिनांक और निर्वाचन का आयोजन जब होना है, की घोषणा और;

(च) निबन्धक द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आप लोग बैठ जायें, परसों सूचना दे दीजिएगा। सबकी स्वीकार कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 71 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर व प्राथमिक विद्यालय भुवर निरंजनपुर तथा प्राथमिक विद्यालय सोनारी में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री तस्लीम अहमद की आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनेक महाविद्यालयों की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी अस्थाई सम्बद्धता न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद-आगरा के थाना-सैंया के तेहरा क्षेत्रान्तर्गत श्रेयस ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े की गई डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री नागेन्द्र यादव की मऊ स्थित भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्लूपार केरमा को नियम विरुद्ध परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवी सूचना श्री राजेश यादव की लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित किसान सहकारी समिति महिगवां द्वारा सरकारी अनाज की खरीद में घटतौली एवं अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सातवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में लोक निर्माण विभाग, कर्वी द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना में स्वीकृत मार्ग व सीसी रोड में साइड पटरी भराई के

कार्य में फर्जी भुगतान करने की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्रान्तर्गत तमकुहीराज एवं दुदही को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

क्रम	नाम
1	श्री मुकेश श्रीवास्तव
2	श्री दलजीत सिंह
3	श्री राधे श्याम
4	श्री राजबली जैसल
5	श्री केशव प्रसाद मौर्य
6	श्री राधेश्याम सिंह
7	श्री जय प्रकाश अंचल
8	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
9	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
10	श्री अगयश राम सरन वर्मा
11	श्री अमरपाल शर्मा
12	श्री सुरेश बंसल
13	श्री गोरख पासवान
14	श्रीमती पूजा पाल
15	श्री संत राम कुशवाहा
16	श्री जगन प्रसाद गर्ग
17	श्री बाला प्रसाद अवस्थी
18	साध्वी सावित्री बाई फूले
19	श्री संजय प्रताप जायसवाल
20	श्री आशीष कुमार यादव
21	साध्वी निरंजन ज्योति
22	श्री लक्ष्मीकान्त 'पप्पू' निषाद
23	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
24	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह
25	ठा0 दलवीर सिंह
26	श्री रविन्द्र भड़ाना

27	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी
28	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
29	श्री रोशन लाल वर्मा
30	श्री उमेश पाण्डेय
31	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
32	श्री पूर्णमासी देहाती
33	डा0 अरुण कुमार
34	श्री राम सिंह
35	श्री दीपक पटेल एडवोकेट
36	श्री गुटियारी लाल दुबेश
37	श्री कालीचरन सुमन
38	श्री बब्बन सिंह चौहान
39	श्री सुधाकर सिंह
40	श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया
41	डा0 धर्म सिंह सैनी
42	श्री सतीश महाना
43	श्री विजय बहादुर यादव
44	श्री सन्त प्रसाद
45	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
46	श्री जय प्रकाश निषाद
47	श्री अजय मिश्र 'टेनी'
48	श्री पंकज मलिक
49	श्री रामहेत भारती
50	श्री राधेश्याम जायसवाल
51	श्री सुरेश कुमार खन्ना
52	श्री भीम प्रसाद सोनकर
53	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
54	श्री रामचन्द्र यादव
55	श्री गुलाब चन्द सरोज
56	श्री उपेन्द्र तिवारी
57	श्री संजय कपूर
58	श्री धर्मपाल सिंह

59	श्री रवीन्द्र जायसवाल
60	श्री उमाशंकर सिंह
61	श्री हुकुम सिंह तथा
62	श्री जियाउद्दीन रिजवी।

इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय एक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नरायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

बरेली के कस्बा सिरौली में टाउन एरिया द्वारा पशु वधशाला खोले जाने के प्रताव को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, श्री धर्मपाल सिंह

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना निम्नवत् है :--

''आंवला विधान सभा जनपद बरेली के कस्बा सिरौली में टाउन ऐरिया द्वारा पशु वधशाला खुलवाये जाने का प्रस्ताव किया है। कस्बे के अन्दर वधशाला खुलवाये जाने जन जीवन अस्त-व्यस्त रहेगा और खून नालियों में बहने के कारण वहां का पानी व जमीन संक्रमित हो जायेगी। जिससे संक्रामक रोग फैलेंगे। इसलिए वहां वधशाला का निर्माण न कराया जाय।''

2-मो0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी प्रश्नगत सूचना पर जिलाधिकारी, बरेली से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली में पशुवधशाला खुलवाये जाने का कोई प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया है, बल्कि नगर के बाहर आबादी से लगभग 500 मी0 दूरी पर दक्षिण दिशा में कई दशकों से पशुवधशाला संचालित है। उक्त संचालित पशुवधशाला से कोई खून का बहाव कस्बा सिरौली में नहीं है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-2012-2013 ग्राम सण्डा खस व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 में गेहूं/धान के क्रय केन्द्रों पर किये गये अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, नियम-51

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा सूचना दी गयी है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र, तिलहर विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-12-13 में ग्राम सण्डा खास व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के गेहूं/धान के क्रय केन्द्र स्थापित कराये गये थे। इन केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों, जिला सहकारी बैंक शाखा निगोही के प्रबन्धक और बैंक आफ बड़ौदा, सण्डा खास के प्रबन्धक के मिलीभगत से कृषकों के गेहूं/धान न तौलकर चन्द माफियाओं का ही क्रय केन्द्रों पर कब्ज रहा है और इन केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर कृषकों का शोषण किया गया। उक्त माफियाओं द्वारा फर्जी गन्ने के सट्टा बनवाकर डालमिया चीनी मिल निगोही में उन्ही नामों से फर्जी उक्त फसलें दर्शाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कराया गया जिनकी शिकायतें उनके द्वारा पूर्व में की गयी थी किन्तु उक्त माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से जनता एवं कृषकों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर, विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-12-13 में ग्राम सण्डा खास तथा अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा स्थापित गेहूं/धान क्रय केन्द्रों पर खरीद शासनादेश के अनुसार की गई है तथा सभी किसानों को एकाउन्ट पेई चेकों द्वारा भुगतान किया गया है। उल्लिखित क्रय केन्द्रों पर आज तक किसी किसान द्वारा शिकायत नहीं की गई है। उक्त पत्र में किसी किसान का नाम नहीं दिया गया है, जिससे उसकी जांच की जाती।

मा0 विधायक जी के पत्र में गन्ने के सट्टे के बारे में लिखा गया है, गन्ना खरीद का धान/गेहूं खरीद केन्द्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यहां यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों व जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा निगोही के शाखा प्रबन्धक एवं बैंक आफ बड़ौदा शाखा सण्डा खास के शाखा प्रबन्धक की मिली भगत से कृषकों की फसल न तौलकर चन्द माफियाओं का ही क्रय केन्द्रों पर कब्जा रहने की कोई शिकायत जनपद स्तर पर प्राप्त होने का तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।]

महाराजगंज के ग्राम सभा दुर्गापुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, जनपद महाराजगंज

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा अन्तर्गत लेहड़ा दुर्गा मन्दिर ग्राम सभा दुर्गापुर में स्थित है। यह मन्दिर ग्राम सभा दुर्गापुर के ग्राम सभा की भूमि पर बना है तथा इस मन्दिर परिसर में ग्राम सभा दुर्गापुर के लगभग दो हजार परिवारों की जीविका दुकानों के माध्यम से चलती है, किन्तु मन्दिर के पुजारियों द्वारा चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन गाटा संख्या-262 रकवा 3.57 एकड़ को साजिश करके अपने नाम सर्वराकर करा लिया गया है। क्षेत्रवासियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो हजारों की संख्या में लोग धरना-प्रदर्शन करके जिलाधिकारी, महराजगंज को ज्ञापन दिया। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसे क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है और कभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच करा कर उक्त जमीन को ग्राम सभा के नाम दर्ज किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी ग्राम सभा दुर्गापुर ने जिलाधिकारी को सम्बोधित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-2-2013 को प्रस्तुत किया। श्री बजरंग बहादुर सिंह मा0 विधायक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में ही दिनांक 16-2-2013 को जिलाधिकारी को सम्बोधित ग्राम सभा आदि द्वारा हस्ताक्षरित एक और शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये गये हैं। प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि जोत चकबंदी आकार पत्र-45 (जिल्द बन्दोबस्त) के खाता संख्या-581 बंजर के खाते पर मुकदमा नं0-993/

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1330/363/06-03-2003 दुर्गा मन्दिर सर्वराकर कपिल देव पाण्डेय आदि बनाम सरकार में आदेश का हवाला देकर निम्न अमलदरामद अंकित है :--

आधार वर्ष खाता संख्या 270 के गाटा संख्या-327/1 रकवा 1.210, 327/2 रकवा 0.050, 327/3 रकवा 0.160 से बना आकार पत्र-45 के खाता संख्या-581 में नवीन गाटा संख्या-262 रकवा 1.420 हे0 से बंजर का इन्द्राज खारिज होकर नाम दुर्गा मन्दिर सर्वराकार श्री कपिलदेव पाण्डेय, सीताराम पाण्डेय व देवीदत्त पाण्डेय पुत्रगण रामगरीब पाण्डेय ग्राम दुर्गापुर तप्पा-लेहड़ा परगना हवेली तहसील फरेन्दा, महराजगंज का नाम दर्ज हो।

उक्त अमलदरामद में चकबंदी अधिकारी के मुकदमा नम्बर-993/1330/363 के आदेश का हवाला दिया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की तलाश की जा रही है। पत्रावली उपलब्ध होने अथवा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। इसलिये तथाकथित फर्जी अमलदरामद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। जांच आख्या प्राप्त होते ही प्रकरण में कृत कार्यवाही की वस्तुस्थिति से मा0 सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।]

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 अन्तर्गत विधान सभा, राजभवन, वापू भवन, एनेक्सी भवन में लगभग 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित मानते हुए उनके जी0पी0एफ0 की कटौती व अन्य लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, माननीय सदस्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा द्वारा उपर्युक्त विषयक नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''आपको अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत विधान भवन राजभवन, बापू भवन, एनेक्सी भवन में लगभग 20 एवं 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण मे कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2063/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 08-09-2010 द्वारा दिनांक 20-06-1991 के पूर्व का मानते हुए विनियमितीकरण कर दिया गया। उक्त कर्मचारियों को 29-06-1991 से विनियमितीकरण न करते हुए वर्ष 2011 में नियमित किया गया। विभाग द्वारा कर्मचारियों के साथ दोहरा माप दण्ड अपनाया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2010 के बीच नियमित किये

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गये कर्मचारियों का जी0पी0एफ0 की कटौती की जा रही है। जबकि 2011 में नियमित किये गये सभी कर्मचारियों का जी0पी0एफ0 की कटौती न किये जाने से समस्त कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 29-06-1991 से नियमित मानते हुए जी0पी0एफ0 कटौती एवं अन्य लाभ दिये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गयी है''।

केवल वक्तव्य

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों की किसी सेवा नियमावली के नियमों/सेवा शर्तो के अन्तर्गत निर्धारित चयन प्रक्रिया अपना कर स्वीकृत/सृजित पद के सापेक्ष नियुक्ति नहीं की जाती बल्कि इनका कार्य पर बने रहना कार्य की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उक्त कर्मचारी स्वीकृत रिक्त पद के सापेक्ष विनियमितीकरण की तिथि से सम्बन्धित शासकीय सेवा के सदस्य बनते हैं। अतः विनियमितीकरण की तिथि से उक्त कर्मचारी शासकीय सेवकों की अनुमन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण खण्डों में दिनांक 29-06-1991 से पूर्व के दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित पदों की उपलब्धता/वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के तहत शासनादेश सं0 141/23-7-2011-43(सा0)/08 दिनांक 21-02-2011 एवं शासनादेश 141(2)/23-7-2011 (सा0)/08 दिनांक 21-02-2011 में निहित व्यवस्था एवं सृजित अधिसंख्य पदों के सापेक्ष वर्ष 2011 में विनियमितीकरण की कार्यवाही खण्डों द्वारा की गयी है, इस प्रकार उक्त कर्मचारी नियमित सरकारी सेवा में वर्ष 2011 से कार्यरत हैं। अतः उक्त कर्मचारी अपने विनियमितीकरण की तिथि से ही नियमित सरकारी सेवा के समस्त लाभ पाने के हकदार हैं।

उक्त के साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2005 या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कार्मिकों के वेतन से जी0पी0एफ0 कटौती की व्यवस्था समाप्त करते हुए ''नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' लागू की गयी है। जहां तक वर्ष 2005 से 2010 के बीच नियमित किये गये कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 कटौती किये जाने का सम्बन्ध है, उक्त अवधि के बीच विनियमित किये गये कर्मचारियों की भी नियमानुसार जी0पी0एफ0 कटौती का लाभ अनुमन्य नहीं है। जहां तक इस अवधि में विनियमित किये गये कर्मचारियों के वेतन से जी0पी0एफ0 कटौती किये जाने का सम्बन्ध है, इस हेतु प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) को तत्काल आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के मानक में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मेरे विधान सभा

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[क्षेत्र थाना भवन जनपद शामली की नगर पंचायत जलालाबाद में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जो बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के मानक के बराबर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है उसमें बड़ी मात्रा पर अनियमितता हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन ने उस सूची का निर्धारण पूरी तरह राजनीतिक आधार पर किया है जिसके कारण पात्रों को लाभ न मिलकर सारा लाभ अपात्रों को प्राप्त हो रहा है। जिसके कारण पात्रों में भारी आक्रोश है और वह इस बात की शिकायत मेरे सहित सभी अधिकारियों से भी कर चुके हैं। लेकिन न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे द्वारा भी इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनहित में पात्रों को लाभ दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और पात्रों को लाभ दिया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, शामली से प्राप्त सूचना के अनुसार अतिरिक्त बी0पी0एल0 लाभार्थियों के चयन में अनियमितता संज्ञान में आने पर टीम गठित कर जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि नगर पंचायत जलालाबाद में अतिरिक्त बी0पी0एल0 खाद्यान्न हेतु चयनित 1202 लाभार्थियों की सूची में 99 कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी उन्हें चयनित किया गया। ऐसे अपात्र 99 कार्ड धारकों के नाम सूची से निरस्त कराकर उनके स्थान पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जलालाबाद ने पुनः पात्र कार्ड धारकों का चयन कराकर 99 पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराया गया। अपात्रों के चयन में की गई अनियमितता के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जलालाबाद से उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद चित्रकूट के पी0डब्लू0डी0 के चार्ज डिवीजन सी0डी0-1 में अधिशासी अभियन्ता की तत्काल तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, जनपद चित्रकूट

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के पी0डब्ल्यू0डी0 के चार्ज डिवीजन सी0डी0-1 में अधिशासी अभियन्ता की तत्काल तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14-3-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है :-

''जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत पी0डब्ल्यू0डी0 के चार्ज डिवीजन हैं, जिसमें तीन डिवीजन में अधिशासी अभियन्ता के पद पर पोस्ट है और उसमें चौथा डिवीजन सी0डी0-1 है। जिसमें एक वर्ष से लगातार अधिशासी अभियन्ता पोस्ट नहीं है। बीच में एक-दो बार पोस्टिंग भी की गयी तो वह लोग चार्ज लेकर पुनः ट्रान्सफार्मर कराकर चले गये वहां पर सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता का चार्ज लिये गये हैं। जो कि इनके ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर किसी की तैनाती न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनपद चित्रकूट में अधिशासी अभियन्ता की तैनाती यथाशीघ्र कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।''

केवल वक्तव्य :-

मा0 सदस्य की उपर्युक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

जनपद चित्रकूट में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थापित 04 कार्यकारी खण्डों में से तीन खण्डों में अधिशासी अभियन्ता तैनात हैं। निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर शासन के आदेश दिनांक 03-05-2012 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र जैन की तैनाती की गयी थी। श्री जैन को उक्त खण्ड से शासन के आदेश दिनांक 19-7-2012 द्वारा प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हाथरस (महामायानगर) में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप श्री फैजुल इस्लाम फैजी हाशमी को निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग चित्रकूट में तैनात किया गया किन्तु श्री हाशमी द्वारा अस्वस्थतता के कारण उक्त खण्ड में कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा शासकीय कार्यहित में स्थानीय स्तर पर कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त खण्ड में तैनात सहायक अभियन्ता श्री विनोद कुमार त्रिपाठी को अग्रिम आदेशों तक अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार देखे जाने के आदेश पारित किये गये, जिसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं है।

श्री त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त खण्ड में अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित तैनाती हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा बभनान से चांदारत्ती गांव से होकर ग्राम भेलखा एवं भिरवा में से होकर आगे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क में मिलने वाली सड़क पर खड़न्जा एवं डामर/ आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, विधान सभा।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में दिनांक 14-3-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा बभनान से चांदारत्ती गांव से होकर ग्राम भेलखा एवं भिरवा में से होकर आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में मिलने वाले सड़क पर खड़ण्जा कार्य एवं डामर/आर0सी0सी0 कराया जाना रेखाकिंत किया है। मार्ग की लम्बाई 6313 मीटर बतायी गयी है जिसमें से 2961 मीटर में खड़ण्जा, 1875 मीटर में लेपन, 142 मीटर में गिट्टी कुटाई एवं अवशेष 1335 मीटर में कच्चा मार्ग है।

उक्त सड़क निर्माण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना में स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद स्तर से संदर्भित हुआ था। लेकिन यह कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना से स्वीकृत करने हेतु चयनित नहीं हुआ। विभिन्न स्तरों से संदर्भित होने वाले सभी कार्यों को त्वरित आर्थिक विकास योजना से स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद वाराणसी के चोलापुर के अजगरा से दिनांक 10 मार्च, 2013 तथा नगर के डाकी बाई पास से दिनांक 11 मार्च, 2013 को वध हेतु ले जाये जा रहे क्रमशः 37 तथा 125 मवेशी तस्करों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण,

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

[में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि दिनांक 10-3-2013 को थाना, चोलापुर एवं दिनांक 11-3-2013 को थाना लंका क्षेत्रान्तर्गत वध हेतु ले जा रहे पशुओं की बरामदगी की गयी। इसके अतिरिक्त दिनांक 12-3-2013 को वध हेतु ले जा रहे जनपद वाराणसी के थाना रोहनियां पुलिस द्वारा कुल 50 पशु तथा दिनांक 13-3-2013 को जनपद वाराणसी के ही थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा कुल 18 एवं थाना लंका पुलिस द्वारा 19 पशुओं को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि समस्त जनपद वाराणसी में कार्यवाही जनता द्वारा प्राप्त सहयोग एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के सी0यू0जी0 मोबाइल पर दी गयी सूचना एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के निर्देशानुसार जनपद में दिनांक 11-3-2013 से 12-4-2013 तक अवैध पशु तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए कड़ी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

दिनांक 20 मार्च, 2013

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी ''क''

मा0 अध्यक्ष जी-

कृपया नगर विकास के कटौती प्रस्ताव में निम्नलिखित सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

(1) उ0प्र0 के साथ-साथ जनपद मथुरा में रजिस्ट्री के समय भारी स्टाम्प (राजस्व) प्राप्त होता है इसमें 2% विकास शुल्क में राजस्व प्राप्त होता है जोकि आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण एवं नगर परिषद् में जाता है। जब कि इस 2% को तीनों संस्थायें अपने निजी प्रयोग अन्य ले लेते है जबकि जिस एरिया से रजिस्ट्री हुई है उस एरिया में विकास कार्य होना चाहिये।

(2) विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में बड़ी लाइटें रोडों पर लगाई जाती हैं हाई मास्ट लगाई जाती है सड़क भी बनाई जाती है परन्तु कोई रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। जनपद मथुरा में लगी सभी हाई मास्ट लाइटें शो पीस बनी हुई हैं।

(3) विकास प्राधिकरण द्वारा जनपदों में 25-30 वर्षों का प्रोजेक्ट तैयार होता है इन प्रोजेक्टों, योजनाओं में बीच-बीच में भू-माफियाओं तथा प्राइवेट कालोनाइजरों को अवैध लाभ पहुंचाने के हिसाब से इन योजनाओं पर अवैध धन लेकर निजी स्वार्थों में जो बदल किया जा रहा है। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण भारी मात्रा में योजनाओं एवं जमीनों का बदलाव किया गया है। अवैध वसूली भी जबरन छोटे-छोटे लोगों से मकान बनाने में वसूला जा रहा है।

बड़े-बड़े कालोनाइजरों को उनके मन माफिक प्राधिकरण योजनाओं में बदलाव की शिकायत हैं। इसके साथ प्राधिकरण के कार्यों में मानकता की अनदेखी किया जा रहा है। मथुरा के नाले, नाली तथा गोवर्धन के साथ-साथ बलदेव एरिया को प्राधिकरण में शामिल कर यहां विकास कराया जाये।

श्री गुलाब चन्द्र-

मा0 अध्यक्ष,

विधान सभा-

विषय : नगर विकास विभाग के बजट कटौती पर

(1) वाराणसी के सारनाथ मन्दिर के आस-पास सीवर जल निकासी, पेयजल की सुविधा नहीं है वहां यह सुविधा दिया जाय।

(2) वाराणसी नगर निगम सीमा में तरना वार्ड में सीवर नहीं है वहां पर सीवर सुविधा दिया जाय।

(3) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में सथवा में ट्रीटमेंट प्लान्ट चिन्हित है वहीं बनाया जाय दिनापुर ले जाने पर 150 करोड़ अतिरिक्त बोझ होगा जो ठीक नहीं और यह सीवर योजना फ्लाप हो जायेगा।

श्री उमाशंकर-

परम् आदरणीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा उत्तर प्रदेश मान्यवर आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद् रसड़ा में एक तो शौचालयों की कमी है और जो शौचालय हैं भी वो भी जर्जर ध्वस्त एवं उसमें पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहां तक लोग अपने घरों से पानी लेकर

शौचालयों में जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी हमें आजादी मिले कितने दिनों हो गई लेकिन आज हमारी शहर की गरीब परिवार की महिलाओं को शौच के लिये जगह खोजनी पड़ती है मान्यवर नगर पालिका परिषद् रसड़ा में एक ऐसा नाला है जो शहरों के बीचों-बीच से होकर बहता है यही नहीं मान्यवर नाले की जहां तक खोदाई होनी चाहिये अर्थात् टोंस नदी में उसे मिलाना था परन्तु काटों में ही उसे छोड़ दिया गया इससे उसका पूरा पानी शहर के एक विशेष इलाके में फैल जाता है जिससे बीमारी तो फैलती ही है बल्कि आने जाने के लिये भी एक परेशानी खड़ी हो जाती है मान्यवर अगर तालों को विकसित करने की बात हो रही है तो हमारे बलिया जनपद का एक बहुत बड़ा ताल सुरहा ताल के नाम से प्रसिद्ध है जिसे विकसित किया जाना एक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना होगा मान्यवर अल्प संख्यक सामुदायिकों के निराश्रित पुत्रियों की शादी अनुदान जो 10000 है ये बहुत कम है इसे बढ़ाकर मान्यवर 25000 रुपया कराना आवश्यक है। मान्यवर पिछले बजट सत्रों में भी कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री की बात हुई थी परन्तु अभी तक शुरू नहीं हुई मान्यवर मेरे विधान सभा रसड़ा की कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री कराई जाय।

मा0 विधान सभा अध्यक्ष,

उ0प्र0 सरकार।

मान्यवर,

माननीय अध्यक्ष जी आपसे सादर अनुरोध करना है कि मा0 नगर विकास मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री आदरणीय आजम खां द्वारा जो 2013-2014 का बजट प्रस्तुत हुआ है वह बहुत ही अच्छा है सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के विकास हेतु बजट है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-372 केराकत टाउन एरिया 15 वार्ड का है जो 03 वार्ड ग्राम सभा में निहित है तथा टाउन एरिया से आच्छादित करीब सटे हुये ग्राम सभायें नरहन ग्राम सभा सरायवीरू चौरा सिहौली, मनिपरा को भी टाउन एरिया में समेकित करने हेतु सम्मिलित कराया जाय जिससे टाउन एरिया का दर्जा पाने पर काफी सुविधा मिल सकती है। मान्यवर ग्राम सभा, नरहन, सरायवीरू, चौरा, सिहौली मनियरा टाउन एरिया में सम्मिलित कराने हेतु मैं अनुरोध करता हूं एवं नगर विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

मा0 अध्यक्ष,

मा0 नेता श्री मुलायम सिंह यादव की के नेतृत्व में बनी पूर्व सरकार में मेरे निर्वाचित क्षेत्र में स्थित परसपुर बाजार को नगर पंचायत बनाने का आदेश हुआ था तथा समस्त औपचारिकतायें भी पूर्ण हो गई थी। ग्राम सभाओं का भी प्रस्ताव हो गया था कार्यवाही प्रक्रियागत भी तब तक चुनाव आ गया बसपा सरकार में भेदभाव के आधार पर प्रक्रिया रोक दी थी। चुनाव के पूर्व मा0 मुख्य मंत्री जी ने क्रान्तिरथ से परसपुर को नगर पंचायत का दर्जा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बनाने का वादा किया था। अनुरोध है कि परसपुर जनपद गोण्डा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी,

मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये नगर विकास के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने जो गरीबों मजलूमों को बेहतरी के लिये नगर विकास का बजट रखा है। वह अत्यन्त ही संवेदनशील बजट है जिसमें उन्होंने लोहिया जी के सपनों को पूरा करने के लिये मोटर चालित रिक्शा देने की योजना और नया सवेरा योजना के माध्यम से गरीबों मजलूमों को आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना बहुत ही संवेवदनशीलता का परिचय देती है मा0 अध्यक्ष जी जो मा0 नगर विकास मंत्री जी ने सीवर लाइन से लेकर विद्युतीकरण इत्यादि का जो प्रबन्ध किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर अब मैं अपने निर्वाचित क्षेत्र की एक मात्र आदर्श नगर पंचायत फूलपुर के बारे में कुछ जरूरतें बताते हुये मा0 नगर विकास मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारी नगर पंचायत में विद्युत वितरण दुरुस्त करने हेतु नगर के तारों का बदला जाना अत्यन्त आवश्यक है दूसरा नगर पंचायत में एक मोबाइल ट्रान्सफार्मर हेतु अलग से धन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री धर्मराज-

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0प्र0 लखनऊ।

आदरणीय महोदय दिनांक 20-3-2013 को प्रस्तुत अनुदान संख्या 37 नगर विकास के बजट के समर्थन पर मेरी विधान सभा बाराबंकी के नगर पालिका परिषद् बाराबंकी के निकट कई गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है किन्तु उन गांवों जैसे बड़ेल, पैसार देहता, ओवरी, फैजुल्लागंज, बंकी देहात, दखौली इत्यादि को नगर पालिका परिषद् में जोड़ा जाय। ज्यादातर गांवों को शहरी सुविधायें मिल रही किन्तु आज तक उक्त गांव में पंचायत को शहर से नहीं जोड़ा गया है आप ऊपर लिखे गांवों को नगर पालिका परिषद् में जोड़े जाने की आज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी-

आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मा0, पाकसाफ इल्म सियासत का सही जज्वेदार जो अपना तकरीर का जज्बादिया है मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान, जहां आये दिन फसाद हुआ करते थे उसकी बाउण्ड्रीदिवाल हेतु धन आवंटित हुआ है अत्यन्त मुफीद है। मदरसों की पढ़ाई में आधुनिकीकरण की पढ़ाई शुरू किया है, अत्यन्त सराहनीय है अकलियत की लड़कियों के शिक्षा लेने हेतु 30,000 रु0 को दिया है अच्छा है।

(2) नगरीय व्यवस्था अत्यन्त रोचक है 30 हजार की आबादीवाला बाजार को यदि नगर पंचायत ''गौरा बादशाहपुर'' बना दें तो नगर विकास के बजट में रोचकता आ जायेगी।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मा0 अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद।

मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी के द्वारा नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट का समर्थन करते हुये उन्हें अच्छे बजट के लिये बधाई देना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों के बाद समाजवादी सरकार द्वारा सकारात्मक बजट रखा गया है।

मान्यवर मेरे क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद् शाहगंज, सम्भवतः प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल की नगर पालिका है। यह जब नोटी फाइड एरिया न टाउन एरिया थी तबसे अब तक में यह नगर पालिका परिषद् बन गई पर अभी तक सीमा विस्तार नहीं किया गया है। पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में सीमा विस्तार का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन में भेजा गया परन्तु न जाने किन कारणों से अभी तक सीमा विस्तार नहीं किया है।

मान्यवर अध्यक्ष जी मैं आपके के माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शाहगंज नगर पालिका परिषद् की सीमा विस्तार किया जाय ताकि अगल-बगल के गांवों जो नगर का स्वरूप ले चुके हैं उन्हें नगर पालिका परिषद् की सुविधायें प्राप्त हो सकें।

पुनः बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आविद रजा खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

उ0प्र0 विधान सभा।

मान्यवर,

मैं माननीय आजम खां साहब के नगर विकास, अल्पसंख्यक बजट का समर्थन करता हूं।

जो बजट मा0 आजम खां साहब ने आप पेश किया है वह काबिले तारीफ है, अल्पसंख्यकों के लिये जो ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना चलाई है उससे गरीब, बेसहारा खासतौर से मुस्लिम लड़कियों को फायदा होगा आपने उनके मुस्तकदिल के बारे में सोचा आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

आपने इंसानों की बेहतरी के लिये हमेशा काम किया लेकिन आपने जो मुस्लिम समाज के लोग जिनका इन्तकाल हो जाता है। आपने कब्रिस्तान की बाउण्ड्री की योजना चलाकर बजट में प्रावधान किया है। इसमें जिंदा लोगों के साथ बुजुर्ग लोगों की दुआयें मिलेंगी।

आपने रिक्शा चलाकों के भी दर्द को समझा आज तक उनके दर्द को नहीं समझा। इन सब बातों के लिये मेरे पास शुक्रिया कहने के लिये अलफाज नहीं।

इसलिये मैं आपके बजट का समर्थन देता हूं अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे ताकि आप देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी मेरे लिखित वक्तव्य को आप Proceeding में शामिल कर में बोलना चाहता था लेकिन समय के अभाव में आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है। मुझे उम्मीद है आप इसको Proceeding में शामिल करायें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी,

कृपया मेरा सुझाव कार्यवाही में शामिल कराने की कृपा करें।

मा0 अल्पसंख्यक एवं नगर विकास का बजट जिसे मा0 मंत्री आजम खां साहब ने रखा है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ ही साथ यह मांग करता हूं कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने रोजगार के लिये लोन लिया था किन्तु गरीबी के कारण लोन अदा, नहीं कर सके और रोजगार भी सही नहीं चला जिससे उनका परिवार संकट में है सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करके अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से लिये गये कर्ज का ब्याज माफ कराने की कृपा करे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

अध्यक्ष जी,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कटौती पर शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देता हूं मैं अपने क्षेत्र धौरहरा में अल्पसंख्यकों की दशा व सामाजिक स्थिति तथा शिक्षा का स्तर गुण दोष के आधार पर कहता हूं।

मान्यवर, अल्पसंख्यक समाज आज काफी शैक्षिक रूप से पिछड़ा है आजादी के 66 साल बाद आज मुसलमान पिछड़ता जा रहा है समाज में वह काफी निचले पायदान पर खड़े है उनकी यह दुर्दशा विगत सरकारों द्वारा उपेक्षा की वजह से वह धीरे-धीरे काफी नीचे चले गये हैं। इसलिये मान्यवर में यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को शिक्षित बनाया जाय मदरसों में छात्रवृत्ति, योजना मिले सरकारी सहायता भी लगभग दो सौ मदरसों को मेरे विधान सभा में आर्थिक सहायता दी जाय जिससे बच्चे पढ़ लिख कर समाज में बराबर खड़े हो सकें व एक मजबूत भारत बने और गंगा जमुनी तहजीब आगे बढ़ सके मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद

आदरणीय अध्यक्ष जी,

नगर विकास के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये कह रहा हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ईसानगर की आबादी लगभग चालीस हजार से ज्यादा है तथा खमरिया पे0 व ऐरा को मिलाकर लगभग पचास हजार आबादी है अतः उक्त दोनों ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायत का दर्जा दिलाया जाय मैं इसकी पुरजोर मांग व समर्थन करता हूं आपने मुझे नगर विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया इसलिये आपका धन्यवाद मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा उ0प्र0।

हमीरपुर विधान सभा अन्तर्गत दो नगर पालिका, दो टाउन एरिया नगर पंचायत हैं जो कि हमीरपुर नगर पालिका पुरानी होते हुये भी आदि चतुर्थ श्रेणी का दर्जा प्राप्त है।

आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमीरपुर नगर पालिका को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाय। जिससे दूसरा मौदहा नगर पालिका के अन्तर्गत (1) नगर पालिका में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पाइप लाइन डाला जाना।

(2) पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दो ट्यूवबेल

(3) मलिन बस्ती में शौचालय निर्माण,

(4) नालों की सफाई

(5) पार्क का निर्माण,

(6) तालाबों पर पक्के घाट,

(7) जर्जर सड़कों का निर्माण,

(8) नगर पालिका अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों का भवन निर्माण,

(9) महिला अस्पताल की स्थापना।

टाउन एरिया सुमेरपुर अन्तर्गत अधिक से ज्यादा आबादी नगर पंचायत के क्षेत्र में होते हुये भी नगर पंचायत में जुड़ी हुयी है अतः उन नयी बस्तियों को जोड़कर नगर पालिका का दर्जा देने का आग्रह करती हूं। जिससे वह नयी बस्तियों में मूलभूत सुविधायें जैसे विद्युत, नाली, पानी, रोड आदि सुविधायें उनको मिल सके।

श्री कृष्ण पाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी/कैबिनेट मंत्री महोदय जी,

विषय :-राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

महादेय जी,

सादर अनुरोध है कि जनपद झांसी में 222 बबीना विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड बबीना में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसमें दो छावनी परिषद् बबीना छावनी परिषद् झांसी है यह दो बबीना वि0 खण्ड है लेकिन आज तक यहां पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है एवं ब्लाक बड़ागांव (नगर पंचायत बड़ागांव) एवं नगर पालिका बरुआसागर है लेकिन एक भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है एवं ब्लाक चिरगांव भी एक नगर पालिका है यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन इस ब्लाक चिरगांव में भी एक भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है। इसलिये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन तीनों ब्लाक मुस्लिम बाहुल्य हैं। लेकिन कालेज नहीं है इसलिये इन तीनों ब्लाकों में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की कृपा करें। तो आपकी महान कृपा होगी।

माननीय अध्यक्ष जी,

महोदय जी,

सादर अनुरोध है कि जनपद झांसी की 222-बबीना विधान सभा में ब्लाक-बबीना में एक भी नगर पंचायत नहीं है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि सिमरावारी को नगर पंचायत बनाया जाये (जो खैलार B.H.E.L-सिमरावारी) को मिला करके।

(2) मा0 अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा 222-बबीना में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिनमें कब्रिस्तान की चारदिवारी बनवाने के लिये जैसे-बबीना, बरुआसागर, चिरगांव खैलार, झांसी कैन्ट, में चारदिवारी बनवाकर सुरक्षित करने का काम करें।

(3) मा0 अध्यक्ष जी चिरगांव नगर पालिका की हालत बहुत बुरी है इसलिये में आपसे अनुरोध है कि इस नगर पालिका को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। तो आपकी महान कृपा होगी।

सादर-धन्यवाद।

मो0 मुस्लिम-

आदरणीय अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष जी सदन में माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी ने सदन में नगर विकास मंत्री ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। बजट बहुत ही अच्छा है।

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के बारे में उनकी बहुत ही अच्छी सोच है। अल्पसंख्यक की आबादी बहुत अधिक है बजट में जो बजट का आवंटन किया गया है वह बहुत ही कम है।

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अमेठी लोक सभा एक एकलौती नगर पालिका है जिसकी आबादी एक लाख की है। यहां पर पानी पीने की एक ओवर हेड टैंक है जो 50 साल पहले बनाया गया था जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है अगर पूरी टंकी में पानी भर दिया जाय तो फट जायेगी।

स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है मेरी मांग है जायस नगर में एक ओवर हेड टैंक तथा पम्प हाउस बनवाने की मेहरबानी करें।

मैं माननीय जी आपके माध्यम से जायस नगर पालिका की सीवर लाइन की हालत बहुत दयनीय है। नई लाइन डलवाने की व्यवस्था करने की मेहरबानी करें।

इतनी आबादी में एक भी शौचालय नहीं है मेहरबानी करके 2 सुलभ शौचालय बनवाने की मेहरबानी करें आपको मैं धन्यवाद देता हूं आपके अल्पसंख्यक बजट तथा नगर विकास पर शामिल होने का मौका दिया आपका बहुत धन्यवाद।

श्रीमती राजेश्वरी-

माननीय अध्यक्ष जी,

माननीय श्री आजम खां साहब द्वारा प्रस्तुत नगर विकास विभाग के प्रस्तुत बजट पर भाजपा के डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान गोरखपुर जनपद की अपनी विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की 125 साल पुरानी बड़हलगंज टाउन एरिया की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस नगर पंचायत बड़हलगंज की सफाई की स्थिति दयनीय है जल निकासी मुस्लिम बस्तियों में अति दयनीय स्थिति है वहां रहने वाले सोनकर, मुस्लिम, दलित सहित कई समुदाय के निर्धन लोगों के लिये आवास नहीं है उन लोगों को आवास देने की जो सरकार की योजना है उसे नगर पंचायत बड़हलगंज एवं नगर पंचायत गोला में लागू कराया जाना चाहिये। साथ ही दोनों नगर पंचायतों में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ानी जानी चाहिये ताकि बजबजाते नाले व सड़कों की गन्दगी प्रतिदिन साफ हो सके साथ ही बड़हलगंज में जो वाटर सप्लाई के लिये पाइप लाइन की व्यवस्था की गयी है वे पाइन लाइनें जर्जर हैं उन्हें ठीक कराया जाना चाहिये। नगर पंचायत बड़हलगंज का अब काफी विस्तार हो चुका है नगर पालिका परिषद् होने के सभी अर्हतायें पूरी कर रहा है, वर्षों से प्रस्ताव इसका लम्बित है। सरकार से मांग है कि बड़हलगंज नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद् बनाया जाये। इस नगर के एवं

आस-पास की बस्तियों के जल निकासी, जिसमें मुस्लिम दलित बस्तियों के लोगों का विशेष भला होगा, हेतु जल निगम से नाला निर्माण कराया जा रहा है जिसका 60 प्रतिशत निर्माण कराया जा चुका है शेष धनराशि सरकार शीघ्र उपलब्ध कराये ताकि नाला निर्माण पूरा हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, उरूवा बाजार एवं हाटा बाजार गोरखपुर दक्षिणांचल के प्रमुख ग्रामीण कस्बे हैं। जिनको नगर पंचायत बनाने की मांग वर्षों से की जा रही है जिसका पत्र शासन के पास लम्बित है सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि वे शीघ्र ही बनाये जायेंगे हमारी मांग है कि उरूवा बाजार एवं हाटा बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये। मा0 मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि बड़हलगंज नगर क्षेत्र में ओल्ड एज होम का निर्माण कराने का कार्य करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी,

आंवला-नगर पालिका में स्वच्छ पेयजल, मलिन बस्ती में भवन निर्माण व एक पानी की टंकी और बनाई जाय। पहले बनी हुयी टंकी की गुणवत्ता ठीक नहीं रही मेरे द्वारा जांच के लिये लिखा भी गया।

2-नगर पालिका में खाद्य निरीक्षक नहीं है उसकी तैनाती कराई जाय।

3-आंवला नगर में जो तालाब है उनका सौन्दर्यीकरण कराया जाय।

4-पुरैना मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है उसके पास हाई पावर लाइन लगवायी जाय।

5-प्राचीन मकवरे भी आंवला में बने हैं उनका भी सौन्दर्यीकरण कराया जाय।

6-कम्प्यूनिटी सेन्टर बनवाया जाय।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा उ0प्र0, लखनऊ।

मान्यवर,

नगर विकास के बजट पर बोलना चाहते थे आपके ओदशानुसार निम्न विषय लिख कर दे रहे हैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर लें। विषय निम्नवत् हैं :-

1-मेरठ नगर निगम क्षेत्र में बिजली खम्बा बाईपास टूट चुका है चौड़ीकरण करके अच्छी तरह लेबल करके निर्माण कराया जाये।

2-महानगर के उपनगरीय क्षेत्रों में मेरी विधान सभा क्षेत्र के जय भीम नगर, प्रताप नगर, उत्तराखण्ड कालोनी, राजनगर, भोपाल विहार, हनुमान विहार सरायकाजी मार्ग के दोनों ओर की आंतरिक सड़कें व पानी निकास विद्युत लाइन खम्बे, जागृति विहार, शास्त्रीनगर के सभी ब्लोम्स एवं सेक्टर प्रवेश विहार, शिवशक्ति नगर, माधवपुरम्, शिवपुरम कीर्ति पैलेस, इंदरा नगर परतापुर रोड, काजीपुर, अच्छरौंडा, (काशी की बस्ती कश्यप) रिठानी, रिझानी पूरा, कुन्डा, फत्तेउल्लापुर, लिसाडी, नूरनगर जाहिदपुर आदि क्षेत्र हुमायूं नगर आदि सभी क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं या टूट चुकी हैं बनायी जायें पानी निकासी की व्यवस्था बनाकर नाले नाली, सीवर, विद्युत आदि का ठीक प्रबन्ध कराने की कृपा करें।

3-मेरे क्षेत्र की नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत हवाई पट्टी है। जिसको हवाई अड्डा बनाने का आपसे विशेष अनुरोध करता हूं क्योंकि पश्चिम में कोई हवाई अड्डा नहीं है।

4-मेरठ में मेरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यवस्था कराने की कृपा करें शुद्ध पेयजल।

5-पुराने मेले के स्थान पर इण्टर कालेज की स्थापना अति शीघ्र करा दें।

6-नगर क्षेत्र मेरी वि0 सभा में सीवर लाइन डलवा कर व्यवस्था बनवा दें।

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र में, माधवपुरम फत्तेउलापुर, इंदरागनर, मगौल मार्ग, नूरनगर लिसाड़ी, हुमायूंनगर आदि क्षेत्रों में जल भराव है प्रवेश विहार, भोपाल विहार, हनुमान विहार में नाले बनाकर पानी निकास हेतु व्यवस्था बनाने की कृपा करें।

8-होर्डिंग्स के ठेके छोड़े जायें खुली पारदर्शी व्यवस्था हो इस माध्यम से अपार लूट हो रही है। रोका जाये।

9-अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाये।

10-अवैध कमेले तत्काल बन्द कराये जायें।

11-अवरुद्ध नालों की सफाई।

श्री गेन्दा लाल-

महोदय,

कृपया जनपद हाथरस (महामाया नगर) के निम्न इलाकों विशेषकर मधुगढ़ी, नई बस्ती श्रीनगर, नई दिल्ली कालोनी, खोंड़ हजारी बाला पट्टी, नगला भोजा, नगला टीका, लाला का नगला, नगला नाई, नया बांस, सी0एल0 खेड़ा आदि एवं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का विकास डूडा के माध्यम से कराने का आदेश करें।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से मा0 आदरणीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सहारनपुर नगर निगम में विकास कार्य-सड़क स्ट्रीट बिजली, सीवर लाइन व नालों की बहुत कमी है उन्हें निर्माण कराने व लगभग 45 नयी कालोनी में बिजली, सड़क, सीवर, पीने के पानी की व्यवस्था कराने एवं सहारनपुर नगर में शारदानगर में पुल बन गया है रेलवे का परन्तु पहुंच मार्ग नहीं है उसे बनवाने एवं कालोनियों स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें। सहारनपुर नगर निगम को विशेष पैकेज दिया जाना वहां नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है अतः नगर का विकास किया जाय।

धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी,

नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण के बजट पर अपने विचार और समर्थन करने का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें।

महोदय,

आग्रह है कि कई बार आग्रह के बावजूद हमें ऊर्जा, पी0डब्ल्यू0डी0, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग एवं आज नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण के बजट पर बोलने और अपने क्षेत्र की बात और समस्या रखने का अवसर आप द्वारा प्रदान नहीं किया जा सका जिससे हमे घोर निराशा है।

महोदय उक्त बजट चर्चा पर हमने मजबूरन अपना लिखित भाषण दिया है अतः कार्यवाही में शामिल कराने की कृपा करें।

नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण के बजट के समर्थन में आपने हमें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इस हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीमन, सर्वप्रथम हम अपने नेता मा0 आजम खां जी को शानदार बजट प्रस्तुतिकरण एवं भावनात्मक तथा मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत बजट भाषण के लिये उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह जी और प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री और युवा हृदय-सम्राट मा0 अखिलेश यादव जी के संरक्षण एवं निर्देशन में मा0 नगर विकास मंत्री जैसे दूर दृष्टि द्वारा नया सवेरा नगर विकास योजना, 'ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना, 'पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां' 'हमारी बेटी उसका कल योजना,' 'कब्रिस्तान एवं शमशान घाटों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने की योजना,' 'बैटरी चलित रिक्शा योजना', तथा बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब बनाये जाने की योजना का भरपूर समर्थन और स्वागत करते हुये बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्रीमन हमारी विधान सभा क्षेत्र की अल्पसंख्यक एवं बुनकर बाहुल्य क्षेत्र को बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब से पोषित किये जाने हेतु नगर पंचायत मऊआइमा में यह योजना लागू करने हेतु मा0 मंत्री जी से आग्रह करता हूं साथ ही मऊआइमा टाउन एरिया के समग्र विकास हेतु धनावंटन के लम्बित प्रस्ताव को पास करने हेतु मा0 मंत्री जी से आग्रह करता हूं। वहां स्थित नाटी इमली चौराहा तथा ईदगाह ताल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने का भी आग्रह करता हूं।

अन्त में मैं बजट का बिन्दुवार समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत सी नगर पालिकायें तथा नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां सुविधाओं का अभाव है। जहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। लोगों को आज आवश्यकता है शुद्ध पीने के पानी की, क्योंकि पानी सारी बीमारियों की जड़ है। मेरे जनपद-शामली में दूषित पानी से लोग प्रायः बीमार हो जा रहे हैं जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

अतः मेरा सुझाव है कि नगरों में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिये बड़े आर0ओ0 (रिवर्स आस्मोसिस सिस्टम द्वारा) शुद्ध पानी नगरों में आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिये। शामली को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में सम्मिलित करते हुये वहां का समुचित विकास कराया जाना चाहिये। बरसात में यहां जलभराव की स्थिति अत्यन्त भयानक रूप में होती है, जिस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

शामली जनपद में अवैध रूप से बसी हुई बस्तियों का अधिग्रहण करते हुये नगर विकास विभाग द्वारा उनका सम्पूर्ण विकास किया जाना आवश्यक है तथा इन क्षेत्रों की जल निकासी हेतु एक विस्तृत कराना कार्य योजना बनाकर इनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र-शामली, नगर पालिका, शामली व कांधला। नगर पंचायत, एल्लम व बनत में सड़कों का निर्माण, मार्ग प्रकाश, धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों का पूर्णरूपेण विकास योजना अतिआवश्यक है।

यहां के नगरों में सीवर-सिस्टम का पूरी तरह से अभाव है जिससे लोगों को असुविधा होती है। इसलिये यहां पर सीवर पाइप लाइन बिछाया जाना तथा समुचित पेयजल की व्यवस्था हेतु जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगाया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त कार्य जनहित में अतिआवश्यक है, जिसे नगर विकास विभाग द्वारा शीघ्र कराया जाय। इसी के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जगराम पासवान-

मा0 अध्यक्ष महोदय,

आपने मुझे पक्ष में बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

महोदय/नगर पालिका परिषद् बलरामपुर में पानी निकास के लिये सीवर लाइन बनायी जाये जिससे शहर में जल जमाव न हो। पूरे शहर में जनसंख्या और भीड़ के कारण जाम लग जाता है जिससे घंटों सड़क जाम हो जाता है। आम जनता को बड़ी परेशानी होती है महोदय यह लगभग सभी दिन होता है। चूंकि बलरामपुर जिले का मुख्यालय है इसलिये दूसरे जनपदों से आने जाने वाले प्रभावित होते हैं। यह स्थान रेलवे क्रासिंग झारखंडी के पास का इलाका है।

महोदय, रेलवे क्रासिंग पर झारखंडी के पास तुलसीपुर बहराइच रोड पर ओवरब्रिज सरकार द्वारा बनवाने की कृपा करें।

इसी के साथ मैं नगर विकास बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मा0 नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

मा0 मंत्री जी ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया उसके समर्थन में बोलते हुये कहना चाहता हूं कि आपने नगरों के विकास के लिये जिस तरह का जन-उपयोगी बजट लाये हैं इसके लिये पुनः धन्यवाद आपने गरीबों को बैटरी चालित रिक्शा का मालिक बनने का पूरा प्रयास किया है तथा शहरी गरीबों के आसरा का निर्माण का प्रबन्ध किये हैं उससे गरीबों को छत मिलेगा। साथ ही मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद-बलिया जो तहसील मुख्यालय है जिसकी आबादी पचीस हजार से भी अधिक है अतः बैरिया को नगर पंचायत बनाने की व्यवस्था करायें क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगर पंचायत नहीं है इस लिए पुनः बैरिया को नगर पंचायत बनाने की मांग करते हुए इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं धन्यवाद।

श्री अनीसुरर्हमान-

आदरणीय अध्यक्ष जी, नगर विकास के बजट की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र कांठ (मुरादाबाद) में नगर पंचायत कांठ का सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन पर लम्बित है। मेहरबानी करके नगर पंचायत के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर नगर पंचायत कांठ को नगर पालिका बनाने का कष्ट करे। मान्यवर, यह भी अनुरोध करूंगा की कांठ में नया सवेरा एवं आसरा योजना में शामिल कर विकास कराने का कष्ट करें। मान्यवर, अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा कांठ का ग्राम पाकबड़ा पूरे मण्डल मुरादाबाद में सबसे अधिक जनसख्या लगभग 50,000 की आबादी का ग्राम है। मान्यवर, मन्त्री जी से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत पाकबड़ा (मुरादाबाद) को नगर पंचायत का दर्जा देने की मेहरबानी होगी। शुक्रिया।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0प्र0।

महोदय, सादर अवगत कराना है कि खागा नगर पंचायत, जनपद फतेहपुर की सबसे पिछड़ी नगर पंचायत है। जिसमें सम्पर्क मार्गों व विसर्जित जल की निकासी हेतु नालों का अभाव है। जल भराव के कारण लोगों के आवागमन में बड़ी कठिनाई ही नहीं बल्कि जनमानस संक्रामक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं।

सादर अवगत कराना है कि खागा नगर की सीमा विस्तार शासन द्वारा 20 मई, 2008 को किया गया, नगर पंचायत से लगी हुई गांव सभायें बहादुरपुर व शहजादपुर जिनकी लगभग 20 हजार की आबादी, नगर पंचायत खागा में सम्मिलित कर दी गयी।

उक्त के क्रम में 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक बढ़े हुए क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार नगर पंचायत खागा के विकास कार्य हेतु धन शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि बांदा शहर के रोड किनारे फुटपाथों में छोटे दूकानदारों को J.C.B. मशीन द्वार उजाड़ दिया गया जिससे तमाम गरीब दुकानदार व गुमटियों के लोग बेरोजगार हो गये हैं। अतः आप से विनम्र निवेदन है कि इन दूकानदारों को इनके नुकसान का मुआवजा दिलाकर इन्हें पुर्नस्थापित किये जाने की कृपा करें।

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि बांदा जनपद के शहर बांदा के मुहल्ले, इन्द्रानगर, शान्तीनगर, सर्वोदय नगर व तुलसीनगर, बांदानगर पालिका में शामिल नहीं है जबकि ये मुहल्ले बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा ही बसाये गये हैं, ये मुहल्ले किसी ग्राम सभा में शामिल

नहीं जिससे किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इधर कोई विकास नहीं कराया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ही परेशानी होती है, अतः आपसे निवेदन है कि इन मोहल्लों को अतिशीघ्र बांदा नगर पालिका में शामिल कराये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग के बजट के कटौती जो राधा मोहन अग्रवाल डाक्टर साहब ने रखा है। उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार कहती है कि मुस्लिमों की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण लेते हुए नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानपुर टेनरी का उद्योगों का विनाश होता जा रहा है। आज कानपुर के अल्पसंख्यकों के टेनरी उद्योग जो जाजमऊ स्थापित चमड़ा उद्योग विगत लगभग 115 वर्षो से स्थापित है। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी सख्या में कार्यरत हैं। परन्तु आज यह उद्योग कठिन संकट के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में यह सरकार देनदारियां बन्द कराने पर तुली है। जबकि यह टेनरियां 6 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े परिवारों की जीवका चला रही है। 115 वर्षों से संचालित यह टेनरियां 4 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर उत्तर प्रदेश का गौरव न केवल भारत वर्ष में अपितु पूरे विश्व में बढ़ा रही है। चमड़ा उद्योग ने अपने परिसर में ही प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित करवाया हुआ है। जिसमें अपने जातपूतो से बताना चाहता हूं। उत्प्रवाह सीधे गंगा नदी में निस्तारित नहीं कर रही है। टेनरियों ने स्थापित पी0ई0टी0पी0 से सीधी उत्प्रवाह शेष शोधन हेतु जल निगम द्वारा संचालित संयुक्त शुद्धीकरण सयंत्र में कन्वेस सिस्टम बन्द नाले द्वारा किया जाता है। खराब दौर से गुजर रही टेनरियों में कार्यरत लाखों कर्मचारी एवं उनके भुखमरी में पूरा परिवार हो जाता है। कानपुर में हमारे विधान सभा में जाजमऊ में टेनरियों पर ध्यान रखा जाय।

कानपुर में तथा हमारे क्षेत्र मे छावनी विधान सभा में जे0 चमन यू0आर0एम0 द्वारा जो सीवर या पानी की लाइन डाली गई। उसकी जांच कर ले या तो टूटी सड़क पड़ी है जो बनवाई है। वह टूट गई है। इसकी जांच कर ले हमारे क्षेत्र पूरा श्यामनगर में वार्ड 77 तथा वार्ड 53 में पूरी जांय कर ले और यह जांच हम लोगों के सामने होनी चाहिये। जिससे पानी साफ हो जाय। इसके तुरन्त काम कराया जाय जिसमें आने वाली बरसात के पहले सभी सड़क चलने योग्य हो जायं। हमारे क्षेत्र में सीवर, सड़क, नाली और पानी की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से छावनी विधान सभा के कार्य तथा टेनरियां के सभी सही कार्य करने की कृपा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपने हमें नगर विकास के कटौती पर बोलने का अवसर दिया बार-बार आपको धन्यवाद। रघुनन्दन सिंह मैं अपने बहुत क्षेत्रों के बारें में कह रह हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बाबूपुरवा में जो श्रमिक कालोनी है। उनके पीछे तीन-तीन फुट पानी भरा है। माननीय बीमारी फैली है और अगर सीवर का पानी साफ नहीं कराया गया तो यहां बीमारी फैल सकती है। माननीय हमारे क्षेत्र में जो के वार्ड एक कालोनी है। उनकी सड़कें खराब हैं तथा श्याम नगर में ए0बी0सी0डी0ई0 आदि क्षेत्र की सड़कें बनवाने की कृपा करें धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपसे हमें कटौती प्रस्ताव में भाग लेने के लिए आप का आभार प्रकट करता हूं।

श्री प्रदीप चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी,

मान्यवर, गंगोह विधान सभा जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत नगरपालिका गंगोह नगर पंचायत अम्बहैटा, टीटरों व नानौटा आती है। जिनमें बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। जिन पर अत्यधिक गौर किया जाय अत्यधिक आवश्यक है मान्यवर आपके माध्यम से नगर विकास विभाग के मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नगर की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं, बिजली के लिए लगी है। स्ट्रीट लाइटें बन्द पड़ी रहती है उनको ठीक कराया जाना अतिआवश्यक है नालों में गंदगी भरी रहती है उनकी सफाई नहीं हो पाती है इस कारण बीमारी फैलने की शंका बनी रहती है सफाई कर्मियों की तैनाती की जाये बहुत सारे मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचता है। इसके लिए भी व्यवस्था की जाये मान्यवर इन सभी समस्याओं पर अपने माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इन समस्याओं का निराकरण कराने की कृपा करेंगे।

श्री नागेन्द्र सिंह 'मुन्ना यादव'-

माननीय अध्यक्ष, आप ने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-2 धन्यवाद।

मैं माननीय नगर विकास मंत्री श्री आजम खां द्वारा रखे गये बजट के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन इस लिए कि यह बजट समाजवादियों द्वारा तैयार किया हुआ बजट है। यह महात्मा गांधी और डा0 राम मनोहर लोहिया के सपनों का है। बजट है इसी लिए तो समाज के सभी वर्गो की बेहतरी के जो सोचा था उसकी इस बजट मंजूरी करने का काम किया गया है। किसी को कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आजम खां साहब ने अपनी इस बात को अपने काम करने के तरीके से साबित करने का काम किया है। मैं प्रतापगढ़ की सदर सीट से जीत कर आया हूं। प्रतापगढ़ बहुत ही पिछड़ी जगह है। प्रतापगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। वह है शहर की जमींदारी व्यवस्था की दुरुपयोग जिसके कारण आये दिन राजा प्रतापगढ़ शहर के व्यापारियों के घरों को गलत तरीके से अनेक घरों की भू-माफियाओं के हाथों बेंच दे रहे हैं और पूरे शहर में भय का माहौल व्याप्त है। इस जमींदारी व्यवस्था को शहरों से समाप्त किया जाना चाहिए। प्रतापगढ़ शहर में बहुत ही खारा पानी है। आजादी के इतने दिनों बाद भी प्रतापगढ़ शहर के लोगों को आज तक मीठा पानी नसीब नहीं हो पाया है मैं चाहता हूं कि प्रतापगढ़ शहर में बड़ी ट्यूबवेल लगाकर शहरवासियों को पीने के लिये मीठे पानी की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर मेरे शहर में कई वर्षों से सीवर लाइन का कार्य चल रहा है जिसमें मानक अनुरूप काम भी नहीं हो रहा है। जिसके कारण आवागमन में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ नगर पालिका पर काफी समय से भा0ज0पा0 के लोगों का कब्जा चला आ रहा है। इसी कारण से शहर के मुस्लिम बस्तियों में और दलितों की बस्तियों में कोई भी काम नहीं किया गया है।

मान्यवर मेरे क्षेत्र में तीन टाउन एरिया और एक प्रतापगढ़ नगर पालिका आती है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके समग्र विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी,

मा0 नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर,

जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तबसे लखनऊ सहित सभी महानगरों में तीव्र गति से विकास कार्य हुआ है।

मान्यवर,

पिछली ब0स0पा0 सरकार में लखनऊ सहित सभी महानगरों में विकास के पैसे में भारी लूट हुयी और विकास कार्य ठप हो गये थे।

मान्यवर,

लखनऊ शहर में 80 प्रतिशत लोग गोमती नदी से जल संस्थान से आये पानी को पीते हैं। गोमती नदी में नाले खुलते हैं और वही गोमती का पानी जल संस्थान में आता है हमारी सरकार से मांग की गोमती नदी में गिरने वाले नालों से पहले ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाये जिससे गोमती नदी में गन्दा मैला न गिर पायें।

मान्यवर,

गांवों से बड़ी संख्या में लोग लखनऊ शहर में आ रहे हैं यहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है लखनऊ शहर में एक नये वाटर वर्क्स का निर्माण कराया जाये।

मान्यवर,

लखनऊ शहर में मध्य क्षेत्र की घनी आबादी में जो नाले बहते हैं वह मेरे एवं खुले होने के कारण बरसात में बच्चों एवं बुजुर्गों के गिरने से मृत्यु होती रहती है। घनी बस्ती में बहने वाले नालों को साफ कर इसको ढकने की आवश्यकता है। मैं नगर विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि बरसात से पहले घनी बस्ती में बहने वाले नालों को साफ कर ढकने की कार्यवाही हो।

मान्यवर,

लखनऊ शहर में मलिन बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं इन मलिन बस्तियों में रहने वालों को वही मालिकाना हक दिया जाये तथा वहां सभी नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जाय।

मान्यवर,

लखनऊ सहित बड़े महानगरों में बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर अपना रोजगार चलाते हैं। इन पटरी दुकानदारों को बिना किसी किराये या मूल्य के उनकी वैकल्पिक मार्केट की व्यवस्था हो।

मान्यवर,

सरकार ने लखनऊ में समग्र विकास योजना में विकास के लिये धनराशि दी थी उससे तेजी के साथ विकास का कार्य चल रहा है। आगामी वर्ष में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत लखनऊ में दो सौ करोड़ रु0 का आवंटन किया जाये।

मान्यवर,

प्रदेश सरकार ने रिक्शा चालकों को बैटरी की रिक्शा देने का निर्णय लिया है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये नगर विकास के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा उ0प्र।

मान्यवर,

आज नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट को माननीय नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा पेश किया गया। मैं इस बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं।

मान्यवर,

माननीय नेता जी की रहनुमाई में तथा नेता सदन माननीय अखिलेश यादव जी, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। मा0 मंत्री जी मेरे विधान स0 क्षे0 के ग्राम हर्रा, बखिवाई ब्लाक सरूरपुर घोल्डी-ब्लाक जानी तथा पो0 रोहटा-ब्लाक रोहटा- को उनकी बड़ी जनसंख्या को देखते हुये नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-

के द्वारा दी जाने वाली जो छात्रों व छात्राओं के छात्रवृत्ति या हमारी बेटी व उसका कल आदि योजनाओं को समय पर मिलने का प्रबन्ध किया जाय क्योंकि कुछ शैक्षिक संस्थायें लापरवाही बरत रही हैं उनका जवाबदेही तय होना चाहिये।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी विधान सभा0 उ0प्र0 लखनऊ।

महोदय,

कृपया नगर विकास के बजट में आज नगर पालिका मुंगराबादशाहपुर जौनपुर में निम्न कार्यों को जनहित में करवाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(1) मुंगराबादशाहपुर इलाहाबाद मार्ग पर रेलवे ट्रेक के ऊपर ओवर ब्रिज का निर्माण।

(2) मुंगराबादशाहपुर कस्बे में चूड़ी गली में इण्टर लॉकिंग।

(3) कोईरान बस्ती में पानी की टंकी।

(4) मुंगराबादशाहपुर मछलीशहर रोड पर नाली का निर्माण।

(5) पूरे कस्बे में लाइट सोलर की व्यवस्था।

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी-

महोदय,

आपने मुझे नगर विकस विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। नगर पालिका परिषद्, रूदौली, जनपद फैजाबाद एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। पूरे जनपद में सबसे ज्यादा राजस्व नगर अदा करता रहा है। इसके बाद भी रूदौली को सी-श्रेणी में रखा गया है। विकास के मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में मात्र 1.5 करोड़ रुपया ही परियोजनाओं पर खर्च

किया जा रहा है। जबकि नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के वार्डों की संख्या 25 है। जिनमें 18 वार्ड अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के विकास के नाम पर भी इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटित नहीं किया गया। नगर क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति अत्यन्त ही जर्जर व क्षतिग्रस्त है। पेयजल की उपलब्धता हेतु ओवरहेड टैंक की स्थापना की मांग नगरवासियों द्वारा विगत कई वर्षों से की जाती रही है। उक्त मद में भी किसी तरह का कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। पूरे नगर क्षेत्र की सड़कें अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। मरम्मत आदि का भी बजट आवंटित नहीं किया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मीटर पद्धति से बिल का भुगतान किया जाता है परन्तु विद्युत आपूर्ति देहात के रोस्टर की भांति की जा रही है। शहरी क्षेत्र की रोस्टर पद्धति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग नगरवासियों द्वारा की जाती रही है। विगत वर्षों से प्रकाश व्यवस्था के नाम पर भी धन आवंटित नहीं किया गया है जिस कारण नगर क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें व अन्य विकास से जुड़े विकास से संसाधन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़े हैं। नगर क्षेत्र की दलित बस्तियां व अन्य बस्तियां भी अवस्थापना सुविधाओं से वंचित हैं।

मान्यवर, विधान सभा रूदौली तहसील मुख्यालय व देहात तथा नगर क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये स्टेडियम की मांग क्षेत्र के छात्र-नौजवानों द्वारा की जाती रही है। परन्तु अभी तक भूमि का आवंटन नहीं हो पाया है। रूदौली विनियमित क्षेत्र गांव पंचायतों में बहुत सारी भूमि खाली पड़ी है। मेरी मांग है कि स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन सुनिश्चित कराया जाय।

सम्पर्क मार्गों के किनारे पानी की निकासी व जल भराव क्षेत्र के जल निकासी हेतु नाली एवं नालों का निर्माण आवश्यक है। नगर पालिका क्षेत्र से लगी हुई गांव सभायें मानापुर, जलालपुर, खैरनपुर, मोहमीदपुर, डेहवा, गुलचप्पा, जहानपुर, बल्दी का पुरवा, गोगावां, करीमपुर, आजादनगर, भौली, शुक्लापुर विनियमित क्षेत्र की सभी गांव पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किये जाने की मांग विगत कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है। मेरा अनुरोध है कि विनियमित क्षेत्र में आने वाली सभी गांव पंचायतों को रूदौली नगर पालिका क्षेत्र सीमा में परिसीमन कराकर अविलम्ब सम्मिलित किया जाय।

नगर पालिका परिषद् के अंदर सभी पांच मलिन बस्तियों में गरीबों को आवासीय योजना उपलब्ध कराये जाने हेतु धन आवंटित किया जाय व धार्मिक दृष्टि से रूदौली की महत्ता को ध्यान में रखकर धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास हेतु प्रभावी कार्यवाही करायी जाय। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर क्षेत्र की पुरानी पी0एच0सी0 को महिला अस्पताल का दर्जा दिया जाय। रूदौली नगर की परिधि में एक दर्जन से ज्यादा बड़े पोखरे मौजूद हैं। इन सभी के सौन्दर्यीकरण का धन स्वीकृत किया जाय।

अंत में नगर पालिका के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु विगत 10 वर्षों से स्टाफ की बहुत ही कमी है, सृजित पदों के अतिरिक्त सफाई कर्मी व अन्य स्टाफ की नियुक्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण के बजट की चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जनाब आजम खां साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जनाब आजम खां साहब ने जिस ढंग से बजट पेश किया है वह अपने आप में काबिले तारीफ है, जिस तरह से समाज के हर समस्या को ध्यान में रखा गया है वह आजम खां जैसा संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है।

नगर विकास के मामले में मा0 मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर छोटे-बड़े नगरों का ध्यान दिया गया है जो योजनायें हैं, जब पूरी तौर पर धरातल पर उतरेगी कार्य होंगे तो यकीनन समस्त नगर व शहर वासियों के चेहरों पर मुस्कान आयेगी। जिस विधान सभा से मैं हूं उसमें मात्र एक नगर पंचायत तुलसीपुर है, उसमें विकास के लिये जितना पैसा मांगा गया है उसे मा0 मंत्री जी ने दिया है, इसके लिये भी मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं।

जहां तक सवाल अल्प संख्यक कल्याण का है, इसके बारे में मान्यवर मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अल्प संख्यकों के लिये इतना अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ अल्पसंख्यक बेटियों को पढ़ने के लिये जो कदम उठाया है वह अपने आप में बहुत ही सराहनीय है जहां तक मैं जानता हूं, पूरे भारत वर्ष में अगर तुलना ही जाए तो उ0प्र0 के इतनी अच्छी योजनायें अल्प संख्यकों के लिये उ0प्र0 में चलाई जा रही हैं वह पूरे भारत में उ0प्र0 को छोड़कर और कहीं नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मदरसे के शिक्षकों का जो वेतन ब0स0पा0 के शासन काल में रुका हुआ था, स0पा0 की सरकार बनते ही मदरसे के शिक्षकों को वेतन भुगतान दे दिया। मैं इस बात का भी धन्यवाद मा0 मंत्री जी के साथ-साथ खास तौर पर मा0 मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार को देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अब तक जितनी सरकारें आयी वह ठीक से जिन्दा लोगों का ध्यान/ख्याल न रख सकी लेकिन हमारे लोक प्रिय मुख्य मंत्री जी ने तो कब्रिस्तानों के बाउण्ड्री वॉल को बनवाकर उनका भी ख्याल किया है जो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गये।

मान्यवर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग उन्नीस प्रतिशत है इससे सापेक्ष अल्पसंख्यकों के लिये जो बजट पेश किया गया है वह उन्नीस प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है यह सही है कि ब0स0पा0 के शासनकाल में जो बजट अल्पसंख्यकों के लिये था उससे यह बजट बहुत अधिक है, परन्तु यदि आबादी के ऐतबार से कुल बजट से तुलना किया जाये तो प्रस्तुत बजट अल्पसंख्यकों के लिये बहुत कम है।

मान्यवर मैं मुसलमान हूं और पीड़ा समझ सकता हूं उनका मेरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं कुल आबादी का उन्नीस प्रतिशत हिस्सा कम नहीं है, यदि इतनी बड़ी आबादी पीछे रह जायेगी तो पूरे प्रदेश का विकास कैसे सम्भव है, इसलिये अल्पसंख्यकों के लिये उनकी आबादी के हिसाब से बजट से

प्रावधान की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः मा0 मंत्री जनाब आजम खां साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी तथा पूरी सरकार को बधाई देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी आपसे सादर अनुरोध करना है की मेरी विधान सभा शिकोहाबाद में बहुत ही नई आबादी क्षेत्रों में कोई सड़क नहीं है बिजली व्यवस्था नहीं है इसलिये आपसे निवेदन है उसमें धन नगर विकास विभाग से दिलाकर नई आबादी क्षेत्र के लोगों को सड़क पर चलने का मौका मिल सके।

अतः इसी तरह फिरोजाबाद को चारों तरफ मेरी विधान सभा में आता है 13 ग्राम सभाओं नगर पालिका फिरोजाबाद में शामिल कर लिया गया उसमें अभी कोई नगर पालिका द्वारा काम नहीं कराया गया इसलिये शिकोहाबाद फिरोजाबाद की नई आबादी क्षेत्रों को नगर विकास विभाग द्वारा धन दिलाकर क्षेत्र में विकास हो सके आपकी अति कृपा होगी।

श्री रघुराज सिंह शाक्य-

मा0 अध्यक्ष जी अपने मुझे नगर विकास मंत्री जी द्वारा नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग पर विचार रखने की अनुमति दी उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी नगर विकस मंत्री ने जो बजट पेश किया है जो एक शानदार बजट है बजट में नगर की सभी समस्याओं पर बल दिया गया और हर वर्ग को लाभ दिया गया है आगे चलकर नगरों का काफी विकास होगा अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से निम्न समस्याओं इटावा व इकदिल नगर की रखना चाहता हूं।

1-इटावा नगर में जो सीवर लाइन पूर्व सरकार द्वारा बनायी गयी वो बहुत घटिया पाइप की चौड़ाई केवल 10 फीट की है तो जाम हो जायेगा। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसकी जांच करायी जाय।

2-इटावा नगर पालिका में लाइन पर क्षेत्र में नालों का निर्माण कराया जाय।

3-जसवन्तनगर नगर पालिका में छिमारा रोड पर नाला का निर्माण कराया जाय जिससे जल निकासी हो सके।

4-इटावा शहर में भोलन सम्यड लालपुरा मोहल्ले में ही हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों का उसी व अन्य मेलों का त्योहार मनाया जाता है भोलन सम्यड का सौन्दर्यीकरण किया जाय।

5-साहयान मोहल्ला व वाह अड्डा मोहल्ला व कालीकवरे गाजीपुरा, नोरंगा वार्ड, उर्फू मोहल्ला, पथवरिया मोहल्ला/डूडा से सड़कें व आवास बनाये जायं।

6-इटावा शहर में रिक्शा चालकों व आम आदमी के लिये रैन बसेरा बनाया जाय।

7-इटावा शहर के लिये 200 हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था की जाय।

8-इकडिल पंचायत को डूडा योजना में शामिल किया जाय या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी का उपरोक्त प्रस्ताव शामिल करने का कष्ट करें।

मा0 अध्यक्ष जी-

आपने मुझे मा0 नगर विकास मंत्री श्री आजम खां साहब द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं, मा0 नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण का बजट सर्व समाज के हितकारी एवं लोक कल्याणकारी बजट है, इसमें नगर में रहने वाले लोगों को हर समस्या पर बजट का प्रावधान किया है। मा0 अध्यक्ष नगर विकास मंत्री जी बहुत ही उदार एवं संवेदनशील हैं, इन्होंने अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु, उनकी बेटियों के भविष्य कह चिन्ता जाहिर किया तथा उसकी के तहत, हमारी बेटी, उसका कल योजना के अन्तर्गत उनकी पढ़ाई तथा भविष्य के लिये 30 हजार रुपये देने का काम किया तथा शहरी गरीबी रिक्शा चालकों को स्वायतित रिक्शा चालकों को फ्री रिक्शा देने का काम किया है, इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में नगर विकास में धोबीघाट तथा जल भराव के निजात के लिये ड्रेनों एवं नालों तथा सीवर लाइन की व्यवस्था कराकर जल भराव से मुक्ति कराने की कृपा करें तथा मदरसा नगर, गजनीपुर घनीपुर को जोड़ने नगर पंचायत करायें।

श्री राम सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नगर विकास के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान दिया। मैं अपने नगर विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। जिसमें समाज के गरीब, शोषित वर्ग के प्रति नयी संवदेनाओं के साथ नया सवेरा नामक योजना प्रारम्भ की है जिसके लिये बजट में 900 करोड़ का प्रावधान प्रशंसनीय है। विगत 5 वर्षों में ब0स0पा0 शासनकाल में जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को कमीशन दलाली के माध्यम से लूटा उसका परिणाम है कि आज वे सत्ता से बाहर हैं। साथ ही मुझे विश्वास है कि माननीय नगर विकास मंत्री अपने कार्यकाल में नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर पालिकाओं को विकास के नये आयामों को पहुंचेगी। जहां तक अल्पसंख्यक कल्याण के हितों की रक्षा की बात है तो मात्र केवल एक पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव हैं जो मुस्लिम हितों के प्रति सदा सचेत रहते हैं और मुसलमानों ने भी उनको अपना सच्चा नेता मानते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को उनके एक वर्ष के कार्यकाल के लिये बधाई देता हूं जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई तथा उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये पुनः अध्यक्ष जी आपके धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री/नगर विकास मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में स्थानीय निकायों में प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये संविदा सफाई कर्मियों की 65 हजार भर्तियां की थीं जिनको कार्य करते हुये कई-कई वर्ष बीत चुके हैं। यदि आपकी कृपा हो जाये तों इन लोगों को स्थाई करने की कृपा हो जाए। चूंकि आज महंगाई का जमाना है और

शासनादेश के अनुरूप 10 हजार की आबादी पर 62 स0 क0 रखने का प्रस्ताव है। परन्तु प्रदेश की स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परन्तु उनके स्थान पर स्थाई भर्ती नहीं हो पा रही है। यदि इस बार आप सफाई कर्मियों की स्थाई भर्ती करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा।

मान्यवर संविदा सफाई कर्मी/सफाई कर्मियों को यदि ड्यूटी के समान कर्मचारी एग्रीमेन्ट/चोट लग जाती है। तो उसका उपचार स्थानीय निकाय को कराना चाहिये। साथ ही सफाई कर्मियों भैसा बुग्गी चलाने वालों को प्रत्येक माह भैंसा खुराक 600 के स्थान पर 100 प्रतिदिन दिया जाय। प्रत्येक माह का वेतन प्रथम सप्ताह में दिया जाय। सर्दी, गर्मी की वर्दी को समय पर दिलाया जाय। सफाई कर्मियों को शैक्षिक योग्यतानुसार सीनियरटी के अनुसार प्रोन्नत किया जाय।

मान्यवर, मा0 नगर विकास मंत्री जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने 630 स्थानीय निकायों के कर्मचारी के तरफ आपका ध्यान है गरीब मजदूर का दर्द आपके दिल में है।

अतः मा0 मंत्री जी मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई पेशे/पर काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और आपकी कृपा भी चाहता हूं।

साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में आपसे कृपा चाहता हूं कि पूरे जीवन कूड़ा करकट ढोने के पश्चात् जब यह कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसका G.P.F. प्रोविडेन्ट फण्ड, छुट्टियों का पैसा, बीमा, ग्रेच्युटी का अवशेष भुगतान, 3 माह के अन्दर कराया जाये। यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसे दण्डित किया जाय। स्थानीय निकाय कर्मचारियों का एक लाख की बीमा राशि बढ़ाकर पांच लाख की जाए। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर के ग्रा0 सैफापुर फिरोजपुर (रामराज) कस्बे की आबादी 20,000 हो चुकी है। उसे टाउन एरिया का दर्जा दिया जाय। बजट पर मैं बल देते हुये अपनी बात समाप्त कर धन्यवाद देकर समाप्त करता हूं।

श्री इन्दल कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी आपने हमे नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद करता हूं और माननीय नगर विकास मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और जो इतना बड़ा बजट पेश किया है इससे सम्पूर्ण नगर विकास, नगर पालिका व नगर पंचायतों का सम्पूर्ण विकास हो सके इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस बजट में मेरे कुछ सुझाव जोड़ दिये जायं। मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में माल कस्बा को नगर पंचायत घोषित किया जाय तथा जानकीपुरम् विस्तार में सेक्टर 2 को सीवर लाइन के जो बन्द हैं इसको बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाय। ताकि सेक्टर-दो जानकीपुरम् विस्तार के समस्याओं से निजात मिल सके।

सादर धन्यवाद।

श्री अरुण वर्मा-

माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय,

आदरणीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नगर विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं आज मा0 नगर विकास मंत्री जी जो बजट पेश

किया है वह बहुत ही ऐतिहासिक एवं शानदार है। पिछले पांच साल बसपा सरकार से जो नगरों के विकास के बारे में कभी सोचा नहीं और सारा बजट उन्होंने अम्बेडकर पार्क एवं मूर्तियां बनाने में खर्च किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी। फिर से नगरों का विकास चालू हुआ। जिसके लिये मैं मा0 नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां को बधाई देता हूं आप हमारे लोक प्रिय मुख्य मंत्री और हिन्दुस्तान के नौजवानों के नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास कर रहे जिससे मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मा0 अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 189 सदर (जयसिंहपुर) विधान सभा शेष में एक भी नगर पंचायत नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से मांग करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर के कूरेभार कस्बे को नगर पंचायत बनाया जाये। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके के माध्यम से विपक्ष वालों को बताना चाहता की जो योजना मा0 मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की है। चाहे वह नया सवेरा आवास योजना मुस्लिम लड़की को 30 हजार रुपये हो या फिर गरीबों को बैटरी चालित रिक्शा आदि की योजनायें काफी सराहनीय हैं। अन्त में मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को शानदार बजट पेश करने के लिये बहुत-बहुत बधाई और अन्त में मैं मा0 अध्यक्ष जी आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे अल्पसंख्यक एवं नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका अभारी हूं। अन्त में मैं भी बजट पर बल देता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा उ0प्र0।

आपने मुझे नगर विकास के विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मा0 अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा के अन्तर्गत, अतरौलिया नगर पंचायत है यह काफी पिछड़ी हुई नगर पंचायत हैं इसलिये मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि निम्न काम जनहित में आवश्यक हैं। 9 वाचनालय बनाया जाय, टूटी सड़कों का निर्माण कराया जाय, जर्जर तार बदले जायं, सामुदायिक भवन बनाया जाय, मुस्लिम बाहुल्य आबादी में नया सवेरा आवास बनाया जाय। गरीब रिक्शा चालकों को जो नगर पंचायत के अन्तर्गत रिक्शा चलाते हैं उन्हें बैटरी युक्त रिक्शा दिया जाय।

सादर।

माननीय अध्यक्ष जी-

मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में दो नगर पालिका सिकन्दराबाद तथा गुलावठी तथा एक नगर पंचायत ककोड आती है। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि सिकन्दराबाद तथा गुलावठी नगर पालिका परिषदों को आदर्श नगर पालिका परिषद् घोषित करते हुये वहां सीवर सिस्टम तथा पार्क बनवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त ककोड नगर पंचायत को भी आदर्श नगर पंचायत घोषित करते हुये वहां मलिन बस्तियों के उद्धार हेतु धनराशि आवंटित की जाय। नगरपालिका

परिषद् सिकन्दराबाद की एक दशक से सीमा वृद्धि नहीं हुयी है मेरा अनुरोध है कि सिकन्दराबाद नगर पालिका परिषद् की सीमा वृद्धि की जाय।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर,

मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये मा0 अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मा0 नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नगर पंचायत सेवरही को नगर पालिका का दर्जा दिया जाय साथ-साथ जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनीकरण योजना में नगर पंचायत सेवरही को शामिल किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तहसील तमकुहीराज को नगर पंचायत का दर्जा व दुदही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय। चूंकि लगातार आन्दोलन चल रहा है। धरना प्रदर्शन व अधिकारियों का आश्वासन मिलता रहा है लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय। मा0 अध्यक्ष जी 2004 में मा0 मंत्री जी गये थे सेवरही नगर पंचायत सेवरही में उन्होंने जल निगम के टंकी का उद्घाटन किया था। लेकिन वहां टंकी आज भी हाथी की दांत की तरह खड़ा है तथा उसको आज तक चालू नहीं करा पायी है। आपने वादा किया था कि 2006 में टंकी की जांच की जायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी लेकिन जस का तस स्थिति में पड़ा है। मा0 अध्यक्ष जी दवा का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। नगर पंचायतों में मच्छरों का प्रकोप है। इसके लिये समय-समय पर छिड़काव कराये जाते रहे। नगर पंचायतों में EO की कमी है। इसकी पूर्ति की जाय। मा0 अध्यक्ष जी अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में मा0 मंत्री जी ने चर्चा की भारत की सरकार मदरसों में विज्ञान शिक्षकों का पैसा आपके विभाग द्वारा U.T सर्टिफिकेट के न भेजे जाने के कारण पैसा इन शिक्षकों का समय से नहीं मिल पाया है तथा शिक्षकों को लगातार धरना के बावजूद पैसा समय से नहीं मिल पाता है। इसलिये इनका पैसा डायरेक्ट इनके खाते में विज्ञान शिक्षकों को डायरेक्ट पैसा भेजा जाय। इतना ही कहते हुये मा0 राधा मोहन दास द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

पी0एस0यू0पी0-एल0 56 विधान सभा (118)-24-8-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।